चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 20

शुक्रवार, 20 अगस्त, 2004
29 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय-सूची

चतुर्दश माला खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 20, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2004/29 श्रावण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रति विरोध व्यक्त करने और उसकी निंदा करने के बारे में	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5-35
तारांकित प्रश्न संख्या 362 और 364 से 366	5-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर .	36-430
तारांकित प्रश्न संख्या 363 और 367 से 381	36-73
अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 से 3597	73-430
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	430
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	431-439, 456
रसायन तथा उर्वरकों संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	440
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	440
(एक) पहला प्रतिवेदन	
(दो) की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पहले से पांचवा प्रतिवेदन . . .	441
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	441
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ उनचासवें प्रतिवेदन से एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन	442
सभा का कार्य .	442-447
समितियों के लिए निर्वाचन	447-451
(एक) चाय बोर्ड	447-448
(दो) तम्बाकू बोर्ड	448-449
(तीन) कॉफी बोर्ड	449

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) रबड़ बोर्ड .	449-450
(पांच) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	450-451
(छह) मसाला बोर्ड . .	451
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	456-457
अनुबंध I . .	459-467
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	459-460
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	460-467
अनुबंध II . . .	467-470
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	467-468
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	468-470

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 20 अगस्त, 2004/29 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रति विरोध व्यक्त करने और उसकी निंदा करने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कल महाराजगंज (बिहार) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य ने सभा में सभा के एक दूसरे सदस्य के विरुद्ध कुछ असंसदीय और अपमानजनक टिप्पणी की। मैंने पहले ही इस अवमाननापूर्ण असंसदीय और अपमानजनक टिप्पणी को सभा के कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया है। मैं, माननीय सदस्य की टिप्पणी की कड़ी निन्दा करता हूँ और इस प्रकार की असंसदीय और अपमानजनक टिप्पणी का विरोध करता हूँ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 362, डा. रतन सिंह अजनाला।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते। मैंने कुछ टिप्पणियाँ की हैं। कृपया अब आप बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में प्रिविलेज नोटिस दिया है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। वे अभी मेरे विचाराधीन हैं। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी सीट पर बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, भगवान के लिए अब मुझे प्रश्नकाल शुरू करने दीजिए। प्रश्न सं. 362, डा. रतन सिंह अजनाला, आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी संवैधानिक स्थिति पैदा हो गयी है। ...*(व्यवधान)* सुश्री उमा भारती के खिलाफ कर्नाटक में हुबली की एक अदालत ने वारंट जारी किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस समय कुछ नहीं होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे अपना संवैधानिक कर्त्तव्य निभाना है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, क्या हम यहाँ गाली सुनने के लिए आये हैं? ...*(व्यवधान)* यह पार्लियामैंट है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूँ तो कृपया बैठ जाइये। आपको अपना आचरण बनाये रखना चाहिये। कृपया पहले बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप अपने स्थान पर बैठेंगे या नहीं? मुझे कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। मैंने अब कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। बच्चों का खेल बना रखा है।

मैं हाथ जोड़कर आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे प्रश्नकाल शुरू करने दें। मैं नियमों के अनुसार सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। परन्तु आप अध्यक्ष पर धौंस जमाकर अपनी मर्जी के अनुसार मामलों पर बहस करना चाहते हैं। जब तक में यहाँ हूँ सभा इस तरह से नहीं चलायी जाएगी। सभा में जो टिप्पणियाँ की गयीं थी वे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में से निकाली जा चुकी हैं और मैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। आप अध्यक्ष के विनिर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव की कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वे मेरे विचारधीन हैं। अब आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी मुझे बाध्य न करें। यह प्रश्नकाल है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। फिर भी आप अब क्यों बोल रहे हैं?

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मधुसूदनजी, कृपया मुझे किसी का नाम लेने को बाध्य न करें। मैंने अब सदस्यों का नाम पुकारने का निर्णय लिया है। मुझे खेद है कि मुझे सभा में यह कहना पड़ रहा है। हम भूल जाते हैं कि यह भारत की संसद है, लोकसभा है। सारे देश ने हमें यहाँ अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए भेजा है। क्या यह कर्त्तव्य केवल चिल्लाना है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि आपा चाहते हैं तो मुझे यहाँ से हटाने का प्रयास कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जांच–पड़ताल कर ली है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लालूजी, आप इन्हें समझाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि वे देखें कि सभा का संचालन सुचारु रूप से हो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राणा, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने टिप्पणी की निन्दा की है। मैंने उन्हें हटा दिया है। क्या आपमें इतना सुनने का भी धैर्य नहीं है कि अध्यक्षपीठ द्वारा क्या कहा जा रहा है।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : क्या आप यहाँ दो तरह के नियम चलाएंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने असंसदीय शब्द कहे थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने वह सुना है जो मैंने कहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृपाल यादव, मुझे बहुत खेद है। मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुझे भी बहुत खेद है .. *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न् 11.06 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मृत्यु दंड देने का तरीका

+

*362. **डा. रतन सिंह अजनाला** :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने मृत्यु दंड देने के तरीके से संबंधित अपने अध्ययन को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे सभी संबंधित बार काउन्सिलों, प्रमुख अधिवक्ताओं को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (घ) जी हां। भारत के विधि आयोग ने 'मृत्यु दंड देने के तरीके और आनुषंगिक विषयों' पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपनी 187वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विधि आयोग ने सिफारिशें करने से पूर्व प्रख्यात अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, चिकित्सा व्यावसायियों, आदि से गहन परामर्श किया था। रिपोर्ट को तारीख 9.7.2004 को लोक सभा के पटल पर और तारीख 12.7.2004 को राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया था। विधि आयोग ने इस रिपोर्ट में यह सिफारिशें की हैं कि:

(i) मृत्यु दंड देने का वैकल्पिक तरीका प्राणहर इंजैक्शन लगाया जाना होना चाहिए;

(ii) न्यायालय को, मृत्यु दंड देने के तरीके के बारे में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व इस प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करनी चाहिए;

(iii) मृत्यु दंड की पुष्टि करने वाले या उसे दिये जाने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का कानूनी अधिकार दिया जाए; और

(iv) इस अपील की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली किसी न्यायपीठ के द्वारा की जानी चाहिए।

(ङ) विधि आयोग की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए पहले ही गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। क्या यह सरकार सोशल आर्गनाइजेशन को कौन्फीडेंस में नहीं ले रही है?

[अनुवाद]

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, यह एक मामला है जहाँ

प्रतिवेदन जांचाधीन है। जब इस विषय पर हमें की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम इसे संसद में लाएंगे।

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला : यह मामला बहुत गम्भीर है।

[अनुवाद]

महोदय किसी भी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने से पहले राज्यों की विधानसभाओं, सामाजिक संगठनों और महिला संगठनों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उसके बाद ही उस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैं सहमत हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है और मृत्युदंड एक ऐसा मामला है जिसपर विस्तृत विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मृत्युदंड देने के सिद्धान्त की विभिन्न संगठनों द्वारा विशेषकर "ऐमिनेस्टी इन्टरनेशनल" द्वारा भर्त्सना की जा रही है। लेकिन जैसाकि आपको विदित है कि बच्चन सिंह के मामले में आठवें दशक के आरम्भ में और उसके बाद के अन्य मामलों में भी उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता पर रोक लगा दी थी।

बहरहाल, किसी देश की समाजिक स्थितियां ही जघन्य अपराधों के लिए सजा का निर्धारण करती हैं। अभी हम गृह मंत्रालय से यही अनुरोध कर रहे हैं कि वह विधि आयोग की इस सिफारिश के ब्यौरों का अध्ययन करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाये।

[हिन्दी]

श्री दलपत सिंह परस्ते : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अधिकार, मानव अधिकार द्वारा क्या आपत्ति जताई गई है? क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से राय ली गई है? यदि हां तो इसका मानव के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे?

[अनुवाद]

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह विधि आयोग का, विशेषकर मृत्युदण्ड देने के तरीके के बारे में हाल ही का प्रतिवेदन है। लेकिन जहाँ तक इसके अन्य भाग का सम्बन्ध है कि क्या मृत्युदंड को कानूनी दर्जा प्राप्त होना चाहिए अथवा इसे समाप्त कर दिया जाए, यह एक पृथक प्रश्न है। इन दोनों मुद्दों पर काफी चर्चा की जा रही है। इस बारे में एक बार जनमत तैयार हो जाने के पश्चात् संसद के पास प्राधिकार होगा कि वह मृत्युदंड के इस तरीके को अथवा मृत्युदंड के किसी अन्य तरीके को रखे अथवा हटा दे। अभी तो मृत्युदण्ड को फांसी के माध्यम से दिया जाता है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह जानकर दिल दहल जाता है कि एक व्यक्ति, जिसे न्यायपालिका द्वारा मृत्यु की सजा दी गई है, को अपनी मृत्यु का सही समय और तिथि का पता हो। तथापि न्यायपालिका का मत एक मामले में दूसरे मामले से भिन्न होता है जबकि उसमें अपराध एक समान होते हैं।

महोदय, यह भूमि गौतम बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी की है। यह वह भूमि है जिसने कई शताब्दियों तक प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया है। अतः मैं समझता हूँ मृत्युदण्ड का तरीका जो भी हो यह देश उसका समर्थन नहीं कर सकता है।

कुछ दिन पूर्व ही कलकत्ता में एक व्यक्ति को फांसी दी गई जिसने लोगों के जहन में हलचल पैदा कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अधीर चौधरी : इसके साथ-साथ, महोदय, बच्चों के जहन भी इस प्रकार प्रभावित हुए हैं कि कल पश्चिम बंगाल में बच्चों ने फांसी की नकल करते हुए खेल खेला और उसमें से एक बच्चे को जीवन से हाथ धोना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : वे स्पाइडरमैन की भी नकल कर रहे हैं। कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ क्या कभी बच्चों और लोगों के अंतर्मन का अध्ययन किया गया है। मैं तो मृत्युदंड समाप्त करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि यह देश इसका समर्थन नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री जी आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चौधरी, आप केवल अनुरोध कर रहे हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। बच्चों के जहन पर मृत्युदंड का क्या प्रभाव पड़ा है? मैं जानना चाहता हूँ क्या इसका मूल्यांकन किया गया है? क्योंकि कानून में भी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, आपको भली भांति मालूम है कि अभी तक इस संबंध में दो महत्वपूर्ण मामले सामने आये हैं और दोनों ही पंजाब से हैं जिसपर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। पहला मामला बच्चन सिंह का है जहाँ हमने मृत्युदंड की वैधानिकता की जांच की। बाद में 2–3 वर्षों के पश्चात् माछी सिंह का मामला आया जिस पर हमने अपने तर्क रखे और व्यापक दिशा निर्देश बनाए जिनमें बताया गया कि किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् संविधि नामतः अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) को संशोधित किया गया जहाँ आपराधी को अधिकार दिया गया कि सजा के प्रश्न पर उसकी सुनवाई की जाए। इस संशोधन के पश्चात् अब न्यायालय इस बात पर जोर दे रहा है कि असाधारण मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त समाज को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और इस दिशा में होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए।

डा. राम चन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शीर्ष न्यायालय के विरुद्ध नहीं हूँ। हाल ही में दो एक जैसे अपराधों नामतः हत्या और बलात्कार के लिए इसी शीर्ष न्यायालय ने एक मामले में मृत्युदंड दिया और दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतः दंड के इन दो अलग–अलग प्रकारों के बीच भेद समझ पाना लोगों के लिए बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

डा. राम चन्द्र डोम : महोदय, मेरा सीधा–सादा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने पर विचार कर रही है।

महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है। इस मामले में विधि आयोग ने मृत्युदंड के तरीके को बदलने की सिफारिश की है। हमारे देश में विद्यमान विधि में सहज मृत्यु की अनुमति नहीं है और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित विद्यमान चिकित्सा नीति किसी व्यक्ति को दर्दनाक बीमारी में भी जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की अनुमति नहीं देती है। अतः डाक्टर लोगों को जीवन देते हैं, मौत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानना चाहते हैं क्या वह तरीका अपनाया जाएगा अथवा नहीं।

डा. राम चन्द्र डोम : अतः मेरा प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है।

डा. राम चन्द्र डोम : मृत्युदंड को देने के वैकल्पिक तरीके को कौन कार्यान्वित करेगा?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे डाक्टर हैं जो उसे करेंगे।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैंने कहा है कि यह मामला गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। मैंने विधि मंत्रालय का प्रतिवेदन आगे भेज दिया है। जैसे ही इस पर अपने विचार देंगे हम संसद में जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह विधि आयोग से सम्बन्धित है इस लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मृत्यु दंड देने के तरीके के संदर्भ में यह प्रश्न है। चाहे पेनेलॉजी हो, क्रिमिनोलॉजी हो, गुनाह के जितने भी दखल पत्र हैं, ये सोशयोलॉजिकल आस्पेक्ट से भी सम्बन्धित हैं। पिछले दिनों जब एक व्यक्ति को फांसी दी गई तो कई टी.वी. न्यूज चैनलों पर रस्सी को साफ करने से लेकर अन्य तरीकों का प्रदर्शन दिखाया गया। एक प्रकार से इसको ग्लोरिफाई करने की कोशिश की गई। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इस तरह से मृत्यु दंड को ग्लोरिफाई करने और उसके प्रोसेस को टी.वी. पर दिखाने से समाज पर और बच्चों पर जो असर होता है, उसको रोकने के लिए और उनको पैनेलाइज करने के लिए क्या आप कोई कदम उठाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता विधि आयोग क्या कर रहा है। प्रश्न यह है क्या विधि मंत्री कुछ कर सकते हैं?

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं नहीं जानता कि उत्तर देने के

लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि सब कुछ संसद के रवैये पर निर्भर करता है। एक प्रक्रिया है। सभी प्रतिवेदन संसद में सभा पटल पर रखे जाते हैं। किसी कानून में जब हम संशोधन करते हैं और कानून की विद्यमान स्थिति पर किसी संशोधन की संसद में चर्चा की जाती है और उसके बाद ही हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री ने कहा है कि यह गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है कि वह इस पर निर्णय लेगा। अतः आप को यह प्रश्न पुनः गृह मंत्रालय के समक्ष रखना चाहिए।

अब अगला, प्रश्न लेते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : जब विधि मंत्रालय कुछ कर नहीं सकता, तो फिर मंत्री जी ने सदन का इतना समय क्यों बर्बाद किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसीलिए इस प्रश्न पर और पूरक प्रश्न करने की इजाजत नहीं दी है। मैंने मंत्री जी को भी कहा है और आपको भी कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 363, श्री श्रीनिवास पाटील। उपस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 364, डा. राजेश मिश्रा।

[हिन्दी]

वायुयानों की खरीद

*364. **डा. राजेश मिश्रा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए यात्री वायुयानों की संख्या कितनी है और आपूर्तिकर्ता कम्पनियों के नाम क्या हैं एवं प्रत्येक वायुयान की खरीद पर अदा किया गया मूल्य कितना है;

(ख) भुगतान करने का समय एवं उस एजेंसी का नाम, जिसके माध्यम से भुगतान किया गया, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायुयान की वास्तविक कीमत और उक्त एजेंसी को अदा की गई कीमत में कोई अन्तर था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे भुगतान करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी प्रथा को रोकने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों में से केवल इंडियन एयरलाइंस ने ही 4 मिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य पर दिनांक 14.11.2002 को एयरको आयरलैण्ड-II लिमिटेड, आयरलैण्ड से एक ए300 विमान (वीटी-ईवीडी) खरीदा है। यह विमान मई, 1998 से इंडियन एयरलाइंस के पास लीज पर था। खरीद मूल्य का भुगतान इंडियन एयरलाइंस द्वारा 15.11.2002 से 14.5.2003 तक पार्टी को पहले से ही अदा किए गए लीज किराये के समायोजन के बाद किया गया। लीज किराए के उपरोक्त समायोजन के बाद पार्टी को देय निबल राशि 3,370,000 अमरीकी डॉलर थी जिसे 9.5.2003 को भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयार्क में इंडियन एयरलाइंस के आयटा एकत्रण खाते से पार्टी को वापस कर दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने लिखित उत्तर में कहा है कि केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा ही ए-300 हवाईजहाज 14.11.2002 एयरको आयरलैंड-II लिमिटेड, आयरलैंड से खरीदा गया है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट किया है कि यह विमान 1998 से इंडियन एयरलाइंस के पास

लीज पर था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो विमान पहले से ही इंडियन एयरलाइंस के पास लीज पर था, उसे खरीदने के क्या विशेष कारण थे? मेरा दूसरा पाइंटेड प्रश्न है कि क्या इस विषय में अन्य कम्पनीज से भी विमान खरीदने के लिए सम्पर्क किया गया था, यदि हां तो किन–किन कम्पनीज से सम्पर्क किया गया और यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया?

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य का प्रश्न 2002 में जिस विमान को इंडियन एयरलाइंस ने खरीदा है, उस संदर्भ में है। 1989 में जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, तब इंडियन एयरलाइंस ने इस आखिरी विमान की रेगुलर खरीद की थी। उसके बाद समय–समय पर लीजिंग के माध्यम से केपेसिटी की कमी की पूर्ति की जाती थी। इंडियन एयरलाइंस द्वारा एक विमान लीज पर लिया गया था और यह हमने तीन साल के लिए वर्ष 1998 में लिया था। इसकी लीज रेंटल 1 लाख 45 हजार अमेरिकन डालर्स प्रति माह थी।

उसके पश्चात् उसकी अवधि दो साल के लिए बढ़ाई गयी। हवाई–जहाज की उम्र भी लीज का माध्यम होती है। उसमें लीज का रेंट कम हुआ और एक लाख पांच हजार डॉलर प्रतिमाह की उसकी लीज हुई। जब हवाई जहाज को वापस करने का समय आया तो सी तथा डी चैक करके उसका खर्च साढ़े चार मिलियन डॉलर लौटाने से पहले आ रहा था। हवाई–जहाजों की आज भी कमी है और तब भी थी। उस हवाई–जहाज को लौटाने के लिए अगर साढ़े चार मिलियन डॉलर का खर्च आ रहा था और चार मिलियन डॉलर में वह जहाज हम खरीद कर अपने पास रख सकते थे। उस समय ऐसी परिस्थिति बनी थी। इसलिए इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने चार मिलियन डॉलर में जहाज खरीदकर अपने पास रखने का फैसला किया। जहाज की अपनी आयु यानी साईकल होता है, समय होता है। उस साईकल में समय बाकी था, इसलिए चार मिलियन डॉलर में वह जहाज खरीदा गया। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या और ऑफर थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस कंपनी से जहाज लीज पर लिया गया था, उसी कंपनी से जहाज खरीदा गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी है?

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि साढ़े चार मिलियन डॉलर उस एयरक्राफ्ट को वापस करने पर देना पड़ता। अगर ऐसा था तो उसे पहले खरीदने में दिक्कत क्या थी?

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उसके बारे में मुझे यही कहना है कि लीजिंग हमारे लिए कोई सुखद ऑप्शन नहीं है। हर जहाज जब लीजिंग पर लिया जाता है तो देखा जाता है कि वह एयर–वर्दी है या नहीं। उसका सी और डी चैक करना पड़ता है और क्योंकि यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी और साथ ही इंडियन एयरलाइंस ने जहाज कई वर्षों से खरीदे नहीं हैं, कई वर्षों से हमारी क्षमता जहाज खरीदने की घटती जा रही थी। इसलिए या तो नयी लीज पर यही जहाज लिया जाता या उसका हम हिसाब करके उसको वापस करते। इसलिए उसे खरीदना ही एक सुखद रास्ता था जो हमने अपनाया।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि मैं प्रश्न नहीं पूछूं तो आप मुझे नहीं बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई, कृपया संक्षेप में बोलिए और विशिष्ट प्रश्न ही पूछिए।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में जो हवाई जहाज की कंपनियां हैं उन कंपनियों ने जो हवाई–जहाज खरीदे, उसके करीब 600 मिलियन डॉलर का मामला भारत सरकार के पास लम्बित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उसकी जानकारी क्या माननीय मंत्री महोदय जी को है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न दोहराएं।

श्री प्रफुल पटेल : इसका कारण है कि माननीय सदस्य कुछ एयरलाइनों के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज खरीदने चाहे हैं। दुर्भाग्यवश, मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन यदि किसी बात का कोई ब्यौरा है और यदि माननीय सदस्य उसे हमें दिखाते हैं तो मुझे उत्तर देने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको अलग से लिखें। श्री वरकला राधाकृष्णन, आप संक्षेप में कहें और संबंधित विषय पर ही प्रश्न पूछें। क्या आप केरल के लिए सीधी उड़ान चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं मानता हूँ कि वायुयानों की खरीद का मामला हवाई–किराये से भी जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में इंडियन एयरलाइन तथा एयर इंडिया ने खाड़ी क्षेत्र के लिए हवाई यात्रा का किराया बढ़ा दिया है जो अनुचित और अनपेक्षित है। कल तक खाड़ी के देशों से त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट को आने वाले लोग बहुत ही सामान्य किराया देते थे। लेकिन अब इसमें वृद्धि कर दी गई है क्योंकि ये लोग ओणम की छूट्टी के लिए अपने–अपने घर आ रहे हैं। इस समय उन्होंने जान बूझकर किराया बढ़ा दिया है। यह अनुचित है और पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इन गरीब मलयाली लोगों की जान मत लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही समीचीन प्रश्न है। आप इन वायुयानों को वहाँ जाने की अनुमति दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह साफ तौर पर हत्या का मामला है। इन दिनों में केरल लौट रहे गरीब मलयाली लोगों के लिए किराया अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे गरीब हो सकते हैं लेकिन आपके रूप में उनके पास एक मजबूत अधिवक्ता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वे लोग अपनी जीविका कमाने के लिए खाड़ी के देशों में रात–दिन काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, सरकार को कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। श्री राधाकृष्णन जो कुछ बोल रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है! वे सभी आपका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, श्री राधाकृष्णन आपने अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, गल्फ एयर को सहयोग करने को कहा जाए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि प्रश्न और इसमें पूरक प्रश्न में कोई अंतर्संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको इनके अनुरोध पर अवश्य विचार करना चाहिए। उनको इसकी छूट है। वे अगले अध्यक्ष हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको असंबद्ध प्रश्न पूछने की छूट है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मंत्री महोदय, कृपया इसकी तकनीकी बारीकियों में मत जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। कृपया उत्तेजित न हों।

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्रोध मत कीजिए, केवल अध्यक्ष क्रोधित हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रफुल पटेल : मैं माननीय सदस्य और केरल राज्य के सभी सहयोगियों की चिंताओं को समझ रहा हूँ। हवाई यात्रा के मामले में हमारे लिए केरल बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, खासकर खाड़ी के देशों के लिए, जहाँ हमारे लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन हवाई यात्रा किराए पर किसी भी स्तर पर सरकार की नहीं चलती है। हवाई यात्रा किराया केवल उसके प्रचालन के अर्थ–शास्त्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में और भारत के बाहर भी एयर लाइनों में प्रतिस्पर्धा है। हम सभी को ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर वायुयान टर्बाइन फ्यूल की कीमतों पर हमारे सोचने का कोई असर नहीं होता ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : हर साल किराया बढ़ा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, प्रश्न वायुयान की खरीद से संबंधित है। मैंने आपको यह प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है और वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल : मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इस विषय पर गंभीर हैं और आर्थिक रूप में जो भी व्यवहार्य होगा, किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम लाल मुर्मू। यदि वायुयानों की खरीद से संबंधित कोई पूरक प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं लेकिन मार्ग से संबंधित नहीं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर आ गया है और उससे मैं संतुष्ट हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद! आपने हाथ उठाया था। श्री आलोक कुमार मेहता। क्या आप अभी भी प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री आलोक कुमार मेहता : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ओह! आपको उत्तर मिल गया, बहुत अच्छा! मंत्री महोदय, आपने प्रत्याशा में व्यापक उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रभुनाथ सिंह – उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुरेश कुरुप, आपका यह अंतिम प्रश्न होगा।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, यह हवाई यात्रा किराए से संबंधित है। आपकी अनुमति से मैं इसे पूछना चाहूँगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वायुयानों की खरीद से संबंधित है?

श्री सुरेश कुरुप : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तब खेद है।

श्री सुरेश कुरुप : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

वायुयानों की खरीद का संबंध हवाई यात्रा किराए से भी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई दूसरा मुद्दा न उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इन समझौतों की आड़ में इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने खाड़ी देशों से केरल का किराया बार–बार बढ़ाया है। अगर कोई यात्री कोलम्बो होकर यात्रा करता है तो किराया ज्यादा सस्ता है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बहुत अधिक किराया वसूल किया जाता है। यह यात्रियों की स्थायी शिकायत है। इसलिए, इसे कम किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां! मैं इसकी समीक्षा करने हेतु आपकी ओर से मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी ओर से अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

यूरोपीय यूनियन द्वारा बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

*365. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन यूनियन (ई यू) ने हाल ही में भारत से बासमती चावल के निर्यात से पूर्व यह प्रतिबंध लगाया है कि निर्यातक को प्रत्येक प्रेषण (खेप) के साथ 250 यूरो प्रति टन की छूट प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण देना होगा कि यह पारम्परिक भारतीय बासमती है;

(ख) क्या यूरोपियन यूनियन ने यह शर्त भी रखी है कि वे प्रत्येक खेप के नमूने को निर्यातकों की लागत पर परीक्षण हेतु भारत वापस भेजेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) भारतीय चावल निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यूरोपीय संघ पुनः पुष्टिकरण परीक्षण के लिए भारत को केवल आकस्मिक नमूने भेजेगा।

(घ) सरकार टैरिफ एंव ट्रेड संबंधी सामान्य करार, 1947 के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत यूरोपीय संघ में बासमती चावल के आयातों के लिए यूरोपीय आयोग के साथ वार्ताएं कर रही है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : अध्यक्ष महोदय, भारत के निर्यातक चावल की प्रत्येक खेप के साथ एक सर्टिफिकेट देते हैं। क्या भारत सरकार उस सर्टिफिकेट को चावल टैस्ट करने के बाद देती है? यदि हां, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता? अगर निर्यातक किसी सरकारी लेबोरेटरी से टैस्ट करा कर सर्टिफिकेट देते हैं तो भी उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता और क्यों निर्यातक के खर्च पर टैस्ट करने के लिए चावल के सैम्पल भारत वापस भेजे जाते हैं?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, दिसम्बर, 2003 तक इस मामले में कोई समस्या नहीं थी। यूरोपियन यूनियन ने यह शक जाहिर किया था कि जो बासमती चावल निर्यात किया जाता है, शायद उसमें कुछ मिलावट होती है। बासमती चावल पर यूरोपियन यूनियन में कोई ड्यूटी नहीं लगती है। अब हमारी एक्सपोर्ट एजेंसी ने यह सर्टिफिकेट दे दिया है कि भारत के हर कनसाइनमेंट के लिए इसके टैस्ट की आवश्यकता नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने हमें कह दिया है कि रैंडम चैक के लिए वे सैम्पल भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि साल में यह 5–6 दफा से ज्यादा नहीं होगा। जिस तरीके से यह शक होता है कि हमारे बासमती चावल में गैर–बासमती चावल की कोई मिलावट है और बासमती चावल की यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एंट्री है, इसके लिए आर्टिकल–28 में चर्चा हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के मुताबिक यह समस्या या शक, भविष्य में नहीं रहेगा।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : अध्यक्ष जी, क्या सरकार इस प्रकार के कदम यूरोपियन यूनियन के निर्यातकों के खिलाफ भी लगायेगी जो अपना माल भारत में भेजते हैं? यदि नहीं तो क्यों?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल आप व्याख्या न करें। माननीय मंत्री यह जानना चाहते हैं कि उसमें पारस्परिक प्रतिबंध होगा या नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, इसमें रेसिप्रोकल की बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन के नियम हैं कि वे आपको ड्यूटी फ्री दे रहे हैं और भारत का बासमती चावल ड्यूटी फ्री लेते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि भारत के बासमती चावल की ट्रेडीशनल वैरायटी हो। अगर बासमती चावल के नाम पर गैर–बासमती चावल चला जाता है तो वह ड्यूटी फ्री के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अब यदि हम इस में रेसीप्रोकल की बात करें तो शायद यह ठीक न हो क्योंकि आर्टिकल–28 के अधीन चर्चा चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इसका ध्यान रखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बासमती चावल के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्वालिटी कंट्रोल कंडीशन लगाई है? क्या दूसरी एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए भी उनके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट रखी जायेगी?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि यह बासमती चावल ड्यूटी फ्री है यानी बासमती चावल पर कोई ड्यूटी नहीं है, इसलिए जब बासमती चावल की वैरायटी पर उन्हें शक हुआ कि बासमती चावल की जगह गैर–बासमती चावल जा रहा है जिस पर ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के इंस्पैक्शन की बात कही। जहाँ तक दूसरी ऐसी आइटम्स का सवाल है, उस संबंध में बातचीत चल रही है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष जी, बासमती चावल में भी सब–वैरायटीज़ है, क्या यह सब पर एप्लाई करेगा, विशेषकर फिशेज़ के लिए बासमती पर?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, बासमती की ट्रेडीशनल वैरायटी नोटिफाइड है। बासमती की 6 वैराइटीज हैं, वे ड्यूटी–फ्री हैं। जहाँ तक बाकी चीजों का संबंध है, उस के लिए आर्टिकल–28 में हमारी चर्चा चल रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी सुपर और पूसा वैरायटी ड्यूटी फ्री में जुड़ जायेंगी।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, यूरोपीय संघ में आमतौर पर विकसित देश शामिल हैं। विकासशील देशों के उत्पादों के निर्यात को रोकने के लिए विकसित देशों का एक संयुक्त प्रयास चल रहा है। इस महाद्वीप में बासमती चावल विकासशील देश से विकसित देशों को भेजा जाता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पेटेंट कानून लागू होने से पूर्व अमेरिका में भी बासमती चावल की इस किस्म को विकसित किया गया था। क्या सरकार इस बासमती चावल का पेटेंट पुनः कराने के लिए तत्काल कदम उठाएगी ताकि भारत से भेजा जाने वाले उत्पाद को अस्वीकृत न किया जा सके?

श्री कमल नाथ : महोदय, बासमती चावल दो प्रकार का होता है – पहला पारंपरिक किस्म तथा दूसरा विकसित किस्म है। जहाँ तक पारम्परिक बासमती चावल का संबंध है यूरोपीय संघ में इसके निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस बारे में यूरोपीय संघ का असमंजस यह है कि क्या उनके यहाँ उसी चावल का निर्यात किया जा रहा है जिसके लिए उन्होंने सीमा शुल्क में छूट दी है। *...(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधी समझौता का हिस्सा होगा या नहीं क्योंकि अपने वक्तव्य में आपने उल्लेख किया है कि दोहा में हम असफल रहे, कानकून में भी हम असफल रहे जबकि जनेवा में हमें आशातीत सफलता मिली है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना सटीक प्रश्न पहले ही पूछ लिया है। अब माननीय मंत्री जी उसी का जवाब दे रहे हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य महोदय का ध्यान यूरोपीय संघ दोहा और कानकून पर ही अटका हुआ है। यहाँ मामला दोहा और कानकून का नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि दोहा और कानकून में असफलता हाथ लगी। मैं नहीं चाहता कि हम एक मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करें। यहाँ प्रश्न यूरोपीय संघ और उसके होने वाले निर्यात से संबंधित है। माननीय मंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पारंपरिक बासमती चावल की उपमहाद्वीप में उत्पत्ति के सम्बंध में हमें यूरोपीय संघ से मान्यता मिली हुई है। यही कारण है कि वहाँ इसे सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्वाइंट पर जानकारी चाहता हूँ। प्रथम यह है कि क्या यह बात सही है कि यहाँ से जो ड्यूटी फ्री बासमती चावल भेजा जाता है, यदि उस चावल को उधर के लोग पसंद नहीं करते तो क्या उधर से उसको टैक्समती नाम देकर यहाँ वापस भेजा जाता है।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका द्वारा इसका पेटेंट करने की कोशिश हो रही है, क्या अमेरिका इसका नाम टैक्समती रखकर इसका पेटेंट अपने नाम से करके बासमती को अपने अधीन करके हमें महरूम करना चाहता है। इस बारे में सरकार का क्या रवैया है, यही मैं जानना चाहता हूँ।

श्री कमल नाथ : सर, इसके नाम का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि बासमती चावल भारती और पाकिस्तान का ही है। इसमें जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेडीशनल है और एक इवोल्व है। इवोल्व के केस में सब–इवोल्व वैरायटीज़ के लिए ड्यूटी फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि बासमती को जिस प्रकार की ड्यूटी फ्री की छूट उन्होंने दी हुई है, वह केवल भारत और पाकिस्तान से ही जा रहा है। अमरीका जो राइस उगाता भी है, उनका बासमती चावल ट्रेडीशनल में क्वालिफाई नहीं होता, इस तरह से अमरीका का जो चावल है, वह बासमती नहीं गिना जाता है। इसका नाम वह कुछ भी रख ले, आप भी कुछ रख लें, बासमती चावल बासमती ही रहेगा, बासमती चावल हमारे देश का चावल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैंने आपके बुजुर्ग नेता को बोलने की अपार्चुनिटी दी है।

[अनुवाद]

श्री पी. किशोर चन्द्र एस. देव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी–अभी कहा है कि बासमती चावल दो प्रकार का होता है – पहला परम्परागत बासमती चावल और दूसरा विकसित बासमती चावल। विकसित बासमती चावल स्पष्ट रूप से संकर प्रजाति का है जिसे परम्परागत बासमती चावल की किस्मों से विकसित किया गया है लेकिन कुछ मायनों में यह समान गुण वाला है और देखने में भी यह लगभग वैसा ही लगता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पेटेंट प्रणाली के अस्तित्व में आने से पूर्व अमरीकावासी यहाँ से बासमती चावल ले गए और उन्होंने अमरीका में एक विशेष किस्म का चावल विकसित किया और इसे टेक्सास में पैदा करने के कारण टेम्समती नाम दिया गया है। अब इस तथाकथित टेम्समती चावल और भारत में उपजाए जाने वाले बासमती चावल में अन्तर करना बहुत कठिन है। ऐसी सूचनाएँ हैं कि उस चावल को जिसे वे मूल रूप से टेक्समती कह रहे हैं हमारे बासमती चावल से विकसित किया गया और वहाँ पैदा किया गया और हमारे मूल बासमती चावल को जो छूट प्राप्त थी उसे प्राप्त करने के लिए टेक्समती को पुनः बासमती के रूप में संवर्द्धित किया जा रहा है।

क्या यह बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में आई है और यदि हां, तो क्या वह इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यूरोपीय संघ ने यह माना है कि बासमती चावल मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में ही पैदा होता है। इसीलिए अब इसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाए अमरीका से यूरोपीय संघ को निर्यात किये जाने वाले चावल को सीमा–शुल्क से छूट नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : आशंका इस बात की है कि टेम्समती को भी यह छूट दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भारत की जो परम्परागत बासमती है, खास तौर से देहरादून और सहारननुर की, उसकी अब यूरोपियन मार्केट में पाकिस्तान की बासमती से कड़ी स्पर्धा है और हमारे देश के कुछ निर्यातकों ने उसमें मिलावट करके यूरोपियन मार्केट को हमारे देश की बासमती भेजी जिससे हमारे देश की साख भी गिरी और हमारे देश के निर्यात को भी धक्का पहुँचा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले एक साल में कितने निर्यातकों के सैम्पल वहाँ से रिजैक्ट किये गए, उनमें कितनी मिलावट पाई गई और उस मिलावट की वजह से हमारे देश के निर्यात को जो धक्का पहुंचा, उसके संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, हमारे निर्यात को कोई धक्का नहीं पहुंचा। पिछले तीन सालों में हमारा निर्यात बढ़ता गया। हमारे कुल चावल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत यूरोपियन यूनियन को जाता है। हर साल यह बढ़ता जा रहा है। तीन साल पहले यह एक लाख टन था। उसके बाद हर साल लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है। जहाँ तक यह प्रश्न है कि कितने लोगों की शिकायत आई है, वह सूचना माननीय सदस्य को भिजवा दूँगा।

[अनुवाद]

बकाया आयकर की वसूली

*366. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक आयकर की बकाया राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज तक बकाया राशि की वसूली का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष–दर–वर्ष आयकर की बकाया राशि के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पूरी बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बकाया आयकर की देय धनराशि निम्नवत है :

	बकाया आयकर धनराशि
दिनांक 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार	84,219 करोड़ रुपए
दिनांक 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार	87,885 करोड़ रुपए
दिनांक 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार	72,290 करोड़ रुपए
दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार	72,671 करोड़ रुपए

(ख) गत तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बकाया आयकर नें से वसूल की गई देय धनराशि निम्नवत है:

	बकाया धनराशि में से वसूल की गई धनराशि
वित्त वर्ष 2004–05 (30.6.2004 तक)	1,092 करोड़ रुपए
वित्त वर्ष 2003–04	5540 करोड़ रुपए
वित्त वर्ष 2002–03	5470 करोड़ रुपए
वित्त वर्ष 2001–02	3930 करोड़ रुपए

(ग) आयकर विभाग द्वारा सृजित सम्पूर्ण मांग निम्न कारणों में से एक अथवा अधिक कारणों से तत्काल वसूल नहीं हो पाती है :

i. न्यायालयों, आयकर अपीलीय अधिकरण अथवा आयकर प्राधिकरणों द्वारा मांग स्थगित रखी गई हो।

ii. विशेष न्यायालयों (घोटाला मामले) द्वारा अधिसूचित व्यक्ति के विरुद्ध मांग हो और वसूली न्यायालय द्वारा कर के भुगतान के लिए धनराशि की निकासी के आदेश के बाद की जा सकती हो।

iii. कर निर्धारिती का पता नहीं हो और/अथवा उसके पास वसूली करने हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं हो।

iv. कर निर्धारिती का मामला बी आई एफ आर के समक्ष हो।

v. कर निर्धारिती कम्पनी का परिसमापन किया जाना हो।

vi. मामला समझौता आयोग के समक्ष लंबित पड़ा हो।

vii. मांग संरक्षक कर–निर्धारिती से उद्भूत हो रही हो अथवा विभाग पूर्ववर्ती वर्षों की तरह के मुद्दों पर हार गया हो।

viii. मांग को बट्टे खाते में डालने के लिए कार्रवाई की जा रही हो।

उपर्युक्त कारणों एवं लम्बी मुकदमेबाजी के कारण मांग की सम्पूर्ण धनराशि जिसे विभाग द्वारा सृजित किया गया है, की शीघ्र वसूल नहीं हो पाती है। जबकि परिसमापन की प्रक्रिया अथवा बकाया धनराशि की वसूली प्रक्रिया लंबी होती है और न्यायालयों, अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपीलों का निपटान धीमी गति से होता है और दूसरी ओर विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में मांगों को लगातार जारी किया जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षानुवर्ष धनराशि में शुद्ध इजाफ़ा हो जाता है।

(घ) आयकर की बकाया धनराशि के परिसमापन हेतु विभाग द्वारा निम्नवत उपाय किये गये हैं :

– ऐसी अपीलों, जिनमें स्थगन की स्वीकृति दी गई हो, पर उस तिथि जिस दिन स्थगन आदेश पारित किया गया था से 180 दिन के भीतर

निर्णय लेना आयकर अपीलीय अधिकरणों के लिए अनिवार्य बनाना तथा ऐसा न करने पर इस प्रकार स्वीकृत किया गया स्थगन स्वतः निरस्त हो जाएगा। (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254(2) का परन्तुक)

- किसी मामले को अलग रखने अथवा नए आदेश के लिए कर निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेजने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकारों को वापस लेना। (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250 (1)(क) में संशोधन)

- किसी अधिकारी के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन हेतु बकाया धनराशि के परिसमापन को एक महत्वपूर्ण मानदण्ड बनाना।

- प्रत्येक तिमाही के अन्त में 10 लाख रुपए से अधिक बकाया कर वाले मामलों की समीक्षा मुख्य आयुक्तों द्वारा तथा एक करोड़ रुपए से अधिक के बकाया मामलों में बोर्ड/निदेशक (वसूली) द्वारा समीक्षा करना और आगे की कार्रवाई हेतु अधीनस्थ प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करना।

- अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु आयुक्त (अपील) के अधिक पदों का सृजन।

- विभाग के पुनर्गठन के बाद आयकर विभाग में नियंत्रण अवधि को कम करना और उसके द्वारा उच्च प्राधिकारियों द्वारा वसूली कार्य की कड़ी निगरानी की अनुमति देना।

- क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करना कि वे उन मामलों में अपीलों को दायर न करें जिनमें राजस्व प्रभाव अधिक नहीं है ताकि मुकदमेबाजी की संख्या को कम किया जा सके और मामलों का तत्काल निपटान किया जा सके।

- आयकर अपीलीय अधिकरण की शाखाओं की संख्या में वृद्धि किये जाने का और राष्ट्रीय कर अधिकरण के सृजन का प्रस्ताव भी है।

- दिल्ली में बकाया वसूली संबंधी कार्य बल और क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण समितियों का गठन जिससे कि प्रत्यक्ष करों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए बहु आयामी नीति बनायी जा सके और उसे लागू किया जा सके।

- समझौता आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न शाखाओं में लम्बित उच्च मांग वाले मामलों का शीघ्र निपटान कराएं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, विवरण के प्रथम भाग में मंत्री महोदय ने आयकर की बकाया राशि का उल्लेख किया है। उत्तर के भाग (ख) में वे बताते हैं कि बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया कितनी धीमी है। वे कहते है कि वसूली कि प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आई है। ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से आयकर बकाया राशि बढ़ रही है और जिस धीमी गति से बकाया राशि की वसूली हो रही है उसे देखते हुए भविष्य में आयकर की बहुत बड़ी राशि बकाया हो जायेगी और यह हमारे लिए गंभीर समस्या होगी।

पुनः उत्तर के अगले भाग में उन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जो इस बकाया राशि की वसूली में सरकार को पेश आ रही है। यदि वर्तमान कानून और तौर–तरीके दोषपूर्ण हैं या पर्याप्त नहीं हैं तो क्या सरकार कानून को और सख्त बनाने तथा इस दिशा में कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है जिससे वसूली प्रक्रिया में सुधार हो।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं मानता हूँ कि बकाया आयकर की वसूली संतोषजनक नहीं रही है। आपको याद होगा, यही कारण है कि मैंने अपने बजट भाषण में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था कि बकाया कर राशि की वसूली के लिए हम विशेष कदम उठाएंगे। मुझे उम्मीद है हम अच्छी खासी वसूली कर पाएंगे। अपने दायित्व को समझते हुए हमने एक कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 10 अगस्त, 2004 को ही, आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि यह कार्य बल कैसे काम करता है। मैं नहीं समझता कि कानून को और सख्त बनाने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। कानून भारत के संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए, इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा और अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात है कानून को ठीक ढंग

से लागू करना। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम पिछले तीन वर्षों के औसत से कहीं ज्यादा राशि वसूल कर पाएंगे। हमें इस कार्य बल को एक मौका देना चाहिए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कानून नहीं बल्कि कानून को लागू करना ही मूल समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि कानून संविधान के अनुरूप हो इसके लिए प्रावधान होना चाहिए और चूककर्ताओं को प्राकृतिक न्याय भी मिलना चाहिए। ये सब अच्छी बाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अंतिम भाग से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहूंगा। क्या आप उन मामलों की समीक्षा के दौरान बहुत बड़ी बकाया राशि वसूल करने में सफल रहे हैं जिनको आयकर बकाया की राशि 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है क्योंकि ये लोग आयकर के बड़े चूककर्ताओं की श्रेणी में आते हैं। क्या आप ऐसे बकायों, जो 1 करोड़ रुपये से अधिक हैं, और 10 लाख से ऊपर हैं के बारे में इस सभा को बताएंगे और इन बकायों की वसूली में आप किस हद तक सफल रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कई शीर्ष हैं, जिनके अंतर्गत इस सकल वसूली मांग को वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे पहले आयकर का आकलन होता है, फिर उसके विरुद्ध अपील की जाती है। फिर उसके और आगे आयकर अपीलीय न्याया–धिकरण में अपील की जाती है और फिर महोदय जैसा कि आप जानते हैं उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में मामले जाते हैं। इसके बहुत बड़े भाग को प्रथम अपील या दूसरी अपील में ही स्थगन आदेश मिल जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी ऐसे मामले लम्बित हैं जिनमें न्यायालय अंतरिम आदेश दे देते हैं। कुछ विशेष मामले हैं– जैसे उदाहरण के लिए ऐसे लोग भी हैं जो प्रतिभूति घोटाला अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हैं, जिनके मामले बी.आई.एफ.आर. के समक्ष लम्बित हैं, कम्पनियां बंद पड़ी हैं, कुछ मामले समझौता आयोग के समक्ष हैं – जहाँ हर मामले के निपटारे के लिए अलग ढंग से तथा अलग रणनीति से प्रयास की जरूरत है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद जितनी सावधानी हम बरत सकते थे, उतनी सावधानी से हमने इस कार्यबल का गठन किया और इसके लिए स्पष्ट विनिर्देश दिए गए हैं तथा इसके उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट किए गया हैं। हमने प्रधान आयुक्त से कहा है कि सभी अपील और सभी मामलों का जहाँ मांग 1 करोड़ रुपये से अधिक की है, 31 दिसम्बर, 2004 तक निपटारा हो जाना चाहिए।

माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि हमें इस कार्य बल को एक मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसे कार्य करता है। इस बारे में अंतिम आदेश 1993 में जारी किए गए थे। हमने इसे संशोधित कर दिया है और 10 अगस्त, 2004 को संशोधित विनिर्देश जारी किये गये हैं और मुझे विश्वास है कि हमें इस मामले में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

श्री मोहन रावले : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। पिछली बार जब श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उन्होंने डी.आई.एस. योजना शुरू की थी और मैं समझता हूँ कि सरकार ने उस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की थी। हमारे देश में काले धन के विस्फोटन पर रोक लगाने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है? हम देखते हैं कि विकसित देशों में सफेद धन काले धन से ज्यादा है, जबकि हमारे देश में सफेद धन राशि अनुपातिक दृष्टि से काले धन से कम है। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार कोई नई योजना शुरू करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का मुख्य भाग है, तथा असली प्रश्न यही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, भारत में जो हमारी कराधान प्रणाली है उसमें आय का बड़ा भाग है जो आयकर के अधीन नहीं है। उदाहरण के लिए कृषि से होने वाली आय आयकर के अधीन नहीं है। अतः यह कह पाना अत्यंत कठिन है कि हमारे देश में काले धन का समानुपात क्या है, तथा सफेद धन का समानुपात क्या है। मेरी दृष्टि में किसान द्वारा कमाया गया प्रत्येक रुपया सफेद धन है, तथा मैं यह नहीं समझता कि आप इसका काले धन के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं।

मान लें, एक व्यक्ति जो कृषि से आय करता है रेस्तराँ में जाता है तथा खाने का पैसा देता है, और यदि वह रेस्तराँ मालिक उस पैसे को अपने खाते में नहीं डालता है, तब सफेद धन काला धन बन जाता है। परन्तु मैं समझता हूँ, यह कह पाना अत्यंत ही कठिन है कि क्या काला धन है, तथा क्या सफेद धन है। हमारे पास स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी.डी.

आई.एस.) जैसी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है, तथा वी.डी. आई.एस. एकबारगी योजना थी

मैं सोचता हूँ दरें, बेहतर कर प्रशासन तथा कर सूचना प्राप्त करने की सुचारु कंप्यूटरीकृत प्रणाली अनुपालन में सुधार लाएगी। यहाँ एक विस्तृत कर सूचना नेटवर्क शुरू किया जा रहा है। यह 1 अप्रैल, 2005 को लागू हो जाएगी तथा यह 1 अप्रैल, 2006 से शुरु होने वाले मूल्यांकन वर्ष से लागू होनी शुरू हो जाएगी। जब यह कर सूचना नेटवर्क सूचना देने लगेगा, मैं सोचता हूँ अनुपालन में सुधार आएगा। परन्तु, मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक नया कर जो लगाया गया है या प्रत्येक नई कर दर जो लाई गई है उसका इस या उस वर्ग द्वारा विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि कर अपवंचन, खासकर धनी लोगों द्वारा, एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान उपाय बकाया धनराशि को वसूल कर पाने में सक्षम होंगे या क्या मंत्री जी बेहतर जागरूकता अभियान शुरू करने के बारे में सक्रिय रुप से विचार कर रहे हैं ताकि बकाया धनराशि लोक दबाव तथा राजनीतिक दबाव के जरिए वसूल हो।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया जाएगा। यह उस जनादेश का अंग है जो इस कार्य बल को दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टास्क फोर्स गठित किया गया है और उसे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सीधे-सीधे जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने-कितने मामले बी.आई. एफ.आर. और आयकर ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों पर आयकर की कितनी-कितनी राशि बकाया है तथा नॉन परफॉरमेंस एसेट (एन.पी.ए.) की मद में 80 हजार करोड़ रुपऐ से ज्यादा क्यों बकाया है और चूंकि एन.पी.ए. का पैसा बट्टे-खाते में चला जाता है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वसूली के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं मामलों की संख्या नहीं बता सकता हूँ परन्तु मैं माननीय सदस्य को इसमें शामिल राशि बता सकता हूँ। बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित पड़े मामलों में शामिल राशि 2681 करोड़ रुपये है; न्यायालयों, आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण तथा अन्य आय कर प्राधिकारियों के पास पड़े मामलों में तथा न्यायालयों द्वारा रोक लगाये गए मामलों में शामिल राशि 11157 करोड़ रुपए है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े उद्योग घरानों पर आयकर का कितना-कितना पैसा बकाया है, इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी ने औद्योगिक घरानों पर आयकर की बकाया धनराशि के ब्यौरे के बारे में हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है?

अध्यक्ष महोदय : एकदम आप क्यों उठकर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

यह एक गंभीर मामला है, और वह पैसा वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : 400 से थोड़ा ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें शामिल राशि 25 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी एक तरफ को टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर अपीलीय न्यायाधिकरण बकायों के मामले निपटाने के लिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आयकर विभाग वकीलों की नियुक्ति करते समय क्या इस बात का विशेष ध्यान रखता है जिससे सरकार की पॉलिसी के अनुसार आयकर के विवादों के निपटारे हेतु कोर्ट में कैसों की भली प्रकार पैरवी हो सके और अपीलकर्ता कभी इस कोर्ट से, कभी उस कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, वैसा न हो सके?

महोदय, इसी के साथ-साथ में यह भी जानना चाहता हूँ कि नियुक्ति करते समय क्या आयकर विभाग पूरी सावधानी बरतेगा जिससे सरकारी पक्ष को विजय प्राप्त हो सके और

तीसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वकीलों की नियुक्ति कौन करता है और उनकी नियुक्ति का क्या प्रॉसीजर है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके लिए सक्षम वकीलों को नियुक्त करने जा रहे हैं? तब, मैं अपने पुराने पेशे की तरफ लौट जाऊंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरा मानना है कि पूर्व में नियुक्त किए गए वकील सक्षम अधिवक्ता थे। परन्तु, यदि पूर्व में नियुक्त किए गए वकील सक्षम अधिवक्ता नहीं हैं, मुझे बदलने तथा सक्षम अधिवक्ताओं को नियुक्त करने में खुशी होगी।

श्री मधु गौड यास्खी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हम, जैसे अमेरिका (यू.एस.) में होता है, आश्वस्त कर सकते हैं कि आय कर विवरणी जमा करने की अन्तिम तिथि नहीं बढ़ सकती है। अमेरिका में यह कभी बढ़ता नहीं है। वहाँ लोग जो देर से विवरणी जमा करना चाहते हैं वे विस्तार फार्मों तथा कर विवरणियों को जमा कर सकते हैं।

वे एक विस्तार फार्म भर सकते हैं तथा कर विवरणी जमा कर सकते हैं। इसी तरह, हम व्यक्तिगत कर विवरणी जमा करने के लिए एक अंतिम तिथि निर्धारित कर सकते हैं — 30 जून या कोई भी जो अंतिम तिथि हो। इस तरह, अनुपालन में वृद्धि की जा सकती है; ज्यादा लोग समय पर जमा करेंगे; तथा इससे सरकार की आय में भी वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आपके प्रथम अनुपूरक प्रश्न पर बधाई देता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम : 30 जून वास्तव में अंतिम तिथि है। विशेष कारणों से, कभी–कभी तिथि बढ़ा दी जाती है। इस वर्ष, उदाहरण के लिए, क्योंकि कर सूचना नेटवर्क शुरू की जानी है, कुछ जानकारी फार्म में मांगी गई थी। अतः, फार्मों को पुनः अभिकल्पित तथा पुनः मुद्रित किया जाना था। अतः इस वर्ष हमने तिथि बढ़ा दी है। परन्तु साधारणतः, 30 जून आय–कर विवरणी भरने के लिए अंतिम तिथि होती है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि यदि माननीय वित्त मंत्री संसद में वक्तव्य देते हैं कि काले धन तथा सफेद धन के बीच अंतर करने में कठिनाई है, तो इसका स्पष्ट सामाजिक निहितार्थ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

मेरा सामान्य सा सवाल सामाजिक न्याय पर है। सामाजिक न्याय भी देश के लोगों के लिए हो, न सिर्फ कर अपवंचकों के लिए। अतः, मेरा सीधा प्रश्न है: इस देश में जिन्होंने कर अपवंचना की है उनके नामों को प्रकाशित करने के बारे में विचार करने के लिए क्या सरका सहमत होगी? क्या सरकार उनको बैंक ऋणों के लिए किसी पहुंच या जहाँ तक निर्यात उद्योग का संबंध है सरकारी संरचना के किसी पहुंच से रोक पाने के लिए सहमत होगी?

श्री पी. चिदम्बरम : बहुत आदर के साथ, मैंने जो कहा वह एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में कहा था, यह कहना कठिन है कि काले धन का अनुपात क्या है तथा सफेद धन का अनुपात क्या है। स्पष्टतः कोई भी धन जिसका लेखा–जोखा न हो, कोई भी धन जिस पर कर बाकी हो तथा कर नहीं दिया गया है, वास्तव में काला धन ही कहा जाएगा।

यह जैसा भी है इसे रहने दें, मैं सोचता हूँ, किसी को भी अंततः कर अपवंचक कहने से पहले सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए। हमारे यहाँ न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों की श्रेणी है तथा मात्र तब जब अंतिम मंच का भी उपयोग हो चुका होता है, हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा कोई कह सकता है कि अंततः कर की अपवंचना हुई है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को अवश्य ध्यान में रखूंगा। परन्तु इस मुकाम पर आप मुझे अनुमति देंगे, कि हम अपनी रणनीति का खुलासा न करें क्योंकि कार्य बल कर जमा करने के अपने कार्य पर लगा है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिन्दुस्तान में पेरा बैंकिंग कम्पनियां कार्यरत हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है। उन बैंकिंग कम्पनियों पर कुल कितना आय कर बकाया है, जो यह व्यवसाय कर रही हैं, उनके नाम और पते क्या हैं, उन पर कुल कितना बकाया है और उन पर वसूली के लिए भारत सरकार ने आज तक क्या उपाए किए हैं, यह हम आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* पेरा

बैंकिंग कम्पनियां हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं, जो बैंक का व्यापार करती हैं, परन्तु बैंक नहीं हैं। ये गरीबों का धन अपने यहाँ जमा करती हैं। ...*(व्यवधान)* इसके बारे में हम सरकार से जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहाँ नहीं उठता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल को महत्व दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सबको महत्व देना चाहिए। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के बारे में कह रहे हैं। एन.बी.एफ.सी. भी उतनी ही नियमों से बंधी हुई है जितनी कोई अन्य कंपनी। मेरे पास कंपनी–वार कर बकायों का ब्यौरा नहीं है। यदि आप किसी खास एन.बी.एफ.सी. के कर बकायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसे प्रस्तुत करने के लिए राजी हूँ। परन्तु वे आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : जहाँ तक मेरी जानकारी का संबंध है, एक पूर्व वित्त मंत्री ने इस सभा में यह बताया था कि काला धन 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। अब, माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि काले धन के बारे में कोई लेखा–जोखा नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास काले धन के संबंध में कोई आंकड़ा या लेखा–जोखा है जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था बना रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर दे पाने की स्थिति में हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे पास कोई आकलन नहीं है जिसे काले धन के बारे में किसी खास समय में विश्वसनीय आकलन कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइनों के लिए प्रवेश मार्ग को सीमित करना

*363. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी एयरलाइनों के प्रवेश मार्गों को सीमित स्थानों तक सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या संचालन कर रही एयरलाइनों के लिए प्रवेश मार्ग की अनुमति देने के लिए राष्ट्रों के बीच कोई सहयोगपूर्ण नीति तैयार की गयी है;

(ग) क्या भारत में गैर–सरकारी एयरलाइनों/आपरेटरों को विदेशों में प्रवेश मार्ग के लिए अनुमति प्राप्त करने में मदद की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीन की सरकार की इंडियन एयरलाइंस सहित विदेशी एयरलाइनों को प्रवेश मार्ग के लिए बहुत ही कठोर नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारत के उन गन्तव्यों, जहाँ विदेशी एयरलाइनें प्रचालन कर सकती हैं, के साथ–साथ, जहाँ भारतीय वाहक प्रचालन कर सकते हैं, उन भारतीय गन्तव्यों को भारत और सम्बन्धित देश के बीच हुए हवाई सेवा करार में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारत अब तक 100 देशों के साथ–साथ ऐसे हवाई सेवा करार कर चुका है। इन करारों के तहत उपलब्ध यातायात अधिकार प्रवृतिवश प्रभुसत्तासम्पन्न होते हैं और इनका उपयोग केवल सम्बन्धित सरकारों द्वारा नामित एयरलाइनों द्वारा किया जा सकता है।

(ग) और (घ) अन्य देशों में प्वाइन्ट ऑफ काल्स माँगना भी एक प्रभुसत्तासम्पन्न कार्य है, जिसे एयरलाइनें प्रयोग नहीं कर सकती। द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान, सरकार पारस्परिकता के

आधार पर और नामित एयरलाइनों के हित को देखते हुए प्वाइन्ट ऑफ काल्स मांग सकती है।

(ङ) और (च) चीन के उन गन्तव्यों को भी उनके साथ हुए हवाई सेवाएं करार में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ भारतीय वाहक प्रचालन कर सकते हैं। इस करार के अनुसार, प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दो गन्तव्यों में प्रचालन करने के लिए अधिकतम 2 एयरलाइनों को नामित कर सकता है।

[हिन्दी]

भूमि की बिक्री

*367. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

श्री शिशुपाल एन. पाटले :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के नाम पर दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत करोड़ों रुपये की भूमि की बिक्री औने–पौने दामों पर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परिकल्पित कुल लागत निजी कंपनियों से भिन्न है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 1994 और 1996 में क्रमशः 203 करोड़ रुपए और 874 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर, मुम्बई और दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिसमें टर्मिनल का निर्माण आदि शामिल थे। तथापि, इन प्रस्तावों को, इन हवाईअड्डों की पुनर्संरचना के सरकार के निर्णय की वजह से अनुमोदित नहीं किया गया।

(ङ) ग्लोबल तकनीकी परामर्शदाता/वित्तीय सलाहकार द्वारा रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इन दो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाने वाली सम्भावित राशि का अनुमान लगाया जा सकेगा, इसलिए एएआई और दिल्ली व मुम्बई हवाईअड्डों के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की परियोजना लागतों की तुलना करना सम्भव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*368. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न राज्यों के बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु बैंकों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए अगस्त, 1984 (जून 1998 में संशोधित) में बैंकों को स्थायी अनुदेश जारी किये थे। प्रभावित किसानों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता की प्रमात्रा का निर्धारण करने के लिए बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक विवेकाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित मार्गनिर्देश, अन्य बातों के साथ–साथ, बैंकों को निम्नलिखित बातों की अनुमति प्रदान करते हैं :

- निरंतर फसल की असफलता/फसलों के नुकसान की तीव्रता पर निर्भर करते हुए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 3 से 9 वर्ष की अवधि के लिए ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारित करना।
- प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण मंजूर करना।
- मूलधन के साथ–साथ विद्यमान ऋणों पर देय ब्याज को परिवर्तित करना।
- परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों के भाग को अनुपयोज्य आस्ति न मानना।
- चालू देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना।
- प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदंडों में छूट देना।
- उन कृषकों को खपत ऋण प्रदान करना, जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 18 जून, 2004 को एक नीति पैकेज की घोषणा की जिसमें वैसे किसानों को राहत प्रदान करना शामिल है, जिन्होंने लगातार सूखे या बाढ़ आदि के कारण नुकसान उठाया है। इस पैकेज के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के ऋणों के पुनर्निर्धारण/पुनर्व्यवस्था एवं नए ऋणों के लिए 24 जून, 2004 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उन सभी किसानों जिन्होंने बाढ़, सूखा जैसी निरंतर प्राकृतिक आपदाओं या पिछले पांच वर्ष के दौरान दो या अधिक वर्षों के लिए लगातार जिलों में आई आपदाओं के कारण उत्पादन या आय में हानि उठाई है, के ऋणों को बैंकों द्वारा पुनर्निर्धारित/पुनर्व्यवस्थित किया जाए बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार ने ऐसे जिलों को आपदा प्रभावित जिला घोषित किया हो। तदनुसार, 31 मार्च, 2004 तक ऐसे उधारकर्ताओं के खातों (फसल ऋणों और कृषि सावधि ऋणों) में उपचित ब्याज बकाए को 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उसमें विद्यमान मूलधन के बकाए में मिला दिया जाए और इस प्रकार सम्मिलित राशि की दो वर्ष के आरम्भिक अधिस्थगन सहित चालू ब्याज दरों पर पांच वर्ष की अवधि में वापसी अदायगी की जाएगी। उपर्युक्त रूप से पुनर्निर्धारण किए जाने पर संबंधित किसान नए ऋण के लिए पात्र बन सकेंगे।

[अनुवाद]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों हेतु दिशा-निर्देश

*369. **डा. राम लखन सिंह :**

श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2004 से अशोध्य ऋण की परिभाषा बदल दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप गैर–निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के समझौता निपटान हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाएं अपनाने तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की पहचान हेतु 31 मार्च, 2004 से 90 दिन के अतिदेय मानदंड लागू किए हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2004 से उन मामलों में अनुपयोज्य आस्तियां ऋण अथवा अग्रिम होंगी जहाँ :

(i) सावधि ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त अतिदेय रहती है;

(ii) ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता अव्यवस्थित रहता है;

(iii) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बिल अतिदेय रहता है;

(iv) दो फसल मौसम के लिए परंतु कृषि प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए अग्रिम के मामले में 2–1/2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त अतिदेय होती है; और

(v) अन्य खातों के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त की जाने वाली कोई राशि अतिदेय रहती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों के विश्लेषण से यह पता चला कि "अतिदेय" मानदंड को 180 दिन से घटाकार 90 दिन करने के बावजूद सकल एनपीए मार्च, 2003 की समाप्ति के अनुसार 68713.88 करोड़ रु0 (180 दिन का मानदंड) से गिरकर मार्च, 2004 की समाप्ति के अनुसार 63246.21 करोड़ रु0 (90 दिन का मानदंड) हो गए।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दीर्घकालिक अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए 29 जनवरी, 2003 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश कारबार की प्रकृति का ध्यान किए बिना सभी क्षेत्रों में 90 करोड़ रु. एवं इससे कम की बकाया शेष राशि वाली उन सभी अनुपयोज्य आस्तियों को शामिल करने के लिए थे जो 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध अथवा हानि वाली आस्तियां बन चुकी हैं। यह एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना बाद में आवेदन पत्र पेश करने के लिए 31 जुलाई, 2004 तक तथा आवेदनपत्रों पर कार्रवाई करने के लिए 31 अक्तूबर,2004 तक बढ़ाई गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) अनुसूचित बैंक अपने बैंकों में अपने एनपीए खातों के निपटान के लिए एक–बारगी निपटान योजना स्वयं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वित्तीय संस्थाओं (एफआई) में ओटीएस लागू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। ये वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों द्वारा यथा अनुमोदित अपनी निपटान/वसूली नीति के अनुसार अपने एनपीए खातों का निपटान कर रहे हैं।

विवरण

योजना की मुख्य बातें

I. इसमें दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्ति खाते/या दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत वे सभी अनुपयोज्य आस्ति खाते शामिल होंगे जो बाद में संदिग्ध या घाटे वाले बन जाएंगे।

II. इस योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करने की समयावधि 31 जुलाई, 2004 तक बढ़ा दी गई है। कार्यवाही की तारीख भी 31 अक्तूबर, 2004 तक बढ़ाई गई थी।

III. मार्गनिर्देशों में सभी क्षेत्र शामिल होंगे।

IV. ये मार्गनिर्देश अभेदमूलक एवं विवेकाधिकारहीन हैं।

V. इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे, जिन पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंकों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/बीआईएफआर से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अध्यधीन न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/बीआईएफआर में लंबित मामले भी शामिल होंगे।

VI. दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध आस्तियों के लिए निपटान का फार्मूला उस तारीख को जब खाता प्रतिवादित अग्रिम राशि की श्रेणी में रखा गया हो या संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जो भी पहले हो, के बकाया शेष का 100 प्रतिशत है।

VII. दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार आस्तियों के लिए निपटान का फार्मूला उस तारीख को जब खाता प्रतिवादित अग्रिम राशि की श्रेणी में रखा गया हो या संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जो भी पहले हो के बकाया शेष में दिनांक 1.4.2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक मूल उधार दर से ब्याज जोड़कर उसका 100 प्रतिशत होगा।

VIII. योजना में कोई भी परिवर्तन निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा।

कोयले की मांग एवं आपूर्ति

*370. **श्री विक्रम केशरी देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों में कोयले की मांग कितनी है;

(ख) क्या स्वदेशी कोयले की मांग घट रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों हेतु बड़ी मात्रा में कोयले का आयात किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो किन देशों से कोयले का आयात किया गया और देश में उत्पादित कोयले की जगह आयातित कोयले को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) वर्ष 2004–05 के लिए विद्युत, सीमेंट और इस्पात क्षेत्र में प्रक्षेपित मांग इस प्रकार है :–

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मात्रा
1.	विद्युत (उपयोगिताएं)	279.52
	विद्युत (गृहीत)	24.90
2.	सीमेंट	19.00
3.	इस्पात	33.98

(ख) और (ग) जी, नहीं। इसके विपरीत मांग में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है।

(घ) विभिन्न क्षेत्र अपनी–अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सीमित मात्रा में कोयला आयात कर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के आयात का क्षेत्र–वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

(मिलियन टन में)

वर्ष	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	अन्य	कुल
2001–02	3.500	11.107	3.000	2.941	20.548
2002–03	3.170	12.942	3.660	3.488	23.260
2003–04*	1.420	12.000	2.500	5.580	21.500

*अनंतिम

(ङ) कोयला मुख्यतः आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन से आयात किया जा रहा है। उपभोक्ता उपयोग के लिए स्वदेशी कोयले के साथ कम राख वाले परिष्कृत ग्रेड के कोकिंग तथा नॉन–कोकिंग कोयले को मिलाकर उसकी सीमित स्वदेशी उपलब्धता की प्रतिपूर्ति के लिए एवं पर्यावरणीय कारणों और विशिष्ट स्थान पर आई लागत को ध्यान में रखते हुए कोयले का आयात करते हैं।

[हिन्दी]

पटसन उत्पादकों की समस्याएं

*371. **श्री सीताराम सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पटसन उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पटसन उत्पादकों की समस्याओं को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिना किसी सीमा के पटसन उत्पादकों से पटसन की खरीद का कार्य भारतीय पटसन निगम को सौंपा है;

(घ) क्या सरकार भारतीय पटसन निगम को इसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पटसन की खरीद करने में होने वाली हानि की पूर्ति करती है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 हेतु सरकार द्वारा पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को देश के पटसन उत्पादकों की समस्याएं अच्छी तरह से मालूम हैं। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा प्रति वर्ष किए गए क्षेत्रीय आंकड़ों के विश्लेषण और परामर्श की विस्तृत प्रक्रिया द्वारा पटसन उत्पादकों के हितों का ध्यान रखती है। सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर, सरकार कच्ची पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा कच्ची पटसन के टीडी–5 ग्रेड (एक्स–असम) के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसा कि नीचे दिया गया है, एमएसपी में सतत वृद्धि दर्शाता है :–

वर्ष	रु. प्रति क्विंटल
1999–2000	750
2000–2001	785
2001–2002	810
2002–2003	850
2003–2004	860
2004–2005	890

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) एमएसपी अभियान शुरू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। सरकार ने जेसीआई को अनुदेश दे दिए हैं कि वे अपने एमएसपी अभियान तेज करें ताकि किसानों को उनकी कच्ची पटसन को बेचने में किसी समस्या का समना न करना पड़े। जेसीआई प्रमुख पटसन/मेस्टा उत्पादक क्षेत्रों में फैले अपने 171 क्रय केन्द्रों, विभिन्न राज्यों की शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे 95 पटसन केन्द्रों और 235 ग्राम स्तरीय सेवा समितियों के माध्यम से कार्य करता है। भारत सरकार जेसीआई को एमएसपी अभियान सुचारु रूप से चलाने के लिए बजटीय सहायता और बैंक गारंटी देती है। जेसीआई ने पिछले पटसन वर्ष के दौरान एमएसपी योजना के तहत लगभग 11.13 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 180 कि.ग्रा.) कच्ची पटसन खरीदी। इस मंत्रालय को किसानों को कच्ची पटसन के लिए लाभप्रद मूल्य न मिलने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त विवरण से, यह समझा जाता है कि सरकार लाखों पटसन कामगारों और पटसन उत्पादकों के कल्याण में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

(ग) जी, हां। जेसीआई के लिए एमएसपी पर दी गई कच्ची पटसन की जो भी मात्रा मिले खरीदना आवश्यक है वशर्ते कच्ची पटसन निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) पटसन वर्ष 2004–05 के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कच्ची पटसन के टीडी–5 ग्रेड (एक्स–असम) के लिए 890 रु. प्रति क्विंटल है।

[अनुवाद]

जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन

*372. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 से 29 जुलाई, 2004 तक विश्व व्यापार संगठन की महापरिषद् की जिनेवा में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बैठक के परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन की महापरिषद् में विकसित देशों ने कुछ नए प्रस्ताव रखे हैं;

(घ) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन द्वारा बातचीत के लिए परिचालित मसौदा–रूपरेखा के बारे में, विशेषतः कृषि के क्षेत्र में, निराशा व्यक्त की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यदि विकसित देश राजसहायता में कटौती नहीं करते हैं और विकासशील देशों को व्यापक बाजार की अनुमति नहीं देते हैं तो विश्व व्यापार संगठन से हटने और एक वैकल्पिक निकाय बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार विकसित देशों द्वारा कृषि उत्पादों पर घरेलू समर्थन में कमी के सुझाव से उत्पन्न शिकायतों से कैसे निपटने का विचार रखती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां। बैठक 1 अगस्त, 2004 तक आयोजित की गई थी।

(ख) इसमें एक कार्यढांचा करार पारित किया गया था जिसमें कृषि, गैर–कृषि बाजार पहुंच, व्यापार सरलीकरण और विशिष्ट रूप से विकास से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए आगे बातचीत करने के लिए सिद्धांत और मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। व्यापार एवं निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति तथा सरकारी खरीद में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे हटा दिए गए हैं। जहाँ तक सेवाओं एवं विकास से जुड़े मुद्दों का सम्बन्ध है, इसमें उनके विकास सम्बन्धी पहलुओं के महत्व को स्वीकार किया गया है और समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार ने कृषि सहित वार्ताओं के विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किए गए मसौदों में समुचित समाधान हेतु भारत की चिंता के विशिष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया। भारत ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि से संबंधित सहमति प्राप्त कार्यढांचे में शामिल घटकों और सिद्धांतों से विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली अधिकांश व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडियों में पर्याप्त कमी होनी चाहिए, उनकी निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए एक विश्वसनीय समापन तारीख होनी चाहिए, विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए बाजार पहुँच में पर्याप्त सुधार होने चाहिए, कृषि संबंधी जी–20 गठबंधन और विशेष उत्पाद संबंधी जी–33 गठबंधन सहित समान विचारों वाले विकासशील देशों के साथ मिलकर सम्मिलित प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी वार्ताओं के लिए दोहा अधिदेश के अनुरूप भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा विशेषतः बाजार पहुँच में किसी अतिरिक्त वचनबद्धता से उनकी खाद्य और आजीविका सुरक्षा संबंधी चिंताओं और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की सुरक्षा होनी चाहिए। समूचे कार्यढांचा करार के एक भाग के रूप में सहमत "कृषि संबंधी रूपरेखा स्थापित करने के कार्यढांचे" से भारत के सभी हितों और चिन्ताओं का विधिवत् निराकरण हो जाता है।

(ङ) चूंकि डब्ल्यू टी ओ में सहमत कार्यढांचे से भारत के हितों और चिन्ताओं का विधिवत समाधान हो जाता है इसलिए डब्ल्यू टी ओ से हटने तथा अन्य निकाय बनाने का प्रश्न नहीं उठता। सरकार का प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि वार्ताओं में समुचित भागीदारी के जरिए और समान विचारों वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के साथ गठबंधन एवं सदस्यों के समूह बनाकर भारत के हितों की सुरक्षा होती है।

(च) कार्यढांचा करार चल रही बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के समापन हेतु केवल एक अंतरिम चरण है। अगला कदम रूपरेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करना होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू सहायता में कमी हेतु फार्मूले के साथ–साथ टैरिफ में कमी हेतु फार्मूले और कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडी की समाप्ति की वास्तविक तारीख निर्धारित करने पर सहमति बनेगी। भारत इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि जैसे–जैसे वार्ताएं आगे बढ़ें, हमारी चिंताओं का समुचित समाधान होता रहे।

विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

*373. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक विकास परियोजनाएं विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं और इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ग) क्या इस धनराशि का प्रत्येक राज्य सरकार, विशेषतः गुजरात सरकार द्वारा समुचित उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मिलियन अमरीकी डालर में परियोजना–वार और राज्य–वार ऋण सहायता निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	2001–02	2002–03	2003–04
1	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/क्रेडिट	आंध्र प्रदेश	250		
2	आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	आंध्र प्रदेश		150.03	
3	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश		108	
4	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम II	आंध्र प्रदेश			220
5	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	छत्तीसगढ़			112.56
6	गुजरात आपात भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना	गुजरात		442.8	
7	कर्नाटक संरचनात्मक समायोजन ऋण II	कर्नाटक	100		
8	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	151.6		
9	प्रथम कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण/क्रेडिट	कर्नाटक	150		
10	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	कर्नाटक	100.4		
11	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	कर्नाटक	360		
12	कर्नाटक समुदाय आधारित जलाशल प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक		98.9	
13	केरल राज्य परिवहन परियोजना	केरल	255		
14	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	महाराष्ट्र		542	
15	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	महाराष्ट्र			181
16	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	मिजोरम	60		
17	तकनीकी/इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता परियोजना	बहुराज्य		250	
18	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	140		
19	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	राजस्थान	74.4		
20	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान			89
21	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	तमिलनाडु			348
22	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	149.2		
23	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	उत्तर प्रदेश		488	

(ग) और (घ) जून, 2004 को समाप्त हुए बैंक के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का समग्र संवितरण अनुपात 19.9 प्रतिशत के स्तर पर था, जो बैंक की निधियों के संतोषजनक उपयोग को इंगित करता है। तथापि, राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित छह परियोजनाओं के संबंध में, विकास उद्देश्यों और/अथवा कार्यान्वयन की प्रगति की उपलब्धि इस समय असन्तोषजनक मानी गई है :

(i) उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास

(ii) कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति–II

(iii) उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना

(iv) उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र

(v) उत्तर प्रदेश सड़कें

(vi) मुम्बई शहरी परिवहन

जहाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उपयोग का स्तर देश के औसत से काफी बेहतर था, वहीं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उपयोग का स्तर देश के औसत से कम था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियां

*374. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर–प्राथमिकता क्षेत्र को अधिक ऋण देने की नीति के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर–निष्पादित संपत्तियां बड़ी मात्रा में बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता एवं गैर–प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए ऋण की अलग–अलग प्रतिशतत क्या थीं;

(ग) प्राथमिकता एवं गैर–प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में परिवर्तित की गई गैर–निष्पादित संपत्ति की धनराशि कितनी है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी गैर–निष्पादित संपत्ति की वसूली करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं;

(ङ) पिछले वित्तीय वर्ष में इन बैंकों द्वारा वसूल की गई गैर–निष्पादित संपत्ति का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए एवं वर्तमान तिथि को इनमें कितनी धनराशि फंसी हुई है;

(छ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई गैर–निष्पादित संपत्तियों के विरुद्ध दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ज) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों की बड़ी राशि की घटना का दोष किसी खास क्षेत्र की ऋण देने संबंधी बैंक की नीति पर नहीं मढ़ा जा सकता है। अनुपयोज्य आस्तियां विभिन्न कारणों से संचित हो जाती हैं जो क्षेत्र विशेष नहीं है। मार्च 2004 को समाप्त पिछले तीन वर्ष के लिए प्राथमिकता और गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम एवं अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा (अद्यतन उपलब्ध) निम्नानुसार है :–

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	अग्रिम		अनुपयोज्य आस्तियां		सकल अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत	
	प्राथमिकता क्षेत्र	गैर–प्राथमिकता क्षेत्र	प्राथमिकता क्षेत्र	गैर–प्राथमिकता क्षेत्र	प्राथमिकता क्षेत्र	गैर–प्राथमिकता क्षेत्र
मार्च 2002	161186	309261	25139	31367	44.5	55.5
मार्च 2003	190422	346596	24938	27869	47.2	52.8
मार्च 2004	232456	388038	23840	26308	47.5	52.8

(घ) बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के विभिन्न मद हैं जो अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, ऋण मूल्यांकन और पर्यवेक्षण में कमी, उधारकर्ताओं द्वारा निधियों का विपथन, प्रबंधनों द्वारा खराब निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई, मुकदमेबाजी, प्राकृतिक आपदाएं, वापसी–अदायगी में जानबूझकर चूक, वित्तपोषित एककों का अपर्याप्त प्रबंधन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण एकक की गैर–अर्थक्षमता या रुग्णता, लागत और समय के कारण परियोजना का पूरा न होना, लागतों का अत्याधिक बढ़ जाना और कच्चे मालों की अनुपलब्धता, श्रमिकों की समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं जैसी अन्य मदें तथा बैंकों द्वारा दायर मुकदमों के न्यायालय द्वारा निपटान में देरी शामिल हैं।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गई कुल वसूली (समझौता/बट्टे खाते सहित) 31 मार्च, 2003 को 18730 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2004 को 20705 करोड़ रुपए हो गई।

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 45652 करोड़ रुपए के 480078 मुकदमे दायर किए हैं।

(छ) और (ज) सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों का बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बट्टे खाते डाली गई राशि का बैंक–वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002	2003
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	159.74	208.5
2.	आन्ध्रा बैंक	71.03	93.65
3.	बैंक आफ बड़ौदा	424.53	456.77
4.	बैंक आफ इंडिया	556.11	535.7
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	83.24	92.35
6.	केनरा बैंक	415.41	112.24
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	257.38	418.22
8.	कार्पोरेशन बैंक	88.89	16.15
9.	देना बैंक	193.27	637.87
10.	इंडियन बैंक	153.65	57.1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	106.14	125.81
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	शून्य	4.97
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.85	55.32
14.	पंजाब नैशनल बैंक	47.17	157.93
15.	सिंडिकेट बैंक	13.45	42.32
16.	यूको बैंक	197.43	132.59
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	116.89	378.22
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	329.79	223
19.	विजया बैंक	2.70	122.59
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2331.05	3939.93
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	92.05	94.84
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	116.29	289.34
23.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	80.88	110.57
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	64.11	129.99
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	154.29	175.29
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	99.18	98.69
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	100.18	81.65
	कुल	6261.70	8791.6

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

*375. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष एवं वर्ष 2005 में प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी–कितनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) नई शाखाएं खोलने पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में इन बैंकों ने क्या भूमिका अदा की है; और

(घ) इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रभावशाली भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 2004–2005 के दौरान निम्नलिखित राज्यों में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से प्राप्त 41 आवेदन पत्रों की भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश की है :–

क्रम सं.	राज्य	आवेदित शाखाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	राजस्थान	12
3.	उड़ीसा	2
4.	हरियाणा	1
5.	तमिलनाडु	1
6.	उत्तरांचल	4
7.	गुजरात	1
8.	उत्तर प्रदेश	6
9.	छत्तीसगढ़	1
10.	पंजाब	2
11.	केरल	1
12.	हिमाचल प्रदेश	4
	कुल	41

बुनियादी ढांचे, अतिरिक्त कर्मचारी, अपेक्षित परिसरों के किराया–प्रभार आदि पर निर्भर करते हुए शाखाएं खोलने के लिए खर्च अलग–अलग बैंक और अलग–अलग शाखा के लिए भिन्न–भिन्न है। शाखाएं खोलने पर होने वाले खर्च का वहन संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधिदेश के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण बचत जुटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य उत्पादक क्रियाकलापों में सहायता हेतु उन्हें पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण देने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में उनका कार्यनिष्पादन भी काफी अच्छा रहा है। ग्रामीण जनता को ऋण देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं;

1. कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण।
2. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य 60 प्रतिशत निर्धारित करना।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शिक्षा ऋण, ग्रामीण आवास आदि को वित्तपोषित करने की अनुमति देना।
4. प्रायोजक बैंक को उनके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना।
5. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्रियाकलापों के लिए स्व–सहायता समूह–बैंक संयोजन की अनुमति देना।

एम.आर.टी.पी. आयोग

*376. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** :

श्री काशीराम राणा :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के मामलों का लेखा–जोखा नहीं रखता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) पिछले वर्ष उक्त आयोग ने क्या–क्या कार्य किए; और

(घ) सरकार ने आयोग का प्रभावी कार्यकारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) आयोग एकाधिकारिक तथा अवरोधक व्यवहार प्रथाओं से संबंधित मामलों के संस्थापन, निपटान तथा लम्बित होने के बारे में सूचना रखता है।

(ग) और (घ) वर्ष, 2003 के दौरान एम.आर.टी.पी. आयोग द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह विवरण दर्शाता है कि आयोग में लम्बित मामलों में कमी आ रही है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में, जैसा प्रस्तुत है, उसके अनुसार आयोग को कार्य करने के लिए सरकार समय–समय पर अपेक्षानुसार प्रबन्ध करती है।

विवरण

निम्नलिखित तालिका वर्ष, 2003 के दौरान एम.आर.टी.पी. आयोग में प्राप्त, निपटाई गई तथा लम्बित जांचों की संख्या दर्शाती है :–

वर्ष	जांचे	वर्ष के आरंभ में लम्बित	वर्ष के दौरान पंजीकृत/संस्थापित	वर्ष के दौरान निपटाई गई	वर्ष के अन्त में लम्बित
2003	आरटीपीई*	422	34	81	375
	यूटीपीई	591	47	105	533
	एमटीपीई	06	01	–	07
	सीए	1233	136	178	1191

*आरटीपीई – अवरोधक व्यापार प्रथा जांच
यूटीपीई – अनुचित व्यापार प्रथा जांच
एमटीपीई – एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांच
सीए – मुआवजा आवेदन

[अनुवाद]

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

*377. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से धन निकालने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में जमा राशि को निकालने पर रोक का आदेश दिया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने खाताधारी प्रभावित हुए;

(घ) क्या सरकार को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के तुलनपत्रों में कुछ विसंगतियां मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तुलन–पत्रों में पाई गई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई योजना बनाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में विलय करने का निर्णय लिया है;

(झ) यदि हां, तो कब तक; और

(ञ) सरकार ने निजी बैंकों में निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां। जीटीबी की वित्तीय स्थिति से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को चिन्ता हो रही थी। वर्ष 2001–02 और 2002–03 के लिए बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक की स्थिति के बारे में मुख्य संकेतक गलत प्रमाणित किए गए थे। बैंक के पूंजी ह्रास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को पूंजी निवेश करने के निदेश दिए, जिससे 9 प्रतिशत की सीआरएआर प्राप्त की जा सके। परन्तु घरेलू निवेशकों से अपेक्षित पूंजी जुटा पाने अथवा किसी घरेलू बैंक के साथ स्वैच्छिक विलय का प्रस्ताव करने में बैंक की असमर्थता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर सरकार ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) पर 24 जुलाई, 2004 को कारोबार की समाप्ति से 23 अक्तूबर, 2004 तक और उसके सहित, की अवधि के लिए अधिस्थगनादेश लागू कर दिया। इससे लगभग नौ लाख जमाकर्ता प्रभावित हुए थे।

(घ) और (ङ) जी, हां। 31 मार्च, 2002 और 31 मार्च, 2003 के वर्षों के लिए जीटीबी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक निवल संपत्ति, आस्तियों, सीआरएआर, लाभ एवं अनुपयोज्य आस्तियों के बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में असफल रहे और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने गलत प्रमाण पत्र दिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुरूप नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक लेखाकारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए सनदी लेखाकार संस्थान को लिखा है।

(च) से (झ) जी, हां। जीटीबी का अधिग्रहण करने के लिए ओरियंटल बैंक आफ कामर्स द्वारा व्यक्त इच्छा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुसार, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ समामेलन की योजना 14 अगस्त, 2004 से प्रभावी रूप से अधिसूचित कर दी गई है। योजना से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ञ) भविष्य में ऐसी असफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बासिल मानदंडों की तरह पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानकों की शुरूआत, आस्ति के वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रावधान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड, मूल्यांकन मानदंडों और निवेशों के लिए बाजार जोखिम पूंजी की शुरूआत, प्रकाशित लेखे के लिए पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि करना, एक्सपोजर/पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंडों को अनुरूप बनाना, स्थलेतर निगरानी प्रणाली की शुरूआत और बैंकों के पर्यवेक्षण ढांचे/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना और तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक ढांचे की शुरूआत शामिल है।

विवरण

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के समामेलन की योजना के ब्यौरे

(क) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) का व्यवसाय, सम्पत्ति, आस्तियां और दायित्व ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (ओबीसी) को अंतरित कर दिया जाएगा;

(ख) समामेलन की तारीख के ठीक पहले की गई सभी संविदाएं, विलेख, बान्ड, करार, पावर्स आफ अटर्नी आदि तत्काल लागू होंगी और उन पर इस तरह कार्रवाई की जाएगी जैसे ओबीसी उसकी एक पार्टी रही हो या जैसे यह जीटीबी के पक्ष मे जारी किया गया हो;

(ग) ओबीसी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ विचार–विमर्श करके योजना में निर्धारित तरीके से आस्तियों का मूल्यांकन एवं जीटीबी के दायित्वों की गणना करेगा। ओबीसी योजना में निर्धारित तरीके से जीटीबी के दायित्वों का वहन करेगा और ऋणदाताओं एवं जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। जहां तक जमाकर्ताओं को भुगतान का संबंध है, योजना के मसौदे में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बचत बैंक खाते, चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते के संबंध में योजना के तहत देय ब्याज सहित तत्संबंधी या इसी तरह का खाता अंतरिती बैंक द्वारा अपने पास खोला जाएगा और प्रत्येक खाते के संबंध में ब्याज सहित पूरी राशि जमा की जाएगी;

(घ) सभी खातों पर पूरा भुगतान होने तक शेयर धारकों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद, अंतरणकर्ता

बैंक के भूतपूर्व अधिमानी शेयरधारकों के खातों में पहला भुगतान, यदि देय हो, किया जाएगा। इसके बाद अधिशेष रहने पर, अंतरणकर्ता बैंक के पूर्व सामान्य शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर धनराशि संवितरित की जाएगी;

(ङ) जीटीबी के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और उन्हें उसी पारिश्रमिक एवं उन्हीं सेवा शर्तों पर ओबीसी में नियुक्त किया गया माना जाएगा, जो समामेलन के पहले उनके लिए लागू थीं।

(च) अंतरणकर्ता बैंक द्वारा या उनके विरुद्ध यदि कोई मुकदमा, अपील या अन्य कानूनी कार्यवाहियां, चाहे जिस प्रकृति की हों, लंबित हों, तो वे समाप्त नहीं की जाएंगी, बंद नहीं की जाएंगी या किसी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगी, बल्कि उन्हें योजना के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध चलाया जाएगा और प्रवर्तित किया जाएगा।

(छ) निर्धारित तारीख से पहले अंतरणकर्ता बैंक के किसी निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा या उनके विरुद्ध दंडनीय अपराध हेतु किसी अधिनियम के उपबंधों या उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम, निदेश या आदेश का उल्लंघन किए जाने के मामले में, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 लागू किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे कानून के तहत उसी तरह कार्रवाई किए जाने और तदनुसार दंड दिए जाने के पात्र होंगे, मानों बैंकिंग कंपनी होने के कारण अंतरणकर्ता बैंक का विघटन नहीं हुआ हो।

भारत द्वारा वायुयानों का आयात

*378. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री उदय सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत द्वारा आयात किए जाने वाले वायुयानों की अधिकतम आयु को कम करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के अधिकतर विमानों ने अपनी औसत आयु पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और ऐसे विमानों को उड़ाए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) विमानों के लिए उड़ान घण्टे, उड़ान चक्र या कैलेण्डर वर्ष के रूप में कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं होती। विमान तब तक प्रचालनरत रहते हैं जब तक कि वे नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अनुरक्षण प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसार उड़नयोग्य स्थिति में बने रहते हैं।

छोटे विमानपत्तन शुरू करना

*379. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री राकेश सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय क्षेत्रों को राज्यों की राजधानियों से जोड़ने के लिए देश में छोटे विमानपत्तन शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए नए हवाई मार्गों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004–05 हेतु प्रस्तावित मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य भागों से हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु वायुयानों की संख्या सहित इस पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को दिया जाने वाला जलपान मानक गुणवत्ता का नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा शुरू किए गए नए हवाई मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है :–

इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर	विवरण-I
जेट एयरवेज और	विवरण-II
सहारा एयरलाइंस	विवरण-III
डेक्कन एविएशन	विवरण-IV

(घ) से (च) सरकार ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर नियमन प्राप्त करने के प्रयोजन से मार्ग संवितरण दिशा–निर्देश बनाए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित प्रचालकों को, जितनी क्षमता वे श्रेणी–I (मुख्य मार्गों) पर लगाते हैं उसकी कम से कम 10% क्षमता श्रेणी–II (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार और लक्षद्वीन शामिल हैं) पर लगानी होती है और श्रेणी–II मार्गों पर लगाई गई क्षमता में से कम से कम 10% क्षमता विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के भीतर ही प्रचालित सेवाओं या श्रेणियों पर लगाई जाएगी। एलायंस एयर ने चार एटीआर 42–टर्बो–प्रॉप विमानों को विशेष रूप से उत्तर–पूर्व क्षेत्र को/से/के भीतर लगाए जाने के लिए शामिल किया है। इनमें से एक एटीआर को अब 28.7.2004 से गुवाहाटी में रखा गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड

उन राज्यों की सूची जहां चालू प्रचालनरत नए सम्पर्क वर्ष 2001–2004 के दौरान घरेलू नेटवर्क पर आरम्भ किए गए हैं–

राज्य	नए सम्पर्क	आरम्भ करने की तारीख
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	रायपुर–विजाग	26.10.2003
असम	गुवाहाटी–सिल्चर	21.01.2002
	गुवाहाटी–लीलाबारी	09.10.2002
	गुवाहाटी–दीमापुर	02.01.2003
	गुवाहाटी–आइजोल	05.04.2003
	अगरतला–सिल्चर	15.04.2003
	शिलांग–सिल्चर	28.07.2004
बिहार	कोलकाता–गया	18.12.2002
छत्तीसगढ़	रायपुर–विजाग	26.10.2003
	रायपुर–चेन्नई	26.10.2003

1	2	3
महाराष्ट्र	मुम्बई–जयपुर (बिना रुके)	12.02.2002
	मुम्बई–पुणे	31.03.2002
	मुम्बई–चंडीगढ़	27.10.2002
मेघालय	कोलकाता–शिलांग	07.04.2003
	शिलांग–आइजोल	28.07.2004
	शिलांग–सिल्चर	28.07.2004
नागालैण्ड	गुवाहाटी–दीमापुर	02.01.2003
मिजोरम	गुवाहाटी–आइजोल	05.04.2003
	शिलांग–आइजोल	28.07.2004
राजस्थान	मुम्बई–जयपुर (बिना रुके)	12.02.2002
तमिलनाडु	रायपुर–चेन्नई	26.10.2003
त्रिपुरा	अगरतला–सिल्चर	15.04.2003
पश्चिम बंगाल	कोलकाता–गया	18.12.2002
	कोलकाता–शिलांग	07.04.2003

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जेट एयरवेज द्वारा आरम्भ किए गए सेक्टर

2001-02

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1	2	3
1.	कोलकाता–भुवनेश्वर–कोलकाता (*)	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
2.	कोलकाता–भुवनेश्वर–बैंगलौर और वापसी (*)	प्रति सप्ताह 3 उड़ानें
3.	कोलकाता–भुवनेश्वर–चेन्नई और वापसी(*)	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
4.	गुवाहाटी–इम्फाल–गुवाहाटी	प्रति सप्ताह 5 उड़ानें
5.	दिल्ली–लेह–दिल्ली	प्रतिदिन
6.	जोरहाट–गुवाहाटी–जोरहाट ($)	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
7.	मुम्बई–जोधपुर–मुम्बई	प्रतिदिन
8.	मुम्बई–भोपाल–मुम्बई	प्रतिदिन
9.	मुम्बई–कोल्हापुर–मुम्बई (*)	प्रतिदिन

1	2	3
10.	दिल्ली–लुधियाना–दिल्ली (*)	प्रतिदिन
11.	मुम्बई–नागपुर–मुम्बई	प्रतिदिन
12.	दिल्ली–उदयपुर–दिल्ली	प्रतिदिन
13.	दिल्ली–वडोदरा–दिल्ली	प्रतिदिन
14.	दिल्ली–जोधपुर–दिल्ली (*)	प्रतिदिन
15.	दिल्ली–भुवनेश्वर–दिल्ली (*)	प्रतिदिन
16.	चेन्नई–मुदरै–चेन्नई	प्रतिदिन
17.	चेन्नई–मंगलौर–चेन्नई (*)	प्रतिदिन

(*) सेक्टरों को अब तक बन्द कर दिया गया है।

($) 2002-03 में मार्गों को पुनः चलाया गया।

2002-03

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1.	पुणे–गोवा–पुणे (*)	प्रतिदिन
2.	गुवाहाटी–जोरहाट–गुवाहाटी ($)	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें

(*) सेक्टरों को अब बन्द कर दिया गया है।

($) मार्ग को पुनः चलाया गया।

2003-04

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1.	दिल्ली–इन्दौर–भोपाल–दिल्ली	प्रतिदिन
2.	दिल्ली–गोवा–दिल्ली (*)	प्रतिदिन
3.	दिल्ली–भोपाल–इन्दौर–दिल्ली	प्रति सप्ताह 6 उड़ानें
4.	दिल्ली–जोधपुर–दिल्ली	प्रतिदिन
5.	कोलकाता–बैंगलोर–कोलकाता	प्रतिदिन
6.	कोलकाता–अगरतला–गुवाहाटी एवं वापसी	प्रति सप्ताह 4 उड़ानें
7.	कोलकाता–अगरतला–कोलकाता	प्रति सप्ताह 3 उड़ानें
8.	कोलकाता–जोरहाट–कोलकाता	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
9.	कोलकाता–इम्फाल–कोलकाता	प्रति सप्ताह 1 उड़ान

(*) सेक्टरों को अब बन्द कर दिया गया है।

2004-05 (अप्रैल-अगस्त)

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1.	दिल्ली–पटना–दिल्ली	प्रतिदिन

2004-05 के दौरान किसी नए नगर युग्म को शामिल किया जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहारा एयरलाइन्स द्वारा आरम्भ किए गए सेक्टर

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1	2	3
2001-02		
1.	कोलकाता–हैदराबाद–बैंगलोर और वापसी	प्रतिदिन
2.	दिल्ली–पुणे–दिल्ली	प्रतिदिन
3.	मुम्बई–पुणे–मुम्बई	प्रतिदिन
2002-03		
1.	कोलकाता–गोरखपुर–कोलकाता	प्रतिसप्ताह 4 उड़ानें
2.	कोलकाता–इलाहाबाद–कोलकाता	प्रतिसप्ताह 3 उड़ाने
3.	लखनऊ–गोरखपुर–लखनऊ	प्रतिसप्ताह 4 उड़ाने
4.	लखनऊ–इलाहाबाद–लखनऊ	प्रतिसप्ताह 3 उड़ाने
5.	कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	प्रतिदिन
2003-04		
1.	मुम्बई–कोचीन–मुम्बई	प्रतिदिन
2.	मुम्बई–कोयम्बटूर–मुम्बई	प्रतिदिन
3.	पुणे–बैंगलोर–पुणे	प्रतिदिन
4.	हैदराबाद–पुणे–हैदराबाद	प्रतिदिन
5.	मुम्बई–पटना–पांची–मुम्बई	प्रतिदिन
6.	कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	प्रतिदिन
7.	मुम्बई–भुवनेश्वर–मुम्बई	प्रतिदिन
8.	गोवा–बैंगलोर–गोवा	प्रतिदिन
9.	चेन्नई–कोयम्बटूर–चेन्नई	प्रतिदिन
10.	मुम्बई–अहमदाबाद–मुम्बई	प्रतिदिन
11.	दिल्ली–अहमदाबाद–दिल्ली	प्रतिदिन
12.	दिल्ली–जयपुर–दिल्ली	प्रतिदिन
13.	चेन्नई–कोलकाता–चेन्नई	प्रतिदिन
14.	दिल्ली–हैदराबाद–दिल्ली	प्रतिदिन
2004-05 (आज की तिथि तक)		
1.	दिल्ली–श्रीनगर–दिल्ली	प्रतिदिन

सहारा एयरलाइन्स का 2005 की शुरूआत में मुम्बई– त्रिवेन्दम–मुम्बई सेक्टर पर उड़ान आरम्भ करने का प्रस्ताव है

विवरण-IV

2003–04 में एयर डेक्कन द्वारा जोड़े गए नए मार्ग

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1	2	3
1.	बैंगलोर–हुबली–बैंगलोर	प्रतिदिन
2.	बैंगलोर–मैंगलोर–बैंगलोर	प्रतिदिन
3.	चेन्नई–हैदराबाद–चेन्नई	प्रतिदिन
4.	चेन्नई–कोयम्बटूर–चेन्नई	प्रतिदिन 2 उड़ानें
5.	बैंगलोर–कोयम्बटूर–बैंगलोर	प्रतिदिन 2 उड़ानें
6.	बैंगलोर–चेन्नई–बैंगलोर	प्रतिदिन 3 उड़ानें
7.	बैंगलोर–बेलगांव–बैंगलोर	प्रतिदिन
8.	बेलगांव–मुम्बई–बेलगांव	प्रतिदिन
9.	मुम्बई–गोवा–मुम्बई	प्रतिदिन
10.	बैंगलोर–गोवा–बैंगलोर	प्रतिदिन
11.	बैंगलोर–हैदराबाद–बैंगलोर	प्रतिदिन 2 उड़ानें
12.	हैदराबाद–विजयवाड़ा–हैदराबाद	प्रतिदिन
13.	चेन्नई–मुदरै–चेन्नई	प्रतिदिन

2004–05 में (अभी तक) एयर डेक्कन द्वारा जोड़े गए नए मार्ग

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1.	बैंगलोर–बेलगांव–हुबली–बैंगलोर	प्रतिदिन
2.	हैदराबाद–तिरूपति–हैदराबाद	प्रतिदिन
3.	हैदराबाद–विजाग–हैदराबाद	प्रतिदिन
4.	मुम्बई–अहमदाबाद–मुम्बई	प्रतिदिन 2 उड़ानें
5.	मुम्बई–वडोदरा–मुम्बई	प्रतिदिन 2 उड़ानें
6.	मुम्बई–भावनगर–मुम्बई	प्रतिदिन
7.	मुम्बई–कोल्हपुर–बेलगांव–मुम्बई	प्रतिदिन

एयर डेक्कन द्वारा 2004–05 में प्रस्तावित नए मार्ग 25.8.2004 से प्रभावी

संख्या	सेक्टर	आवृत्ति
1.	हैदराबाद–दिल्ली–हैदराबाद	प्रतिदिन
2.	दिल्ली–गुवाहाटी–बागडोगरा–दिल्ली	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
3.	दिल्ली–बागडोगरा–गुवाहाटी दिल्ली	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
4.	दिल्ली–गुवाहाटी–दिल्ली	प्रति सप्ताह 3 उड़ानें
5.	चेन्नई–दिल्ली–चेन्नई	प्रतिदिन
6.	दिल्ली–अहमदाबाद–मुम्बई और वापसी	प्रतिदिन
7.	बैंगलोर–दिल्ली–बैंगलोर	प्रतिदिन
8.	दिल्ली–मुम्बई–दिल्ली	प्रतिदिन
9.	मुम्बई–बैंगलौर–मुम्बई	प्रतिदिन

दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि

*380. **श्री के.एस. राव :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और मारीशस के वित्त मंत्रियों की दैदन्न राजधानी में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि के मुद्दे पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कोई अंतिम निर्णय लिया गया है अथवा किसी समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो, पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। तथापि, श्री के.सी. खुशी राम, उद्योग, वित्तीय सेवाएं तथा निगम कार्य मंत्री, मारीशस ने दिनांक 19.7.2004 को वित्त मंत्री से मुलाकात की थी।

(ख) मारीशस के मंत्री ने वित्त मंत्री को मारीशस के वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे विकास तथा मारीशस में उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में अवगत कराया था।

(ग) और (घ) मारीशस के मंत्री ने बताया कि मौजूदा भारत–मारीशस दोहरे कराधान परिहार अभिसमय के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री को सूचित किया कि इस संबंध में नियामक व्यवस्था को मजबूत किया गया था। न तो किसी मुद्दे पर कोई निर्णय लिया गया और न ही किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

केलकर रिपोर्ट

*381. **श्री कैलाश मेघवाल :**

श्री मोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2008–09 तक वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए कर सुधार संबंधी केलकर समिति की दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हाँ। डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में गठित राजकोषीय

उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है।

इस कार्यदल ने व्यापक कर सुधारों के माध्यम से राजस्व सृजित राजकोषीय सुधार की रणनीति की सिफारिश की है जिसमें सेवा कर कर दायरा बढ़ाने, कर छूटों को हटाने, कर दरों में कटौती, कर विभागों में प्रशासनिक सुधारों तथा माल और सेवा कर प्रारंभ करना भी शामिल है। ये सिफारिशें इस संबंध में सरकार के नीति निर्माण में बहुमूलय जानकारी उपलब्ध कराएंगी।

फार्मेक्सिल को स्वीकृति

3368. श्री अधीर चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने मॉडल का उल्लंघन करते हुए फार्मेक्सिल को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फार्मेक्सिल के उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने मार्गनिर्देश की जरूरत के अनुसार पृथक भेषज परिषद के गठन का अनुरोध किया है;

(घ) सरकार का क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि निर्यात परिषद में वास्तविक निर्यातकों का प्रतिनिधित्व हो और वे निर्यातकों के बीच फार्मेक्सिल के प्रवर्तकों की विश्वसनीयता की पुष्टि कर सकें; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अलग परिषद् के गठन के लिए कैमेक्सिल से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। निर्यात संवर्धन परिषदों की पुरर्संरंघना के बारे में दिनांक 11 अक्तूबर, 2000 के वाणिज्य विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक लोकप्रिय समर्थन की शर्त मात्र निर्यात संवर्धन मंचों के लिए विद्यमान है। जहाँ तक फार्मेक्सिल का संबंध है, विकसित हो रहे औषध एवं भेषज क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफ के बजाय ईपीसी का गठन करने का सुविचारित निर्णय लिया गया था। चूंकि फार्मेक्सिल को ईपीएफ के रूप में नहीं बल्कि ईपीसी के रूप में गठित किया गया है, अतः उसके संबंध में इन दिशानिर्देशों का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) और (ङ) सभी निर्यात संवर्धन परिषदों को मानक उपनियमों, जिनमें चुनाव सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में (इस विभाग द्वारा जारी) नियम दिए गए हैं, का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासन समिति के समक्ष रखे जाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है।

पूर्वोत्तर में उद्योगों पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क में छूट

3369. श्री राजेन गोहेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के संबंध में उत्पाद शुल्क आदि के लिए छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्पाद शुल्क में छूट आदि प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष औद्योगिक जोन घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उन नई यूनिटों अथवा यूनिटों जिनका पूर्वोत्तर में काफी विस्तार हैं, को छूट प्रदान करने के लिए दो स्कीमें हैं। दिनांक 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. 33/99–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कतिपय विनिर्दिष्ट माल (जिसे क्षेत्र के प्रमुख

उद्योग के रूप में जाना गया) का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी अवस्थिति से असम्बद्ध रखते हुए, छूट प्रदान करती है। अतः अधिसूचना के अंतर्गत सभी इकाइयों (ऐसे विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण करने वाली) को क्षेत्र में उनकी अवस्थिति के किसी प्रतिबंध के बिना छूट उपलब्ध है। दूसरी स्कीम का इरादा लक्षित अल्प विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। इस प्रकार दिनांक 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. 32/99–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ऐसे पहचाने गए लक्षित अल्प विकसित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों द्वारा विनिर्मित सभी माल (तम्बाकू उत्पादों और तेल कारखानों द्वारा निकासित माल को छोड़कर) को छूट प्रदान करती है। अतः एक स्कीम पूर्वोत्तर में सभी इकाइयों को, उनकी अवस्थिति से असम्बद्ध रखते हुए, छूट प्रदान करती है। दूसरी स्कीम अत्यधिक अल्प विकसित क्षेत्रों के सभी माल (तम्बाकू उत्पादों और तेल कारखानों द्वारा निकासित माल को छोड़कर) छूट प्रदान करने के आशय से है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण की स्वीकृति में अनियमितताएं

3370. श्री एम. अंजनकुमार यादव :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सहकारी/वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लघु और सीमांत किसानों को ऋण की स्वीकृति के समय बरती गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों सहित उधारकर्ताओं को ऋणों की मंजूरी में अनियमितताओं, यदि कोई हों, का पता बैंकों के सांविधिक निरीक्षणों के दौरान चलता है और उसे उन्हें जारी की जाने वाली रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। पाई गई कमियां अधिकांशतः प्रक्रियात्मक स्वरूप की होती हैं अर्थात फसल–वार वित्त की मात्रा को संशोधित न किया जाना, ऋण सीमाओं का समय पर नवीकरण सुनिश्चित न करना, सम्मिलित किए गए लघु/सीमांत कृषकों से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध न होना, वापसी–अदायगी की अवधि का पालन न करना, चालू फसल ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कम निर्धारित करना आदि।

बैंकों को निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने और निर्धारित तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। बैंकों द्वारा अनुपालन की जांच उत्तरवर्ती निरीक्षणों में की जाती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के कर्मचारियों की मांगें

3371. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया यूनियन्स का मांग पत्र एयर इंडिया के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पास 1 जनवरी, 1997 से ही लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया प्रबंधन इस संबंध में सरकार के मार्गदर्शनों में विलंब के कारण मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चार्टर में मांगों को निपटाने हेतु शीघ्र ही क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) 01.09.1990 से 31.12.1996 की अवधि के लिए विभिन्न यूनियनों/एसोसिएशनों/गिल्डों के साथ एअर इंडिया प्रबन्धन द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए चार्टर मांगों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। चूंकि इस संबंध में सरकार के मार्गदर्शन के अधीन निर्धारित शर्तों को एअर इंडिया पूरा नहीं करती है। एअर इंडिया ने हाल ही में, इस शर्त पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ वेतन समझौते करने के लिए अनुमति प्राप्त की है कि सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित अधिकांश शर्तों को

अब पूरा कर लिया है। सरकार ने समय–समय पर जारी सरकार के मार्गदर्शन को पूरा करने के आधार पर अब एअर इंडिया को यूनियनों/एसोसिएशनों/गिल्डों इत्यादि के साथ वेतन समझौते आरंभ करने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा की स्थिति

3372. श्री कैलाश बैठा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे बोर्डों और प्राधिकरणों में अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. आरक्षण कोटा भर दिया गया है; और

(ख) चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के पृथक्–पृथक् कर्मचारियों की श्रेणी–वार संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलँगोवन) : (क) चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के लिए आरक्षण कोटा भरने के लिए पद आधारित आरक्षण प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

(ख) चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

चाय बोर्ड

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4
क	11	1	–
ख	15	2	–
ग	48	8	7
घ	41	12	2
कुल	115	23	9

कॉफी बोर्ड

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	11	2	–
ख	20	8	3
ग	99	33	8
घ	61	12	–
कुल	191	55	11

मसाला बोर्ड

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	5	2	19
ख	12	6	22
ग	49	17	97
घ	14	5	21
कुल	80	30	159

रबड़ बोर्ड

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	25	7	47
ख	61	22	106
ग	118	52	165
घ	38	20	40
कुल	242	101	358

तम्बाकू बोर्ड

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	16	5	–
ख	15	5	14
ग	74	16	40
घ	27	6	48
कुल	132	32	102

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	13	3	19
ख	14	3	27
ग	35	10	62
घ	18	6	21
कुल	80	22	129

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	2	1	–
ख	2	1	–
ग	7	2	6
घ	1	1	2
कुल	12	5	8

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

3373. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) 2004–05 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में प्रत्येक बैंक के निवल लाभ के संबंध में बैंक–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल लाभ

(करोड़ रु.)

सरकारी क्षेत्र के बैंक	निवल लाभ		
	2001–02	2002–03	2003–04*
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	80.21	165.99	463.38
आन्ध्रा बैंक	202.27	402.99	463.50
बैंक आफ बड़ौदा	545.93	772.78	967.00
बैंक आफ इंडिया	508.83	851.00	1008.32
बैंक आफ महाराष्ट्र	145.41	222.02	304.54
केनरा बैंक	741.40	1018.89	1338.01
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	163.30	305.52	618.11
कारपोरेशन बैंक	306.10	415.99	504.14
देना बैंक	11.36	114.19	230.50
इंडियन बैंक	33.22	188.83	405.75

1	2	3	4
आईओबी	230.21	416.10	512.76
ओबीसी	320.55	456.95	686.07
पीएसबी	23.04	4.43	8.89
पीएनबी	562.39	842.20	1108.69
सिंडिकेट बैंक	250.55	344.13	434.13
यूको बैंक	164.52	207.49	435.42
यूबीआई	314.13	552.69	712.05
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	119.04	305.19	315.08
विजया बैंक	130.90	196.56	411.31
भारतीय स्टेट बैंक	2431.62	3105.00	3681.00
एसबीबीजे	164.50	203.27	301.52
एसबीएच	226.49	301.40	381.20
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	125.10	200.32	226.26
स्टेट बैंक आफ मैसूर	65.90	115.92	176.38
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	232.94	322.02	430.36
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	82.01	92.55	177.39
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	120.93	171.04	244.60
राष्ट्रीयकृत बैंक (19)	4855.36	7783.94	10927.65
एस बी आई एवं इसके समूह (8)	3449.49	4511.52	5618.72
सरकारी क्षेत्र के बैंक (27)	8304.85	12295.46	16546.37

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति के बारे में रिपोर्ट तथा बैंकों द्वारा जमा की गई तुलन पत्र विश्लेषण विवरणी।

*अनन्तिम

राज्यों के लिए योजना सहायता

3374. श्री परसुराम माझी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों विशेषकर उड़ीसा की योजना सहायता रोकी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना सहायता रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे शीघ्रातिशीघ्र जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

क्वायर का न्यूनतम निर्यात मूल्य

3375. डा. के. एस. मनोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्वायर उत्पादों का वर्तमान न्यूनतम मूल्य कितना है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार की क्वायर उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम निर्धारित मूल्य को संशोधित करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) वर्तमान में कॉयर एवं कॉयर उत्पादों के लिए कोई न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं है।

(ख) अतः उसमें संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

कनीशाल के शिल्पियों की समस्याएं

3376. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कन्नीशाल के परंपरागत शिल्पी गरीबी में अपना जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हस्तशिल्प बोर्ड से पंजीकृत कन्नीशाल के शिल्पियों की संख्या कितनी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस शिल्प को विकसित करने हेतु कितनी राशि व्यय की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) हथकरघा विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा बताया गया है कि कन्नीशाल के परंपरागत बुनकर गरीबी में नहीं रह रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हस्तशिल्प बोर्ड नाम का कोई भी संगठन विद्यमान नहीं है। कन्नी शाल के 157 बुनकर हथकरघा विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार में पंजीकृत है।

(घ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान इस शिल्प के विकास के लिए 41.91 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के संबंध में कोयले की रायल्टी दर की समीक्षा

3377. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोयले के मूल्य के अनुसार रायल्टी दर की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के बाजार मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान कोयले की रायल्टी दर 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गयी है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दत्तारी नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2001–02 से 2004–05 तक) में कोयले के सभी ग्रेडों के मूल्य में 18.77% की औसत प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(घ) 1994–2004 के दौरान रायल्टी की दर में 24.68% की औसत प्रतिशत वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

सूती और लिनन कपड़े का आयात

3378. श्रीमती कृष्णा तीरथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत से सूती और लिनन के आयात पर राजसहायता रोधी शुल्क लगाने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो लगाए गए शुल्क, घोषित वस्तु और ऐसे शुल्क के प्रयोजन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और भारत के लिनन निर्यात पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) 18 जनवरी, 2004 को यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत से कॉटन–टाइप बैड लिनेन के आयातों पर 4.4% से 10.4% तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है। किसी भी पण्य के विनिर्माण, उत्पादन अथवा निर्यात पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई किसी सब्सिडी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाता है। प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय करार और टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) 1994 के प्रावधानों के अनुसार की गई जांच के अनुसरण में लगाया जाता है।

(ग) चूंकि यूरोपीय संघ द्वारा कॉटन टाइप बैड लिनेन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से ईयू देशों को इस उत्पाद के भारत से किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है इसलिए इस मामले को द्विपक्षीय रूप से यूरोपीय आयोग के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना

3379. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही "जिला गरीबी उन्मूलन" परियोजना इसके 32 जिलों में से केवल सात जिलों में ही चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से शेष पच्चीस जिलों में भी इस परियोजना को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सहायक कंपनियों में आरक्षण

3380. श्री महावीर भगोरा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थानों ने अपने अंतर्गत सहायक कंपनियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन सहायक कंपनियों में आरक्षण नीति लागू की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस आदेश का ब्यौरा क्या है जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इस आरक्षण सुविधा से वंचित हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर चोरी के मामले

3381. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर चोरी के कितने मामले हुए हैं;

(ख) ऐसे मामलों के पुनः होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक क्लोज सर्किट कैमरे लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न विमानपत्तनों पर बिजली की बाड़ लगाने का है;

(च) यदि हां, तो पहचान किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे बाड़ लगाने के क्या उद्देश्य हैं;

(छ) परियोजना लागत का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने कुहासे से संबंधित उन समस्याओं से निजात पाने हेतु कदम उठाए हैं जिससे विमानों के आगमन/प्रस्थान में खतरा उत्पन्न हो जाता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर कुल 104 चोरी के मामले हुए।

(ख) यात्री टर्मिनल के अंदर साथ ही टर्मिनल के बाहर सर्विलेंस क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि चोरी के मामलों को पकड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, सीआईएसएफ भी टर्मिनल के अन्दर और बाहर चोरी के मामलों के निरीक्षण के लिए सक्रिय रहती है।

(ग) और (घ) जी, हां। उन हवाईअड्डों पर जहाँ पर पहले से सर्विलेंस क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा लगे हुए हैं वहां पर

और अधिक ऐसे कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है और चरणबद्ध तरीके से और अधिक हवाईअड्डों को इस सिस्टम से कवर किया जाएगा।

(ङ) से (छ) भारत की मौसमी परिस्थितियों और साथ ही सुरक्षा को खतरे की आशंकाओं पर आधारित तकनीक वाली इलेक्ट्रॉनिक इन्ट्रशन डिवेक्शन सिस्टमों को लगाने के लिए रुचि अभिव्यक्तियां जारी कर दी गई हैं।

(ज) और (झ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के 28 रनवे पर इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) कैट–III ए लगाया है जो कि प्राधिकृत विमान को 200 मीटर तक रनवे विज्युवल रेंज में प्रचालन करने की अनुमति देता है।

[हिन्दी]

एल्यूमीनियम का उत्पादन

3382. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एल्यूमीनियम का वर्ष–वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) आज तक कितना उत्पादन हुआ है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) एल्यूमीनियम के प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान एल्यूमीनियम का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

वर्ष	उत्पादन (एम टी)
2001–2002	6,33,748
2002–2003	6,89,041
2003–2004	8,16,503

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान देश में एल्यूमीनियम के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 8,96,330 एम टी है और 31.7.2004 तक किया गया उत्पादन 2,74,597 एम टी है।

[अनुवाद]

संवेदनशील मदों का आयात

3383. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 300 संवेदनशील मदों का आयात बढ़ा हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में वर्ष 2003–04 के दौरान आयात कितना प्रतिशत बढ़ा है;

(ग) उन मदों के क्या नाम हैं जिन्होंने आयात वृद्धि में अपना विशेष योगदान दिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों से वर्ष 2003–04 के दौरान खाद्य तेलों के आयात में कितनी राशि की बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) उनके आयात को रोकने और आयात एवं निर्यात में संतुलन बनाए रखने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वित्तीय वर्षों की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2003–04 के दौरान 300 संवेदनशील मदों के आयात की प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 23.16%, 54.43% और 69.44% है।

(ग) डीजीसीआईएस, कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जिन मदों का वर्ष 2003–04 के दौरान महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें क्रूड पाम ऑयल, रिफाइन्ड पाम ऑयल और इसके घटक, सोयाबीन क्रूड ऑयल, कॉटन (भारतीय के अलावा), अपरिष्कृत काजू गिरियां, सूरजमुखी बीज का कच्चा तेल, कच्ची खजूर गिरी तेल और छिलके वाले बादाम शामिल हैं। ये मदें वर्ष 2003–04 के दौरान किए गए संवेदनशील मदों के कुल आयातों का लगभग 82% हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2003–04 के दौरान खाद्य तेलों के आयातों की धनराशि में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपए)

	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04 (अनंतिम)	निम्न वर्षों की तुलना में 2003–04 के दौरान राशि की वृद्धि		
					2000–01	2001–02	2002–03
खाद्य तेलों का आयात	6133	6476	8771	11209	5076	4733	2438

(ङ) सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार भी मदों पर से आयात प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। तथापि, आयातों पर निरन्तर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ के उचित प्रयोग और पाटनरोधी कार्रवाई सहित अन्य तंत्रों तथा अधिदेशित बी आई एस विनिर्दिष्टताओं के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आयात से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर हानि या क्षति न हो।

भारत में विदेशी निवेश

3384. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सबसे ऊपर आ गया है जैसाकि दिनांक 23.7.2004 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने भारत का अगले चार वर्षों के लिए द्वितीय 'प्रबलतम' निवेश गंतव्य के रूप में दर निर्धारण किया है। एक वैश्विक प्रबंधन परामर्शी फर्म ए.टी. कीयरनी ने भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्वास सूचकांक 2003 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य और छठे सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर निर्धारण किया है।

(ग) वे क्षेत्रक, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2001 के कैलेंडर वर्ष की तुलना में 2002/2003 के कैलेंडर वर्षों के दौरान बढ़े हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने एक उदार व पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष नीति अपनाई है तथा अधिकतर क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग के अर्न्तगत रखा गया है। कुछेक क्षेत्रकों के सिवाय, जहाँ उच्चतम सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है, अधिकतर क्रियाकलापों/ क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। वर्ष 2004–05 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को मनाने के लिए एक निवेश आयोग की स्थापना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को, विशेषतया अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में, प्रोत्साहन करना और सक्रियता से प्राप्त करना जारी रखा जाएगा।

विवरण

क्षेत्रक, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2001 के कैलेंडर वर्ष की तुलना में 2002/2003 के कैलेंडर वर्षों के दौरान बढ़ा है

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	क्षेत्रक	2001 जनवरी–दिसम्बर	2002 जनवरी–दिसम्बर	2003 जनवरी–दिसम्बर
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मीय उद्योग	150.58	209.55	145.45
2.	ईंधन (विद्युत एवं तेल परिष्करण)	1741.17	3107.66	741.85

1	2	3	4	5
3.	बिजली के उपकरण (एस/डब्ल्यू और इलैक्ट्रानिक सहित)	2056.69	3190.86	1355.00
4.	परिवहन उद्योग	1382.00	2124.24	1513.38
5.	मशीन यन्त्र	21.81	65.54	38.54
6.	वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उपकरण	15.06	12.19	49.54
7.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	295.21	579.95	284.90
8.	वस्त्र (रंजक और मुद्रित सहित)	20.03	220.39	83.81
9.	कागज एवं गूदा जिसमें कागज उत्पाद शामिल हैं	50.14	54.46	33.76
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	285.74	946.96	307.62
11.	शीशा	37.52	215.06	25.09
12.	सेवा क्षेत्रक	820.22	1543.13	1390.35
13.	होटल एवं पर्यटन	47.15	223.78	259.42
14.	यूरो इश्यू (क्षेत्रक वार परिगणन नहीं हुआ)	2487.44	3090.40	2683.82
15.	अन्तर्वाहों का आगमन (क्षेत्रक वार परिगणन नहीं हुआ)	706.61	1977.12	1880.75

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3385. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या वित्त मंत्री आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 5.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 609 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सभी मामलों की गहन समीक्षा की है और कानूनी सलाह के लिए उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्या सलाह दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त एवं आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध आरंभ की गई जांच-पड़ताल अभी चल रही है। 11 मामलों में से, 5 मामलों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा शेष 6 रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं।

(ख) मामलों की गहन समीक्षा की जा रही है और जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाएगा तब उसे प्रक्रिया के अनुसार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके परामर्श के लिए भेजा जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.एल.आर. जमा पर ब्याज

3386. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक ने हिमाचल ग्रामीण बैंक को सांविधिक द्रव्यता अनुपात राशि (एसएलआर जमा) पर कम ब्याज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिमाचल ग्रामीण बैंक को उक्त राशि को वापस करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या हिमाचल ग्रामीण बैंक की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार सनदी लेखाकारों द्वारा दिनांक 4.3.1993 से 15.7.1994 तक की अवधि की एसएलआर जमा राशि पर 28,20,550 रुपए की ब्याज राशि के दावे को खारिज कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं और उक्त अंतर ब्याज राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रायोजक बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), जो हिमाचल ग्रामीण बैंक (एचजीबी), मंडी का प्रायोजक बैंक है, ने सूचित किया है कि 15.1.1994 तक एसएलआर एवं गैर–एसएलआर निधियों में अंतर किए बिना एचजीबी प्रायोजक बैंक में निधियां रखता था तथा एचजीबी द्वारा पीएनबी, शाखा कार्यालय, मंडी को किए गए वायदे के अनुसार एसएलआर जमाराशियों के लिए योग्य राशि पर ब्याज दिया जा रहा था। 16.1.1994 से एचजीबी, मंडी ने पीएनबी में पृथक रूप से एसएलआर जमाराशि को रखना शुरू कर दिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार उस राशि पर ब्याज की अदायगी की जा रही है। 31.3.2000 को समाप्त वर्ष के लिए एचजीबी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न टिप्पणियों के अनुसार यह बतलाया गया है कि बैंक के बोर्ड ने ब्याज की बकाया राशि से संबंधित पीएनबी, मंडी में 28,20,550 रुपए के दावों को निरस्त कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में सोना, हीरा और बाक्साइट के संभावित भंडार

3387. श्री विष्णुदेव साय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोना, हीरा और बाक्साइट के संभावित भंडार का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खनिजों की खोज के लिए किसी योजना को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने स्वर्ण, हीरे और बॉक्साइट के संसाधनों का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण कराया है। विभिन्न खनिजों के स्थल निम्नवत हैं :–

स्वर्ण :

भेलवापानी, चहार परियोजनाएं, शीतलपुर, कांकेर जिला, सोनाखान क्षेत्र, रायपुर जिला, पन्दरीपानी क्षेत्र, जशपुरनगर जिला और सबरी–बसिनाल एरिया, बस्तर ज़िला।

हीरा :

मैनपुर–गरियाबन्द क्षेत्र, रायपुर जिला, टोकापाल क्षेत्र, कांकेर जिला, इन्द्रावली–बसिनाल क्षेत्र, बस्तर जिला, सारनगढ़–चन्द्रपुर, सरायपल्ली क्षेत्र, रायगढ़, जांजगिर जिले।

बॉक्साइट :

बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जशपुरनगर और बस्तर जिला से बॉक्साइट मिलने की सूचना मिली है।

जी.एस.आई. और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के

फलस्वरूप (1.4.2000 की स्थिति के अनुसार) छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में कुल 0.900 मिलियन टन स्वर्ण, 1304,0000 कैरट हीरे और 198.220 मिलियन टन बॉक्साइट के स्वस्थाने निक्षेप का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) जी, हां। फील्ड सीजन–2003–04 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के पूरो – मिशगांव ब्लॉकों, कांकेर जिला और सोनाखान क्षेत्र, रायपुर जिला में स्वर्ण अन्वेषण संबंधी दो मदों, कोण्डागांव क्षेत्र, बस्तर जिला, चन्दकुरी– कान्दाडोंगरी, सोनाखान बेल्ट के जमनीडीह और सारनगढ़ एवं सरायपल्ली क्षेत्र, महासमुन्द और रायगढ़ जिले में हीरा अन्वेषण संबंधी तीन मदों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) द्वारा जमीरापत समूह निक्षेप, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के लिए विस्तृत गवेषण कार्य किया गया है।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण सुविधा

3388. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण सुविधा देने के लिए किसानों से सीधे बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेषत: उड़ीसा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्यक्ष अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले सभी ऋण एवं अग्रिम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीधे ही किसानों को दिए जाते हैं। इस प्रकार से बैंक सीधे सम्पर्क में हैं।

उड़ीसा राज्य में कृषि को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए दिनांक 18.6.04 को सरकार की घोषणा के अनुसरण में उड़ीसा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों से कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त ऋण के प्रवाह के क्षेत्रीय आबंटन के तौर–तरीके का निर्धारण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति ने वर्ष के दौरान राज्य में बैंक द्वारा क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य बिन्दु निर्धारित किए हैं;

(i) ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 3–5 लाख रु. की राशि वाली निवेश ऋण संबंधी 2–3 नई विनियोजनीय योजनाएं तैयार करना;

(ii) प्रत्येक शाखा द्वारा 100 नए किसानों को सहायता दिया जाना और बैंकों से वित्तीय सहायता देकर प्रत्येक जिले में 10 कृषि क्लीनिक का खोला जाना;

(iii) स्व–सहायता समूहों और किसानों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण में वृद्धि पर विशेष जोर देना।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, यूको बैंक ने राज्य के सभी 30 जिलों में अग्रणी बैंकों के जिला–वार लक्ष्यों सहित समिति के निर्णयों की सूचना दे दी है। उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं ने कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर ऋण) और वृक्षारोपण, मत्स्यपन, बागवानी आदि जैसे अन्य योजनाबद्ध उधार के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों से सम्पर्क करना शुरू कर दिया है। बैंक अपने कृषि क्षेत्र से संबंधित ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) को जारी करने के वास्ते किसानों से भी सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत

3389. श्री ए.के. मूर्ति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से कृषि उत्पादों

के आयात पर प्रतिबंध लगाने और रबड़ को कृषि उत्पाद में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार रबड़ बोर्ड के जरिए अनेक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है जिनका उद्देश्य और अधिक क्षेत्र में नए रबड़ बागान लगाना, पुराने और अलाभकारी पेड़ों के स्थान पर अधिक पैदावार वाले पौधों का रोपण करना, संतुलित उर्वरक अनुशंसा, रोग नियंत्रण उपाय, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय, रबड़ के पेड़ों की वर्षा से रक्षा करना, उचित उपयोग प्रणाली इत्यादि से युक्त उत्प्रेरकों का प्रयोग जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू आर) मुक्त प्रणाली में वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक रबड़ को एक कृषिजन्य उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किए जाने का संबंध है, भारत सरकार ने कृषि संबंधी करार में उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाने में प्राकृतिक रबड़ जैसे उत्पादों को शामिल करने के लिए डब्ल्यू टी ओ में अपने वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। कृषि और दोहा कार्यक्रम के अन्य क्षेत्रों के बारे में वार्ताएं, दोहा में निर्धारित अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 2004 के बाद, दिसम्बर, 2005 तक जारी रहेंगी।

कृषि उत्पादों का आयात

3390. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात शुल्क के दर में कमी करके कतिपय देशों से कृषि उत्पादों में आयात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जिन कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया गया है उनका ब्यौरा क्या है और किन देशों को यह सुविधा दी गयी है;

(घ) इसके परिणामतः कृषि उत्पादों के आयात में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतों पर ऐसे आयातों का क्या असर हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (ङ) सरकार ने निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों के साथ किए गए मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) और अधिमानी व्यापार करारों (पीटीए) के अंतर्गत अधिमानी आधार पर कृषिजन्य उत्पादों का आयात किए जाने की अनुमति दी है :–

(i) भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार जिस पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसका कार्यान्वयन मार्च, 2000 में शुरू हुआ था। भारत नकारात्मक सूची की मदों को छोड़कर भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत सभी कृषिजन्य मदों को शुल्कमुक्त पहुँच की अनुमति प्रदान करता है। श्रीलंका से 7.5 प्रतिशत के अधिमानी शुल्क पर टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत 15 मिलियन कि.ग्रा. चाय वार्षिक रूप से भारत में आयात करने की अनुमति है। भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत मदों की नकारात्मक सूची में उल्लिखित कृषि मदें संलग्न विवरण–I में दी गयी हैं।

(ii) भारत की नेपाल और भूटान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार संधियां हैं जिनके अंतर्गत गैर–पारस्परिकता के सिद्धांतो पर इन दोनों देशों से शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति है।

(iii) भारत के पास सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) के अंतर्गत भी आदान–प्रदान की जाने वाली टैरिफ वरीयताएं हैं।

(iv) भारत के पास बैंकाक करार के अंतर्गत भी प्रदत्त टैरिफ वरीयताएं है जिसके पीटीए के बंगलादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका सदस्य हैं।

(v) भारत ने वर्ष 2003 में अफगानिस्तान के साथ एक अधिमानी व्यापार करार किया है जिसके अंतर्गत कृषि मदों पर टैरिफ रियायतों का गैर–पारस्परिक आधार पर आदान–प्रदान किया जा रहा है।

भारत ने आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रसंघ जिसमें ब्रुनेई, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं) और थाईलैण्ड के साथ किए गए कार्यढांचा करारों के अंतर्गत शीघ्र फलदायी कार्यक्रम के अधीन कुछ कृषि मदों को अंतिम रूप दिया गया है जिन पर टैरिफ वरीयताएं उपलब्ध होंगी।

उन कृषि उत्पादों की सूची संलग्न विवरण II में दी गयी है जिन पर भारत साप्ता, बैंकाक करार, भारत–अफगानिस्तान अधिमानी करार और आसियान तथा थाईलैण्ड के साथ कार्यढांचा करारों के अंतर्गत रियायतें प्रदान कर रहा है।

अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003–04 के दौरान कृषि उत्पादों के आयात में 18.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

कृषि और सहकारिता विभाग को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें श्रीलंका से कतिपय कृषि उत्पादों के शुल्कमुक्त आयात के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

विवरण-I

भारत, श्रीलंका एफटीए के अन्तर्गत नकारात्मक सूची (इन मदों पर रियायतें नहीं हैं)

एच.एस. कोड		विवरण
1		2
08.01	0801.11	सुखाया हुआ नारियल
	0801.19	नारियल, अन्य
12.03	1203	कोपरा
15.13	1513.11	नारियल (खोपड़ा) तेल एवं उसके भागः कच्चा तेल
22.03	2203	माल्ट से बनी हुई बियर
22.04		ताजे अंगूर की मदिरा, पौष्टिक मदिरा सहित; शीर्ष सं. 2009 के अलावा अन्य अंगूर
	2204.1	स्फूर्तिदायी मदिरा
		अन्य मदिराः खमीर सहित अंगूर का रस अल्कोहल द्वारा संरक्षित या अवरूद्ध
	2204.21	दो या दो से कम लीटर शराब वाले डिब्बे
	2204.29	अन्य
	2204.3	अन्य अंगूर का रस
22.05		वरमाउथ एवं ताजे अंगूरों की अन्य मदिरा जिसमें सुगंधित तत्वों अथवा पौधों का स्वाद हो।
	2205.1	दो या दो से कम लीटर के शराब के डिब्बे
	2205.9	अन्य
22.06	2206	अन्य खमीर मुक्त पेय (उदाहरणार्थ–साइडर पेरी, मीड) खमीर मुक्त पेय के मिश्रण एवं अल्कोहल रहित पेय जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट अथवा सम्मिलित न हो

1	2
22.07	80% या उससे अधिक अल्कोहल की मात्रा वाली वास्तविक इथाइल अल्कोहल एवं विकृत की हुई किसी मात्रा की अन्य स्पिरिट।
2207.1	80% या उससे अधिक अल्कोहल की मात्रा वाली वास्तविक इथाइल अल्कोहल
2207.2	इथाइल अल्कोहल एवं विकृत की हुई किसी मात्रा की अन्य स्पिरिट
22.08	80% से कम अल्कोहल की मात्रा वाली वास्तविक इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट, मदिरा एवं अन्य स्पिरिट के पेय
2208.2	आसुत अंगूरी मदिरा से प्राप्त स्पिरिट अथवा अंगूर मार्क
2208.3	व्हिस्कियां
2208.4	रम एवं टाफिया
2208.5	जिन एवं जेनेवा
2208.6	वोदका
2208.7	मदिरा एवं शक्तिवर्धक
2208.9	अन्य

सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के अन्तर्गत भारत द्वारा प्रदत्त रियायतें

क्र.सं.	एच.एस.कोड	विवरण	सदस्य देशों को रियायत की सीमा (पाकिस्तान और श्रीलंका)	अल्पविकसित देशों के रियायत की सीमा (बंग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं नेपाल)
1	2	3	4	5
1	0603.10	ताजा		25%
2	0603.90	अन्य		25%
3	0701.90	अन्य		15%
4	0708.10	मटर	10%	
5	0708.20	सेम	10%	
6	0708.90	अन्य फलीदार सब्जियां	10%	
7	0713.10	मटर	10%	
8	0713.20	चिक पीज (गारबैंजो)	10%	
9	0713.31	विगना मुंगो, हेप्पा या विगना रैडियाटा जाति की सेम	10%	

1	2	3	4	5
10	0713.32	छोटी लाल (एडजुकी) सेमें	10%	
11	0713.33	व्हाइट पी बीन्स सहित मोठ	10%	
12	0713.39	अन्य	10%	
13	0713.40	मसूर	10%	
14	0713.50	बाकला एवं हार्स बीन्स	10%	
15	0713.90	अन्य	10%	
16	0802.50	पीस्ता	10%	
17	0802.90	अन्य		60%
18	Ex.0802.90	सुपारी	50%	
19	0804.10	खजूर	20%	
20	0804.20	अंजीर	20%	
21	0804.30	अनन्नास		60%
22	0804.30	अनन्नास		75%
23	0804.50	अमरूद, आम एवं मैंगोस्टीन		15%
24	0805.10	संतरे	10%	
25	0805.20	मंदरीन्स	20%	
26	0805.30	नीम्बू	20%	
27	0805.90	अन्य रसदार फल	20%	
28	0806.10	अंगूर ताजे	10%	
29	0806.20	अंगूर सूखे	10%	
30	0807.11	तरबूज	20%	
31	0807.20	पपाज	20%	
32	0809.10	खूबानी ताजी	10%	
33	0810.90	कटहल		60%
34	0810.90	अन्य		75%
35	0811.90	अन्य		15%
36	0812.90	अन्य		15%

1	2	3	4	5
37	0813.10	खूबानी	20%	
38	0813.40	पाइन नट्स	10%	
39	0904.11	न तो कूटा हुआ न तो पीसा हुआ		15%
40	0904.12	कुटा या पिसा हुआ		15%
41	0904.20	जीनस कैप्सीकम या जीनस पीमेंटा के फल सूखे हुए या कुटे हुए या पिसे हुए		15%
42	0906.10	न कुटा हुआ न पिसा हुआ		15%
43	0906.20	दले अथवा पिसे हुए		15%
44	0907.00	लौंग (साबुत फल, लौंग और तना)	90%	
45	0908.10	जायफल	50%	
46	0908.20	जावित्रि	50%	
47	0910.10	अदरक		15%
48	0910.30	हल्दी (करक्यूमा)		15%
49	0910.50	करी		15%
50	0910.91	इस अध्याय के नोट 1 (ख) में उल्लिखित मिश्रण		15%
51	0910.99	अन्य		15%
52	1105.20	फ्लेक्स, दाने और गोलियां		15%
53	Ex.1106.30	कोकोनट मिल्क पाउडर	25%	
54	1209.30	शाकीय पौधों के बीज, जिन्हें प्रमुखतः उनके फूलों के लिए उगाया जाता है	10%	
55	1211.10	मलैठी की जडें	10%	
56	1211.90	इजसाजी, औषधालय अथवा कीटनाशी, फफूंदीनाशी अथवा ऐसे ही उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे और पौधों के भाग	10%	
57	1301.10	लाख	15%	
58	1301.90	रेजिव–गम	15%	
59	1501.00	सुअर की वसा (सुअर की चर्बी) और कुक्कुट वसा, शीर्ष सं. 02.09 अथवा 15.03 के अतिरिक्त		50%

1	2	3	4	5
60	1502.00	गोजातीय पशुओं, भेड़ अथवा बकरियों की वसा, शीर्ष सं. 15.03 के अतिरिक्त		50%
61	1503.00	लार्ड स्टिरिन, लार्ड तेल, ओलियोस्टिरिन, ओलियो तेल और पशुवसा तेल, पायस अथवा मिश्रित अथवा अन्यथा तैयार नहीं किया गया		50%
62	1504 10	मछली के यकृत का तेल और उनके भाग		50%
63	1504.20	वसा और तेल और उनके भाग, मछली के, यकृत तेलों के अलावा		50%
64	1504.30	वसा और तेल और उनके भाग, समुद्री स्तनपायियों के		50%
65	1505.10	वुल ग्रीस, क्रूड		50%
66	1505.90	अन्य		50%
67	1506.00	अन्य जानवर वसा और तेल और उनके भाग, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं		50%
68	1507.10	क्रूड तेल, डीम्ड किया हो अथवा नहीं		50%
69	1507.90	अन्य		50%
70	1508.10	क्रूड तेल		50%
71	1508.90	अन्य		50%
72	1509.10	अप्रयुक्त		50%
73	1509.90	अन्य		50%
74	1510.00	अन्य तेल और उनके भाग, सिर्फ जैतून से प्राप्त, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित न हों, शीर्ष सं. 15.09 के तेलों अथवा भागों के साथ इन तेलों अथवा भागें के सम्मिश्रण सहित		50%
75	1511.10	क्रूड तेल		50%
76	1511.90	अन्य		50%
77	1512.11	क्रूड तेल		50%

1	2	3	4	5
78	1512.19	अन्य		50%
79	1512.21	कपास के बीज का तेल और उसके भाग क्रूड तेल चाहे गोसीपोल निकाला गया हो अथवा नहीं		50%
80	1512.29	अन्य		50%
81	1513.11	कोकोनट (कोपरा) तेल और इसके भाग, क्रूड तेल		50%
82	1513.19	अन्य		50%
83	1513.21	ताड़ की गिरी अथवा बबासू तेल और उनके भाग – क्रूड तेल		50%
84	1513.29	अन्य		50%
85	1514.10	रेप, कोल्जा अथवा सरसों का तेल और उनके भाग, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किन्तु रासायनिक रूप से संशोधित नहीं– क्रूड तेल		50%
86	1514.90	अन्य		50%
87	1515.11	अलसी का तेल और उसके भाग–क्रूड तेल		50%
88	1515.19	अन्य		50%
89	1515.21	मक्का का तेल और उसके भाग – क्रूड तेल		50%
90	1515.29	अन्य		50%
91	1515.30	अरंडी का तेल और इसके भाग		50%
92	1515.40	टांग तेल और इसके भाग		50%
93	1515.50	तिल का तेल और इसके भाग		50%
94	1515.60	जोजोबा का तेल और इसके भाग		50%
95	1515.90	अन्य		50%
96	1516.10	पशुओं की वसा और तेल और इसके भाग		50%
97	1516.20	सब्जी वसा और तेल और इसके भाग		50%

1	2	3	4	5
99	1517.90	अन्य		50%
100	1518.00	पशु अथवा सब्जियों की वसा और तेल और उनके भाग, उबले हुए, आक्सीडाइज्ड, विर्जलित, सल्फ्यूरीकृत, ब्लोन, वैक्यूम में गर्मी अथवा निष्क्रिय गैस द्वारा बहुलीकृत अथवा अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्ष सं. 15–16 को छोड़कर इस अध्याय के विभिन्न वसा अथवा तेलों के भागों को अथवा पशुओं अथवा सब्जियों के वसा अथवा तेलों के अखाद्य मिश्रण अथवा सामाग्रियों, जिनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है अथवा शामिल नहीं किया गया है।		50%
101	1520.00	ग्लिसरोल, क्रूड ग्लिसरोल वाटर्स और ग्लिसरोल लाइज		60%
102	1521.10	सब्जी वैक्स		50%
103	1521.90	अन्य		50%
104	1522.00	डीग्रास, वसा वाले पदार्थों अथवा पशुओं अथवा सब्जी वैक्स के उपचार के परिणाम स्वरूप प्राप्त अवशिष्ट		50%
105	1701.11	गन्ने की चीनी		50%
106	1701.12	चुकंदर की चीनी		50%
107	1701.91	कंटेनिंग एडेड फ्लेवरिंग अथवा कलरिंग मैटर		50%
108	1701.99	अन्य		50%
109	1702.11	भार 99% के रूप में अथवा इससे अधिक लैक्टोस वाले, जिन्हें निर्जलीय लैक्टोस के रूप में व्यक्त किया गया है, शुष्क मैटर पर गठाना की गई है।		50%
110	1702.19	अन्य		50%
111	1702.20	मेपल चीनी और मेपल सिरप		50%
112	1702.30	ग्लूकोज और ग्लूकोज सिरप, जिसमें फ्रूक्टोज शामिल न हो अथवा फ्रूक्टोज के भार के रूप में शुष्क अवस्था में 20% से कम शामिल हो।		60%
113	1702.40	ग्लूकोज एवं ग्लूकोज सिरप, के भार का कम से कम 20% लेकिन 50% से कम फ्रूक्टोस शुष्क स्थिति में		50%

1	2	3	4	5
114	1702.50	रासायनिक रूप से शुद्ध फ्रूक्टोस		50%
115	1702.60	अन्य फ्रुक्टोस एवं फ्रूक्टोस सिरप, शुष्क स्थिति में फ्रुक्टोस के भार के 50% से अधिक मात्रा वाला		50%
116	1702.90	अन्य, उत्क्रमित चीनी सहित		50%
117	1703.10	गन्ने का शीरा		60%
118	1703.90	अन्य		50%
119	1704.10	च्यूविंग गम, चाहे सुगर कोटेड हों अथवा नहीं		50%
120	1704.90	अन्य		50%
121	1806.20	ब्लाकों, स्लेबों और बारों जिनका भार 2 किग्रा. से अधिक है या द्रव पेस्ट, पाउडर, दानेदार या अन्य बल्क रूप में 2 किग्रा. से अधिक के डिब्बे में या तत्काल पैकिंग में हों	50%	
122	1806.31	भरा हुआ	50%	
123	1806.32	बिना भरा हुआ	50%	
124	1806.90	अन्य	50%	
125	1905.30	मीठे बिस्कुट, वेफल्स एवं वेफर्स	50%	
126	1905.40	रस्क, डबलरोटी और वैसे ही सिके हुए उत्पाद	10%	
127	1905.90	अन्य	10%	
128	1905.90	अन्य		20%
129	2001.10	ककड़ी एवं खीरा		50%
130	2001.20	प्याज		50%
131	2001.90	अन्य		75%
132	2002.10	टमाटर पूरा या टुकड़ों में		50%
133	2002.90	अन्य		50%
134	2003.10	मशरूम		50%
135	2003.20	कवक		50%

1	2	3	4	5
136	2004.10	आलू		60%
137	2004.90	अन्य सब्जियां या मिश्रित सब्जियां		60%
138	2005.10	सजातीय सब्जियां		50%
139	2005.20	आलू		60%
140	2005.40	मटर (पिसम सेटिवम)		50%
141	2005.51	सेम, छिलके वाली		50%
142	2005.59	अन्य		50%
143	2005.60	शतावरी		50%
144	2005.70	जैतून		50%
145	2005.80	मीठी मकई (जी मेज वीएआरएचराटा)		50%
146	2005.90	अन्य सब्जियां और सब्जियों के मिश्रण		50%
147	2006.00	सब्जियां फल, गिरियां, फलों के छिलके और पौधों के अन्य हिस्से, चीनी द्वारा संरक्षित (ड्रेन्ड, ग्लेज या क्रिस्टलीकृत)		50%
148	2007.10	सजातीय विनिर्मितियां		60%
149	2007.91	सिट्रस फल		60%
150	2007.99	अन्य		60%
151	2008.11	मूंगफली		50%
152	2008.19	अन्य, मिश्रणों सहित		60%
153	2008.20	अनन्नास	10%	60%
154	2008.30	सिट्रस फल		50%
155	2008.40	नाशपाती		50%
156	2008.50	खुबानी		50%
157	2008.60	चेरीज		50%
158	2008.70	आड़ू		50%
159	2008.80	स्ट्रोबेरी		50%
160	2008.91	पाम हर्ट्स		50%
161	2008.92	मिश्रण		50%

1	2	3	4	5
162	2008.99	अन्य		75%
163	2009.11	प्रशीतित		50%
164	2009.19	अन्य		60%
165	2009.20	अंगूर का रस		50%
166	2009.30	किसी अन्य सिट्स फल का रस	10%	50%
167	2009.40	अनन्नास का रस		50%
168	2009.50	टमाटर कर रस		60%
169	2009.60	अंगूर का रस (द्राक्षारस सहित)		50%
170	2009.70	सेब का रस		50%
171	2009.80	किसी अन्य एक फल या सब्जी का रस		75%
172	2009.90	रसों का मिश्रण	10%	75%
173	2103.20	टमाटर का कैचप या अन्य टमाटर के सोस		25%
174	2105.00	आइसक्रिम या अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोकोआ हो अथवा नहीं		15%
175	2201.10	मिनरल और एयरेटेड जल		75%
176	2202.10	जल जिनमें मिनरल/एयरेटेड जल शामिल हैं और जिसमें चीनी/कोई पदार्थ या स्वाद मिलाया गया हो		60%
177	2209.00	नारियल का सिरका	10%	
178	2301.20	आटा, क्रेस्टेशियन का भोजन तथा पैलेट्स, मोलस्कस अथवा अन्य जलीय अकशेरूकी		50%

बैंकाक करार के अन्तर्गत भारत की टैरिफ रियायतें

क्र.सं.	टेरिफ	विवरण	बीए के अंतर्गत प्रस्तावित टैरिफ अधिनियम दर
1	2	3	4
1	0801.11	सुखाई गई	30%
2	0907.11	लौंग (पूरा फल, लौंग एवं उसके तने)	10%

1	2	3	4
3	0908.10	जायफल	30%
4	0908.20	जावित्री	30%
5	1513.19	अन्य	30%
6	1520.00	ग्लाइसिरोल, अपरिष्कृत जल एवं ग्लाइसिरोल ऑयल	10%
7	1703.10	गन्ने का शीरा	10%
8	1703.90	अन्य	10%
9	1801.00	कोकोआ के दाने, पूरे या टूटे हुए, कच्चे या भुने हुए	25%

विवरण-II

भारत तथा अफगानिस्तान के बीच अधिमानी व्यापार करार

क्र.सं.	टैरिफ	विवरण	रियायत की सीमा
1	2	3	4
1	080620	हरी किशमिश	50%
2	080620	हरी बड़ी	50%
3	080620	काली किशमिश	50%
4	080620	लाल किशमिश	50%
5	081310	सूखी खुबानी गिरी	50%
6	081310	सूखी खुबानी	50%
7	080420	सूखी अंजीर	100%
8	080250	पिस्ता बंद छिलका	100%
9	080250	पिस्ता खुला	100%
10	080250	पिस्ता खुला हुआ	100%
11	080231	अखरोट बिना छिलका	50%
12	080232	अखरोट छिलके वाला	50%
13	081340	सूखा आलूबुखारा	50%
14	080212	बादाम पतला छिलका	50%
15	080212	बादाम सख्त छिलका	50%
16	080212	बादाम छिलके वाला	50%
17	081340	शहतूत सूखी हुई	100%

1	2	3	4
18	081340	देवदारू गिरी भुनी हुई	100%
19	080620	किशमिश सुमहरी	50%
20	081310	खूबानी गिरी कड़वी बिना छिलका	50%
21	081310	खूबानी गिरी, कड़वी छिलके वाली	50%
22	080620	बड़ी को छोड़कर हरी किशमिश	50%
23	081340	चेरी खट्टी सखी हुई	50%
24	080610	अंगूर ताजा, सभी प्रकार	50%
25	080719	तरबूज ताजा	100%
26	---	--	--
27	080910	खूबानी ताजी	50%
28	081090	अनार	50%
29	090910	सौंफ के बीज	50%
30	090940	जीरा बीज, सफेद, काला, कजाक	50%
31	120400	अलसी	50%
32	120740	तिल के बीज	50%
33	121110	फार्मेसी के लिए मलेठी की जडें	50%
34	121410	अलफा अलफ के बीज	50%
35	130190	हींग	100%
		शीघ्र फलदायी कार्यक्रम (ईएचपी) –भारत–आसियान कार्यढांचा करार के तहत मदें	
1	180400	कोको बटर, वास तथा तेल	
2	180500	कोको पाउडर जिसमें अतिरिक्त चीनी अथवा अन्य मीठा पदार्थ न मिला हो	
3	200820	अनन्नास, तैयार अथवा संरक्षित	
4	200949	अन्य अन्ननास जूस	
		भारत– आसियान कार्यढांचा करार (कंबोडिया, लाओ पी डी आर, म्यांमार तथा वियतनाम को)	
1	080211	ताजे अथवा शुष्क बादाम, छिलके में	
2	130110	लाख	
3	130120	अरेबिक गोंद	
4	130190	अन्य	

1	2	3	4
5	140110	बांस	
6	140120	ताड़	
7	140190	अन्य	
8	170490	अन्य	
		ई एच एस– भारत– थाईलैंड कार्यढांचा करार के तहत मदें	
1	080450	एक्स फ्रेश मैंगोस्टीन, आम	
2	080610	ताजे अंगूर	
3	080810	सेब	
4	081060	एक्स फ्रेश ड्यूरियन	
5	081090	एक्स फ्रेश रैम्बूटन, लांगन, अनार	
6	100110	ड्यूरम गेहूँ	
7	100190	अन्य गेहूँ तथा मेलसिन	

गुवाहाटी के बाजार में चीन निर्मित सामानों की भरमार

3391. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 2004 के असम ट्रिब्यून में "चायनीज गुड्स फ्लडिंग गुवाहाटी मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पूर्वोत्तर में सीमापार से गुवाहाटी के बाजार में कितनी मात्रा में चीन निर्मित सामान भरे हैं, की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) बाजार की जाँच–पड़ताल से गुवाहाटी की कुछ दुकानों में थोड़ी मात्रा में चीनी सामान होने की सूचना मिली थी। गुवाहाटी में बेचा जा रहा चीनी सामान अधिकांशतः सस्ती किस्म का है जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर के पत्तनों के जरिए कानूनी रूप से आयात किया जाता है। चीन जन.गण. से देश में पाटित उत्पादों के प्रवेश को रोकने की दृष्टि से पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय ने अब तक 75 ऐसे मामलों में जाँच शुरू की है जिनमें चीन जनवादी गणराज्य शामिल है। 59 मामलों में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है जिनमें से 47 उपाय लागू हैं।

(घ) तस्करी को रोकने के लिए सभी संवेदनशील/असुरक्षित मार्गों पद अपनाए गए कुछ उपायों में गहन तस्करी रोधी प्रचालन, कड़ी निगरानी एवं सतर्कता शामिल हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क विभाग, गुवाहाटी ने 1.4.2004 से 16.8.2004 की अवधि के दौरान 46 लाख रु. के मूल्य का चीनी मूल का अवैध रूप से आयातित सामान जब्त किया है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा भी वर्ष 2003–04 में 0.31 लाख रु. के मूल्य का चीनी सामान पारगमन मार्ग में पकड़ा गया है।

[हिन्दी]

मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज द्वारा गिरियों का दुर्विनियोजन

3392. श्री अतीक अहमद : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ. आई.ओ.) ने मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज द्वारा निधियों के कथित दुर्विनियोजन की जांच प्रक्रिया धीमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक हुई जांच के क्या परिणाम हैं; और

(ग) कंपनी में निबल पूंजी में आगे कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) जी नहीं। मामला न्यायाधीन है।

(ग) कंपनी की शुद्ध पूंजी की कीमत इसके प्रबंधन व्यवहार तथा वित्तीय सुदृढ़ता का कार्य है।

[अनुवाद]

विरासत संरक्षण के लिए ई.एफ.सी. अनुदान

3393. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से विरासत संरक्षण के लिए ई.एफ.सी. अनुदान के अंतर्गत उन्नयन अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुदान जारी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000–05 की अवधि के लिए विरासत संरक्षण के संबंध में कर्नाटक राज्य को 10.00 करोड़ रुपए का स्तरोन्नयन अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। इस प्रयोजन हेतु राज्य को अब तक 8.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एमआईपी योजना समाप्त करना

3394. श्री जी. वी. हर्षकुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1 अगस्त, 2004 से अपनी द्विमासिक आय योजना–एमआईपी–1999(II); और एम आईपी–2000 को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एमआईपी–99(II) और एमआईपी–2000 नामक द्विमासिक आय योजनाएं 1 अगस्त, 2004 से समय पूर्व बन्द कर दी गई हैं।

(ख) परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य और गिरती हुई ब्याज दरों के कारण एमआईपी–99(II) और एमआईपी–2000 के अन्तर्गत उपार्जित आय में कमी आई है। यूनिट धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) के सलाहकार मंडल ने इन दो योजनाओं को समयपूर्व बंद करने और मूल परिपक्वता की तारीखों अर्थात एमआईपी–99(II) के लिए 31 अक्तूबर, 2004 और एमआईपी–2000 के लिए 31 मार्च, 2005 से पहले निवेशकों को पूंजी लौटाने की अनुशंसा की है।

बैंकों के लिए लेखा मानक

3395. श्री डी. विट्ठल राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सनदी लेखाकारों संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 25 फरवरी, 2003, 29 मार्च, 2003 और 30 अप्रैल, 2004 के विस्तृत मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. आरबीआईओआरजी.इन पर उपलब्ध है।

कोयला आयात

3396. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात शुल्क में कमी के परिणाम स्वरूप कोयले के आयात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोयले के आयात के संबंध में कोई सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरी नारायण राव) : (क) से (घ) जी, नहीं। कोयले के आयात के संबंध में कोई सीमा निर्धारित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोयले का आयात ओपन जनरल लाइसेन्स (ओ.जी.एल) के अधीन है और उपभोक्ता कोयले का आयात अपनी आवश्यकतानुसार करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कामगारों का मूल वेतन

3397. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के कामगारों का मूल वेतन प्रबंधन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबंधन ने 1.4.2004 के पहले सेवानिवृत्त हुए कामगारों को दी जाने वाली बकाया राशि को भी तय कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। निगमित कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन के समान वेतन का दावा करते हुए लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघों द्वारा दायर 1996 की सिविल अपील सं. 14572 में माननीय उच्च न्यायालय के 14.10.2003 के आदेशों के अनुसरण में सरकार ने निम्नलिखित राहतों का निर्णय लिया है:–

(1) उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावित कर्मचारियों का मूल वेतन में निम्नलिखित राशि शामिल करके 1.4.2004 से निर्धारित किया जाए।

(i) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन + तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो + एच सी ए (कुछ कर्मचारियों को 30/– से 45/– प्रतिमाह की दर पर देय उच्च लागत भत्ता), यदि कोई हो।

(ii) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार तदनरूपी मंहगाई भत्ता।

(iii) यदि 1987 से कोई संशोधन न हुआ हो, तो (i)+(ii) का 20% ।

(2) नया मूल वेतन संशोधित वेतनमान में मूल वेतन को रखकर निर्धारित किया जाएगा, जो एनटीसी द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो 53 पुनरुद्धार वाली मिलों में कार्य कर रहे हैं और 1.4.2004 से देय है।

पोर्टब्लेयर विमानपत्तन का विस्तार

3398. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिक सीट क्षमता वाले विमानों के उड़ने और उतरने के लिए पोर्टब्लेयर विमानपत्तन का विस्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पोर्टब्लेयर विमानपत्तन पर उतर ऐसे विमानों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे विमानों को पोर्टब्लेयर के लिए अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पोर्टब्लेयर हवाईअड्डा एयरबस 320 किस्म के विमान के प्रचालन के लिए अपग्रेड किया गया है और मैसर्स इंडियन एयरलाइंस ने मार्च, 2004 से एबी–320 विमानों के द्वारा प्रचालन आरंभ कर दिया है और यह पोर्टब्लेयर हवाईअड्डे

के लिए एबी–320 विमान के द्वारा प्रतिदिन 1 उड़ान का प्रचालन करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दावा निपटान प्रणाली

3399. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम अपनी दावा निपटान प्रणाली को केन्द्रीयकृत करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि एक ही स्थान/केन्द्र से सभी शाखा कार्यालयों के लिए दावा संबंधी अदायगी का केन्द्रीकरण, करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परिचालन की लागत को कम करने की दृष्टि से निगम एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की योजना बना रहा है जिसके अन्तर्गत 8 से 10 शाखाओं वाले समूह के लिए एक ही स्थान से अदायगी की जा सके। यह प्रायोगिक परियोजना 6 महीने की अवधि के भीतर आरम्भ हो जाएगी।

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

3400. श्री राजेश वर्मा : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न इनहेलर उत्पादकों के गत तीन वर्षों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इन रिपोर्टों से भारी मात्रा में पैसे के अन्यत्र उपयोग का पता चलता है;

(ग) यदि हाँ, तो निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या इस मामले की सूचना प्रतिस्पर्धा आयोग या एम. आर. टी. पी. आयोग को दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिए और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) इनहेलर के निम्नलिखित उत्पादकों से पिछले तीन वर्षों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं : मेसर्स सिपला लिमिटेड, जर्मन रेमेडिज लिमिटेड, सन फार्मेस्यूटीकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रा जिनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, डा. रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मेस्यूटकल्स लिमिटेड।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन

3401. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में इस समय ग्रामीण बैंकों में विशेषतः गुड़गांव ग्रामीण बैंक में मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जा रही परिवार पेंशन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को वर्तमान में दी जा रही पेंशन का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पेंशन की राशि नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी पेंशन दिए जाने के लिए क्या नीति/मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यह नीति किस तिथि से प्रभावी हुई है;

(ङ) क्या इस नीति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है;

(च) यदि हां, तो ऐसी की गयी समीक्षाओं के परिणाम क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस नीति की नए सिरे से समीक्षा करने और इसके स्थान पर नयी नीति लाने का है;

(ज) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोटा हवाई अड्डा

3402. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के कोटा में एक विमानपत्तन है;

(ख) क्या इस विमानपत्तन को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त विमानपत्तन के स्थानांतरण और बिक्री के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मौजूदा हवाईअड्डे को नगर की सीमाओं से बाहर किसी स्थान पर पुनर्स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजस्थान सरकार की ओर से इस हवाईअड्डे को नगर की सीमाओं से बाहर किसी स्थान पर पुनर्स्थापित करने का एक अनुरोध हुआ है।

[अनुवाद]

बांड ट्रेकिंग प्रणाली

3403. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरी बांड ट्रेकिंग प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांड मार्केट में शत-प्रतिशत पारदर्शिता की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार की कोई बांड ट्रैकिंग प्रणाली नहीं है। इसलिए इस प्रणाली में सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2003 में शेयर बाजारों की एक राष्ट्रव्यापी, छद्मनाम, आर्डर संचालित, स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली शुरू की गयी थी।

लोक कल्याण हेतु बजट

3404. श्री एम. अप्पादुरई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक कल्याण हेतु बजट में आबंटित प्रत्येक एक रुपया में से मात्र 17 पैसे आम आदमी के पास पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम आदमी तक बजट आबंटन का सर्वाधिक लाभ पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस बात का संकेत देती हो कि कल्याण योजनाओं पर खर्च किए जाने वाले प्रत्येक रुपए में से केवल सत्रह पैसे लोगों तक पहुंचते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग, कार्यान्वयन मंत्रालयों के साथ मिलकर कल्याण योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बजटीय आबंटनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की मॉनिटरिंग कर रहा है।

बागान क्षेत्र में बैंक से पूंजी की अनुपलब्धता

3405. श्री पी. करुणाकरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बागान क्षेत्र में बैंक से कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ऋण आवक को आसान बनाने के लिए चाय क्षेत्र संबंधी मधुकर समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) बागान क्षेत्र को बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण न तो बंद किए गए हैं और न ही उनमें कोई खास कमी की गई है।

(ग) और (घ) चाय उद्योग की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री मधुकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आर बी आई ने अगस्त, 2002 में एक राहत पैकेज की घोषणा की थी जिसमें वाणिज्यिक बैंकों आदि से चाय क्षेत्र में बकाया ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निधारण का प्रावधान था। बाद में फरवरी, 2003 में आर बी आई ने लघु चाय उत्पादकों तथा क्रीत पत्ती फैक्टरियों के लिए एक पृथक् राहत पैकेज और बड़े चाय उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के लिए अगस्त, 2002 में पहले घोषित किए गए पैकेज में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की थी।

इसके अलावा, फरवरी, 2004 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई बी ए) ने चाय क्षेत्र के लिए एक विशेष चाय सावधि ऋण (एस टी टी एल) योजना तैयार की है। इसमें 5 से 7 वर्ष में वापसी भुगतान और एक वर्ष के ऋण स्थगन काल के साथ चाय क्षेत्र में बकाया सावधि/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित भार के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण की परिकल्पना की गई है। इसे बड़े उत्पादकों पर मामला–दर–मामला आधार पर लागू किया जाएगा। एस टी टी एल में लघु चाय उत्पादकों के लिए 9% से अनधिक दा पर 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी का भी प्रावधान है।

हथकरघा उद्योग

3406. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने हथकरघा उद्योग बंद किए गए;

(ख) उद्योग बंद करने के कारण कितने पुरुष और महिला कर्मचारियों को रोजगार खोना पड़ा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हथकरघा उद्योग के अत्यधिक विकेन्द्रीकृत स्वरूप के होने और देश के विभिन्न भागों में मौसम के अनुसार मांग के कारण यह मंत्रालय बंद इकाईयों से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) हथकरघा उद्योग के समग्र विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु वस्त्र मंत्रालय देश में कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो निम्नवत् हैं :–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
4. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
6. मिल गेट कीमत योजना।
7. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
8. बुनकर कल्याण योजना।
9. बुनकर बीमा योजना।
10. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।
11. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिमूर्ति की योजना।
12. हथकरघा उत्पादों पर 10 प्रतिशत की छूट।

वर्ष 2004 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या-10

3407. श्री विजय कृष्ण : क्या वित्त मंत्री वर्ष 2004 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सं.–10के पृष्ठ – 36 के पैरा 4.1 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2001 में मामला समाप्त कर दिया गया था और 22.49 करोड़ रुपये की मांग की पुष्टि की गई थी तथा मदों का पुनःवर्गीकरण करने हेतु दिनांक 25.10.2001 को एक और परिपत्र सं.–56/2001–सीमा शुल्क जारी करने के क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा शुल्क कर्मचारियों के निहित हितों का पता लगाने हेतु मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सीमा शुल्क आयुक्त (मुंबई) ने अगस्त, 2001 में एक आदेश पारित किया था जिसमें सी टी एच 9404 के अंतर्गत प्रतिवादित माल अर्थात एक्यूप्रेसर मेट्रेसेज को वर्गीकृत किया गया था और 22.49 करोड़ रु. की शुल्क माँग की पुष्टि की गई थी। तथापि उक्त मामला समाप्त नहीं हुआ क्योंकि आयातक ने मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा बोर्ड द्वारा परिपत्र जारी करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई क्योंकि शीर्ष 90.19 अथवा 9404 के अंतर्गत इन सामानों को वर्गीकृत करने की अलग–अलग कार्यप्रणाली थी। पूरे देश में कार्य प्रणाली की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 25.10.2001 को यह परिपत्र जारी किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सामान्य शीर्ष वर्गीकरण को अपनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा परिपत्र जारी करना सामान्य बात है। अतः सीमा शुल्क के कर्मचारियों के निहित स्वार्थ अथवा सरकार को राजस्व क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बचत पर ब्याज दर

3408. श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री पी.के. वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2004 के अंत तक थोक मूल्य 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं जिसके कारण बचत पर वास्तविक ब्याज दर विश्व में सबसे कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ब्याज दर को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि घरेलू बचत को प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था में पूंजी जुटाने में वृद्धि की जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की गई माप के अनुसार, वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दर 26 जून, 2004 को 6.09 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति की ऐसी कोई एकल दर नहीं है जिसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वास्तविक ब्याज दरों की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जो खुदरा मूल्यों को दर्शाता है, विशेष परिस्थितियों में वास्तविक ब्याज दर की गणना के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वास्तविक ब्याज दर यह नहीं दर्शाती हैं कि बचत खातों पर वास्तविक ब्याज दर विश्व में सबसे कम है। बचत खातों, अल्प बचतों और सामान्य भविष्य निधि आदि को छोड़कर ब्याज दरें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। 02 अगस्त, 2004 से सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जो कि "वरिष्ठ नागरिक बचत योजना" कहलाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय की सुरक्षा के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। सरकारी बचत बांड पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का पुनः नामकरण करना

3409. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विमानपत्तनों को पुनः नामकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कुछ विमानपत्तनों का पुनः नामकरण करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) देश में विभिन्न हवाईअड्डों के नाम बदले जाने के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। राजस्थान में जोधपुर में हवाईअड्डे का नाम बदलकर महाराजा उमेद सिंह हवाईअड्डा, बिहार में गया का नाम बदलकर गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा तथा मेघालय में उमराओ (शिलांग) करने के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों को उनके विचारों के लिए भेज दिया गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश में खुजराहो के स्थान पर महाराजा छत्रसाल हवाईअड्डा, उत्तरांचल में देहरादून का नाम वीर चन्द गढ़वाली हवाईअड्डा, गुजरात में भुज पर क्रांतिवीर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा हवाईअड्डा, मेघालय में तुरा में कैप्टन डब्ल्यू.ए. संगमा हवाईअड्डा तथा छत्तीसगढ़ में रायपुर के माना हवाईअड्डे के बदले इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा करने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मिजोरम में लेंगपुई हवाईअड्डे का नाम बदल कर बी.बी. लिंगदोह हवाईअड्डा करने के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। चूंकि यह हवाईअड्डा मिजोरम राज्य सरकार का है। तमिलनाडू में कोयम्बतूर हवाईअड्डे का नाम बदलकर राजीव गांधी हवाईअड्डा करने के एक प्रस्ताव की भी छानबीन की जा रही है।

खान मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं

3410. श्री सूरज सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) से (ग) खान अधिनियम, 1952 तथा खान नियमावली, 1955 के अनुसार श्रमिकों के कल्याण संबंधी सभी सांविधिक प्रावधानों का खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खानों में अनुपालन किया जाता है। तथापि, भारत सरकार ने कोयला खानों में श्रमिकों के लिए कतिपय सांविधिक कल्याण योजनाएं आरंभ की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(i) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 : कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई कोयला खान भविष्य निधि योजना में भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि लाभ देने की व्यवस्था है। कर्मचारीगण कोयला खान भविष्य निधि में अपनी परिलब्धियों का 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा उतनी ही राशि नियोक्ताओं द्वारा अदी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विवाह अग्रिम, मेट्रीकूलेशन के बाद अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि अन्य लाभ हैं।

(ii) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 : कोयला खान पेंशन योजना, 1988, कोयला श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर 31.3.1998 से अस्तित्व में आई। इस योजना में केन्द्रीय सरकार का अंशदान सांविधिक प्रकृति का होता है जोकि वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान 26.6650 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए संभावित व्यय 29.86 करोड़ रुपए होगा।

(iii) कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976: कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 को 1 अगस्त, 1976 से लागू किया गया था। इस योजना में यह प्रावधान है कि यदि किसी सदस्य की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस सदस्य के आश्रितों को, सदस्य के भविष्य निधि खाते में पिछले तीन वर्षों की शेष जमा राशि के औसत के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाए, जो अधिकतम 10,000/-रुपए है। इस योजना के अनुसार नियोक्ताओं को इस योजना में सकल मजदूरी के 0.5% की दर से अंशदान करना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार को भी नियोक्ताओं द्वारा किये गये अंशदान के 50% के बराबर की राशि का अंशदान करना होता है। जमा सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन की लागत नियोक्ताओं द्वारा वहन की जाती है जोकि इस प्रयोजन के लिए सकल मजदूरी के 0.1% का

अंशदान करते है। सरकार को इस प्रयोजन के लिए भी नियोक्ताओं के अंशदान के 50% का अंशदान करना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार का अंशदान, सांविधिक प्रकृति का है और वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए यह 1.5650 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए संभावित व्यय 1.60 करोड़ रुपए होगा।

(iv) सरकार की सांविधिक योजनाओं के अतिरिक्त, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। इनमें आवास, शिक्षा, जलापूर्ति, सहकारी समितियां, बैंकिंग सुविधाएं, चिकित्सा, खेलकूद आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

मुख्य न्यायाधीश को अधिक अधिकार देना

3411. श्री जी. वेंकटस्वामी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों द्वारा विरोध में सामूहिक छुट्टी पर चले जाने की हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में दोषी न्यायाधीशों से निपटने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिक अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल्कों में वी.आर.एस.

3412. श्री चन्द्रशेखर दूबे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल्को के कितने कर्मचारियों ने वर्ष 2001 से 31.3.2004 तक वी.आर.एस. का विकल्प चुना है;

(ख) क्या निजीकरण के बाद बाल्को के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की भारी संख्या में छंटनी की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजीकरण के बाद बाल्को लाभ कमा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और 2001–2004 तक बाल्को को हुई हानि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बाल्को अभी भी सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 से 31.3.2004 तक कुल 2740 कर्मचारियों ने वी.आर.एस. का विकल्प चुना जिनमें से 2207 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) बालको ने सूचित किया है कि विनिवेश और 2.3.2001 को प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण के पश्चात बालको के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग या अन्य श्रेणी के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) 31.3.2001 को समाप्त वित्तीय वर्ष को छोड़कर, बालको विनिवेश के बाद निरंतर लाभ कमा रहा है। विनिवेश के पश्चात वर्ष 2003–04 तक बालको का लाभ / (हानि) निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

को समाप्त वर्ष	कर पश्चात लाभ / (हानि)
31.3.2001	(4303.61)
31.3.2002	1875.93
31.3.2003	6449.26
31.3.2004	6748.27

बालको के कामगार बालको के विनिवेश के खिलाफ 3 मार्च, 2001 को 67 दिन की हड़ताल पर चले गए जिसके फलस्वरूप उत्पादन और बिक्री में गिरावट आ गई। इसके परिणामस्वरूप, 31.3.2001 को समाप्त वर्ष में हानि हुई और 31.3.2002 को समाप्त वर्ष में मामूली लाभ हुआ।

(च) से (ज) कम्पनी के कोरबा स्थित संयंत्र और इसकी खानों में 67 दिन की हड़ताल के प्रभाव की वजह से हुई हानि के मद्देनजर 31.3.2001, 31.3.2002 और 31.3.2003 को समाप्त वर्षों के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई। बालको ने 31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए 5% की दर से लाभांश घोषित किया है और भारत सरकार को 5,40,53,002.50 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि अवसंरचना और क्रेडिट निधि का सृजन

3413. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि अवसंरचना और क्रेडिट निधि का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है;

(ग) उक्त एजेंसी द्वारा कितना रोजगार दिए जाने की संभावना है और क्या इसके लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति की गई है;

(घ) इससे किसानों को किस तरीके से लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) एजेंसी द्वारा कब से काम शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सरकार द्वारा कृषि आधारित एवं ऋण निधि (एआईसीएफ) स्थापित करने की घोषणा जनवरी, 2004 में की गई थी तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निधि का परिचालन 17 फरवरी, 2004 को किया गया था। एआईसीएफ के परिचालन में आने से ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) बन्द कर दी गई थी। निधि स्थापित करने का उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में निवेश बढ़ाना था। आरआईडीएफ के तहत मूल रूप से शामिल की गई विभिन्न गतिविधियों को नई निधि में बनाए रखा गया था और अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल की गई थीं। तथापि, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में सरकार ने मामले की समीक्षा की और शामिल की जाने वाली गतिविधियों में कुछ संशोधन करते हुए आरआईडीएफ को 8 जुलाई, 2004 को पुनः लागू किया और एआईसीएफ को समाप्त कर दिया गया था। तब से वर्ष 2004–05 के लिए आरआईडीएफ–X परिचालित कर दी गई है जिसकी निधि 8000 करोड़ रु. है। विभिन्न राज्यों में ग्रामीण अवसंरचना विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ से निधियां दी जानी जारी रहेंगी। एआईसीएफ के परिचालन एवं कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नाबार्ड को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। आरआईडीएफ लागू होने से, नाबार्ड आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता रहेगा।

एस.आर.टी.आई. द्वारा ईजाद किया गया यंत्र

3414. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, मैसूर के वैज्ञानिकों द्वारा चेरियोफिलोसिस समूह के पौधों से एसिडीस्टराइड निकालने हेतु ईजाद किए गए यंत्र का ब्यौरा क्या है जिसके लिए इन वैज्ञानिकों को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद् (एन.आर.डी.सी.) द्वारा पुरस्कृत किया गया है; और

(ख) रेशम पालन में उक्त ईजाद की वाणिज्यिक संभाव्यता क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर के वैज्ञानिकों ने कैरिओफिलेसिआ परिवार के पादपों की पहचान कर ली है और एक्डीस्टराइड निकालने की तकनीक पूरी कर ली है। व्यापक स्तर पर रेशमकीट पर इस अर्क को उचित मात्रा में लगाने के लिए एक सरलीकृत तकनीक भी विकसित की गई है ताकि सभी रेशमकीट आशोधन के 18–14 घंटों के भीतर कोया बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें अन्यथा स्वाभाविक अवधि में लगभग तीन दिन लगेंगे। इस प्रौद्योगिकी से श्रम और पत्तियों की खपत कम होती है, किसान प्रक्रिया पर नियंत्रण रख पाते हैं और अपने रेशमकीट पालन को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से संभाल पाते हैं और कोया निर्माण में एकरूपता भी बढ़ती है जिससे उच्च गुणवत्ता वाली ग्रेडिंग प्राप्त होती है। यह लागत प्रभावी है क्योंकि इससे किसान द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए सात रुपये मिलते हैं।

(ख) इस प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस बेंगलूर स्थित विनिर्माण कंपनी मैसर्स सेरिकेयर को दिया गया है और उत्पाद को "संपूर्ण" व्यापारिक नाम से बाजार में बेचा जा रहा है। इस उत्पादन का मूल्य प्रतिस्पर्धी रूप में रखा गया है और यह बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गया है। अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष लगभग 260 कि.ग्रा. एक्डीस्टराइड की आवश्यकता है। इसकी तुलना में, उत्पादन दो अंक से भी आगे नहीं बढ़ा है। अतः इस उत्पादन की वाणिज्यिक संभावना वास्तव में बहुत ज्यादा है।

[हिन्दी]

बाल्को संयंत्र, कोरबा का विस्तार

3415. श्रीमती करुणा शुक्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबा जिले में स्थित बाल्को संयंत्र का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो माह के दौरान विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों हेतु समुचित सुरक्षा मानदंडों की कमी के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (बालको) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा में केपटिव पावर प्लान्ट (सी.पी.पी.) के साथ–साथ एक नया समेलटर की स्थापना कर रहे हैं। स्मेलटर 2,45,000 एम.टी. क्षमता का होगा जिससे बालको की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 3,45,000 एम.टी. तथा सी.पी.पी. की क्षमता 540 मेगावाट हो जाएगी।

(ग) और (घ) बालको प्रबंधन ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गए कामगारों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में पिछले दो माह के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग को डी.ई.पी.बी. के अंतर्गत निर्यात लाभ को पुनः बहाल करना

3416. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री विजय कृष्ण :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

श्री गुरूदास दासगुप्त :

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग हेतु शुल्क हकदारी पास बुक सुविधा पुनः बहाल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात उद्योग को यह लाभ कब से दिया गया है;

(घ) क्या इस्पात उद्योग हेतु यह सुविधा पुनः बहाल करने से इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू बाजार में इस्पात की मदों के मूल्य में वृद्धि होगी;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू बाजार में किस प्रकार से इस्पात उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(च) डी.ई.पी.बी. योजना के निर्यात लाभों को पहले समाप्त करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण शुल्क में संशोधन

3417. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमानपत्तनों और विमानों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण शुल्क में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके विमान किरायों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारत के राजपत्र के दिनांक 10.7.2004 में जीएसआर 228 के रूप में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें एक विमानक्षेत्र तथा विमान के पंजीकरण के लिए लाइसेंस की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण सहित विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों के लिए शुल्कों में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रस्ताव के लिए आपत्तियां अथवा सुझाव मांगे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है चूंकि कुछ मामलों में शुल्क ढांचे में एक दशाब्दी से परिवर्तन नहीं हुआ था तथा कुछ मामलों में यह बहुत थोड़ा था।

(ग) विमान किराए मांग/आपूर्ति, मौसमीयता जैसे विभिन्न परस्पर कारकों, उत्पाद, विशेषताओं जैसे आवृति, समय प्रचालनों की प्रकृति इत्यादि। इसलिए इन प्रभारों को संशोधन से विमान किराये पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नजर नहीं आती है।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने हेतु सिफारिश

3418. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सिफारिश पर क्या विचार किया जा रहा है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों की संख्या में और कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय/विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) वित्त सुधार आयोग का गठन 28.2.2000 को हुआ तथा इसका समापन 30.9.2001 को हुआ। इसने 36 मंत्रालयों/विभागों का कवर करते हुए कुल 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिनमें समाप्ति के लिए 42,000 पदों को अभिचिन्हित किया गया। आगे छानबीन के बाद मंत्रालयों/विभागों ने केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय निकायों में 24,326 पदों को समाप्त किए जाने के लिए अभिचिन्हित किया। अभी तक 18,682 पद समाप्त किए जा चुके हैं। श्रेणी–वार ब्यौरे नहीं रखे गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने 16.5.2001 को सीधी भर्ती को वार्षिक सीधी भर्ती रिक्तियों के 1/3 तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए, बशर्ते कि यह संख्या विभाग की कुल संख्या के एक प्रतिशत से ज्यादा न हो। अब तक करीब 87,000 पद समाप्ति के लिए तथा 36,000 पद भरे जाने के लिए अभिचिन्हित किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकारी तंत्र को कम करना/सरकारी तंत्र को सही आकार देना, जिससे कि गैर–योजना तथा गैर–विकासात्मक प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सके, एक अनवरत प्रक्रिया है। व्यय सुधार आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा नहीं की थी।

उड़ीसा के तट पर सोने का खनन

3419. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के अपतटीय क्षेत्र में सोना पाए जाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोने की व्यवहार्यता का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वहां पर सोने का खनन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) खान विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा के अपतट में स्वर्ण मिलने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं। उड़ीसा राज्य में स्वर्ण की व्यवहार्यता का आकलन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) उड़ीसा के तट में अभी तक किसी भी एजेंसी द्वारा कोई व्यवहार्य स्वर्ण-धारी खनन योग्य ब्लॉक प्रमाणित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार इन खनिजों का गवेषण और दोहन निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है और इसलिए खनिज की आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार खनिजों का वाणिज्यिक दोहन किया जाता है।

रेल सुरक्षा आयोग द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट

3420. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल सुरक्षा आयोग द्वारा कितनी दुर्घटना जांच रिपोर्ट तैयार की गई;

(ख) क्या इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ये किसी प्रकार से जनता के लिए उपलब्ध हैं; और

(घ) रेल सुरक्षा आयोग को नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल संरक्षा आयोग द्वारा रेल दुर्घटनाओं की जांचों की संख्या तथा इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की संख्या नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	वर्ष	जांच रिपोर्टों की संख्या
(1)	2001-02	28
(2)	2002-03	35
(3)	2003-04	33
(4)	2004-05 (31.7.2004 तक)	01
	कुल	97

(ख) रेल दुर्घटना नियम, 1998 में सर्वाधिक जांच के नियम 4 के अनुसार रेल जांच रिपोर्टें गोपनीय होती हैं। तथापि, रिपोर्टों को जनता को उस समय उपलब्ध करा दिया जाता है जब मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेलवे बोर्ड प्रकाशन पर सहमत हो जाते हैं। तथापि, इन रिपोर्टों को केवल तभी जनता को उपलब्ध कराया जाता है जब कोई अभियोजन लम्बित न हो अथवा कोई संभावित अभियोजन न हो और यदि कोई अभियोजन है तो ऐसा सभी न्यायालय कार्रवाई की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) सरकार ने उन दुर्घटनाओं की उद्धरण रूप में जांच रिपोर्टों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है जो वर्ष 1999-2000 से आगे के वर्षों में हुई थी तथा जिनके बारे में सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। इनका प्रकाशन छः महीने की आवधिक पत्रिका के रूप में किया जा रहा है जिन्हें संसद पुस्तकालय, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, सूचना केन्द्रों, चेम्बर ऑफ कामर्स, चुने हुए पुस्तकालयों तथा डाक सूची के अनुसार अन्य संगठनों को भेजा जाता है।

(घ) इसके कार्यकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा रेलवे बोर्ड के अधीन आयोग के प्रत्यक्ष अधीनस्थता से बचने के लिए भी आयोग को नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रखा गया है।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3421. श्री देविदास पिंगले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय सिक्यूरिटी प्रेस/करेंसी नोट प्रेस, नासिक द्वारा कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर शीघ्र नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारत सिक्योरिटी प्रेस/करेंसी नोट प्रेस, नासिक के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार दी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लिमिटेड कंपनियों में रोजगार

3422. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कंपनियों में प्रत्येक में कार्यरत कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन लिमिटेड कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलँगोवन) : (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, देश में राज्य–वार लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 2001–02 के लिए किए गए नवीनतम 'उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण' के परिणामों के अनुसार, देश में पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के तहत 44087 फैक्टरियां हैं, जिनमें 48.11 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) उम्मीदवारों द्वारा अपने नामों का पंजीकरण अपने आवासीय पते के अनुसार स्थानीय रोजगार कार्यालयों (इम्पलायमेंट एक्सचेंजस्) में करवाया जाता है। फैक्टरियां और दूसरे संगठन संबंधित रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की सूचना देते हैं और ये रोजगार कार्यालय इन रिक्तियों के प्रति उम्मीदवारों की वरिष्ठता के अनुसार उनके नाम प्रायोजित करते हैं, किन्तु रोजगार कार्यालयों के जरिये अथवा दूसरे स्रोतों के जरिये रिक्तियां भरने का कार्य नियोजक पर निर्भर करता है।

विवरण-I

कंपनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	पब्लिक	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6437	35104	41541
2.	असम	587	4104	4691
3.	बिहार	1530	8383	9913
4.	गुजरात	5633	36177	41810
5.	हरियाणा	700	5440	6140
6.	हिमाचल प्रदेश	348	1806	2154
7.	जम्मू और कश्मीर	206	1767	1973
8.	कर्नाटक	2680	28155	30835

1	2	3	4	5
9.	केरल	1459	13107	14566
10.	मध्य प्रदेश	1881	13431	15312
11.	महाराष्ट्र	12208	128836	141044
12.	मणिपुर	43	144	187
13.	मेघालय	70	383	453
14.	नागालैण्ड	14	294	308
15.	उड़ीसा	901	6077	6978
16.	पंजाब	2207	12709	14916
17.	राजस्थान	1634	15806	17440
18.	तमिलनाडु	7937	49061	56998
19.	त्रिपुरा	11	82	93
20.	उत्तर प्रदेश	5102	20756	25858
21.	पश्चिम बंगाल	10694	66485	77179
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	9	10
23.	अरुणाचल प्रदेश	11	252	263
24.	चंडीगढ़	1337	5343	6680
25.	दादरा और नागर हवेली	36	119	155
26.	दिल्ली	13161	106545	119706
27.	गोवा	314	2583	2897
28.	दमन और दीव	34	84	118
29.	लक्षद्वीप	0	1	1
30.	मिजोरम	2	33	35
31.	पांडिचेरी	202	1056	1258
कुल योग		77380	564132	641512

टिप्पणी : झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में स्थित कंपनियों के आंकड़े क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में शामिल किये गये हैं।

विवरण-II

लिमिटेड कंपनियों के तहत फैक्टरियों की संख्या और नियोजित व्यक्ति उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2001–02

राज्य		पब्लिक लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड	योग
1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	फैक्टरियां	32	58	90
	व्यक्ति	10955	4424	15379
हिमाचल प्रदेश	फैक्टरियां	87	205	292
	व्यक्ति	18739	12041	30780
पंजाब	फैक्टरियां	382	976	1358
	व्यक्ति	125581	52818	178399
चंडीगढ़	फैक्टरियां	8	96	104
	व्यक्ति	363	5102	5465
उत्तरांचल	फैक्टरियां	81	143	224
	व्यक्ति	24670	4847	29517

1	2	3	4	5
हरियाणा	फैक्टरियां	615	1135	1750
	व्यक्ति	135939	64579	200518
दिल्ली	फैक्टरियां	212	1047	1259
	व्यक्ति	19863	41841	61704
राजस्थान	फैक्टरियां	560	1461	2021
	व्यक्ति	97128	53747	150875
उत्तर प्रदेश	फैक्टरियां	1024	2399	3423
	व्यक्ति	194057	109136	303193
बिहार	फैक्टरियां	75	178	253
	व्यक्ति	12686	12264	24950
नागालैण्ड	फैक्टरियां	1	16	17
	व्यक्ति	271	444	715
मणिपुर	फैक्टरियां	1	3	4
	व्यक्ति	0	130	130
त्रिपुरा	फैक्टरियां	4	22	26
	व्यक्ति	1434	1049	2483
मेघालय	फैक्टरियां	2	9	11
	व्यक्ति	596	455	1051
असम	फैक्टरियां	142	532	674
	व्यक्ति	29857	49677	79534
पश्चिम बंगाल	फैक्टरियां	854	2085	2939
	व्यक्ति	285719	106350	392069
झारखंड	फैक्टरियां	127	305	432
	व्यक्ति	54673	28970	83643
उड़ीसा	फैक्टरियां	119	486	605
	व्यक्ति	24311	28214	52525
छत्तीसगढ़	फैक्टरियां	170	219	389
	व्यक्ति	66801	9125	75926
मध्य प्रदेश	फैक्टरियां	487	699	1186
	व्यक्ति	105332	38292	143624
गुजरात	फैक्टरियां	1807	3453	5260
	व्यक्ति	323189	178527	501716

1	2	3	4	5
दमन और दीव	फैक्टरियां	163	371	534
	व्यक्ति	12380	15242	27622
दादरा और नगर हवेली	फैक्टरियां	257	360	617
	व्यक्ति	31132	14629	45761
महाराष्ट्र	फैक्टरियां	2144	5417	7561
	व्यक्ति	502255	262488	764743
आन्ध्र प्रदेश	फैक्टरियां	1151	1870	3021
	व्यक्ति	342258	202888	545146
कर्नाटक	फैक्टरियां	705	2202	2907
	व्यक्ति	146099	148077	294176
गोवा	फैक्टरियां	152	175	327
	व्यक्ति	16433	8009	24442
केरल	फैक्टरियां	513	744	1257
	व्यक्ति	92197	31382	123579
तमिलनाडु	फैक्टरियां	1819	3410	5229
	व्यक्ति	362926	263491	626417
पांडिचेरी	फैक्टरियां	151	157	308
	व्यक्ति	17744	6782	24526
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	फैक्टरियां	4	7	11
	व्यक्ति	360	245	605
अखिल भारत	फैक्टरियां	13848	30239	44087
	व्यक्ति	3055948	1755262	4811210

टिप्पणियां :

i. औद्योगिक इकाइयों से आंकड़े एकत्र करने की संदर्भ अवधि, 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 के बीच किसी भी दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

ii. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2001–02 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के लिए लागू है।

iii. औद्योगिक एककों की दृष्टि से, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2ड (i) और 2ड (ii) के तहत पंजीकृत ऐसी सभी फैक्टरियां जो बिजली का प्रयोग करती हैं और जिनमें 10 अथवा अधिक कामगार नियोजित हैं तथा वे फैक्टरियां जो बिजली के बिना अथवा बिजली से काम करती हैं और जिनमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 अथवा अधिक कामगार नियोजित थे;

(ख) बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत बीड़ी और सिगार विनिर्माता स्थापनाएं जो बिजली का प्रयोग करती हैं और जिनमें 10 या अधिक कामगार नियोजित हैं तथा जो बिजली से अथवा बिना बिजली के काम करती हैं और जिनमें 20 अथवा अधिक कामगार नियोजित हैं, तथा

(ग) कुछ विशेष सेवाएं और कार्यकलाप, जैसे कोल्ड स्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहन तथा घड़ी आदि जैसी दूसरी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत।

भारतीय निर्यात में गिरावट

3423. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात व्यापार में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, उसकी मात्रा और कीमत क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न संवर्धन परिषदों से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्ष 2001–02 में 16% की गिरावट दर्ज करने के बाद भारत के निर्यातों में वर्ष 2002-03 और 2003-2004 के दौरान और क्रमशः 20.29% और 20.36% की वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान निर्यातों का मूल्य क्रमशः 43.82 बिलियन अमरीकी डॉलर, 52.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 63.45 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था। चालू वर्ष के अप्रैल– जून के दौरान निर्यात 16.49 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के हुए हैं जिनमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27.96% की वृद्धि दर दर्ज हुई है।

(घ) से (च) निर्यात संवर्धन निकायों के साथ निरंतर विचार विनिमय किया जाता है और सरकार द्वारा नीतियां तैयार करते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

निर्यात संवर्धन हेतु कार्य योजना

3424. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष कार्य–योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है जिनके द्वारा बुनियादी संरचना विकास, आधुनिक पैकेजिंग इकाइयों, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास तथा बाजार विकास के लिए वस्तु बोर्डों, निर्यात संवर्धन परिषदों और प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय तथा अन्य सहायता के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। कृषि उत्पादों के निर्यातों की सरकार द्वारा एजेंसियों के माध्यम से सतत आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

गुजरात में अलंग शिप रिसाइक्लिंग यार्ड पर विस्फोटक विभाग

3425. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात में अलंग शिप रिसाइक्लिंग यार्ड पर विस्फोटक विभाग का एक अलग कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में शिप तोड़ने के कार्यकलाप पैट्रोलियम नियमावली, 2002 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। गुजरात में अलंग शिप रिसाईक्लिंग यार्डों में विस्फोटक विभाग का एक अलग कार्यालय खोलने के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा सकती है और कानून में संबंधित उपबंध करने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जा सकता है।

अमृतसर विमानपत्तन का उपयोग

3426. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का क्षमता से कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन का इसकी पूर्ण क्षमता से उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) अमृतसर हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, अमृतसर हवाईअड्डे पर प्रचालित विमान सेवाओं की संख्या के अनुरूप हैं। तथापि, किसी भी हवाईअड्डे की ईष्टतम उपयोगिता उस हवाईअड्डे पर विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्रचालित की जा रही विमान सेवाओं के प्रचालन पर निर्भर करती है। एयरलाइनें मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर यातायात आवश्यकताओं तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर अपनी उड़ानों की योजना बनाती हैं।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प योजनाओं के लिए अनुदान

3427. श्री इलियास आज़मी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की अनुमोदित हस्तशिल्प योजनाओं की संख्या में तथा उन्हें प्रदत्त अनुदानों में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों की समाप्त होने के कगार पर पहुंची योजनाओं सहित विभिन्न हस्तशिल्प योजनाओं के लिए अनुमोदित अनुदानों के संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य शिल्पों की तुलना में जरी उत्पादों तथा कृत्रिम आभूषण के विकास और इन उत्पादों की बिक्री हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई और उपर्युक्त शिल्पों में लगे हुए उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों की संख्या के अनुपात में कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी नहीं। हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए सरकार की योजनाएं राज्य विशिष्ट नहीं हैं। इन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपेक्स सोसायटियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के मार्फत सहायता अनुदान योजनाओं के रूप में पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। बजट का आबंटन राज्य-वार तैयार नहीं किया जाता। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां उनके प्रस्तावों की मेरिट के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता को देखते हुए मंजूर की जाती है। हस्तशिल्प के विकास एवं संवर्धन के लिए इस समय जो योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं उनके नाम हैं: बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); डिज़ाइन और प्रोद्यौगिकी उन्नयन; विपणन और सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण और विस्तार; अनुसंधान और विकास, बीमा योजना; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/एपेक्स सोसायटियों इत्यादि को वित्तीय सहायता। इन योजनाओं के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न एजेंसियों को जारी की गई राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)
2001-02	262.94
2002-03	329.87
2003-04	321.37

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना-वार जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) किसी भी राज्य विशेष में कारीगरों की जनसंख्या के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जरी उत्पादों, नकली आभूषणों और इन उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ अन्य शिल्पों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशियों के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं :-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उत्तर प्रदेशों में जरी उत्पादों और नकली आभूषणों के विकास तथा उनकी बिक्री के लिए मुहैया कराई गई राशि	उत्तर प्रदेश में अन्य शिल्पों के लिए मुहैया कराई गई राशि
2001-02	27.64	235.30
2002-03	47.27	282.60
2003-04	31.21	290.16

विवरण

वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अधीन जारी की गई राज्य–वार, योजना–वार निधियां।

(क) 2001–02 के दौरान जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	ई पी	विपणन सहायता	प्रदर्शनी	प्रचार	डिज़ाइन	प्रशिक्षण	विपणन विकास	सर्वेक्षण अध्ययन	कल्याण योजना	यूएनडीपी	सीडीसी/ सीएफसी	एएचवी वाई	सभी योजना का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्र प्रदेश	0.00	2.50	11.71	4.59	0.00	6.21	46.70	4.83	11.14	11.00	0.00	17.60	116.28
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.09	0.00	196.11	0.00	1.73	197.84
4	असम	2.25	18.71	8.22	8.35	10.00	1.32	24.51	9.19	13.60	0.00	3.40	34.05	133.60
5	बिहार	0.00	0.00	4.17	0.21	5.50	9.46	2.51	0.00	0.00	60.21	0.00	0.25	82.31
6	दिल्ली	243.87	0.00	29.04	166.33	6.21	21.42	19.17	26.99	0.15	0.00	0.00	3.06	516.24
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
8	गुजरात	0.00	0.00	20.62	2.16	21.89	7.02	12.11	5.23	2.25	0.00	0.00	12.92	84.20
9	हरियाणा	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	34.45
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	7.50	11.58	1.28	0.00	10.14	10.00	0.00	0.00	21.70	7.12	26.73	96.05
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.27	57.92	1.91	1.77	62.81
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	14.95	5.86	0.58	0.45	3.38	5.62	0.00	5.60	0.00	0.00	5.60	42.04
13	कर्नाटक	0.00	7.50	2.40	1.91	0.00	1.49	29.10	0.00	1.33	40.72	3.62	7.55	95.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	केरल	0.00	0.00	2.39	0.14	0.00	1.76	9.99	0.00	0.14	0.00	0.00	6.37	20.79
15	मध्य प्रदेश	2.36	10.22	13.72	6.40	9.50	16.49	23.44	0.00	0.00	14.95	0.00	41.62	138.70
16	महाराष्ट्र	0.00	000	10.72	0.00	0.00	4.37	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	54.68
17	मणिपुर	0.00	0.00	3.20	1.58	1.47	3.34	0.00	0.00	21.14	0.00	3.28	0.54	34.55
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.03	1.20	0.00	0.00	1.20	0.54	0.00	0.00	0.45	4.42
19	मिजोरम	0.00	0.00	3.56	1.98	10.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	20.42
20	नागालैंड	0.00	3.70	5.60	0.00	18.70	1.76	7.91	0.00	17.65	0.00	1.23	7.00	63.55
21	उड़ीसा	0.00	0.00	8.71	3.90	2.00	22.22	2.97	1.22	21.78	0.00	0.00	14.62	77.42
22	पंजाब	0.00	000	0.00	0.00	0.00	12.68	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	30.33
23	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	5.89
24	राजस्थान	0.00	9.44	5.58	2.60	0.00	0.98	5.00	0.23	0.00	0.00	0.00	24.65	48.48
25	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	10.47	0.00	0.00	10.81
26	तमिलनाडु	200	0.00	1.20	0.00	0.45	1.67	11.02	0.00	0.74	0.00	0.00	18.00	35.08
27	त्रिपुरा	0.00	14.68	12.98	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	5.30	5.29	46.60
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	28.74	9.66	18.80	54.66	74.20	3.19	14.00	0.00	7.87	51.82	262.94
29	उत्तरांचल	0.00	000	2.38	0.00	0.00	14.19	5.00	0.00	16.70	0.00	8.46	4.25	50.98
30	पश्चिम बंगाल	000	1.00	5.34	3.36	1.00	2.20	11.72	3.05	2.97	0.00	9.00	23.01	62.65
31	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	5.36	0.00	137.35	0.00	/ 000	31.15	185.18
	कुल	250.48	90.20	200.04	227.38	108.17	201.77	371.55	55.22	274.70	413.08	51.19	374.95	2618.73

वर्ष 2002–03 के दौरान जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एएचवीवाई	ईपी	आर एण्ड डी	डिज़ाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	यूएनडीपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	23.60	15.3	2.00			59.02	1.64	35.38	136.94
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00					0.00			0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	7.25				1.19	5.21			13.65
4	असम	28.61			4.75	2.32	76.69		99.99	212.36
5	बिहार	1.40			8.00		2.40			11.80
6	छत्तीसगढ़	0.00			5.00		5.09			10.09
7	चण्डीगढ़	0.00					6.44			6.44
8	दिल्ली	22.35	301.21	57.47		0.95	106.78		271.08	759.84
9	गोवा	0.00			128.15			0.00		128.15
10	गुजरात	8.94		8.90	7.62	3.59	6.37			35.42
11	हरियाणा	17.52			0.50	8.37	13.85			40.24
12	हिमाचल प्रदेश	25.97			1.50	6.95	81.90			116.32
13	जम्मू और कश्मीर	64.76	3.94		1.00	1.68	36.2			107.58
14	झारखंड	6.42				1.25	1.20			8.87
15	कर्नाटक	6.14		8.11	0.35		11.82		6.32	32.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	केरल	10.88			0.10		2.02		11.68	24.68
17	मध्य प्रदेश	52.43	10.55		8.00	5.05	49.91		20.94	146.88
18	महाराष्ट्र	10.94		5.16			32.47		8.09	56.66
19	मणिपुर	6.98				3.03	17.51		12.69	40.21
20	मेघालय	3.56					0.35		12.69	16.60
21	मिजोरम	0.00					4.98		12.69	17.67
22	नागालैंड	21.94	9.82		5.00	1.00	6.65	0.55	83.37	128.33
23	उड़ीसा	62.47		1.71	1.10		25.15			90.43
24	पंजाब	12.93				2.87	4.78			20.58
25	पाण्डिचेरी	0.00					1.10			1.10
26	राजस्थान	28.52			10.95		29.46			68.93
27	सिक्किम	0.00					0.00			0.00
28	तमिलनाडु	8.92	6.89		1.00	0.53	16.41			33.75
29	त्रिपुरा	17.17			1.00		1.60		12.69	32.46
30	उत्तर प्रदेश	81.36	9.00		0.50	25.79	121.82	7.40	84.00	329.87
31	उत्तरांचल	13.15				7.18	18.42			38.75
32	पश्चिम बंगाल	49.66	7.95	6.00	0.12	0.32	10.83			74.88
	कुल	593.87	364.7	89.35	184.64	72.07	756.43	9.59	671.61	2742.22

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एएचवीवाई	ईपी	आर एण्ड डी	डिज़ाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	बीमा योजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	147.20	12.36	0.00	1.88	0.00	48.35	2.25		212.04
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
3	अरुणाचल प्रदेश	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96		28.12
4	असम	151.53	4.17	0.00	32.45	0.00	51.03	28.11		267.29
5	बिहार	5.54	0.00	0.00	1.80	0.00	0.73	1.57		9.64
6	छत्तीसगढ़	17.92	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.54		22.58
7	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.1	0.00		15.10
8	दिल्ली	32.39	845.36	40.23	79.83	0.17	149.21	0.48		1147.67
9	गोवा	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27		2.77
10	गुजरात	71.14	5.89	0.00	22.89	0.00	7.80	1.08		108.8
11	हरियाणा	25.14	0.00	5.03	3.19	0.00	22.44	1.44		57.24
12	हिमाचल प्रदेश	48.23	0.00	0.00	14.90	5.69	60.90	1.18		130.9
13	जम्मू और कश्मीर	40.61	0.00	0.00	107.61	0.00	141.88	2.88		292.98
14	झारखंड	6.46	0.00	0.00	4.00	0.00	0.98	0.54		11.98
15	कर्नाटक	38.71	0.00	0.00	11.00	0.00	20.39	1.98		72.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	केरल	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	2.52		89.28
17	मध्य प्रदेश	66.23	12.72	3.00	23.70	0.00	36.8	1.62		144.07
18	महाराष्ट्र	23.65	28.86	0.00	28.60	0.00	42.46	0.54		124.11
19	मणिपुर	20.01	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00		33.61
20	मेघालय	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	2.10		7.70
21	मिजोरम	15.82	0.00	0.00	15.00	0.00	2.81	0.00		33.63
22	नागालैंड	30.11	0.00	0.00	23.34	0.00	38.23	1.56		93.24
23	उड़ीसा	79.14	0.00	0.00	18.00	0.00	42.28	1.08		140.5
24	पंजाब	34.47	0.00	0.00	1.80	7.15	0.00	1.44		44.86
25	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48		0.48
26	राजस्थान	64.69	0.00	0.00	52.00	0.00	78.99	0.96		196.64
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28	तमिलनाडु	33.45	19.32	0.00	4.88	0.00	15.19	1.71		74.55
29	त्रिपुरा	34.97	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	1.44		39.51
30	उत्तर प्रदेश	152.04	24.18	18.90	28.15	12.22	52.13	33.75		321.37
31	उत्तरांचल	59.78	0.00	9.31	0.90	0.00	39.36	228		111.63
32	पश्चिम बंगाल	78.15	18.36	0	49.70	0.00	44.21	524		195.66
	कुल	1386.26	971.22	76.47	546.44	25.23	924.41	100.00	*60.00	4030.03

* समस्त देश के कारीगरों के लिए प्रिमीयम हेतु विकास अनुपात (ह.) कार्यालय के अंश के रूप में दी जाने वाली 60 लाख रुपये की राशि का लाइफ कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अग्रिम रूप में भुगतान किया गया।

नाबार्ड से सहायता

3428. श्री छत्तर सिंह दरबार :

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से सिंचाई परियोजनाओं, लघु सिंचाई टैकों के निमार्ण, सड़कों तथा पुलों के निर्माण इत्यादि जैसी कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यवार, परियोजना–वार तथा वर्ष–वार प्राप्त हुए हैं;

(ख) नाबार्ड द्वारा राज्य–वार कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य से कितना ब्याज लिया गया;

(घ) क्या राज्य सरकार ने ब्याज दरों में कमी/माफी हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, लघु सिंचाई टैंकों का निर्माण, सड़क और पुलों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान मंजूर परियोजनाओं की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है।

(ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जारी राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(ग) आरआईडीएफ की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर नीचे दर्शाइ गई है :

श्रेणी	ब्याज दर (%)
आरआईडीएफ–I	13
आरआईडीएफ–II	12
आरआईडीएफ–III	12
आरआईडीएफ–IV	7
आरआईडीएफ–V	7
आरआईडीएफ–VI	7
आरआईडीएफ–VII	7
आरआईडीएफ–VIII	6.5
आरआईडीएफ–IX	6.5

(घ) और (ङ) आरआईडीएफ के अंतर्गत ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आरआईडीएफ के अंतर्गत ब्याज दर में कटौती के विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज में कटौती करके इसे 1 नवम्बर, 2003 से 12.0–% (आरआईडीएफ–IV एवं V), 11.5% (आरआईडीएफ–VI) तथा 11.0% (आरआईडीएफ–VII) से एक समान रूप से 7.0% कर दिया है। आरआईडीएफ–VIII और उसके आगे के अंतर्गत आने वाली ब्याज दर/उधार दर बैंक–दर अर्थात बैंक दर से 0.5% अधिक से जोड़ी जाती है। इस प्रकार आरआईडीएफ–VIII और उसके आगे के अंतर्गत आने वाली वर्तमान उधार दर 6.5% है क्योंकि वर्तमान बैंक दर 6% है।

विवरण-I

वर्ष 2001–02 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(मंजूरियां करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई		पुल		सड़कें		अन्य		कुल	
		सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	1848	133.16	42	48.24	229	179.08	762	265.91	2881	626.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	36.6	2	32.8	5	69.4
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	124	43.98	53	33.41	1	1.37	0	0	178	78.76
5	गोआ	6	4.48	3	0.62	60	10.7	0	0	69	15.8
6	गुजरात	0	0	2793	40.9	0	0	0	0	2793	40.9
7	हरियाणा	45	99.08	4	1.07	0	0	202	127.8	251	227.95
8	हिमाचल प्रदेश	166	17.38	18	33.81	69	83.14	144	41.86	397	176.19
9	जम्मू और कश्मीर	18	13.93	9	7.61	152	163.42	1860	31.84	2039	216.8
10	कर्नाटक	70	21.4	56	22.46	256	106.18	5460	86.72	5842	236.76
11	केरल	62	6.27	32	67.83	53	83.81	149	33.85	296	191.76
12	मध्य प्रदेश	27	193.39	23	22.78	50	57.17	1	37.71	101	311.05
13	महाराष्ट्र	81	173.79	189	19.64	774	214.82	228	121.47	1272	529.72
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	7	7.86	19	9.69	2	0.75	28	18.3
16	मिजोरम	7	1.86	0	0	0	0	2	5.47	9	7.33
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	0.95	1	0.95
18	उड़ीसा	68	37.49	62	106.94	18	8.82	0	0	148	153.25
19	पंजाब	0	0	5	2.11	128	81.73	581	156.14	714	239.98
20	राजस्थान	93	259.45	0	0	1544	175.67	0	0	1637	435.12
21	तमिलनाडु	10	100.03	141	57.98	324	135.22	292	59.86	767	353.09
22	त्रिपुरा	15400*	6.79	0	0	0	0	0	0	15400	6.79
23	उत्तर प्रदेश	7	27.76	38	83.46	1693	181.97	64	45.31	1802	338.5
24	पश्चिम बंगाल	1113	18.98	13	71.67	64	216.53	2897	167.23	4087	474.41
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	45	5.48	45	5.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	24	25.26	36	30.3	27	28.86	0	0	87	84.42
28	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	6	53.96	6	53.96
		19169	1184.48	3524	658.69	5464	1774.78	12698	1275.11	40855	4893.06

* शालो ट्यूबवैल : 10,000

* लघु लिफ्ट सिंचाई – 540

सं : परियोजनाओं की संख्या

मंजूरी : राशि करोड़ रु. में

विवरण-II

वर्ष 2002–03 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(मंजूरिया करोड़ रु. में)

(मंजूरियां करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई		पुल		सड़के		अन्य		कुल	
		सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	41	86.1	35	51.43	292	282.59	1898	489.45	2266	909.57
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	36	76.23	0	0	0	0	36	76.23
4	बिहार	4469	140.08	3	9.14	2	9.55	17	60.15	4491	218.92
5	गोआ	0	0	0	0	0	0	2	16.1	2	16.1
6	गुजरात	1	125.12	0	0	0	0	7	158.69	8	283.81
7	हरियाणा	45	54.27	20	19.17	0	0	141	197.44	206	270.88
8	हिमाचल प्रदेश	53	21.34	59	39.62	77	89.82	550	46.07	739	196.85
9	जम्मू और कश्मीर	39	56.65	4	1.83	57	68.27	31	48.88	131	175.63
10	कर्नाटक	64	66.55	34	15.7	530	141.33	109	22.91	737	246.49
11	केरल	70	7.2	44	69.8	132	109.66	13	9.9	259	196.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	मध्य प्रदेश	64	393.59	32	32.21	1	2.96	35	146.47	132	575.23
13	महाराष्ट्र	63	216.92	196	25.84	704	200.33	0	0	963	443.09
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	13	14.56	8	3.84	0	0	21	18.4
16	मिजोरम	7	2	0	0	0	0	0	0	7	2
17	नागालैंड	12	5.05	0	0	0	0	3	1.63	15	6.68
18	उड़ीसा	283	76.27	70	69.89	42	100.67	0	0	395	246.83
19	पंजाब	0	0	14	11.29	51	69.1	471	129.77	536	210.16
20	राजस्थान	0	0	0	0	2230	346.75	0	0	2230	346.75
21	तमिलनाडु	3	56.7	161	67.47	222	117.54	589	146.25	975	387.96
22	त्रिपुरा	0	0	15	45.94	0	0	38	4.2	53	50.14
23	उत्तर प्रदेश	408	146.27	0	0	0	0	199	176.44	607	322.71
24	पश्चिम बंगाल	4024	82.49	14	28.28	416	64.03	2622	345.92	7076	520.72
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	171	4.89	171	4.89
26	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	98	150.94	50	45.44	70	84.92	0	0	218	281.3
28	उत्तरांचल	40	14.24	44	18.88	59	35.4	31	6.92	174	75.44
		9784	1701.78	844	642.72	4893	1726.76	6927	2012.08	22448	6083.34

सं : परियोजनाओं की संख्या

मंजूरी : राशि करोड़ रु. में

विवरण-III

वर्ष 2003–04 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(मंजूरिया करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई		पुल		सड़कें		अन्य		कुल	
		सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर	सं	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	100	490.95	6	6.72	84	50.08	1104	320.45	1294	8682
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	2.18	1	12.93	0	0	3	15.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	असम	0	0	118	189.75	0	0	0	0	118	189.75
4	बिहार	30	84.52	0	0	0	0	0	0	30	84.52
5	गोआ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	11901*	614	0	0	0	0	3	285.21	11904	899.21
7	हरियाणा	0	0	0	0	72	126.78	50	26.83	122	153.61
8	हिमाचल प्रदेश	14	12.72	2	16.72	47	57.32	91	32.91	154	119.67
9	जम्मू और कश्मीर	14	6.43	4	1.27	120	137.41	9	8.7	147	153.81
10	कर्नाटक	129	51.43	31	9.93	442	159.89	205	29.66	807	250.31
11	केरल	5	0.75	14	15.73	61	22.44	1153	52.83	1233	91.75
12	मध्य प्रदेश	74	235.33	46	32.03	16	10.09	0	0	136	277.45
13	महाराष्ट्र	0	0	47	8.43	222	58.59	0	0	269	67.02
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	4	9.28	0	0	13	6.24	17	15.52
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	13.5	2	13.5
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	58	12.43	58	12.43
18	उड़ीसा	7	39.55	20	33.92	23	49.38	0	0	50	122.85
19	पंजाब	9	18.83	15	8.77	90	96.15	606	164.44	720	238.19
20	राजस्थान	3	140.27	0	0	0	0	0	0	3	140.27
21	तमिलनाडु	179	185.62	36	20.79	699	212.69	338	128.64	1252	547.74
22	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	उत्तर प्रदेश	18	185.01	0	0	0	0	19	16.23	37	201.24
24	पश्चिम बंगाल	1	6.32	3	10.8	6	15.29	105	181.01	115	213.42
25	सिक्किम	0	0	0	0	2	0.68	16	2.62	18	3.3
26	झारखंड	1	49.13	0	0	0	0	0	0	1	49.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	छत्तीसगढ़	49	166.41	152	96.82	154	154.35	1200	15.3	1555	432.88
28	उत्तरांचल	4	27.6	23	5.73	85	16.83	21	176.46	133	226.62
		12538	2314.87	523	468.87	2124	1180.9	4993	1472.86	20178	5437.5

बांध : 11,900 स.

दीर्घ सिंचाई : 1 स.

सं : परियोजनाओं की संख्या

मंजूरी : राशि करोड रु. में

विवरण-IV

वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए संवितरणों का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001–02	2002–03	2003–04	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	515.32	577.11	648.34	1740.77
2	अरुणाचल प्रदेश	34.99	30.93	22.31	88.23
3	असम	55.34	40.06	29.96	125.36
4	बिहार	24.61	16.28	47.97	88.86
5	छत्तीसगढ़	44.25	96.99	140.6	281.84
6	गोआ	12.47	2.58	14.99	30.04
7	गुजरात	189.55	193.76	373.85	757.16
8	हरियाणा	109.73	124.24	144.88	378.85
9	हिमाचल प्रदेश	116.44	141.58	142.35	400.37
10	जम्मू और कश्मीर	147.64	140.07	80.39	368.10
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	181.46	238.71	266.17	686.34
13	केरल	155.71	134.60	127.26	417.57

1	2	3	4	5	6
14	मध्य प्रदेश	304.20	382.43	391.96	1078.59
15	महाराष्ट्र	325.72	220.10	2.75	548.57
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	19.06	12.64	20.70	52.40
18	मिजोरम	13.88	18.32	23.25	55.45
19	नागालैंड	11.77	7.11	11.60	30.48
20	उड़ीसा	116.28	182.42	107.57	406.27
21	पंजाब	202.40	188.46	180.02	570.88
22	राजस्थान	256.63	296.39	178.55	731.57
23	सिक्किम	12.61	4.73	4.72	22.06
24	तमिलनाडु	288.48	358.84	363.24	1010.56
25	त्रिपुरा	8.00	23.67	24.95	56.62
26	उत्तर प्रदेश	352.74	307.92	272.20	932.86
27	उत्तरांचल	0.00	54.98	49.88	104.86
28	पश्चिम बंगाल	291.09	308.44	251.83	851.16
	कुल	3790.37	4103.36	3922.09	11815.82

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर बैंक लि. का "सेंट्रल स्टैटयूटरि ऑडिट एक्सपीरियेंस"

3429. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लि. के सेंट्रल आडिट एक्सपीरियेंस को 2004–05 से ही राष्ट्रीयकृत बैंक के आडिट एक्सपीरियेंस के समान मानने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो 2004–05 से पूर्व के जम्मू और कश्मीर बैंक के सेंट्रल ऑडिट एक्सपीरियेंस की अनदेखी करने का क्या औचित्य है; और

(ग) सरकार द्वारा शुरू से ही जम्मू और कश्मीर बैंक के ऑडिट एक्सपीरियेंस को राष्ट्रीयकृत बैंक के समान मानने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2005–06 से जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि. का सांविधिक केन्द्रीय लेखा अनुभव (स्टेट्यूटरी सेन्ट्रल ऑडिट इक्सपीरियेंस) (2004–05 एवं इसके पश्चात के लिए उपार्जित है) को

सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा के लेखा अनुभव के रूप में माना जाएगा। तथापि, यह लेखा अनुभव सरकारी क्षेत्र के बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा अनुभव के समान नहीं माना जाएगा।

(ख) और (ग) इस अनुभव की गणना पूर्व में सरकारी क्षेत्र, उपक्रम अनुभव के पांच वर्षों के न्यूनतम आवश्यक अनुभव की गणना करते हुए पहले ही की जा चुकी है। अतः जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि. के सांविधिक केन्द्रीय लेखा अनुभव की गणना करने का निर्णय केवल दूरगामी हो सकता है पूर्वव्यापी नहीं।

[हिन्दी]

नए उद्योग/लघु उद्योग स्थापित करना

3430. श्री मुन्शी राम :

श्री निहाल चन्द :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के जिलों के नए उद्योग/लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य–वार कुल कितने नए/लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कुल कितने जिलों में ऐसे उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ङ) बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्देनजर नए उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ङ) उदारीकृत औद्योगिक नीतियों के तहत, उद्यमियों द्वारा निवेश के निर्णय लिए जाते हैं, जो उनके वाणिज्यिक फैसलों पर निर्भर करते हैं। तथापि, सरकार प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों और योजनाओं के माध्यम से लघु क्षेत्र के उद्योगों सहित उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों/योजनाओं को देश भर में क्रियान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

एन.आई.एफ.टी. के केन्द्र

3431. श्री पी.सी. थामस :

कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए एन.आई.एफ.टी. के केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के सुचारु कार्यकरण तथा रखरखाव हेतु राज्य–वार और वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या देश में नए एन.आई.एफ.टी. केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्यों के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के सात केंद्र हैं जिनमें से एक दिल्ली (दिल्ली), एक मुंबई (महाराष्ट्र), एक कोलकाता (प. बंगाल), एक चेन्नई (तमिलनाडु), एक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), एक गाँधीनगर (गुजरात) और बेंगलूर (कर्नाटक) में स्थित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निफ्ट केंद्र नहीं खोला गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्तुओं का निर्यात

3432. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन संस्थाओं की वस्तुएं निर्यात करने की अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) कितनी संस्थाओं ने वस्तुओं का निर्यात किया और इस प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और उनकी मात्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) एक्जिम नीति के अंतर्गत निर्यात कुछेक ऐसे मामलों को छोड़कर मुक्त है जहाँ इस नीति या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित वस्तुओं तथा उनकी मात्रा, जो काफी अधिक है, के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड–I (निर्यात)–वार्षिकांक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

चीन और म्यांमार के साथ व्यापार

3433. श्री खीरेन रिजीजू : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन तथा म्यांमार के साथ सीमा–व्यापार खोले जाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई सीमा व्यापार नीति में तेजी ला रही है; और

(ग) चीन तथा म्यांमार, वाया अरुणाचल प्रदेश, के व्यापार मार्ग के संबंध में नीति की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कुछ पड़ोसी देशों के साथ विशिष्ट सीमा व्यापार व्यवस्थाएं की हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार संबंधी सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कच्छ जिला के लिए उत्पाद शुल्क में छूट

3434. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 31 दिसम्बर, 2006 तक कच्छ जिला के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने हेतु अनेक बार अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मामला विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रारंभ में, यह छूट 31 जुलाई, 2003 को अथवा इससे पहले नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लागू की गई थी। तथापि, गुजरात सरकार के अनुरोध पर इस अवधि को दो बार बढ़ाया गया, पहली बार 31 जुलाई, 2003 से 31 जुलाई, 2004 तक तथा इसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2004 तक। चूंकि इस छूट का उद्देश्य तत्काल नए निवेश को आकर्षित करना था, इसलिए इस अवधि को 31.12.2004 से आगे बढ़ाने के अनुरोध पर सहमति नहीं दी गई क्योंकि इससे छूट का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता।

(ग) जी, नहीं। सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल की समस्या

3435. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खुली खानों के निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों में उक्त खानों में निरंतर खनन गतिविधियों के कारण जल स्तर में तीव्र गिरावट के कारण जलापूर्ति प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा उक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने की मांग के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा जल स्तर बढ़ाने और स्थिति में सुधान लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, नहीं। जैसाकि कोल इंडिया लि. ने बताया है, किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि ओपन कास्ट खानों के 500 मीटर तक के क्षेत्र के भीतर पानी के स्तर में केवल अस्थायी गिरावट आयी है। रिहायशी क्षेत्र इन खानों के इतने समीप नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, सद्भावना के तौर पर अपनी खानों के समीप में स्थित गांवों को पाइपों, वाटर टैंकों आदि के जरिए पानी की आपूर्ति करता है।

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. बन्द ओपनकास्ट खानों को जलाशयों में परिवर्तित करता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में जल स्तर में बढ़ोत्तरी होती है।

[अनुवाद]

राजा चेलैया समिति की रिपोर्ट

3436. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजा चेलैया समिति, जिसका पर्यावरण प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था, की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशें लागू की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने वित्तीय उपायों का प्रयोग करते हुए डीजल कारों तथा पेट्रोल कारों के मूल्य लाभों को समाप्त करने हेतु उपायों की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को भी लागू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने "औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण फैलाने वाली कच्ची सामग्री और कारखाने में उत्पादन के बाद बची बेकार प्रदूषणकारी सामग्री पर कर लगाने का प्रस्ताव" नामक परियोजना का काम मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एमएसई), चेन्नई को सौंपा है। अंतिम परियोजना रिपोर्ट (राजा चेलैया और अन्य द्वारा तैयार) एमएसई ने अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में उत्पाद शुल्क पर डीजल कारों की खरीद के समय अधिभार लगाने पर विचार किया गया है, जिससे पेट्रोल की तुलना में डीजल के मूल्य पर होने वाले फायदे को निष्प्रभाव किया जा सके। किन्तु डीजल कारों पर विभेदक उत्सर्जन कर लगाने संबंधी सिफारिश निष्कर्षी वैज्ञानिक प्रमाण कि डीजल करार से होने वाली समग्र प्रदूषण मात्रा पेट्रोल कार से होने वाली प्रदूषण मात्रा से अधिक है, के अभाव के कारण आस्थगित की गई है। तथापि रिपोर्ट में ईंधन क्षमता के आधार पर सवारी वाहनों और दुपहिया वाहनों पर पारिस्थितिकी कर लगाने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय उत्पादकों द्वारा रणनीति की समीक्षा

3437. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाई विदेशी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय उत्पादकों को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उपभोक्ता वस्तुओं तथा ऑटो क्षेत्र में अपनी उत्पाद रणनीतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इसके माध्यम से भारत में प्रवेश के इच्छुक चीन के उत्पाद अब आसानी से यहां आ सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने कौन–से ठोस उपाय किए हैं, जिससे कि भारतीय उत्पादक विदेशी उत्पादों को समान चुनौती दे सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र से द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का प्रवाह बढ़ने की आशा है लेकिन, यह विभिन्न उद्योगों की संपूरकताओं और तुलनात्मक लाभों पर निर्भर करेगा। आशा है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग, आटोमोटिव, कलपुर्जों तथा संघटकों, आईटीसी आदि के क्षेत्रों में भारत एवं थाईलैंड के उद्योगों के बीच संयुक्त उद्यमों और दोतरफा व्यापारोन्मुखी संबंधों, दोनों रूपों में निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी।

(ख) से (घ) जी, नहीं; क्योंकि भारत को होने वाले आयातों पर टैरिफ अधिमान केवल उन उत्पादों पर उपलब्ध होंगे जिन्हें ऐसे उद्गम संबंधी नियमों जो किसी मुक्त व्यापार करार के अभिन्न अंग हैं, में यथानिर्धारित थाईलैंड में "उद्गम संबंधी दर्जा" प्राप्त है। इसी प्रकार थाईलैंड में आयातों के लिए केवल उन्हीं उत्पादों को टैरिफ अधिमान प्राप्त होंगे जिन्हें भारत में "उद्गम संबंधी दर्जा" हासिल है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों के बारे में विश्व व्यापार संगठन का समझौता

3438. श्रीमती जयाप्रदा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार देश में निर्यात और आयात पर सभी प्रतिबंध हटाने के मद्देनजर रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए अन्य देशों विशेषकर अमरीका तथा इंग्लैंड के साथ उनके देशों में भारतीय व्यवसाइयों और श्रमिक वर्ग के निर्बाध आगमन की अनुमति देने हेतु कोई बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की उपर्युक्त मुद्दे पर विश्व के देशों के साथ हुई बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे को विश्व के देशों के साथ यदि पूर्व में इस पर चर्चा न की गयी हो, तो कब उठाये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) भारत सेवा व्यापार के उत्तरोत्तर उदारीकरण के लिए विश्व व्यापार संगठन में चल रही अधिदेशित वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन को सरल बनाने के संदर्भ में, भारत ने डब्ल्यू टी ओ में ऐसे आवागमन के उदारीकरण के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें इस संबंध में आ रही बाधाओं को अभिज्ञात किया गया था और सार्थक उदारीकरण हासिल करने के लिए कार्यनीतियों का सुझाव दिया गया था। भारत संयुक्त राज्य अमरीका और युनाइटेड किंगडम जैसे देशों सहित डब्ल्यू टी ओ के अधिकांश सदस्यों द्वारा विशेष रूप से कुशल व्यावसायिकों के लिए अपेक्षाकृत व्यापक वचनबद्धताएं करवाने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले देशों के साथ कार्य कर रहा है। इसके अलावा, पहुंच संबंधी बाधाओं को समाप्त करने की मांग करते हुए अलग–अलग सेवा क्षेत्रों में इन देशों और अन्य देशों से द्विपक्षीय स्तर पर अनुरोध किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इन मुद्दों पर वार्ताएं चल रही हैं और ये 31.12.2005 को वार्ताओं के इस दौर की समाप्ति तक जारी रहेंगी। सरकार इन प्रयासों का अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इन देशों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

सूखा पीड़ित किसानों की सहायता

3439. श्री संजय धोत्रे :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य सूखा पीड़ित राज्यों की सरकारों ने केन्द्र सरकार से सूखा पीड़ित किसानों की मदद के लिए ब्याज को माफ करने अथवा ऋणों और उन पर ब्याज को जोड़ कर उसे दीर्घावधि ऋणों में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार/नाबार्ड/भारतीय रिर्जव बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों की मदद हेतु उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) नाबार्ड द्वारा संबंधित बैंकों को मूलधन राशि में देय ब्याज को विलयित करने तथा सम्पूर्ण राशि को नए ऋणों में परिवर्तित करने की अनुमति दिया जाना।

(ii) नाबार्ड को एक विशेष मामले के रूप में परिवर्तित मूलधन राशि के आधार पर सभी बैंकों को पुनर्वित्तपोषित करने के निदेश दिए जा सकते हैं।

(iii) अल्पावधि ऋणों को पांच वर्ष के मध्यावधि ऋणों पहले दो वर्ष के अधिस्थगन के साथ परिवर्तित करना तथा अगले तीन वर्षों में चुकौती।

(ग) और (घ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राहत देने के लिए आरबीआई के वर्तमान स्थायी दिशानिर्देशों के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित राहत उपायों का प्रावधान करते हुए 18 जून,2004 को एक घोषणा की थी;

(i) मुसीबत में पड़े किसानों के ऋणों का पुनर्निधारण/ पुर्नव्यवस्था तथा नए ऋण।

(ii) छोटे एवं सीमातं किसानों के लिए एक–बारगी निपटान (ओटीएस)।

(iii) उन किसानों को नया ऋण प्रदान करना जिनके पूर्व ऋणों का निपटान समझौते अथवा बट्टे खाते में डालने के द्वारा कर दिया गया है।

(iv) गैर–संस्थागत उधारदाताओं के ऋणग्रस्त किसानों के लिए ऋण।

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषण के अनुसार किसानों को राहत देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 24 जून, 2004 को तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 29 जून, 2004 को दिशानिर्देश जारी किए थे।

नए उद्योग स्थापित करने हेतु नीति

3440. श्री तापिर गाव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान उदारीकरण की नीति के अंतर्गत राज्यों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों में अभी तक आबंटित, स्वीकृत जारी और वास्तव में उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) किसी राज्य में उद्योगों की स्थापना करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है और केन्द्र सरकार उद्योगों के विकास के लिए उनके प्रयासों में केवल मदद करती है। उदार औद्योगिक नीति के अंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है।

केन्द्र सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों नामतः असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, जो कि पहाड़ी, दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित हैं, के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के निम्नलिखित विशेष पैकेजों की घोषण की है :–

(i) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 24.12.1997 को की गई थी। इस नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अनेक रियायतें दी गई हैं, जिनमें ये शामिल हैं – औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास, उत्पाद शुल्क व आयकर में छूट और राजसहायता योजनाएं जैसे कि केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना।

(ii) सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों की घोषणा सरकार द्वारा 23.12.2002 को की गई थी जो पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की तरह है।

(iii) जम्मू और कश्मीर के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों की घोषणा 14.6.2002 को की गई थी। पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) के मामले की भांति, विभिन्न रियायतों के वैसे ही पैकेज औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये गये हैं।

(iv) हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों की घोषणा 7.1.2003 को की गई थी। इन नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को अनेक रियायतें दी गई हैं, जिनमें ये शामिल हैं – औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास, उत्पाद शुल्क तथा आयकर में छूट, तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता।

(ग) उपर्युक्त पैकेजों के लिए बजटीय प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दिनांक 20.8.2004 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3440 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(रुपये करोड़ में)

पैकेज का नाम	दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय (2002–07)	2002–03		2003–04	
		बजट आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
1. एन.ई.आर. और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	200.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2. विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज (जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों के लिए)	11.00	5.00	5.00	45.00	45.00

निरीक्षण कार्य की आउटसोर्सिंग

3441. श्री प्रभुनाथ सिंह :

मोहम्मद शाहिद :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 209ए में **निरीक्षण कार्य** के आउटसोर्सिंग का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निरीक्षण के लिए किन एजेंसियों का चयन किया गया; और

(घ) किन कंपनियों के लिए बाहरी एजेंसियों से निरीक्षण का आदेश दिया गया था?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एमयूआईपी के लिए विश्व बैंक सहायता

3442. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाने वाली मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एमयूआईपी) तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है और परियोजना में विश्व बैंक की भागीदारी की मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एमयूआईपी) के प्रस्ताव, जिसमें केन्द्रीय सरकार के 1324 करोड़ रु. के प्रस्तावित हिस्से समेत 2648 करोड़ रु. के परिव्यय की परिकल्पना की गई है, की विधिवत जांच की गई। तथापि, इस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी गई क्योंकि राज्य पर पड़ रहे राजकोषीय दबाव के कारण परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित विशाल पूंजी निवेश को वहन कर पाना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

शिक्षा ऋण

3443. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री पी. के. वासुदेवन नायर :

श्री एम. अंजन कुमार यादव :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री काशीराम राणा :

श्री एम. अप्पादुरई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सदैव सरकार/भा.रि.बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करते और सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् भी ऋण नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और आत्महत्या करने पर बाध्य होते हैं;

(ख) यदि हां, तो आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे ऋणों की स्वीकृति हेतु दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, तिरूवनंतपुरम क्षेत्र की पुषनाडु शाखा द्वारा शैक्षिक ऋण देने से मना करने का केवल एक कथित दृष्टांत जानकारी में आया है, जिसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बताया है कि कुमारी रजनी एस. आंनद ने इंडियन ओवरसीज बैंक की पुषनाडु शाखा से 1.42 लाख रु. के शैक्षिक ऋण हेतु आवेदन किया था, परंतु उनके आवेदन–पत्र पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उनका आवास इस शाखा के सेवा क्षेत्र में नहीं आता और उन्हें स्थानीय बैंक शाखा के पास जाने की सलाह दी गई थी। कु. रजनी केरल सरकार से पूरा शिक्षा लाभ ले रही थीं। उनके पहले और दूसरे वर्ष के शुल्क, शिक्षावृत्ति और एकमुश्त अनुदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,14,907/– रु. की राशि का भुगतान किया गया था। उन्हें छात्रावास शुल्क के रूप में प्रति माह 315/– रु. की राशि का भुगतान किया गया था। दूसरे वर्ष के दौरान उन्होंने एकमुश्त अनुदान और शिक्षावृत्ति नहीं ली थी। इसके अलावा, वह 14 अगस्त, 2003 के बाद महाविद्यालय में उपस्थित नहीं रही और पहले वर्ष के 10 प्रश्नपत्रों में से 9 में अनुत्तीर्ण थीं।

(घ) जी, हां। भारतीय बैंक संघ ने बजट घोषणा

2004–05 के अनुरूप अपने सभी सदस्य बैंकों को 23 जुलाई, 2004 को परिपत्र जारी किया है कि 7.5 लाख रु. तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक के लिए न कहें। तदनुसार, अब 4 लाख रु. तक के ऋणों के लिए कोई प्रतिभूति अपेक्षित नहीं है, 4 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए तीसरे पक्ष की संतोषजनक गारंटी ही काफी है तथा 7.5 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए उपयुक्त मूल्य की सम्पार्श्विक प्रतिभूति अपेक्षित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कम मूल्य वर्ग के सिक्के

3444. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 25 पैसे और 50 पैसे जैसे कम मूल्य वर्ग के सिक्के दुकानदारों द्वारा यह कहकर स्वीकार नहीं किए जाते कि ये सिक्के अब प्रचलन में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को कोई नया निर्देश जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार को कुछ दुकानदारों/बैंकों द्वारा 25 पैसे और 50 पैसे जैसे कम मूल्य के सिक्कों को स्वीकार न करने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अक्तूबर, 2003 और दोबारा अप्रैल, 2004 में सभी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों को जनता से विनिमय या खातों में राशि जमा करते समय सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, और इस संबंध में कोई अवज्ञा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन के रूप में मानी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालय भी, बिना किसी प्रतिबंध के, जनता से सभी तरह के मूल्य के सिक्कों को स्वीकार कर रहे हैं।

दनकुनी कोयला परिसर का पुनरुद्धार

3445. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल स्थित दनकुनी कोयला परिसर का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मजदूर संघों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। दानकुनी कोल काम्प्लेक्स (डीसीसी) का पुनरुद्धार/टर्न अराउन्ड कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा जांच की जा रही है। टर्न अराउन्ड के लिए शुरू की गयी/शुरू की जाने वाली अल्पावधि तथा दीर्घावधि कार्रवाई नीचे दिए अनुसार हैं :–

(i) डीसीसी द्वारा उत्पादित गैस का मूल्य संशोधन।

(ii) डीसीसी उत्पादों–कोक तथा तार का मूल्य संशोधन।

(iii) संयंत्र हेतु कोयले की सही/उपयुक्त गुणवत्ता की उपलब्धता।

(iv) विभिन्न लागत कटौती उपाय।

(v) संयंत्र की पूजीगत रिबिल्डिंग।

इसके अलावा दानकुनी कोल काम्प्लेक्स के पुनरुद्धार हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :–

(क) डीसीसी उत्पादों की जोरदार बिक्री तथा विपणन

(ख) संयंत्र क्षमता उपयोग में सुधार

(ग) जनशक्ति का युक्तीकरण

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) के राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (आरसीएमएस) तथा सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) के दानकुनी कोल काम्प्लेक्स इम्प्लाईज यूनियन (डीसीसीईयू) के संघों द्वारा दो पुनरुद्धार पैकेज नवम्बर 2002 में सीआईएल को प्रस्तुत कर

दिए गए थे। पुनरुद्धार पैकेजों की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :–

(i) अच्छी गुणवत्ता वाले औद्योगिक कोक के निर्माण हेतु उपयुक्त निम्न राख निम्न फास्फोरस वाले कोयले की पहचान करना।

(ii) डीसीसी उत्पादों का जोरदार विपणन।

(iii) लागत कटौती उपायों को अपनाना।

(iv) मूल्य वर्धित रसायनों का उत्पादन करने के लिए तार का आसवन।

ऋणों पर ब्याज दर

3446. श्री महेश कनोडीया :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ऋणों पर औसत ब्याज दर में कटौती करके अपने सार्वजनिक वित्त को सुधारने के लिए बड़े कदम उठा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार नाबार्ड सहित अन्य संस्थानों से अपने उच्च लागत वाले ऋणों को खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण (ए.ओ.एम.बी.) के रूप में सस्ते ऋण/नए संस्थान ऋण लेकर पुनर्वित्तपोषित करने के लिए राज्यों को अनुमति देने पर सहमत हो गई है। राज्यों को यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वे भारत सरकार के ऋणों के स्थान पर सामान्य केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक को वित्तपोषित करने के लिए खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण लेने हेतु अपना विकल्प दें। राज्यों के लिए ऋणों की ब्याज दर 1.4.2004 से 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। गुजरात सरकार भी भारत सरकार की ऋण विनिमय स्कीम में भाग ले रही हैं।

सोने का आयात

3447. श्री किन्जरपु येरननायडु :

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष देश में सोने के आयात में तेजी आयी है;

(ख) आयात नियमों में ढील दिए जाने के बावजूद सोने के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हाँ, तो 2004–05 की पहली तिमाही में आयोजित सोने की मात्रा लगभग कितनी है;

(घ) भारत में किन देशों से सोने का आयात किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) भारतीय बाजार में उद्धत स्वर्ण की कीमत लंदन सराफा बाजार एसोसिएशन (एल बी एम ए) द्वारा घोषित की गयी नगद कीमत से संबंधित है। एन्न बी एम ए द्वारा उद्धत की गयी कीमत स्वर्ण की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को प्रदर्शित करती है और वह अमरीकी डॉलर की मजबूती, विश्व बाजार में स्वर्ण की उपलब्धता, निधि प्रबंधकों द्वारा निवेश, विश्व में व्याप्त भौगोलिक–राजनीतिक स्थितियों जैसे विभिन्न कारकों तथा अंतराष्ट्रीय रूप से सराफा बाजार को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारकों पर निर्भर होती है।

वर्ष 2004–05 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण आयातों की मात्रा 202.55 टन (अनंतिम आंकड़े) है जबकि पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में यह मात्रा 154.92 टन थी। उन प्रमुख देशों, जहाँ से भारत में स्वर्ण का आयात किया जाता है, में स्विटजरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और युनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

[हिन्दी]

राज्यों से मिली रॉयल्टी द्वारा अर्जित की गई धनराशि

3448. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कोयला के उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश से कोयले पर रॉयल्टी के रूप में कितनी धनराशि अर्जित की जा रही है; और

(ख) कुल रॉयल्टी में से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) राज्यों को कोयले के उत्पादन वाले क्षेत्रों का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए दी गई कुल रॉयल्टी का प्रतिशत क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) कोयले पर सम्पूर्ण रॉयल्टी की वसूली और विनियोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार कोयले पर कोई रॉयल्टी प्राप्त नहीं करती है।

(ख) वर्ष 2003–04 में कोल इंडिया लि. (सी.आई. एल.) तथा इसकी सहायक कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एस.सी.सी.एल.) द्वारा राज्य सरकारों को दी गई रॉयल्टी निम्नानुसार है :–

(रुपए करोड़ में)

कोयला कंपनियों के नाम	प. बंगाल	झारखण्ड	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	असम	आन्ध्र प्रदेश	कुल
सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां	9.58	740.71	366.52	501.07	490.80	262.01	145.63	12.47	–	2588.79
एससीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	–	302.15	302.15

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रॉयल्टी से प्राप्त आय का कोई विशिष्ट प्रतिशत कोयला उत्पादक क्षेत्रों के विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियां स्थानीय लोगों के लाभ हेतु परिधीय विकास योजनाएं चलाती हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना

3449. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री के. एस. राव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी राज्यों में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से विचार–विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन न्यायालयों को कब तक गठित कर दिया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) से (घ) जी हां। विधि आयोग ने, अपनी 186वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रत्येक राज्य में ऐसे पृथक 'पर्यावरण न्यायालयों' की स्थापना करने की सिफारिश की है, जिनमें न्यायिक और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होंगे और जो विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण विधियों के अधीन अपीलों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता रखने के साथ–साथ पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। आयोग ने राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के निरसन की भी सिफारिश की है। चूंकि रिपोर्ट जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे अन्य कानूनों में संशोधनों को प्रभावित कर सकती है। अत: इस पर विचार किया जा रहा है।

त्वरित लदान प्रणाली में समस्याएं

3450. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की समेकित पिपरवार खनन और कोयला लाभार्थ परियोजना में त्वरित लदान प्रणाली को रेलवे साइडिंग के पूरा होने में विलम्ब के कारण इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे साइडिंग के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है और विलम्ब के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, हां। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) की पिपरवार ओपनकास्ट परियोजना में रेलवे साइडिंग के पूरा न होने के कारण त्वरित लदान प्रणाली आरम्भ नहीं की जा सकी।

(ख) रेलवे साइडिंग के पूरा होने में विलम्ब गैर–वन तथा वन भूमि दोनों के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण हुआ है। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी, मैसर्स इरकान, रेल मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, ने मुख्य रूप से उपर्युक्त कारणों से जुलाई 2002 से रेलवे साइडिंग के सम्पूर्ण चालू कार्यों को रोक दिया है।

(ग) और (घ) चूंकि विलम्ब के कारण, जैसाकि ऊपर बताया गया है, सीसीएल प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर थे, इसलिए कोई जांच नहीं की गयी है।

आयकर की वसूली

3451. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा :

श्री एस. पी. वाई. रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार आयकर की कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में संग्रहित कर कितने प्रतिशत है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कर की कुल कितनी राशि आयकर विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों सहित शिक्षा पर वर्षवार तथा राज्यवार खर्च की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये से अधिक कर का भुगतान करने वाले करदाताओं सहित आयकरदाताओं की वर्षवार तथा राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ङ) क्या कर का दायरा बढ़ाने के पश्चात् राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार आयकर रिटर्न भरने से समाज के कुछ वर्गों को छूट देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान वसूली गई आयकर की कुल राशि सहित राज्य–वार तथा कर–वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2003–04 के लिए वसूली गई आयकर की कुल राशि अनन्तिम रूप से 1,05,236 करोड़ रु. बताई गई है। वित्त वर्ष 2003–04 के लिए वसूलियों का कर–वार ब्यौरा निम्नवत् है:

निगम कर	63,608 करोड़ रु.
आयकर	41,441 करोड़ रु.
अन्य प्रत्यक्ष कर	187 करोड़ रु.
कुल	1,05,236 करोड़ रु.

वित्त वर्ष 2003–04 के लिए आयकर वसूलियों का राज्य–वार ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस अवधि के सरकारी खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वित्त वर्षों में प्रत्यक्ष कर–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निम्नवत् रहा है :

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर वसूलियां (करोड़)	वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (करोड़)	प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात
2001–02	69198	2282143	3.03%
2002–03	83088	2469564	3.36%
2003–04	105236	2772194	3.80%

टिप्पणी :

1. वर्ष 2002-03 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े त्वरित अनुमान पर आधारित हैं।
2. वर्ष 2003-04 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अग्रिम अनुमान पर आधारित हैं।
3. वर्ष 2003-04 के लिए प्रत्यक्ष कर वसूली के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) यह मान लिया गया है कि माननीय संसद सदस्य इस भाग में कर की "वसूली" पर खर्च की गई कुल राशि का उल्लेख कर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों में आयकर की वसूली पर किया गया व्यय नीचे की तालिका में दिया गया है :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय
2001–02	1022
2002–03	1015
2003–04	1054

उपर्युक्त व्यय में वेतन, मजदूरी, समयोपरि भत्ता, यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च, किराया दरें तथा कर आदि जैसी मदों पर किया गया व्यय शामिल है। जिन एक सौ से अधिक बजटीय प्राधिकारियों द्वारा व्यय खर्च किया गया है उनमें मुख्य आयुक्त, महानिदेशक, आयकर निदेशक तथा आयकर आयुक्त आदि शामिल हैं। ये प्राधिकारी अपने प्रभार के संबंध में व्यय करते हैं और व्यय का राज्य–वार विवरण नहीं रखा जाता है।

(घ) केन्द्रीय रूप से ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं और उनके संकलन के लिए सम्पूर्ण देश में स्थित क्षेत्रीय इकाईयों से सूचना एकत्र करनी होगी जिसमें काफी समय और प्रयास लगेगा जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के प्रयोजन के अनुरूप नहीं हो सकेगा।

(ङ) और (च) आयकर विभाग का कर आधार वित्त वर्ष 2000–01 में 2.47 करोड़ करदाताओं से बढ़कर वित्त वर्ष 2003–04 में 3.01 करोड़ करदाता हो गया है। इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर की वसूली भी 68,305 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,05,236 करोड़ रुपये हो गई है।

(छ) इस समय समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को आयकर विवरणी दाखिल करने से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2001–2002 के लिए प्रत्यक्ष कर वसूली का राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

आंकड़े करोड़ रु.

राज्य	0020 निगम कर	0021 आयकर	0023 एच आर कर	0024 ब्याज कर	0028 व्यय कर	0031 सम्पदा शुल्क	0032 धन कर	0033 उपहार कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	942.58	1638.86	0.92	–0.31	5.81	0.00	–1.88	–1.84	2584.13
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
असम	206.46	301.83	0.00	0.01	0.04	0.00	0.36	0.00	508.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	11.31	336.87	0.00	0.01	0.01	0.00	0.12	0.00	348.31
छत्तीसगढ़	345.38	245.35	0.00	0.05	0.22	0.04	0.15	0.01	591.20
गोवा	38.22	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	180.27
गुजरात	922.59	1710.43	0.27	0.21	2.19	0.00	5.21	0.10	2640.99
हरियाणा	123.98	587.11	0.00	0.09	0.88	0.00	0.71	0.00	712.77
हिमाचल प्रदेश	29.30	130.48	0.00	0.00	0.16	0.00	0.05	0.01	160.00
झारखंड	−5.68	405.55	0.00	0.02	0.00	0.00	0.22	−0.01	400.10
जम्मू और कश्मीर	96.26	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	215.90
कर्नाटक	1407.04	2597.54	0.00	0.70	14.48	0.00	8.25	−0.48	4027.53
केरल	422.71	674.24	0.00	1.10	2.13	0.00	1.74	0.00	1101.92
मध्य प्रदेश	522.07	713.44	0.00	0.03	0.14	0.00	0.89	0.04	1236.61
महाराष्ट्र	16154.40	9255.17	0.00	171.20	97.31	0.00	67.20	−0.13	25745.16
मणिपुर	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10.75
मेघालय	3.64	41.21	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.00	44.93
मिजोरम	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
नागालैंड	0.04	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	4.48
दिल्ली	7019.55	4031.11	0.00	9.80	60.25	0.00	19.67	0.89	11141.27
उड़ीसा	458.13	343.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.31	0.00	801.54
पंजाब	317.29	732.22	0.00	0.22	0.01	0.00	2.09	−0.10	1051.73
राजस्थान	181.56	658.63	0.00	2.43	3.41	0.54	1.22	0.00	847.79
सिक्किम	0.12	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
तमिलनाडु	1713.58	2750.36	0.00	1.94	19.86	0.11	10.65	0.03	4496.53
त्रिपुरा	0.14	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	26.19
उत्तर प्रदेश	188.13	1376.27	0.00	−0.12	2.03	0.00	3.18	0.07	1569.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरांचल	3848.54	151.63	0.00	0.03	0.01	0.00	0.27	0.00	4000.49
प. बंगाल	1502.49	1818.30	0.00	1.73	50.68	0.00	13.58	0.01	3386.79
योग (I)	36449.83	30807.43	1.20	189.21	259.62	0.69	134.98	−1.39	67841.57
संघ शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.31	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
चंडीगढ़	113.28	214.10	0.00	0.06	0.01	0.00	0.30	−0.11	327.64
दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	11.98	83.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	95.14
लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
सिलवासा	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
योग (II)	127.57	302.36	0.00	0.09	0.01	0.00	0.38	−0.11	430.30
योग (I) और (II)	36577.40	31109.79	1.20	189.30	259.63	0.69	135.36	−1.50	68271.87
सीडीडीएस (अनंतिम)	31.73	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.03
कुल योग	36609.13	32004.09	1.20	189.30	259.63	0.69	135.36	−1.50	69197.90

विवरण-II

वर्ष 2002–2003 के लिए प्रत्यक्ष कर वसूली का राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रु. में)

राज्य	0020 निगम कर	0021 आयकर	0023 एच आर कर	0024 ब्याज कर	0028 व्यय कर	0031 सम्पदा शुल्क	0032 धन कर	0033 उपहार कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	1243.27	1631.07	2.29	−0.14	4.86	0.00	−1.75	−0.02	2879.58
अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	388.50	390.30	0.00	0.13	0.03	0.00	0.60	0.00	779.56
बिहार	9.42	292.98	0.00	0.12	0.03	0.00	0.21	0.00	302.76
छत्तीसगढ़	445.29	216.42	0.00	0.00	0.06	0.00	0.14	−0.02	661.89
गोवा	43.60	97.30	0.00	0.02	0.00	0.00	0.72	0.00	141.64
गुजरात	1271.90	1966.14	0.22	0.25	1.45	0.00	4.12	−1.34	3242.74
हरियाणा	206.95	660.60	0.00	0.16	0.44	0.00	4.18	0.00	872.33
हिमाचल प्रदेश	9.36	160.18	0.00	1.52	0.09	0.00	−0.24	0.00	170.91
झारखंड	20.32	534.59	0.00	0.12	0.01	0.00	0.30	0.00	555.34
जम्मू और कश्मीर	148.46	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	273.42
कर्नाटक	2141.50	3181.93	0.00	−5.59	10.32	0.00	7.31	0.00	5335.47
केरल	573.10	795.95	0.01	−6.05	1.93	0.00	2.20	0.21	1367.35
मध्य प्रदेश	809.80	615.67	0.01	0.02	0.00	0.00	0.80	0.01	1426.31
महाराष्ट्र	20500.36	10963.09	0.00	2.13	63.61	0.00	74.40	0.13	31603.72
मणिपुर	−0.01	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	6.89
मेघालय	2.14	20.40	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	−0.01	22.59
मिजोरम	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
नागालैंड	0.03	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	6.23
दिल्ली	8085.93	5125.15	0.00	−314.18	40.96	0.00	25.22	0.07	12963.15
उड़ीसा	606.40	334.62	0.00	0.15	0.00	0.00	1.57	0.00	942.74
पंजाब	370.08	835.08	0.00	0.56	0.01	0.01	0.89	−0.20	1206.43
राजस्थान	233.88	746.54	0.00	0.34	2.21	0.00	0.92	−0.07	983.82
सिक्किम	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
तमिलनाडु	2340.52	2896.99	0.00	0.97	9.52	0.25	10.86	0.02	5259.13
त्रिपुरा	−0.25	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	20.72
उत्तर प्रदेश	325.06	1531.99	0.00	21.06	0.79	−0.01	5.44	−0.01	1884.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरांचल	4647.56	241.85	0.00	0.00	0.02	0.00	1.09	0.00	4890.52
प. बंगाल	1562.49	1984.26	0.00	23.14	34.08	0.00	15.09	0.00	3519.06
योग (I)	45985.65	35390.26	2.53	−275.26	170.43	0.26	154.40	−1.23	81427.04
संघ शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.69	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
चंडीगढ़	132.19	235.12	0.00	0.01	0.00	0.00	−0.79	−0.56	−365.97
दमन	3.81	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	7.88
दीव	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	13.67	93.44	0.00	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00	107.48
लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
सिलवासा	4.38	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
योग (II)	154.74	337.71	0.00	0.01	0.20	0.00	−0.52	−0.56	491.58
योग (I) और (II)	46140.39	35727.97	2.53	−275.25	170.63	0.26	153.88	−1.79	81918.62
सीटीडीएस	31.96	1137.99							1169.95
कुल योग	46172.35	36865.96	2.53	−275.25	170.63	0.26	153.88	−1.79	83088.57

शिकायत निवारण प्रणाली

3452. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में शिकायत निवारण की कोई प्रणाली विद्यमान है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक के कार्यालय द्वारा जारी अनुबंध की नियामक शर्तों में मध्यस्थता संबंधी कोई खण्ड है;

(ग) यदि हाँ, तो विवाद निपटान के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या डी जी एस एवं डी मैनुअल दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत/विवाद का निपटारा करने के लिए निर्धारित समय–सीमा का पालन न करने पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गयी है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या लापरवाही के लिए दोषी पाए गए अधिकारी से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हाँ, तो महानिदेशक (एस एवं डी) तथा संयुक्त सचिव (शिकायत) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में डी जी एस एवं डी के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई विलम्ब की शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। डी जी एस एंड डी संविदा को विनियमित करने वाली शर्तों में मध्यस्थता के तंत्र के जरिए संविदात्मक विवादों के निपटान की व्यवस्था है;

(ग) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। डी जी (एस एंड जी) विधि मंत्रालय, प्रयोक्ता और अन्य संबंधित एजेंसियों/विभागों/संगठनों के परामर्श से मध्यस्थता करार के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करता है;

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा

3453. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा, जो कि स्वतंत्रता के समय 1.5 प्रतिशत था, अब केवल 0.89 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अब इस प्रकार की कमी के मुख्य कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हाँ, तो निर्यात की किन वस्तुओं पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या विश्व बाजार में भारत को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए कोई नई नीति अथवा रणनीति बनायी गयी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) विश्व के निर्यातों में भारत के हिस्से में गिरावट स्वतंत्रता के पश्चात् आयी क्योंकि विश्व के निर्यातों में तीव्र वृद्धि हुई थी। तथापि, इस गिरावट को 1980 के दशक तक नियंत्रित कर लिया गया था और तत्पश्चात् विश्व के निर्यातों में भारत के हिस्से में वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा 1995 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 में 0.7 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2002 में विश्व निर्यातों में भारत ने 0.8 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। निर्यातों में इस वृद्धि को मोटे तौर से वर्ष 2003 में बनाए रखा गया है जिसके फलस्वरूप विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा 0.8 प्रतिशत बना रहा है। इस प्रकार हाल के विगत समय में विश्व निर्यातों में भारत के हिस्से में कोई गिरावट नहीं आयी।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। भारतीय निर्यातों को बढ़ाने और विश्व निर्यातों में 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य से जनवरी, 2002 में एक मध्यावधि निर्यात नीति की घोषणा की गयी थी जो 10वीं योजना अवधि (2002–2007) की सह–अवसानी है। कई कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गयी हैं जिनमें निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई), कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, बाजार पहुँच, पहल, "फोकसः एल ए सी" कार्यक्रम को सुदृढ़ करना, "फोकसः अफ्रीका" कार्यक्रम शुरू करना आदि जैसी स्कीमें शामिल हैं। एक्जिम नीति 2003–04 तथा जनवरी, 2004 में घोषित किए गए एक्जिम सरलीकरण उपायों में सेवा निर्यातों तथा विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा "फोकसः सी आई एस" नामक एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए समय–समय पर उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य में वृद्धि

3454. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होने से देश में दवाओं के प्रसार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या इनके परिणामस्वरूप जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी;

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में चिकित्सा संस्थाओं से किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) "अन्तरराष्ट्रीय पेटेंट सुरक्षा व्यवस्था" जैसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। यथासंशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 में ऐसे उपबंध हैं जो बौद्धिक संपदा संरक्षण को सार्वजनिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित की चिंताओं के साथ कारगर रूप से संतुलित तथा अंशांकित करते हैं। जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का विशेष रूप से निवारण करने तथा उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इसमें कई उपबंध हैं, जैसे कि औषधि के उचित रूप से समर्थनीय मूल्यों पर उपलब्ध ने होने की स्थिति में पेटेंटों का अनिवार्य लाइसेंसीकरण, सार्वजनिक गैर–वाणिज्यिक और आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की स्थिति से निपटने के लिए उपबंध, प्रतियोगी मूल्यों पर औषधियों का आयात करने के लिए उपबंध, सरकार के कार्यों के लिए आविष्कार का प्रयोग करने हेतु उपबंध, जनहित में पेटेंट का निरस्तीकरण और पेटेंट की अवधि के समाप्त होते ही उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

कंपनियों की तलाशी और जब्ती

3455. श्री राम कृपाल यादव : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान 80 कंपनियां तलाशी और जब्ती के अधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कंपनियों के नाम क्या हैं तथा घोषित धनराशि कितनी है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार लंबित जांच का ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरी कर्नाटक में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

3456. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तरी कर्नाटक, हुबली/धारवाड़ में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार का वर्ष 1981 से ही यह विचार रहा है कि हुबली–धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की जाए। तथापि, उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती मुख्य न्यायामूर्तियों ने अभी तक प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। भारत सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ही इस विषय पर सभी कोणों से विचार करें और आम सहमति बनाएं। चूंकि कर्नाटक सरकार से, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उत्तरी कर्नाटक, हुबली/धारवाड़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं हुआ है।

कोयम्बटूर शेयर बाजार के सदस्यों का निलंबन

3457. श्री के. सुब्बारायण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोयम्बटूर शेयर बाजार के पचास सदस्यों को उसके बोर्ड द्वारा अवैध रूप से निलंबित किए जाने के बारे में शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचना दी है कि इसे कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के निलंबन संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। सेबी ने इस मामले को कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज के साथ उठाया था, तथा स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचना के अनुसार एक्सचेंज की प्रबंधन परिषद् ने एक्सचेंज के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 124 के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए 62 सदस्यों के सदस्यता अधिकारों को वापस ले लिया। सदस्यों द्वारा किए गए अननुपालन इस प्रकार थे :

(i) वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए एक्सचेंज के वार्षिक अभिदान का भुगतान न करना।

(ii) वर्ष 2003–04 के लिए निवेशक संरक्षण निधि हेतु अंशदान का भुगतान न करना।

(iii) एक्सचेंज को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

एक्सचेंज ने विगत नौ महीनों में प्रत्येक सदस्य को अननुपालन के लिए पांच से अधिक पत्र लिखे थे। जो सदस्य अनुपालन में असफल रहे उनके सदस्यता अधिकार वापस ले लिए गए। तदनंतर, जिन सदस्यों ने अपेक्षाओं का अनुपालन किया, उनके सदस्यता अधिकार प्रबंधन परिषद् द्वारा फिर से बहाल कर दिए गए।

पूर्वोत्तर राज्यों का ऋण

3458. श्री खगेन दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों का ऋण अवहनीय स्तर तक पहुंच चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के ऋण भंडार को स्वः वहनीय बनाने के लिए क्या उपाय करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष ऋण राहत पैकेज के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के वित्तीय असंतुलन को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त मंत्रालय उन राज्यों को ऋण ग्रस्त राज्य मानता है जिनके जी.एस.डी.पी. के ऋण का अनुपात 30 प्रतिशत या इससे अधिक हो अथवा टी.आर.आर. के ऋण का अनुपात 300 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 200 प्रतिशत) हो। जी.एस.डी.पी. के ऋण संबंधी मानदंड के अनुसार सभी उत्तर–पूर्वी राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ऋण ग्रस्त राज्य हैं।

(ख) राज्यों द्वारा सम्पूर्ण उधार को सीमित कर दिया गया है ताकि ऋण के अनुचित रूप से बढ़ने पर रोक लगाई जा सके। ब्याज के भार को कम करने के लिए तथा ऋण वापिसी के लिए लघु बचत ऋणों के एक भाग का अग्रक्रयण करने के लिए भी 2002–03 से एक ऋण विनिमय स्कीम भी शुरू की गई है।

(ग) और (घ) इस समय ग्यारहवें वित्त स्कीम द्वारा संस्तुत एक ऋण राहत स्कीम चालू है। तथापि, उत्तर–पूर्व में केवल मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने इसका लाभ उठाया है। राज्य की ऋण संरचना के मुद्दे को बारहवें वित्त आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

भारत और थाइलैंड के बीच समझौता

3459. योगी आदित्यनाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और थाइलैंड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) भारत एवं थाईलैंड ने मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु बैंकाक, थाईलैंड में 9 अक्तूबर, 2003 को एक कार्य ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कार्य ढांचा करार के प्रमुख घटकों में वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश में मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। कार्य ढांचा करार में एक शीघ्र फलदायी योजना (ई एच एस) का भी प्रावधान है जिसके अंतर्गत फास्ट ट्रैक आधार पर टैरिफ की समाप्ति हेतु सामान्य मदों के बारे में सहमति हुई है।

(ग) कार्य ढांचा करार में वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश में एफ टी ए संबंधी वार्ताओं के लिए समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। टैरिफ में कमी/समाप्ति संबंधी वार्ताएं मार्च, 2005 तक सम्पन्न की जानी है ताकि वर्ष 2010 तक वस्तु व्यापार को शामिल करते हुए भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ टी ए) की स्थापना की जा सके।

[अनुवाद]

गरीब जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी

3460. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब जमाकर्ताओं के लाखों रुपए डा. मोरपेन लेबोरेट्रीज सोलन, ने कंपनी लॉ बोर्ड की मिली भगत से हड़प लिए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या परिपक्वता के बाद भी जमाकर्ताओं को भुगतान न करके कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय को लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) जमाकर्ताओं को उनकी सावधि जमा वापस दिलाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) कंपनी ने जमाकर्ताओं को ब्याज के साथ परिपक्व जमाराशियों को वापस नहीं किया था। कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए (9) के अंतर्गत, जमाराशियों की वापसी की योजना देते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। इसके अनुसार, कंपनी विधि बोर्ड ने दिनांक 19.08.2003 के आदेश द्वारा, कंपनियों को इसके द्वारा अनुमोदित सारणी के अनुसार पुनर्भुगतान करने का निर्देश दिया था। कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड के इस आदेश का पालन नहीं किया है।

(ग) जालंधर के कंपनी रजिस्ट्रार ने, सोलन (हिमाचल प्रदेश) में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए (10) के अंतर्गत, कंपनी विधि बोर्ड के आदेश का अनुपालन न करने के लिए अभियोजन दायर किया है।

दवा कंपनियों के विरुद्ध कम/अधिक इन्वॉयस के मामले

3461. मो. मुकीम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दवा कंपनियों के विरुद्ध अधिक/कम इन्वॉयसिंग के मामले बड़ी संख्या में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियां कौन-सी हैं तथा प्रत्येक मामले में शामिल शुल्क राशि कितनी है;

(ग) इन मामलों पर निर्णय लेने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों के समय पर निपटारे के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) उन औषधि कंपनियों के नाम जिनके विरुद्ध 1 करोड़ रु. और उससे अधिक उत्पाद शुल्क की अंतर्ग्रस्तता वाले अधिक/कम इन्वॉयसिंग के मामले सरकार के पास लंबित हैं, नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	मैसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लि., बड़ोदरा	31.20
2.	मैसर्स नोवा केयर प्रा. लि., फजलपुर	7.95
3.	मैसर्स डाबर इंडिया लि., गाजियाबाद	3.48
4.	मैसर्स टोरेन्ट बायो-टेक लि. बडोदरा	43.87
5.	मैसर्स कोस्मो फार्मा लि., गोवा	1.73
6.	मैसर्स सेन्टोर ड्रग हाउस, गोवा	1.08
7.	मैसर्स सी एफ एल फार्मास्यूटिकल्स लि. गोवा	12

(ग) और (घ) कुछ मामलों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मुद्दों के निपटान के उपरान्त न्याय–निर्णयन हेतु लिया जायेगा। अन्य मामलों के जल्दी न्यायनिर्णयन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मुद्दों के त्वरित निपटान हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। सभी मामलों के न्यायनिर्णयन की वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना

3462. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच माह के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में अचानक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किया गया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के प्रयोग आधारित वर्गीकरण संबंधी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के उत्पादन में समग्र विकास दरों में उतार–चढ़ाव रहा है। इस क्षेत्र तथा इसके उप–क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः 2003 और 2004 के फरवरी से जून तक पांच महीनों के लिए नीचे तालिका में दी गई हैं। कार्यनिष्पादन में उतार–चढ़ाव अनेक कारणों से होता है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ये सम्मिलित हैं – मांग और आपूर्ति, सापेक्ष मूल्य, और प्रतिस्थापनों की उपलब्धता।

आईआईपी की महीनेवार विकास दर (%में): प्रयोग आधारित वर्गीकरण

(आधार वर्ष 1993–94 = 100)

वर्ष		उपभोक्ता वस्तुएं	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं
आईआईपी में भार(%)		(28.7)	(5.4)	(23.3)
फरवरी	2003	8.2	(–)8.3	13.4
	2004	3.0	17.4	(–)0.7
मार्च	2003	3.9	(–)12.2	9.3
	2004	6.3	23.3	1.6
अप्रैल	2003	7.1	0.4	9.1
	2004	6.3	10.7	5.1
मई	2003	14.2	11.4	15.1
	2004	3.1	8.5	1.4
जून	2003	6.8	0.3	9.2
	2004	8.4	14.1	6.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(ग) सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। इनमें औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, विदेशी व्यापार तन्त्र को उदार बनाना तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कार्पोरेट करों को युक्तियुक्त बनाना शामिल हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2004–05 में अनेक घोषणाएं की गई हैं जिनसे औद्योगिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इनमें विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना करना, भारत में निवेश करने के लिए घरेलू तथा विदेशी दोनों की व्यापारियों को राजी करने तथा सुविधा देने के लिए निवेश आयोग की स्थापना करना और उत्पाद तथा सीमा–शुल्कों को युक्तियुक्त बनाना शामिल हैं। निवेश और अवसंरचना पर पुनः ध्यान देने तथा विस्तृत रोजगार कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का समावेश होगा और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

ऋण के चूककर्ता

3463. श्री रमेश बैस :

श्री सुशील कुमार मोदी :

श्री सुरेश चन्देल :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री छत्तर सिंह दरबार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिजर्व बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2003–04 के दौरान बैंकों के ऋणों का पुनर्भुगतान न करने वाले व्यक्तियों तथा कंपनियों/काली सूची में डाली गई तथा चूककर्ता घोषित की गई औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) बैंकों द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कंपनियों/व्यक्तियों को भविष्य में अग्रिम ऋण न मिल सके उसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां चूककर्ता होने के बावजूद औद्योगिक इकाइयों/कंपनियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिए; और

(ङ) पिछले वर्ष काली सूची में डाली गई ऐसी कंपनियों/व्यक्तियों से कितनी राशि वसूली गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

लघु बचतें

3464. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु जमा बचतों से राज्यों में निवेश की गई पूंजी का राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लघु बचतों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितनी राशि जमा की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसमें से राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने लघु बचत जमाओं में से लघु बचत के आबंटन के अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) 1.4.2002 से, संपूर्ण निवल लघु बचत संग्रहणों (अभिदाताओं द्वारा किए गए आहरण को घटाकर शेष जमाराशियां) को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा वाले) सरकारों को उनकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में अंतरित किया जा रहा है। इसलिए और अधिक वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान डाक घरों में जमा किए गए निवल लघु बचत संग्रहणों और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा वाले) सरकारों को अंतरित की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निवल (अभिदाताओं द्वारा आहरण को घटाकर सकल जमा राशियां) लघु बचत संग्रहण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–02		2002–03		2003–04 (प्रारंभिक)	
		लघु बचत संग्रहण	लघु बचत अंतरण	लघु बचत संग्रहण	लघु बचत अंतरण	लघु बचत संग्रहण	लघु बचत अंतरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	1797.03	1145.31	2884.74	2660.99	3363.82	3577.66
2	अरुणाचल प्रदेश	12.73	10.90	16.70	18.33	23.81	36.10
3	असम	650.26	388.52	839.77	741.85	737.80	1196.30
4	बिहार	1447.74	1310.21	1733.92	1575.21	1823.12	2068.55
5	छत्तीसगढ़	343.62	316.41	567.76	550.74	630.98	676.39
6	गोवा	270.02	131.24	187.91	200.49	212.21	473.82
7	गुजरात	3744.19	3793.43	4910.22	5081.51	6187.51	6477.28
8	हरियाणा	1130.83	881.22	1415.70	1306.86	1661.86	1707.81
9	हिमाचल प्रदेश	303.57	275.89	400.63	375.50	586.20	577.30
10	जम्मू और कश्मीर	277.46	162.49	403.33	388.12	431.99	496.76
11	झारखंड	888.95	625.28	1164.54	1025.31	1285.90	1375.89
12	कर्नाटक	1501.79	1285.14	2186.44	1977.84	2253.78	2733.05
13	केरल	479.84	462.56	1116.17	832.31	1948.00	1946.96
14	मध्य प्रदेश	1196.85	802.58	1565.07	1589.26	1937.10	2429.04
15	महाराष्ट्र	3459.22	5471.62	5144.42	7945.03	7255.68	9061.29
16	मणिपुर	14.25	25.25	22.52	9.66	18.01	19.14
17	मेघालय	25.00	25.11	39.43	32.67	38.63	50.06
18	मिजोरम	9.99	10.50	16.49	16.94	26.32	26.70

1	2	3	4	5	6	7	8
19	नागालैण्ड	13.98	7.95	12.59	16.42	14.35	12.98
20	उड़ीसा	576.24	496.21	753.30	614.64	1027.37	1014.52
21	पंजाब	1889.37	1394.85	2589.84	2627.22	2832.37	3376.01
22	राजस्थान	3100.58	2638.41	3313.04	3397.93	3444.18	4125.51
23	सिक्किम	9.41	15.22	9.14	9.49	22.82	21.98
24	तमिलनाडु	1649.94	1487.91	2646.41	2200.03	3520.17	3785.46
25	त्रिपुरा	128.04	50.53	146.67	206.88	148.25	148.11
26	उत्तर प्रदेश	3989.78	3854.67	5247.57	5074.44	5427.15	5991.74
27	उत्तरांचल	484.07	355.56	280.26	573.26	808.35	785.85
28	पश्चिम बंगाल	6616.70	5735.58	7924.69	7832.20	8439.52	8903.22
	कुल	36011.45	33160.55	47539.27	48881.13	56107.23	63095.48
1	दिल्ली	1591.63	1773.96	2880.50	3276.84	3675.01	4408.07
2	पांडिचेरी	80.79	83.65	86.17	103.51	168.38	138.40
	कुल	1672.42	1857.61	2966.67	3380.35	3843.39	4546.47
	कुल जोड़	37683.87	35018.16	50505.94	52261.40	59950.62	67641.95

अशोक पेपर मिल को बी.आई.एफ.आर. के लिए निर्दिष्ट करना

3465. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोक पेपर मिल्स की बिहार स्थित और असम स्थित इकाईयां 1990 से उसी कम्पनी अर्थात् अशोक पेपर मिल्स के अधीन थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कंपनी के मामले के रुग्ण औद्योगिक अधिनियम 1988 के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया था; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इन इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1985 में हस्ताक्षर किए गए असम समझौते के अनुसरण में, अशोक पेपर मिल (असम) का पुनरुद्धार करने संबंधी असम सरकार के प्रयासों में सहायता देने की दृष्टि से भारत सरकार ने उसके लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। उक्त उद्देश्य हेतु इस पैकेज में 67.08 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान की परिकल्पना थी। यह एक निर्बाध पैकेज नहीं है और इसमें वे मदें व संगठन निर्दिष्ट किए गए हैं जिनके लिए व जिन्हें पैकेज के तहत निधियां/राशियां देय होंगी। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक विशिष्ट कार्यकलाप मद/वित्तीय संस्था के लिए अलग-अलग रूप से निर्धारित राशियां व अब तक जारी की गई राशियां दिखाई गई हैं :-

(करोड़ रुपये)

	मद	प्रावधान	जारी की गई राशि	शेष
I.	संस्थाओं और बैंकों को देय असम इकाई के मूलधन का हिस्सा	26.30	26.30	शून्य
II.	प्रवर्तकों का अंशदान और पूंजी व्यय का 20 प्रतिशत	4.60	4.60	शून्य
III.	कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत धन (मार्जिन मनी)	2.30	2.30	शून्य
IV.	परिचालन के प्रथम दो वर्षों में रोकड़ हानियां	10.04	5.04	5.00
V.	मजदूरी आदि संबंधी बकाया सांविधिक देनदारियां	8.39	8.39	शून्य
VI.	संस्थागत ऋणों व कार्यशील पूंजी ऋणों पर बकाया ब्याज संबंधी देनदारियां (1.7.86 से 30.6.89 तक)	12.12	12.12	शून्य
VII.	जोगीघोपा इकाई के संबंध में रेलवे का बकाया	0.07	0.07	शून्य
VIII.	ब्याज और आयकर सहित सुरक्षा जमा	3.26	3.26	शून्य
	योग	67.08	62.08	5.00

असम की राज्य सरकार ने मै. अशोक पेपर मिल (असम इकाई) को वर्ष 1995 में मै. सांघी टैक्साटाइल्स लिमिटेड को पट्टे पर दिया था और बाद में जब मै. सांघी टैक्सटाइल्स लिमिटेड ने मिल को छोड़ दिया तो उसे वर्ष 2000 में मै. सोनेको पेपर एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मै. नार्थ ईस्ट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को पट्टे पर दे दिया गया।

वित्तीय पैकेज में उल्लिखित विभिन्न मदों के प्रति अब तक भारत सरकार 62.08 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। 5.00 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा तब जारी किए जाएंगे जब मिल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी और उसे नकद हानियां होंगी, यदि कोई हों।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार मिल के पुनरुद्धार हेतु मै. नॉव्यू कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड (एनसीएफएल) (निजी उद्यमी) ने 26.12.1997 से मै. अशोक पेपर मिल (बिहार इकाई) के प्रबंधन का प्रभावी रूप से नियंत्रण अपने हाथ में लिया। मै. अशोक पेपर मिल्स, बिहार इकाई ने अक्टूबर, 2001 के अंतिम सप्ताह से उत्पादन दुबारा शुरू कर दिया है और उनके कथन के अनुसार कंपनी लगभग 2000 टन कागज का उत्पादन कर चुकी थी। लेकिन, अनके कारणों से उत्पादन कार्यकलाप को जारी/बनाये नहीं रखा जा सका। सामान मशीनरी, आदि को मिल परिसर के भीतर लाने–ले–जाने पर लगाया गया प्रतिबंध (इम्बार्गो) प्रमुख कारणों में से एक रहा है।

मै. अशोक पेपर मिल्स, लिमिटेड की असम और बिहार इकाइयों में अभी कागज और कागज उत्पादों का स्थाई रूप से व निरंतर उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियां

3466. श्री बी. विनोद कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी बीमा कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या निजी कंपनियों का विचार ग्रामीण क्षेत्रों को शासित करने का है जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का ध्यान रखा जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समाज के इन वर्गों को शामिल करने वाली कंपनियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक/दिशानिर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सभी सरकारी तथा निजी बीमा कंपनियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियमावली, 2000 में निर्धारित ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना जरूरी है। विनियमों की प्रति 11 अगस्त, 2000 को सभा–पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

विवरण

निजी क्षेत्र में बीमा कंपनियों की सूची

जीवन बीमा कंपनियां

क्रम सं.	कंपनी
1	2
1.	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
2.	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
3.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
4.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
5.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
6.	एएमपी सन्मार एश्योरेंस कं. लि.
7.	अलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
8.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
9.	ओम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
10.	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
11.	मेटलाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.
12.	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इंडिया प्रा. लि.
13.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

साधारण बीमा कंपनियां

1.	रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कं. लि.
2.	बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
3.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
4.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
5.	इफ्फको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
6.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
7.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
8.	एचडीएफसी छुब जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

निगमित क्षेत्र में कम बचत दर

3467. श्री पी.के. वासुदेवन नायर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू बचत की तुलना में निगमित क्षेत्र की बचत दर बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद से एक समानुपात के रूप में, कार्पोरेट बचत घरेलू बचत के मुकाबले कम हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त पिछले तीन वर्षों की नवीनतम उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है।

चालू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार सकल घरेलू बचत

	2000–01	2001–02 (पी)	2002–03 (क्यू)
सकल घरेलू बचतः जिसमें से	23.7	23.5	24.2
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	4.1	3.5	3.4
घरेलू क्षेत्र	21.9	22.7	22.6
सरकारी क्षेत्र	–2.3	–2.7	–1.9

पी: अनन्तिम

क्यू: त्वरित अनुमान

[हिन्दी]

बैंकों में सुविधाएं

3468. श्री मो. ताहिर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और ए.टी.एम. सुविधा से युक्त हैं और उन सभी के कार्य की रेटिंग क्या है; और

(ख) इस राज्य की सभी शाखाओं को कब तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत और ए.टी.एम. सुविधायुक्त कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तन अवसंरचना संबंधी कृतक बल की रिपोर्ट

3469. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानपत्तन अवसंरचना के सुधार और पूर्वोत्तर क्षेत्र को हवाई मार्ग से जोड़ने संबंधी कृतक बल की रिपोर्ट के खंडवार क्रियान्वयन की स्थिति और हासिल की गई उपलब्धि तथा इसे पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) एल.जी.एन. की विमानपत्तन, गुवाहाटी में एयरो ब्रिज पार्किंग स्थल के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पुन: बहाल करने संबंधी निष्पादन स्थिति क्या है; और

(ग) ए.टी.आर. विमान द्वारा जोड़े गए मार्गों के किराए को उचित रखने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और कनैक्टिविटी को बढ़ाने हेतु क्या योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, प्राप्त की गई उपलब्धियों तथा पूरा किए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों सहित, विमान सम्पर्कता तथा हवाईअड्डा आधार संरचना में सुधार पर कृतक बल रिपोर्ट का कार्यान्वयन तथा स्थिति का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ख) दो यात्री बोर्डिंग पुलों (एयरोब्रिजों) की संस्थापना के लिए तथा पार्किंग लॉट के विस्तार के लिए रेखांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। कार्य को 2004–05 के दौरान किए जाने की आशा है।

(ग) एटीआर विमान से प्रचालित मार्ग पर किराये का निर्धारण, इंडियन एलरलाइंस द्वारा अन्य प्रकार के विमान द्वारा प्रचालित मार्गों पर किराये निर्धारण के मानकों के आधार पर किया जाता है। 28.7.2004 से एलाइंस एयर ने गुवाहाटी में एक विमान बेस किया है जो निम्नलिखित प्रदान करते हैं :–

(i) गुवाहाटी और कोलकाता के बीच एक प्रात:कालील उड़ान;

(ii) सिलचर तथा शिलांग के बीच एक नया विमान सेवा सम्पर्क; तथा

(iii) कोलकाता से होकर यात्रियों को अधिक विमान सेवा सम्पर्कता।

विवरण

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में हवाईअड्डा अवसंरचना और हवाई संपर्कों को सुधारने के लिए कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

पैरा सं.	कार्यबल की सिफारिशें	हवाईअड्डा	स्थिति	लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
8.4.1	नये टर्मिनल भवनों का निर्माण/विस्तार	गुवाहाटी	टर्मिनल भवन का विस्तार कार्य 12/2001 में पूरा किया गया।	27.55

1	2	3	4	5
		अगरतला	500 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध कार्य 25 दिसम्बर, 2002 को पूरा कर लिये गये।	27.55
		इम्फाल	650 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध कार्य 6.9.1999 को पूरा कर लिये गये।	17.94
		तेजपुर	400 यात्रियों और 2 ए–320 विमानों के लिए नये सिविल एन्क्लेव तथा संबद्ध कार्य 6/2002 में पूरा कर लिये गये।	21.50
		लीलाबड़ी	400 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध सुविधाए 9.10.2002 को पूरी कर ली गई।	18.45
		लेंगपूई (मिजोरम) (राज्य सरकार परियोजना)	400 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध सुविधाएं 13.10.2002 को राज्य सरकार द्वारा पूरी कर ली गई।	13.00
		तुरा (मेघालय) (राज्य सरकार परियोजना)	एएआई द्वारा राज्य सरकार की ओर से 100 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध कार्य प्रगति पर है।	12.21
		डिब्रूगढ़	400 यात्रियों के लिए नये टर्मिनल भवन तथा संबद्ध कार्य 2004–05 के अंतिम तिमाही में आरंभ किए जाने की संभावना है।	24.58
8.4.2	रनवे का विस्तार	अगरतला	6000 फीट से 7500 फीट करना और संबद्ध कार्य जून, 2004 में पूरे किए गए।	28.70
		लीलाबाड़ी	5400 फीट से 7500 फीट करना और संबद्ध कार्य 9.10.2002 में पूरे किए गए।	16.31
		डिब्रूगढ़	6000 फीट से 8000 फीट करना और संबद्ध कार्य 17.6.2004 को अवार्ड किए गए और मार्च, 2006 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।	14.00
		सिल्चर	5850 फीट से 7500 फीट करना और संबद्ध कार्य 1.11.2001 को संस्वीकृत किए गए। कार्य को अवार्ड नहीं किया जा सका चूंकि एआईएफ/एमओडी से एनओसी अभी प्रतीक्षित है।	31.00

1	2	3	4	5
8.4.3	हवाईअड्डा विकास कार्यों के लिए भूमि का अर्जन	सिल्चर	रनवे के विस्तार तथा एप्रोच लाइटिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 33 एकड़ भूमि का अर्जन 6.3.2000 को पूरा कर लिया गया।	1.53
		अगरतला	रनवे के विस्तार तथा एप्रोच लाइटिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 42 एकड़ भूमि का अर्जन 2.12.1999 को पूरा कर लिया गया।	0.90
		गुवाहाटी	आईसोलेशन बे के निर्माण, एप्रोच लाइटिंग प्रणाली की स्थापना तथा पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए 274 एकड़ भूमि का अर्जन प्रगति पर है। राज्य सरकार की ओर से मांग प्रतीक्षित है।	
		बारापानी	हवाई अड्डा बी–737 किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः रनवे विस्तार के लिए भूमि के अर्जन को रोक लिया गया है।	
		डिब्रूगढ़	नए टर्मिनल भवन तथा रनवे विस्तार के लिए 289 बी–6 के–31 एल (लगभग 125 एकड़) भूमि अर्जन 5.2.2004 को पूरा कर लिया गया।	3.22
8.4.4	हवाई अड्डे के लिए पहुंच मार्ग	अगरतला, आईजोल, सिल्चर, जारेहाट, तुरा, बारापानी, लीलाबाड़ी	राज्य सरकारों ने नगर के केन्द्र से हवाई अड्डों तक पहुंच मार्ग में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।	
8.4.5	ईटानगर और लीलाबाड़ी के बीच सड़क सम्पर्क में सुधार		राज्य सरकार/एनईसी से संबंधित है। एएआई को स्थिति ज्ञात नहीं है।	
8.4.6	इन्स्ट्रूमैंट लैडिंग सिस्टम और आरवीआर उपस्कर का प्रावधान	सिल्चर	रनवे विस्तार के लिए एएयक्यू/एमओडी से एनओसी प्रतीक्षित है। आई एल एस कार्य को रनवे कार्य के पूर्ण होने के बाद हाथ में लिया जाएगा।	
		तेजपुर	हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। अतः इसे भारतीय वायु सेना को प्रदान किया जानाा चाहिए।	
		दीमापुर	कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर 2004 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।	2.50

1	2	3	4	5
		जोरहाट	हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। अतः इसे भारतीय वायु सेना को प्रदान किया जाना चाहिए।	
		लीलाबाड़ी	उपस्कर उपलब्ध हैं। ग्लाइड पाथ की स्थापना के लिए भूमि अभी तक नहीं सौंपी गई है और न ही राज्य सरकार द्वारा रुकावट हटाई गई है।	2.50
8.4.7	वी ओ आर, डी एम ई तथा दृश्य सहायताओं का प्रावधान	लीलाबाड़ी	प्रावधान कर दिया गया है।	1.75
		बारापानी, (शिलांग)	डी वी ओ आर का प्रावधान मार्च 2004 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।	1.25
	एप्रोच लाइटें तथा हाईइन्टेन्सिटी रनवे एज लाइटें	डिब्रूगढ़	उपलब्ध है। एप्रोच लाइटों का प्रावधान रनवे विस्तार कार्य के साथ–साथ मार्च 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।	
		लीलाबाड़ी	रनवे एज लाइटें उपलब्ध हैं। एप्रोच लाइटों का कार्य आईएल एस कार्य के साथ पूरा कर लिया जाएगा।	
		लेंगपुई (आइजोल)	रनवे एज लाइटें उपलब्ध हैं। भूमि संबंधी समस्याओं के कारण एप्रोच लाइटें प्रदान नहीं की जा सकतीं।	
		बारापानी	आवश्यक नहीं हैं चूकिं बारापानी से प्रचालन दृश्य मौसमी परिस्थितियों (अच्छे मौसम) में होता है।	
8.4.8	रात्रि प्रचालनों के लिए सुविधायें	डिब्रुगढ़, जोरहाट, तेजपुर, लीलाबाड़ी और सिल्चर	ग्राउंड लाइटिंग सुविधायें डिब्रुगढ़, जोरहाट (आईएएफ), लीलाबाड़ी, तेजपुर (आईएएफ) में उपलब्ध हैं मगर सिल्चर में उपलब्ध नहीं हैं। इसे ए एच क्यू/एम ओ डी से एन ओ सी मिलने पर रनवे विस्तार के साथ प्रदान किया जाएगा। रात्रि प्रचालनों की अनुमति के बारे में, डीजीसीए द्वारा अध्ययन किया जाना है।	
8.4.9	हवाई अड्डों के आसपास रुकावटें हटाना	अगरतला	हटा दी गई	
		पासीघाट	कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। एयरलाइनों की ओर से उनकी अनुसूचित सेवा शुरू करने के लिए काई मांग नहीं है।	

1	2	3	4	5
		तुरा	एयरलाइनों की आरे से उनकी अनुसूचित सेवा शुरू करने के लिए कोई मांग नहीं है। पहाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा हटाया जाएगा।	
		दीमापुर	एचटी/एलटी लाइनें भूमिगत कर दी गई हैं और एनटीपीसी की एचटी लाइनों के अलावा कार्य पूरा कर दिया गया है जिसके लिए एनटीपीसी से पत्र व्यवहार जारी है। भवनों को हटाने का कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर 2004 तक पूरा किए जाने की संभावना है।	3.02
8.4.10	हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी कार्य	इम्फाल	पैरीमीटर फैसिंग उपलब्ध है।	
		शिलांग	पैरीमीटीर की दीवार मार्च 2004 में निर्मित की गयी।	1.90
		सिल्चर	नियत्रंण मीनारों की उंचाई को बढ़ाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।	
		दीमापुर	रनवे की पट्टी को समतल करना प्रगति पर है और दिसम्बर 2004 में पूरा किये जाने की संभावना है।	3.50
		डिब्रुगढ़	मूल पट्टी से रुकावट हटा ली गई हैं। पैरीमीटर सड़क तथा नए फायर स्टेशन का कार्य रनवे कार्य के साथ किया जाएगा।	
8.4.11	हवाई अड्डों पर बिजली पानी आपूर्ति	गुवाहाटी, आइजोल, बारापानी	क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, उत्तरपूर्व क्षेत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। 2004–05 तक पूरा किये जाने की संभावना है।	
8.4.12	हवाई अड्डे की सुरक्षा एवं इसके कार्मिक	इम्फाल, दीमापुर	स्टाफ को रोटेशन एएआई की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जा रहा है। हवाई अड्डा सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात की गई है।	
8.4.13	आईएएफ हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान	जोरहाट, तेजपुर, सिल्चर	पीएपीआई और स्पीच सर्किट एएआई द्वारा प्रदान किये जाएंगे।	
8.4.14	हवाई अड्डा परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा किया जाना	एनईआर के हवाई अड्डों पर अधिकांश कार्य पूरे कर लिए गए हैं सिवाय सिल्चर, जहाँ एमओडी से एनओसी प्रतीक्षित है, और डिब्रुगढ़, जहाँ राज्य सरकार ने फरवरी 2004 मे एएआई को सारी भूमि सौंप दी है। आशा है कि एनईआर के हवाई अड्डों में सभी मुख्य विकास कार्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।		

1	2	3	4	5
8.4.15	आईएएफ एयरफील्ड पर अलग–अलग संचार आवृत्ति	आईएएफ से संबंधित है।		
8.4.16	हवाई सेवाओं में सुधार	एलांइस एयर ने गुवाहाटी को सिल्चर आइजोल, इम्फाल, लीलाबाड़ी, दीमापुर से जोड़ने वाली एटीआर–42 विमान सेवायें आरंभ की हैं। एलांइस एयर द्वारा शिलांग को भी कोलकाता से जोड़ दिया गया है। गुवाहाटी पहले से ही जेट विमान द्वारा डिब्रुगढ़, इम्फाल, अगरतला, जोरहाट तथा तेजपुर हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है।		
8.4.17	50 सीटर विमानों का समावेश	एलायंस एयर ने 4 एटीआर–42 लीज पर अर्जित किए हैं और 2 खास तौर पर उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं।		
8.4.18	हेलीकाप्टर और हेलीकाप्टर सेवा	हेलीकाप्टर प्रचालनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्णीत एक नीतिगत मामला है।		
8.4.19	मौद्रिक उपाय और हवाई सेवाओं को व्यवहार्य बनाना	राज्य सरकारों द्वारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर से बिक्री कर को हटाना अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र को/से/के भीतर हवाई सेनाओं पर अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर से पूरी छूट भारत सरकार द्वारा निर्णीत किया जाने वाला एक नीतिगत मामला है। एएआई ने पहले ही अधिकतम 20 टन (50 सीटर) श्रेणी के विमानों पर लैंडिंग, पार्किंग, मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार घटा दिए हैं। जहाँ तक यात्री सेवा शुल्कों का संबंध है, यह भारत सरकार द्वारा निर्णीत किया जाने वाला एक नीतिगत मामला है। जहाँ तक, राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए एएआई और एयरलाइनों को सहायता देने के लिए, विमानन विकास निधियों का संबंध है, इसे भी भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है। हवाई यात्रा की हकदारी को कम करके क्षेत्र में केन्द्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को हवाई यात्रा में प्रोत्साहन देना भारत सरकार द्वारा निर्णीत किया जाने वाला एक नीतिगत मामला है।		
8.4.20	यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधायें	यात्रियों के लिए मूलभूत न्यूनतम सुविधायें जैसे पानी, उर्जा, साफ टायलेट, बैगेज ट्रालियां, पर्याप्त कार पार्किंग आदि उत्तरपूर्व क्षेत्र के उन सभी हवाई अड्डों पर प्रदान की जा रही हैं जिनका अनुरक्षण एएआई द्वारा किया जा रहा है।		
8.4.21	नागर विमानन विकास निधियां	भारत सरकार को इस मामले को अंतिम रूप देना है।		
8.4.22	एएआई को उत्तरपूर्व परिषद अनुदान	उत्तरपूर्व परिषद उत्तरपूर्व क्षेत्र के हवाई अड्डों पर पूंजीगत अवसंरचना के विकास पर 60 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान कर रही है।		
8.4.23	प्रतिरक्षा हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा राजस्व का बंटवारा	मामले को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।		

हवाई सम्पर्क

सेक्टर	साप्ताहिक प्रचालन				कुल साप्ताहिक विमान
	इंडियन एयरलाइंस	एलाइंस एयर	जेट एयरवेज	एयर सहारा	
1	2	3	4	5	6
अगरतला–गुवाहाटी		6(एटीआर) 1(बी–737)	4(बी–737)	–	11
अगरतला–कोलकाता	2(ए–320)	7(एटीआर) 15(बी–737)	7(बी–737)	–	31
अगरतला–सिल्चर	–	2(एटीआर)		–	2
आईजोल(लेगपूई)–दीमापुर	–	1(एटीआर)		–	1
आईजोल(लेगपूई)–गुवाहाटी	–	4(एटीआर)		–	4
आईजोल(लेगपूई)–इम्फाल	–	3(बी–737)		–	3
आईजोल(लेगपूई)–कोलकाता	–	4(एटीआर) 3(बी–737)			7
आईजोल(लेगपूई)–शिलांग	–	2(एटीआर)		7(बी–737)	2
डिब्रूगढ़–दिल्ली	–	–		7(बी–737)	7
डिब्रूगढ़–गुवाहाटी	–	–			7
डिब्रूगढ़–कोलकाता	5(ए–320)	–			5
दीमापुर–आईजोल		1(एटीआर)			1
दीमापुर–गुवाहाटी	–	5(एटीआर)			5
दीमापुर–जोरहाट	–	1(बी–737)			1
दीमापुर–कोलकाता	–	2(बी–737)			7
		5(एटीआर)			
दीमापुर–शिलांग	–	2(एटीआर)			2
गुवाहाटी–अगरतला	–	6(एटीआर)			11
		5(बी–737)			
गुवाहाटी–आइजोल	–	4(एटीआर)			4
गुवाहाटी–बागडोगरा		3(बी–737)			6
गुवाहाटी–दिल्ली	4(ए–320)	2(बी–737)			17
गुवाहाटी–डिब्रूगढ़		–			7

1	2	3	4	5	6
गुवाहाटी–दीमापुर		5(एटीआर)			5
गुवाहाटी–इम्फाल	2(ए–320)	2(एटीआर)	5(बी–737)		9
गुवाहाटी–जोरहाट			2(बी–737)		2
गुवाहाटी–कोलकाता	7(ए–320)	7(एटीआर)	18(बी–737)	7(बी–737)	39
गुवाहाटी–लीलाबाड़ी		2(एटीआर)			2
गुवाहाटी–सिल्चर		5(एटीआर)			5
इम्फाल–आइजोल	3(बी–737)				3
इम्फाल–गुवाहाटी	2(ए–320)	2(एटीआर)	5(बी–737)		9
इम्फाल–कोलकाता			6(बी–737)	6(बी–737)	12
इम्फाल–सिल्चर		5(एटीआर)			5
जोरहाट–गुवाहाटी			2(बी–737)		2
जोरहाट–कोलकाता		2(बी–737)	2(बी–737)		4
लीलीबाड़ी–गुवाहाटी		2(एटीआर)			2
शिलांग–आइजोल		2(एटीआर)			2
शिलांग–दीमापुर		2(एटीआर)			2
शिलांग–कोलकाता		3(एटीआर)			3
सिल्चर–अगरतला		2(एटीआर)			2
सिल्चर–गुवाहाटी		4(एटीआर)			4
सिल्चर–इम्फाल		7(एटीआर)			7
सिल्चर–कोलकाता		8(एटीआर) 2(बी–737)			10
तेजपुर–दीमापुर		1(बी–737)			1
तेजपुर–जोरहाट		2(बी–737)			2
तेजपुर–कोलकाता		2(बी–737)			2

और आगे के ब्यौरे संबंधित एयरलाइनों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनः रोजगार

3470. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्री यलम्मा कॉटन, वूलन और सिल्क मिल्स, थोलाहनसी, देवनगेरे, कर्नाटक आदि केन्द्र सरकार के उपक्रमों में और 168 बदली और नैमित्तिक कर्मचारियों के पुनरुद्धार और पुनः रोजगार देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या सभी बदली और नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सभी बदली और नैमित्तिक कर्मचारियों को कब तक पुनः रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (च) श्री यलम्मा मिल्स, देवनगरे में 71 बदली कामगारों ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम से अनुरोध किया कि उनकी सेवाएं स्थायी कामगारों के रूप में नियमित की जाएं। परंतु इस प्रकार के अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह मिल पूर्ण क्षमता पर कार्य करे। तब तक उन्हें प्रचालनात्मक आवश्यकता के अनुसार जरूरत होने पर नियुक्त किया जा रहा है।

कोल इंडिया लि. द्वारा बड़ी परियोजनाओं में धनराशि का निवेश

3471. श्री नकुल दास राई :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने आयात को कम करने के लिए अनेक बड़ी परियोजनाओं में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना पर निवेश किए जाने वाली राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. ने वर्ष 2011-02 तक 445 मिलियन अन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और तैयार की गई योजना क्या है;

(च) कोल इंडिया लि. के पास कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं और कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाएं विचाराधीन हैं; और

(छ) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय स्रोत क्या हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) और (ख) कोल इंडिया ने 10वीं योजनावधि के दौरान शुरू की जाने वाली 99 परियोजनाओं का पता लगाया है, जिनमें प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक निवेश वाली 27 परियोजनाएं भी शामिल हैं। वर्तमान आकलन के अनुसार 100 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली इन 27 परियोजनाओं हेतु कुल परिकल्पित निवेश 17212.04 करोड़ रु. है। परियोजना-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	अनुमानित पूंजी (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	राजमहल विस्तार (विस्तार) ओपनकास्ट	1008.68
2.	चुपरबिटा ओसी	605.54
3.	झांजरा लांगवाल भूमिगत (यूजी)	267.70
4.	हुरा सी ओसी	353.45
5.	अशोक विस्तार ओसी	397.89
6.	नार्थ उरीमरी	373.72

1	2	3
7.	कोनार ओसी	193.15
8.	मगध ओसी	1013.37
9.	अमरापाली ओसी	1000.95
10.	कृष्णाशिला ओसी	763.55
11.	ब्लाक बी ओसी	693.33
12.	वीना विस्तार ओसी	797.93
13.	खादीया विस्तार ओसी	2104.11
14.	अमलोहरी विस्तार ओसी	1905.27
15.	दिपका विस्तार ओसी	1246.74
16.	गेवरा विस्तार ओसी	1661.32
17.	कुशमुण्डा विस्तार ओसी	675.47
18.	वसुन्धरा वेस्ट ओसी	176.55
19.	भुवनेश्वरी ओसी	607.68
20.	गरजनबहल ओसी	547.51
21.	कनिहा ओसी	171.89
22.	कुलदा ओसी	713.23
23.	गोपालप्रसाद ओसी	697.18
24.	सियाराम ओसी	640.00
25.	तालाबेरा–II ओसी	320.00
26.	तालाबेरा–III ओसी	466.11
27.	कनिहा–II ओसी	600.00

(ग) महानदी कोलफील्ड्स लि. की एक परियोजना नामतः वसुन्धरा वेस्ट ओसी सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है और 2006–07 तक पूरी कर दी जाएगी। 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक की लागत वाली शेष 26 परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं और स्वीकृति की तारीख से लेकर 3–7 वर्षों के भीतर पूरी हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2011–12 तक 445 मि.ट. उत्पादन का अनुमान लगाया है।

इसे प्राप्त करने के लिए, नई परियोजनाओं से प्रमुख शेयर का अनुमान लगाया गया है। 2011–12 में अनुमानित उत्पादन का ग्रुप–वार ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

ग्रुप	उत्पारन (मि.ट.)
मौजूदा खानें	17.43
पूरी की गयी परियोजनाएं	135.87
चालू परियोजनाएं	45.85
नई परियोजनाएं	245.85
कुल सीआईएल	445.00

(च) विचाराधीन 27 परियोजनाओं की सूची उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर में दी गयी है। झांजरा चरण–I, झारखण्ड, निगाही विस्तार, दुधीचुआ विस्तार तथा पुटकी बलिहारी, सीआईएल की 100 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाएं हैं।

(छ) परियोजनाओं को आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों (आईईबीआर) से वित्त–पोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

जूतों का निर्यात-आयात

3472. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को जूतों का निर्यात किया गया था उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन देशों से जूतों का आयात किया गया था उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जूतों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में जूतों के आयातों एवं निर्यातों का देशवार ब्यौरा क्रमशः विवरण–I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ बाजार विकास सहायता (एम डी ए) और बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमों के जरिए जूतों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं। विभिन्न विदेशी बाजारों में बाजार संवर्धन कार्यकलापों के लिए वर्ष 2004–2005 के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी है जिसमें प्रचार और छवि निर्माण अभियान, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी और डिजाइन स्टुडियो स्थापित करने तथा विदेशों में वेयर हाऊसों/शो रूमों की स्थापना करने के लिए भारतीय निर्यातकों को सहायता देना शामिल हैं। सरकार ने लैटिन अमरीकी और कैरीबियन देशों, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सी आई एस), अफ्रीका और दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियान) ने फोकस कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों की योजना भी बनाई है।

विवरण-I

चमड़े के फुटवियरों का भारतीय निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4
जर्मनी	113.65	103.68	135.24
यू एस ए	86.17	85.83	79.90
यू के	153.41	141.46	138.30
इटली	91.67	73.34	96.28
फ्रांस	30.70	34.84	46.07
हांगकांग	1.80	2.04	1.76
स्पेन	12.19	19.46	32.66
रूस	1.28	0.47	0.27
नीदरलैंड	19.76	16.63	19.25
आस्ट्रेलिया	10.29	10.61	7.91
न्यूजीलैंड	1.39	1.51	1.59
डेनमार्क	5.73	5.78	10.35
ग्रीस	2.19	5.73	10.69
कनाडा	9.84	10.14	8.39
स्विटजरलैंड	5.99	4.33	4.92
स्वीडन	5.55	6.09	6.03
दक्षिण अफ्रीका	4.20	2.30	5.42
ऑस्ट्रिया	6.23	5.61	9.14
बेल्जियम	7.29	7.56	8.30
जापान	2.97	2.03	1.91
पुर्तगाल	16.81	16.57	13.10
चीन	0.08	0.14	0.24
आयरलैंड	1.10	1.40	1.47
यू ए ई	8.95	9.50	11.91
इंडोनेशिया	0.15	0.52	1.11
कोरिया गणराज्य	0.34	0.28	0.30
फिनलैंड	1.54	1.21	1.14
सऊदी अरब	1.93	2.30	3.07
अन्य	26.12	27.23	32.78
कुल	629.32	598.59	689.52

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

गैर–चर्म फुटवियरों का भारतीय निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4
जर्मनी	1.68	1.97	10.60
यू एस ए	2.12	4.02	8.65
यू के	3.96	4.47	14.70
इटली	4.66	5.82	9.89
फ्रांस	1.25	1.83	3.40
हांगकांग	0.22	0.03	0.09
स्पेन	0.50	0.65	4.60
रूस	0.31	0.02	0.00
नीदरलैंड	0.29	0.32	0.91
आस्ट्रेलिया	0.64	0.49	0.51
न्यूजीलैंड	0.50	0.11	0.28
डेनमार्क	0.05	0.23	1.26
ग्रीस	0.01	0.13	0.56
कनाडा	0.12	0.21	0.38
स्विटरजलैंड	0.27	0.36	0.78
स्वीडन	0.17	0.11	0.27
दक्षिण अफ्रीका	0.12	0.18	0.78
ऑस्ट्रिया	0.10	0.09	0.88
बेल्जियम	0.07	0.02	0.31
जापान	0.06	0.11	0.11
पुर्तगाल	0.32	0.27	2.04
चीन	0.01	0.00	0.00
आयरलैंड	0.04	0.02	0.00
यू ए ई	2.20	2.12	2.62
इंडोनेशिया	0.24	0.02	0.11
फिनलैंड	0.05	0.01	0.05
सऊदी अरब	0.53	0.65	0.80
अन्य	5.97	2.63	4.43
कुल	26.02	26.88	69.00

स्रोतः डी जी सी आई एंड एस

विवरण-II

चमड़े के फुटवियरों का भारतीय निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2000–01	2001–02	2002–03*
1	2	3	4
चीन	0.75	0.61	0.93
फ्रांस	0.01	0.00	0.05
जर्मनी	0.00	0.00	0.04
हांगकांग	0.31	0.08	0.01
इंडोनेशिया	0.34	1.68	0.16
इटली	0.08	0.05	0.04
नेपाल	0.20	0.08	0.07
स्पेन	0.00	0.00	0.01
यू ए ई	0.03	0.00	0.01
यू के	0.05	0.01	0.03

1	2	3	4
यू एस ए	0.04	0.45	0.01
अन्य	0.50	0.56	0.56
कुल	2.32	3.52	1.93

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, वार्षिक संख्या

* नवीनतम उपलब्ध

गैर–चर्म फुटवियरों का भारतीय आयात

(मिलियन अमरीकी डालर में देश)

देश	2000–01	2001–02	2002–03*
ऑस्ट्रेलिया	0.00	0.01	0.01
ब्राजील	0.00	0.00	0.01
चीन	2.34	1.61	1.44
फ्रांस	0.07	0.01	0.00
जर्मनी	0.22	0.06	0.13
हांगकांग	0.38	0.11	0.29
इंडोनेशिया	0.55	0.49	0.20
इटली	0.18	0.22	0.18
नेपाल	1.07	1.14	1.27
नीदरलैंड	0.01	0.00	0.00
स्पेन	0.03	0.00	0.00
यू ए ई	0.04	0.06	0.08
यू के	0.10	0.03	0.08
यू एस ए	0.07	0.04	0.13
अन्य	0.98	0.89	2.25
कुल	6.02	4.65	6.07

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

* नवीनतम उपलब्ध

[अनुवाद]

बकाया करों की वसूली

3473. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छः माही में व्यक्तियों और कम्पनियों पर भारी कर बकाया राशि की वसूली हेतु कर अधिकारियों का निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी बकाया राशि का आकलन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में बकाया राशि की वसूली के लिए एक कार्य बल का गठन किया है जिसके साथ बकाया करों की वसूली के लिए एक बहु – आयामी रणनीति विकसित करने तथा कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया है। यह कार्य बल मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर की प्रमुख समितियों के कार्यकरण का समन्वयन तथा पर्यवेक्षण करेगा और विभिन्न मुद्दों जिनमें वसूली के लिए संभावित मामलों की पहचान, अपीलों का शीघ्र निपटान, स्थगन को रद्द करना, वसूली के लिए परिसम्पत्तियों की पहचान आदि शामिल है, पर आयकर प्राधिकारियों को निदेश जारी करेगा। कार्य बल करदाताओं को स्वैच्छिक रूप से अपने बकाया करों की अदायगी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक मल्टी–मीडिया जन जागृति अभियान भी विकसित करेगा और उसे चलाएगा।

(ग) 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया राशि का मूल्यांकन करने पर सरकार ने पाया है कि 84,219 करोड़ रुपए की कुल बकाया मांग में से 58,447 करोड़ रुपए की मांग विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों आदि के समक्ष विवादग्रस्त है जिसमें इन अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए स्थगन की 9,887 करोड़ रुपए की मांग राशि भी शामिल है। बकाया राशि के एक बड़े हिस्से की विभिन्न कारणों से तात्कालिक वसूली नहीं की जा सकती जिसमें घोटाला मामलों से संबंधित मांगें, बी.एफ.आई.आर. अथवा समझौता आयोग के समक्ष पड़े हुए मामले, समापन के अधीन होने वाली कम्पनी आदि शामिल हैं।

ऑनलाइन लॉटरी आपरेटरों द्वारा कर अपवंचन

3474. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन लाटरी आपरेटरों द्वारा कथित कर अपवंचन संबंधी रिपोर्टों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) ऑन लाइन लॉटरी आपरेटरों द्वारा कर–अपवंचन को कोई मामला आयकर विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के पास पूंजी की कमी

3475. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पास पूंजी की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एअर इंडिया की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 153.84 करोड़ रुपए है जबकि इंडियन एयरलाइंस की इक्विटी पूंजी आधार 107.14 करोड़ रुपए है। व्यापार की पूंजीगत गहन प्रकृति को देखते हुए, दोनों एयरलाइनों के चालू इक्विटी आधार को पर्याप्त नहीं समझा जाता। इन एयरलाइनों के इक्विटी आधार को बढ़ाने को प्रश्न उनके विमान अर्जन प्रस्तावों से जुड़ा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण

3476. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों को सरकारी विभागों और स्वशासी संस्थानों तथा संबद्ध कार्यालयों अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों सहित, नौकरियों में आरक्षण नीति का सख्ती से पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने पद नहीं भरे गए हैं; और

(घ) सरकार ने इन रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए क्या कदम उठाए है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र उत्पादन

3477. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वस्त्र उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार और वर्षवार विभिन्न देशों को कितना वस्त्र निर्यात किया गया;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के क्षेत्र में भारत का प्रतिशत व स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003–2004 और 2004–2005 में वस्त्र निर्यात को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वस्त्र उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं :–

यार्न मिलियन कि.ग्रा. में
कपड़ा मिलियन मीटर में
पटसन का सामान हजार मीटरी टन में

मदें	2001–02	2002–03	2003–04(अनं)
(क) यार्न (कुल)	4064	4181	4165
क) सूती यार्न	2212	2177	2117
ख) ब्लेंडिड और 100% गैर–सूती यार्न (स्पन रूप में)	889	904	930
ग) मानव निर्मित फिलेमेंट यार्न (सिंथेटिक यार्न सहित)	963	1100	1118
(ख) कपड़ा (कुल)	41390	41311	41547
क) मिल (गैर–लघु उद्योग के बुनाई एककों सहित)	1546	1496	1425
ख) विद्युत करघे (हौजरी सहित)	32259	33835	34586
ग) हथकरघा	7585	5980	5536
(ग) पटसन का सामान	1600.8	1621.8	1571.3

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001–02, 2002–03 और 2003–04 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान शीर्ष 10 देशों को वस्त्रों के निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं :–

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रम सं.	देश	2001–02	2002–03	2003–04 (अप्रैल–अक्टूबर)
1	2	3	4	5
1	यू.एस.ए.	2374.34	2908.34	1588.41
2	यू.ए.ई.	691.04	804.95	535.65
3	यू.के.	743.55	833.14	473.86
4	एफ.आर.जी.	622.02	745.48	429.09
5	फ्रांस	460.65	519.72	275.96
6	इटली	398.63	429.61	252.92
7	कनाडा	308.77	389.05	188.69
8	सऊदी अरब	201.92	250.26	177.25
9	स्पेन	209.46	277.34	165.12
10	रूस	371.67	285.41	150.60
11	अन्य देश	4006.54	4464.86	2617.73
	कुल	10388.59	11888.14	6855.30

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के क्षेत्र में भारत का प्रतिशत अंशदान और स्थिति क्रमशः 3.13% और 7वीं है।

(घ) से (च) वर्ष 2004 के अंत तक विश्व के वस्त्र और क्लोदिंग के बाजारों के एकीकरण सहित बदलते हुए विश्व परिवेश के कारण सामने आई नई चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नवंबर, 2000 में एक राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की ताकि सुदृढ़ और गतिशील

वस्त्र उद्योग विकसित किया जा सके जो स्वीकार्य कीमतों पर अच्छी कोटि का कपडा उत्पादित करने के साथ–साथ विश्व बाजार में अपने अंशदान को बढ़ाने के वास्ते अन्य वस्त्र उत्पादक देशों के साथ विश्वास से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) केंद्रीय बजट 2004–2005 में :–

- टेक्स्चराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़ कर समस्त मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प दिया गया है।

- वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है

- विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल–पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।

(3) वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए टीयूएफएस के अनुरूप विशिष्ट मशीनों में निवेश करने के लिए 20% पूंजीगत सहायता उपलब्ध है जिसमें सहायता राशि की अधिकतम सीमा 12 लाख रु. है।

(4) 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण वाले संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

(5) लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित करना। साथ ही निटेड/हौजरी क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करना।

(6) संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के वास्ते निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई।

(7) महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में इन्फ्रास्ट्रक्टचर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र विकास योजना (टीसीआईडीएस) भी शुरू की गई है।

(8) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया।

(9) घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए अनेक वस्त्र मदों के आयात पर सम मूल्य और विशिष्ट शुल्क का सम्मिश्रण "इसमें से जो भी अधिक हो के आधार पर" लागू करना।

(10) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान करना। कुछ विशिष्ट मशीन मदों पर सीमा शुल्क घटा कर और उत्पाद शुल्क समाप्त कर मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है।

(11) वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार विपणन विकास सहायता (एम डी ए) योजना के तहत वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(12) नियमित आधार पर आयात की बारीकी से मॉनीटरिंग ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को आयात के कारण कोई गंभीर खतरा नहीं पहुंच रहा है। यदि कोई अनुचित व्यापार की परिपाटियां जानकारी में आती हैं तो आवश्यक होने पर डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(13) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(14) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई है ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

(15) कतिपय अपवादों के साथ वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई।

(16) वापसी मार्ग के माध्यम से निर्यात पर करों एवं शुल्कों की वापसी।

प्रगति मैदान में पट्टे पर रेस्टोरेन्ट

3478. डा. टोकचोम मैन्या : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान में बड़ी संख्या में रेस्टोरेन्ट्स पट्टे पर दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) इन रेस्टोरेन्टों से वसूल किए जाने वाले बकाया लाइसेंस शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रेस्टोरेन्ट्स ने समझौते के नियमों की अवज्ञा की है;

(ङ) यदि हाँ, तो इन पर लगाए गए जुर्माने और दंड का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आई टी पी ओ के अधिकारियों के विदेशी दौरों संबंधी व्यय का उचित रूप से हिसाब–किताब अथवा लेखा परीक्षा नहीं की गयी है; और

(छ) यदि हाँ, तो मंत्रालय इस प्रकार की अनियमितताओं से किस प्रकार निपटेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में आगन्तुकों को उत्तम गुणवत्ता और सस्ता भोजन/पेय पदार्थों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एक भोजनालय और भोजन क्योस्को को लाइसेंस दिए गए थे जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है :–

(i) भोजनालय: प्रगति मैदान में वाटिका नामक केवल एक भोजनालय के लिए मै. भयाना टेंट्स एंड डेकोरेटर्स को 10 वर्ष की अवधि के लिए एक रेस्टोरेंट बैंकट चलाने हेतु दिनांक 2.8.2001 को लाइसेंस दिया गया है।

(ii) भोजन क्योस्क: पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारकली फूड प्लाजा कॉम्पलैक्स में समय–समय पर अल्पकालिक लाइसेंस (5–9) के आधार पर निम्नलिखित भोजन क्योस्क आबंटित किए गए थे :–

अप्रैल 2001 से मार्च, 2002–मदर डेयरी, पटेल कैटरर्स, पेप्सी फूड्स लि., अवध कोर्ट, काकोरी मुगल फूड्स, स्नैपी स्नेक्स, निजाम्स काठी कबाब, ओरिएन्टल रेस्टोरेंट, हरिओम चाट भंडार, ओंकार कुलचे वाला, गुलिस्ता कैटरिंग सर्विसिज, सनशाइन कैटरर्स, रविराज दी कुल्फी, शीशमहल कुलचे वाला, हिन्दुस्तान कोका कोला, एम यू इटिंग प्वाइंट (टुंडे कबाब), नेटवर्क इनकार्पोरेशन, बलबीर सिंह दी भट्टी, वैशाली कैटरर्स, बॉम्बे चौपाटी, कॉफी बोर्ड एक्स इम्पलाइज कोऑपरेटिव सोसायटी, ज्ञानजी स्वीट्स एंड कैटरर्स, तृप्ति रेस्टोरेंट एवं कोकोनट ग्रोव।

अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2002– ऑनलि डोसाज 26, गुप्ता स्नेक्स कार्नर, अवध कोर्ट, काकोरी मुगल फूड्स, स्नैपी स्नेक्स, निजाम्स काठी कबाब, ओरिएन्टल रेस्टोरेंट, हरिओम चाट भंडार, ओंकार कुलचे वाला, गुलिस्ता कैटरिंग सर्विसिज, पटले कैटरर्स, सनशाइन कैटरर्स, रविराज दी कुल्फी, हिन्दुस्तान कोका कोला, नेटवर्क इनकार्पोरेशन, वैशाली कैटरर्स, पेप्सी फूड्स लि. और तृप्ति रेस्टोरेंट।

नवंबर, 2003 से जून, 2004– रूपा आइसक्रीम पार्लर, रत्नाकर फूड्स एव बेवेरेजेज प्रा. लि., कूल ऑल, हरिओम कैटरर्स और नेटवर्क इनकॉर्पोरेशन।

(ग) लाइसेंस शुल्क की बकाया वसूलियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

1.	शीश महल कुलचे वाला	50,000/–रुपये
2.	एम यू इटिंग प्वाइंट (टुडे कबाब)	54,000/–रुपये
3.	बलबीर सिंह दी भट्टी	54,000/–रुपये
4.	बॉम्बे चौपाटी	54,000/–रुपये

5. ज्ञान जी स्वीट्स 60,000/–रुपये

6. स्नैपी स्नैक्स 8,922/–रुपये

7. ऑनलि डोसाज 26 34,500/–रुपये

(घ) जी, हाँ।

(ङ) उन लाइसेंस धारकों को करार के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं जिन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन को निर्यात

3479. श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003–2004 के दौरान चीन को किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हुई है यदि हाँ, तो वर्ष 2003–04 और 2001–02 के दौरान चीन को कितना निर्यात किया गया और इससे निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी तथा उक्त अवधि के दौरान चीन ने भारत को कितना निर्यात किया है;

(ख) चीन के बाजार में कौन–कौन सी मुख्य वस्तुएं लोकप्रिय हुई; और

(ग) भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाए किए गए थे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक भारत–चीन व्यापार की स्थिति निम्नानुसार है :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2001–02	2002–03	2003–04 (अ)
1	2	3	4
निर्यात	951.95	1975.48	2959.22
प्रतिशत वृद्धि	+14.87	+107.51	+49.80
आयात	2036.39	2792.04	4048.35
प्रतिशत वृद्धि	+28.74	+59.53	+46.98
व्यापार की मात्रा	2988.34	4767.52	7007.57
प्रतिशत वृद्धि	+36.44	+37.10	+45.00

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(अ) – अनंतिम

(ख) चीन को भारत के निर्यातों की प्रमुख मदें लौह अयस्क, प्राथमिक और परिष्कृत लोहा एवं इस्पात, प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद, अन्य अयस्क और खनिज, प्रसंस्कृत खनिज एवं रसायन हैं।

(ग) चीन को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर किए जा रहे उपायों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना, सरकारी और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर प्रतिनिधिमंडलों को बुलाना और भेजना, सूचना का आदान–प्रदान इत्यादि शामिल हैं।

काजू उद्योग

3480. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों में काजू विकास निगम के अंतर्गत कारखानों को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काजू उद्योग के विकास के लिए कोई कार्यबल नियुक्त किया है जैसा कि सभा में आश्वासन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी संबंधित एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी से व्यापार, आयात और निर्यात सहित देश में काजू के विकास के संबंध में परिपूर्ण नीति अपनाने की दृष्टि से गठित की गई है।

ट्रेवल एंजेन्टों द्वारा बकायों का विप्रेषण

3481. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बकाए का उचित और नियत समय पर विप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए इंडियन एयरलाइंस की विफलता के परिणामस्वरूप भारी राशि के अर्जन में बाधा उत्पन्न हुई है जो इंडियन एयरलाइंस द्वारा अधिकृत ट्रेवल एजेन्टों के पास करोड़ों में फंसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता एजेंटों से वसूली जाने वाली कुल राशि 6.12 करोड़ रु. है। उगाही कार्यवाही के वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरे दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अपने वित्तीय हित को बचाने की दृष्टि से सेल्स एजेंटों की नियुक्ति, भुगतान कार्यविधि, टिकट स्टाक इत्यादि के बीमा के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है बैंक गारंटी ली जाती है, भुगतान पर कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा हाल ही में एक उधार जोखिम बीमा कवरेज भी लिया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने एक उधार जोखिम बीमा पॉलिसी ली है जिसे मई, 2002 से अंतर्देशीय बिक्री के संबंध में अंतर्देशीय एजेंटों के भुगतान में चूक होने वाली हानियों को कवर किया जा सके। तद्नुसार संबंधित बीमा पॉलिसी के अधीन आने वाले चूक के मामले में राशि का दावा किया जाता है तथा इसे बीमाकर्ता से वसूला जाता है। इंडियन एयरलाइंस ने देयताओं की उगाही के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें बैंक गारंटी लगाना, कानूनी कार्यवाहियां आरंभ करना, आईएएआई/आयटा/बीएसपी के साथ मामले को उठाना, उधार जोखिम बीमा पॉलिसी इत्यादि के अधीन बीमा दावा ठोकना।

विवरण

31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता एजेंटों से वसूली जाने वाली देयताओं का ब्यौरा

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	बकाया राशि	बकाया अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	मेनका ट्रेवल्स, हैदराबाद	12.06	1992–93	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिग्री प्राप्त कर ली गई।
2.	सिल्वर स्ट्रीक, चेन्नई	2.15	1995–96	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिग्री प्राप्त कर ली गई।
3.	सागर ट्रेवल्स, चेन्नई	1.64	1996–97	माफी की कार्रवाई आरंभ कर दी गई।
4.	यूनाईटेड टूर्स, कालीकट	0.40	1997–98	माफी की कार्रवाई आरंभ कर दी गई।
5.	ट्रेवल प्वाइंट, हैदराबाद	12.38	1997–98	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिग्री प्राप्त कर ली गई।

1	2	3	4	5
6.	ईस्टमेन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, चेन्नई	1.29	1998–99	टीएएआई के माध्यम से उगाही के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।
7.	सागर ट्रेवल्स, विजाग	5.58	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
8.	शिवी ट्रेवल्स, चेन्नई	1.49	1998–99	टीएएआई के माध्यम से उगाही के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।
9.	कालीकट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, कालीकट	4.59	1999–2000	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
10.	पलाडियम ट्रेवल्स, बंगलोर	11.50	2000–01	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
11.	हेमगिरी ट्रेवल्स, बंगलौर	42.9	2001–02	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
12.	जी.एन. वर्ल्ड ट्रेवल, हैदराबाद	2.81	2001–02	आईएटीए एकमुस्त निपटान किया जा रहा है।
13.	साहीना ट्रेवल्स, कालीकट	23.70	2001–02	आईएटीए–बीएसपी के पास दावा
14.	सुजवी ट्रेवल्स, बंगलौर	5.23	2001–02	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
15.	पेंतल्फा ट्रेवल्स, कालीकट	4.26	2002–03	आईएटीए–बीएसपी के पास दावा
16.	एम्पेरियर ट्रेवल्स, कोयम्बटूर	7.88	2002–03	आईएटीए–बीएसपी के पास दावा
17.	डीएसपी टूर एण्ड ट्रेवल्स, बंगलौर	1.74	2002–03	सितम्बर, 04 तक निपटारा हो जाने की आशा है।
18.	फातीमा ट्रेवल्स	5.91	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
19.	के.आर. टूर्स एण्ड ट्रेवल्स	7.76	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
20.	तिरुर साफिया ट्रेवल्स	0.65	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
21.	आर.के. ट्रेवल्स, नई दिल्ली	4.31	1991–92	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
22.	ट्रेवल मार्ट, नई दिल्ली	5.55	1991–92	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
23.	मैक ट्रेवल, अलीगढ़	7.75	1991–92	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
24.	राजदान ट्रेवल्स	21.94	1993–94	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिग्री प्राप्त कर ली गई।
25.	शाहा ट्रेवल, श्रीनगर	14.04	1992–93	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
26.	ए.एस. ट्रेवल्स	3.91	1995–96	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
27.	विनफील्ड ट्रेवल्स	43.07	1997–98	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला

1	2	3	4	5
28.	ब्लू बर्ड ट्रेवल, श्रीनगर	0.17	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
29.	ऑन वील ट्रेवल्स, चण्डीगढ़	1.02	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
30.	टीना बर्ल्ड ट्रेवल्स	5.15	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
31.	वीपीएल ट्रेवल्स	10.61	2001–02	बैंक गारण्टी ली जा रही है।
32.	एक्वा ट्रेवल्स, दिल्ली	18.65	2002–03	बीमा कर्ता के पास दावा
33.	इंडिया एयर ट्रेवल्स, दिल्ली	10.79	1997–98	बीमा कर्ता के पास दावा
34.	पूजा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, दिल्ली	20.74	2002–03	बीमा कर्ता के पास दावा
35.	स्किास ट्रेवल्स, दिल्ली	15.08	2002–03	बीमा कर्ता के पास दावा
36.	वर्ल्ड ब्यू टूर्स एण्ड ट्रेबल्स, दिल्ली	9.54	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
37.	एन्टेलस टूर एण्ड ट्रेवल्स, जयपुर	0.09	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
38.	आशा ट्रेवल्स, जम्मू	0.01	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
39.	क्लासिक टूर एण्ड ट्रेवल्स, फरीदाबाद	8.16	2002–03	बीमा कर्ता के पास दावा
40.	अवध ट्रेवल एण्ड टूर ब्यूरो, लखनऊ	13.09	2002–03	बैंक गारण्टी ली जा रही है
41.	आदित्य यश ट्रेवल, रायपुर	4.85	2001–02	बैंक गारण्टी ली जा रही है
42.	सीनियर ट्रेवल्स, मुम्बई	0.66	1994–95	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
43.	रियल वैल्यू, मूम्बई	25.36	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
44.	ओलम्पिक एक्सपेस, मुम्बई	1.03	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
45.	रवि ट्रेवल्स, पुणे	36.49	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन/न्यायिक मामला
46.	न्यू फलाई ट्रेवल्स, मुम्बई	4.77	2002–03	कानूनी कार्रवाई के अधीन
47.	न्यू महाराजा ट्रेवल्स, बड़ौदा	8.12	2002–03	कानूनी कार्रवाई के अधीन
48.	यूनाईटेड एयर ट्रेवल्स, गोवा	6.42	2002–03	कानूनी कार्रवाई के अधीन
49.	एनटीवी ट्रेवल्स, मुम्बई	1.17	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
50.	फोनिक्स ट्रेवल्स, मुम्बई	11.40	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा

1	2	3	4	5
51.	वास्को ट्रेड, नागपुर	35.97	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
52.	मल्टी पर्पज प्रा. लि., मुम्बई	6.58	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
53.	वाईएस इंटरनेशनल, मुम्बई	15.75	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
54.	पर्सी एग्जीम फीन, कलकत्ता	11.49	2000–01	कानूनी कार्रवाई के अधीन
55.	ट्रेवल ब्यूरो, कोहिमा	4.85	1999–00	कानूनी कार्रवाई के अधीन
56.	एसको ट्रेवल्स, गुवाहाटी	5.20	1992–93	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिग्री प्राप्त की गई
57.	गणेश ट्रेवल्स, अगरतला	5.67	1993–94	कानूनी कार्रवाई के अधीन
58.	लक्ष्मी ट्रेवल्स, अगरतला	7.60	1998–99	कानूनी कार्रवाई के अधीन
59.	मिन्त्री ट्रांसपोर्ट, कोलकाता	7.74	1999–2000	कानूनी कार्रवाई के अधीन
60.	शाहा ट्रेवल्स, कोलकाता	7.11	1999–2000	कानूनी कार्रवाई के अधीन
61.	कान्टीनेंटल ट्रेवल्स, गुवाहाटी	0.21	2001–02	उगाही कार्रवाई आरंभ की जा रही है।
62.	फ्रेंड्स ट्रेवल्स, गुवाहाटी	0.02	1992–93	उगाही कार्रवाई आरंभ की जा रही है।
63.	एमएसएच ट्रेवल्स, गुवाहाटी	0.34	1990–91	उगाही कार्रवाई आरंभ की जा रही है।
64.	ब्लू बर्ड ट्रेवल्स, कोलकाता	18.79	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
65.	जेमेक्स ट्रेवल्स, कोलकाता	2.61	2003–04	बीमा कर्ता के पास दावा
	इंडियन एयर ट्रेवल, कोलकाता	13.28	2003–04	अब वसूल कर ली गई है
	योग	612.24		

आईसी– इंडियन एयरलाइंस

टीएएआई– ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

आईएटीए– बीएसपी बैंक निपटान योजना के लिए आईएटीए एजेंसी

त्वरित न्यायालय

3482. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 86 त्वरित न्यायलयों को जारी रखने और 693 कनिष्ठ सिविल जज न्यायलयों की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, हां।

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् अप्रैल, 2001 से मार्च, 2005 के लिए सामान्यतया त्वरित निपटान न्यायालयों के नाम से ज्ञात, 1734 अतिरिक्त न्यायालयों

के गठन के लिए 502.90 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। न्याय विभाग ने बारहवें वित्त आयोग से विद्यमान त्वरित निपटान न्यायालयों को 2005 के पश्चात् भी जारी रखने और साथ ही मजिस्ट्रेट के स्तर के 1500 अतिरिक्त त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

3483. श्री कैलाश जोशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक संयुक्त मंच बनाया है और सभी विमानपत्तनों पर देशव्यापी भूख हड़ताल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए कितने समय की आवश्यकता है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भवनों और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण करने में पूरी तरह सक्षम है;

(घ) गदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्य को निजी क्षेत्र को देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भूख हड़ताल के कारण प्राधिकरण को कोई हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इस संयुक्त फोरम ने मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों की प्रस्तावित पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने इन हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए संयुक्त फोरम द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक योजना पर विचार करने की मांग की है।

(ग) और (घ) एएआई के पास उपलब्ध नकद आरक्षितियां लगभग 1200 करोड़ रुपए की हैं जिन्हें 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध किया जाना अपेक्षित है। फिर भी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सम्पूर्ण संसाधनों को, हानिप्रद हवाईअड्डों के वित्तपोषण सहित विभिन्न हवाईअड्डों के लिए प्राधिकरण की विकास योजनाओं को दांव पर रखे बिना, केवल इन्हीं दो हवाईअड्डों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस पुनर्संरचना प्रक्रिया के लक्ष्य मुख्यतः निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और विश्वस्तरीय सेवा और प्रबन्धन मानकों को प्राप्त करना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बोडोलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना

3484. श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र की युवा पीढ़ी को टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा प्रदान करने तथा क्षेत्र की बोडो जनजातीय महिलाओं की विशेषज्ञता में सुधार करने और उसके द्वारा उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने तथा रोजगार संभाव्यता को बल देने के लिए कोकराझार में बोडोलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैशन टैक्नोलॉजी तथा बोडोलैंड क्षेत्र में चार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट स्थापित करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी धनराशि आदि के आबंटन का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्राकृतिक फाइबर कोकून्स और मुगा सिल्क से बने स्वदेशी बोडो–जनजातीय हथकरघा उत्पादों तथा वस्त्रों के संवर्धन, विकास और निर्यात हेतु आवश्यक केन्द्रीय निधि प्रदान करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है/कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) इस समय कोकराझार में बोडोलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैशन टेक्नोलॉजी तथा बोडोलैंड क्षेत्र में चार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) असम राज्य में देशी बोडो–जनजातीय हथकरघा उत्पादों के संवर्धन, विकास और निर्यात के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2003–04 में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए असम सरकार को 877.76 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट मूल्य योजना।
5. हथकरघा कपड़े की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा 10% की दर से एकमुश्त छूट की प्रतिपूर्ति की योजाना।
6. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिभूर्ति की योजना।
7. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
8. बुनकर कल्याण योजना।
9. बुनकर बीमा योजना।
10. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
11. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
12. हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का क्रियान्वयन।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत और यू एन डी पी साहायित परियोजना की अनुवर्ती सहायता से मूगा और ऐरी रेशम यार्न और फैब्रिक की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :–

1. मैसर्स रोजे एशान्सली कोऑपरेटिव सोसायटी लि., कोकराझार, एक गैर–सरकारी संगठन को उत्पाद विकास संवर्धन, वन्य रेशम के विविधीकरण और विपणन के लिए सहायता दी जा रही है।
2. यू एन डी पी साहायित एफ एच ए पी के तहत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने 12 लाख रुपए की कुल लागत से असम में ऐरी रेशम डिजाइन विकास के लिए एक परियोजना क्रियान्वित की है।
3. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने सुआलकुची में प्रदर्शन–सह–तकनीकी सेवा केंद्र स्थापित किया है जो यार्न और फैब्रिक की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सतत आधार पर बोडो क्षेत्रों में रीलरों, स्पिनरों और बुनकरों के साथ संपर्क स्थापित करता है।
4. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मोटरीकृत रीलिंग–सह–ट्विस्टिंग मशीनें और स्पिनिंग व्हील की आपूर्ति की है जिनसे मूगा और ऐरी रेशम की गुणवत्ता में सुधार आया है।
5. सी एस टी आर आई, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर का उत्पाद विकास प्रकोष्ट हथकरघा उत्पादों का विकास करने के वास्ते बोडोलैंड क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के रीलरों, स्पिनरों और बुनकरों को सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) की मूगा और ऐरी रेशम से विभिन्न प्रकार के फैब्रिकों का विकास करता है।

विमानपत्तनों का पुनर्गठन

3485. श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री जी. वी. हर्ष कुमार :

श्रीमती कृष्णा तीरथ :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इन विमानपत्तनों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन विमानपत्तनों से भारी विमान यातायात की तात्कालिक मांगों को पूरा करने हेतु 20 वर्षीय विकास मास्टर प्लान बनाने के लिए आस्ट्रेलियाई कंपनी एयर प्लान को नियुक्त करेगी; और

(च) विमानपत्तनों के पुनर्गठन हेतु कितन वैश्विक तकनीकर सलाहकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं तथा उनके मुख्य निबंधन और शर्तें क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय रक्षा मंत्री को बतौर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को वित्त, विधि एवं नागर विमानन के लिए प्रभारी रखते हुए मंत्रियों का एक शक्तिप्राप्त समूह (ईजीओएम) पुनर्गठित किया गया है।

(ग) और (घ) वित्तीय सलाहकार विश्वव्यापी तकनीकी परामर्शदाता और विधिक सलाहकार की नियुक्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% तक सीमित करने दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनियों में भारतीय कम्पनियों द्वार न्यूनतम निवेश को 25% तक किये जाने, दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर कार्यरत कर्मचारियों की इन संयुक्त उद्यम कम्पनियों में अनिवार्य प्रतिनियुक्ति अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किए जाने और उन बोलीदाताओं जो न्यूनतम अनिवार्य 40% से अधिक कर्मचारियों को समाविष्ट करेंगे को अधिक महत्व दिए जाने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

(ङ) और (च) मैसर्स एयरप्लान, ऑस्ट्रेलिया को विश्वव्यापी तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। जिन कम्पनियों ने प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में दी गई नियमों और शर्तों के अनुसार आरएफपी का प्रत्युत्तर दिया था वे थीं : एयलप्लान–ऑस्ट्रेलिया, आरुप–ऑस्ट्रलिया, यूनीसिस–यूएसए, यूआरएस–ऑस्ट्रेलिया, सिन्क्लेयर–ऑस्ट्रेलिया और एलईएपीपी–मलेशिया।

[हिन्दी]

छोटे निवेशकों की शिकायतें

3486. श्री ताराचंद साहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी (एसईबीआई) ने प्लांटेशन कंपनियों के छोटे निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक निवेशकों ने सेबी (एसईबीआई) से प्लांटेशन कंपनी संबंधी शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बागान कंपनियों का विनियमन नहीं करता है। सेबी की सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के विनियमों के अर्थ में सेबी उन्हीं कंपनियों का विनियमन करता है जिनकी स्कीमें सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) की प्रकृति की हैं।

उन सीआईएस कंपनियों जहां न्यायालय मामलें लंबित हैं तथा उन सीआईएस कंपनियों जिन्होंने अपनी स्कीमों को बंद कर दिया है तथा निवेशकों को पुनर्भुगतान कर दिया है, को छोड़कर सेबी ने 568 सीआईएस कंपनियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है:–

1. सीआईएस कंपनियों/उनसे संबंधित अधिकारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में कार्यप्रचालन करने अथवा/और पूंजी बाजार में पहुंच बनाने से विवर्जित कर दिया है।

2. सीआईएस कंपनियों को धोखाधड़ी, हेराफेरी, आपराधिक विश्वास भंग व सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोजन के स्पष्ट अपराधों के लिए उनके विरुद्ध सिविल/आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के पास संदर्भित किया गया है।

3. कंपनी कार्य विभाग से इन कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध करते हुए सीआईएस कंपनियों को कंपनी कार्य विभाग को संदर्भित किया गया है।

4. सेबी ने सीआईएस द्वारा अपने निवेशकों को पुनर्भुगतान हेतु बंद करने में सीआईएस कंपनियों

और उनके निवेशकों की असफलता के कारण उनके विरुद्ध सेबी अधिनियम के तहत आपराधिक अभियोजन शुरू किया है।

उपर्युक्त 588 कंपनियों में से जिन कंपनियों के विरुद्ध सेबी ने कार्रवाई की है उनमें से 51 सीआईएस कंपनियां मध्य प्रदेश से, 6 सीआईएस कंपनियां छत्तीसगढ़ से और 48 सीआईएस कंपनियां महाराष्ट्र से हैं।

[अनुवाद]

कम मूल्य के खनिजों की खनन योजना की छूट

3487. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्वार्ट्ज, फेल्सपर सिलिका और क्ले आदि जैसे कम मूल्य के खनिज के खनन अभियान संबंधी खनन योजना की छूट का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन में विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) क्वार्ट्ज, फेल्सपर, सिलिका और क्ले जैसे कम मूल्य के खनिजों हेतु खनन योजना प्रस्तुत करने संबंधी छूट का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, इन खनिजों की ओपन कास्ट खानों हेतु खनन योजनाएं अनुमोदित करने की शक्तियां दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार द्वारा अदा किए गए ऋणों पर ब्याज

3488. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का 10935 करोड़ और 81 लाख रुपए की राशि बिहार राज्य सरकार पर बकाया है जिस पर बिहार को प्रति वर्ष 61 हजार करोड़ रुपए ब्याज राशि के रूप में देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार राज्य सरकार का ऋण माफ करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंजाब के मामले में ब्याज राशि माफ की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम): (क) 31 मार्च, 2004 की यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार बिहार राज्य सरकार पर वित्त मंत्रालय का 10181 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था। चालू वर्ष 2004–05 के लिए राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज 1194.35 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। नीतिगत रूप से भारत सरकार राज्य सरकारों को दिए गए ऋण माफ नहीं करती है, क्योंकि भारत सरकार उनको ऋण मुहैया कराने के लिए स्वयं भी ऋण लेती है। बारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 31 मार्च, 2004 तक की राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन करे तथा ऐसे जरूरी समझे जाने वाले उपचारात्मक उपाय सुझाए जो स्थूल आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता आदि के अनुरूप हो।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 1995–96 से 1999–00 तक की अवधि के दौरान राज्य में आतंकवाद और बगावत के कारण पंजाब के लिए ब्याज राशि की अदायगी आंशिक तौर पर माफ कर दी गई थी।

झरिया से विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

3489. श्री टेक लाल महतो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के बोकारो जिले में जी.एम.सी.सी. एल, ब्लाक बर्मो, गांव गोविंदपुर के विस्थापित कर्मचारियों को रोजगार के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोकारो जिले के गोविन्दपुर गांव में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

सेव का निर्यात

3490. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बड़ी मात्रा में सेव का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आयात किए गए सेव की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश द्वारा सेव के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित सेव की मात्रा निम्नानुसार है :–

मात्रा: मीट्रिक टन

2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अप्रैल–सितम्बर)
19296	15632	1590

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित सेव की मात्रा निम्नानुसार है :–

मात्रा: मीट्रिक टन

2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अप्रैल–सितम्बर)
17028	18197	15075

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेव के निर्यात से देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है :–

मूल्य : करोड़ रुपए

2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अप्रैल–सितम्बर)
13.39	15.72	1.61

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

जड़ीबूटियों और औषधीय पौधों को पेटेंट करना

3491. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अनेक भारतीय जड़ीबूटियों और औषधीय पौधों को पेटेंट करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों द्वारा पेटेंट कराई जा रही इन जड़ीबूटियों और औषधीय पौधों पर भारतीय पेटेंट दावे की रक्षा करने और विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) विभिन्न देशों में भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के आवेदकों/आविष्कारकों द्वारा अपने वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की रक्षा करने और इनका संवर्धन करने के लिए पेटेंट मांगे तथा प्राप्त किए जाते हैं। इन पेटेंटों की स्वीकृति राष्ट्रों के प्रभुतासम्पन्न विशेषाधिकारों के अधीन उनके अपने–अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार की जाती है और इनका प्रभाव क्षेत्र विशेष में होता है अर्थात् ये केवल स्वीकृति के देश में ही प्रभावी रहते हैं, किसी भी देश में पेटेंट की मंजूरी के योग्य होने के लिए आविष्कार को, चाहे वह प्रक्रिया हो या उत्पाद, पेटेंटनीयता के मानदंड अर्थात् नवीनता, आविष्कारिता और औद्योगिक प्रयोज्यता को पूरा करना होता है। प्रकृति में विद्यमान जड़ीबूटियां और औषधीय–पौधे पेटेंटनीयता के मानदंड, अर्थात, नवीनता, आविष्कारिता और औद्योगिक प्रयोज्यता को पूरा

नहीं करेंगे। तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय जड़ीबूटियों/औषधीय पौधों के गुणों पर आधारित मिश्रणों के लिए पेटेंट मंजूर किए गए हैं। विश्वभर में पेटेंट की गयी वस्तुओं/मदों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) चूंकि पेटेंट वास्तव में निजी अधिकार होते हैं, इसलिए प्रायः इन्हें ऐसे व्यक्तियों द्वारा संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार चुनौती दी जाती है जिनके हित प्रभावित होते हैं या खतरे में पड़ जाते हैं। सरकार ऐसे आविष्कारों के लिए पेटेंट मंजूर करके सुविधादाता का कार्य करती है जो पेटेंट कानून के अनुसार पेटेंटनीयता के मानदंड को पूरा करते हैं।

जब भी ऐसी कतिपय मदों पर पेटेंट लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है जिन्हें पेटेंट के योग्य नहीं माना जाता है और जो भारतीय हितों को प्रभावित करती हों, तब यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या सम्बंधित देश में पेटेंट कानूनों के तहत इस प्रकार पेटेंट की मंजूरी को चुनौती दी जा सकती है। इससे पूर्व घाव भरने में हल्दी के प्रयोग के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका में मंजूर किए गए एक पेटेंट को सफलता पूर्वक चुनौती दी गयी थी और इसे संबंधित देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। इसी प्रकार यूरोप में नीम के फफूंद नाशी तत्व के पेटेंट की स्वीकृति को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में बासमती चावल की किस्मों और अनाजों पर दिए गए पेटेंट के दावों, जिनमें भारतीय वाणिज्यिक हितों को प्रभावित करने की सम्भावना है, को भी चुनौती दी गयी थी। संयुक्त राज्य पेटेंट तथा व्यापार चिह्न कार्यालय द्वारा उक्त दावों को बाद में रद्द कर दिया गया था पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन कर दिया गया था।

जैविक संसाधनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारतीय पेटेंट कानून में उपबंध शामिल किए गए हैं जिनमें भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करने के समय आविष्कार में प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उद्गम अनिवार्य रूप से प्रकट करने की व्यवस्था की गयी है। इसे प्रकट न किए जाने अथवा गलत ढंग से प्रकट करने का विरोध करने तथा पेटेंट, यदि मंजूर किया गया है, को निरस्त करने के आधार के रूप में शामिल करने के लिए उपबंध शामिल किए गए हैं। ये पेटेंट अधिनियम की धारा, 10, 25 और 64 में दिए गए हैं।

पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराए जाने से बचाने के लिए उक्त कानून में उपबंध शामिल किए गए हैं ताकि मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा आविष्कार के पूर्वानुमान को विरोध करने के एक आधार के रूप में और पेटेंट को रद्द करने के लिए भी शामिल किया जा सके। ऐसे आविष्कार को भी गैर–पेटेंट योग्य कर दिया गया है जो वास्तव में पारंपरिक ज्ञान है अथवा इसे पारंपरिक रूप से ज्ञान घटक या घटकों के ज्ञात गुणों का एक समूह या प्रतिलिपिकरण है। ये पेटेंट अधिनियम की धारा 3, 25 और 64 में दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त सरकार औषधीय पौधों के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान का एक डिजिटल आंकड़ा आधार भी विकसित कर रही है ताकि इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर गलती से पेटेंट देने से बचा जा सके।

[अनुवाद]

टायर कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

3492. श्री जुएल ओराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टायर कंपनियों द्वारा सरकार को उत्पाद शुल्क की बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार टायर कंपनियों के बकाया उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पाद शुल्क की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) लगाये गये जुर्माने सहित पुष्टि की गई राशि और टायर कंपनियों द्वारा दी जाने वाली उत्पाद शुल्क की कुल राशि 103.5 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(ग) जब कभी बकाये वसूली योग्य होते हैं तो उन्हें तुरन्त वसूल करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। अन्य मामलों में स्थगन को रद्द कराने और उच्च राजस्व माँग वाले मामलों के शीघ्र निर्णय हेतु कार्रवाई की जा रही है। विशेष तौर पर बकाया वसूली की निगरानी हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है।

भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौता

3493. श्री रायापति सांबासिवाराव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री के इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत को कितना लाभ होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औषधियों और कृषि रसायन आविष्कार हेतु विशिष्ट विपणन अधिकार (ई.एम.आर.)

3494. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत औषधियों और कृषि रसायन आविष्कार हेतु विशिष्ट विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो पेटेंट कार्यालय के पास ई.एम.आर. हेतु कितने आवेदन–पत्र लंबित हैं और लंबित ई.एम.आर. आवेदकों और उसी तरह के उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) पेटेंट कार्यालय द्वारा ई.एम.आर. के कितने आवेदन–पत्र अस्वीकृत किए गए हैं और अस्वीकृत आवेदन–पत्रों तथा इसी तरह के उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(घ) आज तक दिए गए ई.एम.आर. आवेदकों और ई. एम.आर. के अंतर्गत उत्पादों के नाम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, हाँ।

(ख) लम्बित आवेदनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	उत्पाद का नाम
1	2	3
1	बेयर एकटिंगसेल्सचाफ्ट (जर्मनी)	मोक्सापलोक्सासिन 400 मि.ग्रा. के समतुल्य मोक्सीफ्लेक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट
2	सियरिंग प्लो कार्पोरेशन (संयुक्त राज्य अमेरिका)	पी ई जी इंटरफेशन–अल्फा कॉंजुगेट्स
3	निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड एंड वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद (भारत)	बुलाक्विन तथा क्लोरोक्विन किट उत्पाद
4	इली लिली कंपनी (संयुक्त राज्य अमेरिका)	टेडलाफिल टेबलेट
5	एफ हॉफमेन ला रोचे (स्वीटरजर्लैंड)	इंटरफेरॉन कॉंजुगेट्स
6	पानासिया बायोटेक लिमिटेड (भारत)	एनजेस्टिक कंपोजिशन नियेसुलाइड इंजेक्शन
(ग)	अस्वीकृत आवेदनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–	
1	एफ. हाफमेन ला रोचे ए. जी. (स्वीट्जरलैंड)	200 मि ग्रा सेक्विनाविर कैप्सूल के समतुल्य सेक्विनाविर मेसिलेट .
2	स्मिथ क्लाइन बीचम पी. एल. सी. (यूनाइटेड किंगडम)	1 मि ग्रा/2 मि ग्रा/4 मि ग्रा/8 मि ग्रा रोसिग्लीटाजोन के समतुल्य रोसिग्लीटाजोन मेलिएट टैबलेट
3	स्मिथ क्लाइन बीचम पी एल सी (यूनाइटेड किंगडम)	1 मि ग्रा/2 मि ग्रा/4 मि ग्रा/8 मि ग्रा के समतुल्य रोसिग्लीटाजोन मेलिएट टैबलेट
4	रेनबेक्सी लेब्रोटरीज लिमिटेड (भारत)	सिप्रोफ्लोक्सासिन मिश्रण

(घ) स्वीकृत ई एम आर के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	उत्पाद का नाम
1	यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड (भारत)	सिनेक्विस्टिक कवकनाशक मिश्रण जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिट तथा मैंकोजेब हैं।
2	नोवार्टिस ए जी (स्विट्जरलैंड)	इमेटिनिव मेसिलेट
3	वोकहार्ड्ट लिमिटेड (भारत)	नेडिफ्लोक्सासिन 1% क्रीम

गुजरात शहरी सुधार परियोजना

3495. श्री दिन्शा पटेल :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात शहरी सुधार परियोजना का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में भारत सरकार के अतिरिक्त विश्व बैंक की भागीदारी पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने गुजरात शहरी सुधार परियोजना के कार्यान्वयन की सहायतार्थ विश्व बैंक से "परियोजना तैयारी सुविधा" के तहत 1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव में केवल परियोजना की तैयारी हेतु ही सहायता की बात कही गई है। इतनी जल्दी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इसमें कौन से घटक शामिल किए जाएंगे और क्या ऐसे घटकों को विदेशी अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

पंजाब नैशनल बैंक में चोरी

3496. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री राजेश वर्मा :

श्री के. एस. राव :

श्री राजेन गोहेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक की सफदरजंग एनक्लेव शाखा के 16 लॉकरों से वैज्ञानिक रूप से तोड़कर सभी कीमती चीजें चुरा ली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई;

(ग) चोरी में कितने व्यक्ति लिप्त हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बैंक प्राधिकारी उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं जिनका कीमती सामान चोरी हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने सूचित किया है कि उनके नौरोजी नगर, नई दिल्ली शाखा में 16 लॉकर तोड़े गए हैं। 16 लॉकरों में से 3 लॉकरों के धारकों ने सूचित किया है कि उनके लॉकर पहले से ही खाली थे, एक लॉकर धारक की मृत्यु की सूचना है तथा बाकि बचे 12 लॉकर धारकों ने 37.54 लाख रुपए की कीमती वस्तुओं के गायब होने की सूचना दी है। बदमाशों द्वारा लॉकर प्लेटों में छेद कर उन्हें तोड़ा गया तथा धात्विक रिवेटों/स्क्रूओं का प्रयोग कर उन छेदों को पुनः जड़ दिया गया। कुछ लॉकर धारकों द्वारा दिनांक 23.7.2004, 29.7.2004 तथा बैंक द्वारा दिनांक 29.7.2004 को सरोजनी नगर थाना, नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

(घ) से (च) बैंक प्राप्त दावों की जांच कर रहा है तथा पुलिस जांच पूरी होने पर इस मामले पर निर्णय लेगा।

(छ) पीएनबी ने अपने सभी शाखा प्रबंधकों को अधिक सतर्कता बरतने तथा लॉकरों के परिचालनों एवं सुरक्षा के संबंध में मार्गनिर्देशों के अति सावधानीपूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें बैंक एवं लॉकर धारक के बीच संबंध और साथ ही डिपाजिट लॉकरों को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त उपाय करने में चूक के मामले में बैंक की जिम्मेदारी का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक तौर पर आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

कपास, प्राकृतिक और सिंथेटिक धागे का आयात और निर्यात

3497. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हथकरघों, पावरलूम और वस्त्र मिलों की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक और सिंथेटिक धागे की वार्षिक आवश्यकता और स्वदेशी उत्पाद तथा विदेशों से आयात की स्थिति क्या है;

(ख) हथकरघा और पावरलूम के संवर्धन संबंधी नवीनतम नीति तथा उनके अनुदानों के उपबंध क्या हैं;

(ग) क्या सूती धागे के निर्यात में निरंतर कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूती धागे के निर्यात को बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न की आवश्यकता संबंधी आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यह मानते हुए कि अंतिम भंडार और आरंभिक भंडार समान हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न के आयात और स्वदेशी उत्पादन के योग को आवश्यकता माना जा सकता है। प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न के स्वदेशी उत्पादन और प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न के आयात की स्थिति क्रमशः नीचे दो तालिकाओं में दी गयी है:

(मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में)

प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न का स्वदेशी उत्पादन

विवरण	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अनंतिम)
प्राकृतिक यार्न (सूती, रेशम और ऊन)	2961	2847	2774	2718
सिंथेटिक यार्न (ब्लैंडेड, 100% गैर–सूती और मानव–निर्मित फिलामेंट यार्न)	1813	1851	2004	2051
कुल	4774	4698	4778	4769

नोट: रेशम यार्न और ऊनी यार्न के वर्ष 2003-04 के उत्पादन संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। अतः इन यार्नों के लिए वर्ष 2002-03 के लिए उत्पादन आंकड़ों को वर्ष 2003-04 के लिए दोहराया गया है।

(मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में)

प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न का आयात

विवरण	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अप्रैल–अक्टूबर) (अनंतिम)
प्राकृतिक यार्न (सूती, रेशम और ऊन)	4	5	6	6

1	2	3	4	5
सिंथेटिक यार्न (ब्लैंडेड, 100% गैर–सूती और मानव–निर्मित फिलामेंट यार्न)	99	134	171	85
कुल	103	139	177	91

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 के अनुसरण में, सरकार ने हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं:

हथकरघा क्षेत्र:

हथकरघा क्षेत्र से संबंधित नीति में (1) मूल्य संवर्द्धित मदों के लिए कौशलों का उन्नयन। (2) कार्य के बेहतर वातावरण और बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कल्याणकारी उपाय जारी रखना। (3) अनुसंधान और विकास, डिजाइन इनपुट, कौशल उन्नयन और विपणन संपर्कों में प्रभावी सहायता प्रणालियां (4) हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत जारी किए गए आरक्षण आदेशों और हैंक यार्न दायित्व आदेश के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। (5) समकालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप बुनकर सेवा केंद्रों को पुनर्जीवित करना तथा दक्षता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, उनके क्रियाकलापों को निफ्ट और एन आई डी जैसे डिजाइन उत्कृष्टता केंद्रों के क्रियाकलापों के अनुरूप बनाना शामिल है।

विद्युतकरघा क्षेत्र

सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पैकेज के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

- विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण को शामिल करने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।
- कार्य का बेहतर वातारण पैदा करने और उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने तथा वस्त्र इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) के तहत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक नई कार्यशाला योजना शुरू करना।
- विशेष सामूहिक बीमा योजना के तहत मृत्यु, दुघर्टना और विकलांगता होने पर विद्युतकरघा कामगारों को बीमा सुविधा प्रदान करना।

सरकार ने इस पैकेज को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक योजनाएं तैयार की हैं।

भारत सरकार हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुदान प्रदान करती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए सिलाई के धागे सहित सूती यार्न के निर्यात संबंधी आंकड़ों में उतार–चढ़ाव होता रहा है और इसके ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:–

(मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में)

विवरण	2000–2001	2001–2002	2002–2003	(अप्रैल–अक्टूबर)	
				2002–2003	2003–2004 (अनंतिम)
सूती यार्न (सिलाई धागे सहित)	513	438	511	320	223

(घ) से (च) सरकार ने सूती यार्न सहित वस्त्र मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(1) केन्द्रीय बजट 2004-2005 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं–

– टेक्स्चराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्नों सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़ कर समस्त मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प दिया गया है।

– वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

– विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल–पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई है।

(3) सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। उक्त मिशन, जिसमें चार लघु मिशन हैं, से ऐसी आशा है कि इससे अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के अंतरण और अपरिष्कृत कपास की प्रोसेसिंग और विपणन में सुधार द्वारा कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार होगा।

(4) लदान पूर्व और लदान पश्चात ऋण और कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दरों में धीरे–धीरे कटौती करना।

(5) वस्त्र निर्यात और अधिक बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए अनेक विशेषीकृत बाजार अध्ययन शुरू किए गए हैं।

नए चाय बागान स्थापित करने हेतु औद्योगिक घरानों से प्रस्ताव

3498. श्री डी. नवकुला : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक घरानों ने देश में नए चाय बागान लगाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का दार्जिलिंग के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक घरानों को कुछ प्रोत्साहन देने का इरादा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नए चाय बागानों के रोपण के लिए औद्योगिक घरानों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग) चाय बोर्ड पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण कार्यकलाप करने के लिए बागान विकास स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी चाय बोर्ड की गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण के अंतर्गत भी प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हैं जो एक परम्परागत चाय उपजकर्ता क्षेत्र है।

विदेशी बैंक का खोला जाना

3499. श्री राजेश कुमार मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी बैंक खोलने की नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक भारत में कार्यालय स्थापित करने संबंधी विदेशी बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस मंजूर किए जाने से पूर्व क्लियरेंस के लिए सरकार की अंतर

विभागीय समिति इन प्रस्तावों पर विचार करती है। यह नीति उचित प्रतीत होती है और यह अच्छे ढंग से कार्य कर रही है।

निर्यात संवर्धन परिषद

3500. श्री अधीर चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार संघों को विधि की सांविधिक अपेक्षाओं से छूट लेने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुमति दी गयी ऐसी छूटों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की छूटों के कारण अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाते हैं तथा इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों के नियमों/उपविधियों में संशोधन करने के लिए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया है :–

वर्ष	संशोधनों की संख्या
2001–02	55
2002–03	9
2003–04	1

(ग) और (घ) उप–विधियों में किए जाने वाले संशोधनों के जरिए स्थापित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया लागू करने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। सरकार उप–विधियों में संशोधन करने के लिए परिषदों के अनुरोधों की जांच करती है और उनका अनुमोदन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि इस प्रकार के संशोधनों से किसी एक विशेष स्तर पर शक्ति का केन्द्रीकरण न हो और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन भी न हो।

[हिन्दी]

उत्तर-उदारीकरण काल में स्थापित उद्योग

3501. श्री एम. अंजनकुमार यादव :

श्री काशीराम राणा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम स्थिति के अनुसार देश में उत्तर–उदारीकरण काल में स्थापित बड़े और सीमांत उद्योगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी और संयुक्त क्षेत्र में अलग–अलग ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) पूर्वोक्त राज्यों में तत्संबंधी आधार पर राज्यवार रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इन राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है और इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) अगस्त 1991 से जुलाई, 2004 तक की अवधि में 57,857 औद्योगिक निवेश आशय प्राप्त हुए हैं जिनमें 1,13,30,477 व्यक्तियों के लिए रोजगार का प्रस्ताव है। प्राप्त सूचना के अनुसार, जुलाई, 2004 तक 6,745 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें 12,02,729 व्यक्ति नियोजित हैं। इन इकाइयों की राज्यवार संख्या और रोजगार सृजन के आंकड़ें संलग्न विवरण में दिये गये हैं। स्थापित की गईं 6,745 इकाइयों में से 6230 इकाइयां निजी क्षेत्र में और 57 संयुक्त क्षेत्र में हैं।

(घ) उदार औद्योगिक नीति के अंतर्गत, निवेश संबंधी फैसले उद्यमियों द्वारा लिए जाते हैं जो उनके वाणिज्यिक निर्णयों पर निर्भर होते हैं। तथापि, सरकार प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों एवं योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करती है।

विवरण

अगस्त, 1991 से जुलाई, 2004 तक स्थापित गैर–लघु औद्योगिक एककों के राज्यवार–ब्यौरे

राज्य का नाम	प्रस्तावित निवेश आशय (आईईएम*+एलओआई+डीआईएल)		कार्यान्वित निवेश आशय (कार्यान्वित** +आईईएम + आईएल)	
	संख्या	रोजगार	संख्या	रोजगार
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	2610	0	0
आंध्र प्रदेश	4028	653233	532	71235
अरुणाचल प्रदेश	21	3348	2	107
असम	309	46382	58	5179
बिहार	179	30896	18	2806
चंडीगढ़	38	6112	4	1165
छत्तीसगढ़	1015	222437	57	10572
दादरा और नगर हवेली	1793	190133	75	8636
दमन और दीव	812	59888	77	4415
दिल्ली	503	49275	52	4901
गोवा	550	53721	98	13183
गुजरात	7161	1154061	1112	163433
हरियाणा	3366	528442	429	72971
हिमाचल प्रदेश	559	112627	37	6534
जम्मू और कश्मीर	235	55995	12	19622
झारखंड	444	71543	42	6970
कर्नाटक	2362	413511	220	38751
केरल	563	89633	99	16930
लक्षद्वीप	1	278	0	0
मध्य प्रदेश	2214	427023	308	70640
महाराष्ट्र	11222	1942892	1064	199974
मणिपुर	2	510	0	0

1	2	3	4	5
मेघालय	168	15379	12	789
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	14	301852	0	0
उड़ीसा	646	172120	44	10706
पांडिचेरी	590	51487	48	5782
पंजाब	2480	573817	329	91369
राजस्थान	2697	486746	354	75553
सिक्किम	15	1374	0	0
तमिलनाडु	5191	808204	650	110038
त्रिपुरा	25	2952	4	95
उत्तर प्रदेश	4975	2209551	559	106420
उत्तरांचल	551	83695	33	2371
पश्चिम बंगाल	3096	505154	387	76350
एक से अधिक राज्यों में स्थापना स्थल	23	3596	29	5232
योग	57857	11330477	6745	1202729

आईईएम – औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
एलओआई – आशय पत्र
आईएल – औद्योगिक लाइसेंस
डीआईएल – प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस
* प्रस्तुत आईईएम के भाग क पर आधारित है
** वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने पर प्रस्तुत आईईएम के भाग ख पर आधारित है
औद्योगिक इकाइयों की स्थापना क्रियान्वयन स्थिति पर आधारित है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण

3502. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विदेशी कंपनी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विदेशी कंपनी द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनी का नाम क्या है तथा तत्संबंधी उद्योग स्थापित हरने हेतु निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ङ) भारत में विदेशी कंपनियां स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) उदार औद्योगिक नीति

के अंतर्गत, निवेश संबंधी निर्णय, जिसमें स्थापना स्थल का चयन भी शामिल है, उद्यमियों द्वारा लिए जाते हैं, जो उनके वाणिज्यिक फैसले पर आधारित होते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उपर्युक्त समझा गया कोई सर्वेक्षण भी शामिल है।

(ङ) सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आर्थिक विकास का मुख्य चालक (ड्राइवर) मानती है और एफडीआई को बढ़ावा एवं सुविधा देती है। एफडीआई नीति समूचे देश में समान रूप से लागू है और किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष के लिए कोई विशेष छूट नहीं है।

वाणिज्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी

3503. श्री कैलाश बैठा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) श्रेणी क, ख, ग और घ सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार संख्या कितनी है;

(ग) समूह क, ख, ग, और घ की सेवाओं में कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. हेतु निर्धारित आरक्षण कोटे को भी लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग)

श्रेणी	अ.जा.				अ.ज.जा.				अ.पि.व.				कर्मचारियों की कुल संख्या			
समूह	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	57	88	88	–	17	18	23	–	6	22	16	–	263	441	244	–
मसाला व्यापार निगम लि.	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	10	–	11	10
एम एम टी सी लि.	126	143	53	106	33	68	29	26	9	–	1	7	647	787	244	416
पी ई सी लि.	33	5	12	–	2	1	3	–	3	–	1	–	148	13	29	–
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	19	34	39	14	1	12	13	0	0	21	11	1	158	270	174	27
इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	36	23	72	191	7	6	12	7	3	2	17	6	206	117	405	494

कोलकाता उच्च न्यायालय के दिनांक 31 जुलाई, 2003 के आदेशों के अनुसरण में भारतीय चाय व्यापार निगम लि. का अब परिसमापन कर दिया गया है तथा परिसमापन के प्रयोजनार्थ सरकारी परिसमापक ने कंपनी की सभी परिसंपत्तियों एवं कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है।

कर्नाटक ट्रेडिंग प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का एक संयुक्त उद्यम है, में इस समय कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। इस संगठन में अन्य संगठनों के केवल अंशकालिक कर्मचारी अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं।

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है। हाल ही में गठित संगठन होने के कारण इसने जनशक्ति की जरूरत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है और यह इस समय अन्य सरकारी विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति एवं स्थानांतरण पर लिए गए थोड़े से कर्मचारियों से काम चला रहा है।

(घ) से (च) अ जा/अ ज जा तथा अ पि व के लिए आरक्षण कोटे को भरने से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :–

संगठन का नाम	स्थिति
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	चूंकि कंपनी के विनिवेश पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही थी इसलिए एस टी सी कर्मचारी यूनियन के परिसंघ के साथ हुए समझौते के अनुसार अनुकंपा आधार पर की गयी भर्ती को छोड़कर पिछले चार वर्षों में कोई भर्ती नहीं की गयी है।
मसाला व्यापार निगम	पिछली कोई रिक्ति बकाया नहीं है।
एम. एम. टी. सी. लि.	अ जा/अ ज जा श्रेणी के आरक्षण की समग्र स्थिति अत्यंत संतोषजनक है (अ जा के लिए 20.4 प्रतिशत और अ ज जा के लिए 7.45 प्रतिशत) सीधी भर्ती में अ पि व श्रेणी के संबंध में मामूली कमी है। वर्ष 1992 से कर्मचारी श्रेणी में कंपनी में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। तथापि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए सीधी भर्ती नगण्य है।
पी ई सी लि.	अ जा/अ ज जा तथा अ पि व के लिए आरक्षण कोटे को अ पि व श्रेणी में दो की कमी (सीधी भर्ती द्वारा एक समूह ग में और पदोन्नति द्वारा एक समूह क में) को छोड़कर भर दिया गया है। समूह ग में उक्त रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी के न मिलने के कारण बनी हुई है किन्तु इसे भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि समूह क में पदोन्नति फीडर संवर्ग से की जाती है इसलिए इस रिक्ति को समूह ख में विभागीय अभ्यर्थी की पदोन्नति के बाद भरा जाएगा।
निर्यात ऋण गारंटी नियम	इस समय अ जा में 16.85 प्रतिशत, अ ज जा में 4.13 प्रतिशत तथा अ पि व में 5.24 प्रतिशत का आरक्षण है। समूह क में अ जा के लिए 2 और अ ज जा के लिए 4 तथा समूह ख में अ जा के लिए 3 और अ ज जा के लिए 4 (पदोन्नति कोटा) पिछली बकाया रिक्तियां हैं। इन बकाया पिछली रिक्तियों को अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह बन जाने पर तुरंत भर दिया जाएगा।
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	पदोन्नति में अ जा/अ ज जा के लिए आरक्षण कोटे को भारत सरकार की नीति/नियमों के अंतर्गत आने वाले पद/ग्रेड में पदोन्नतियां होते ही भर दिया जाता है। सीधी भर्ती के लिए भी आरक्षित रिक्तियों को संगत पद आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां बनने पर अ जा/अ ज जा/ अ पि व श्रेणी द्वारा भरा जा रहा है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के विमान के कल-पुर्जों की बर्बादी

3504. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एयर इंडिया के एक विमान के करोड़ों रुपये के कल–पुर्जे सांताक्रुज के भाण्डागार में गत अनेक वर्षों से बर्बाद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कलपुर्जों अथवा स्क्रैप के रूप में अप्रयुक्त उपकरणों की बिक्री/निपटान संबंधी एक नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। एअर इंडिया के पास उपलब्ध अधिकतर विमान स्पेअर्स की आवश्यकता एअर इंडिया के प्रचालनों की सहायता के लिए होती हैं।

(ग) और (घ) एअर इंडिया में कबाड़ हो चुके उपस्करों

और पुर्जों के निपटान के लिए एक मानक प्रक्रिया है। जब कभी भी विमान को फेज आउट (बन्द) किया जाता है तो मानक प्रक्रिया के अनुसार स्पेअर्स और कबाड़ हुए पुर्जों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

उड़ीसा को विश्व बैंक तथा डी.एफ.आई.डी. की सहायता

3505. श्री परशुराम माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक से बात करने और उड़ीसा हेतु डीएफआईडी सहायता के लिए भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी हां।

(ग) अपने आर्थिक पुनःसुधार कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगने से संबंधित उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव की सिफारिश विश्व बैंक को की गई है।

कोहिनूर मिल्स, मुम्बई द्वारा हड़ताल

3506. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंबई में अनेक कपड़ा मिलों की भूमि प्रापर्टी डीलरों को बेची जा रही है जिससे यह उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोहिनूर मिल्स, मुंबई के कामगार मिल मालिकों द्वारा जमीन बेचने के निर्णय के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) एन टी सी ने मुंबई में प्रोपर्टी डीलरों को कोई भूमि नहीं बेची है।

(ख) एन टी सी (महाराष्ट्र नार्थ) और एन टी सी (साउथ महाराष्ट्र) लि., मुंबई ने ब्रहन मुंबई नगर निगम (बी एम सी) को मुंबई स्थित 25 एन टी सी मिलों की एक एकीकृत विकास योजना प्रस्तुत कर दी है। बी एम सी का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कोहिनूर मिल के कामगारों ने राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के कामगारों से संबंधित बकाया देयों के भुगतान की मांग के लिए 22.7.2004 को एक दिन की भूख हड़ताल की।

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व बकायों के भुगतान से संबंधित मामला न्यायाधीन है और न्यायालय के आदेशों के अनुसार यथासमय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण

3507. श्री महावीर भगोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नति के समय अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए सामान्य और अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के कर्मचारियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में लिपिक पद पर सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या का बैंकवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम):

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जयमकोन्डम की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं को शुरू करना

3508. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) ने तमिलनाडु में जयमकोन्डम में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जयमकोन्डम में इस परियोजना द्वारा कितनी विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

मुम्बई विशेष आर्थिक जोन को ऋण

3509. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई डी बी आई और आई डी एफ सी दोनों ने मुम्बई समेकित विशेष आर्थिक जोन को 750 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ग) अन्य वित्तीय संस्थानों और इक्विटी हिस्सेदारों के नाम क्या हैं जो इस विशेष आर्थिक जोन परियोजना का वित्त पोषण कर रहे हैं; और

(घ) सीकिंग ग्रुप द्वारा प्रवर्तित इस परियोजना से कितना लाभ होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) आई.डी.बी.आई. और आई.डी.एफ.सी. दोनों ने मिलकर दो परियोजनाओं अर्थात् सिटी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (सी आई डी सी ओ) द्वारा संवर्धित नवी मुम्बई विशेष आर्थिक जोन और मैसर्स गुजरात पोसित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (जी पी पी आई एल) जो सी किंग ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज की एक कंपनी है, द्वारा संवर्धित महा मुम्बई विशेष आर्थिक जोन का 750 करोड़ रुपए की कुल राशि से वित्त पोषण करने की इच्छा व्यक्त की है। तथापि, मुम्बई एकीकृत विशेष आर्थिक जोन नामक कोई परियोजना नहीं है।

(ख) चूंकि विशेष आर्थिक जोनों का संवर्धन निजी/संयुक्त क्षेत्र में किया जा रहा है इसलिए पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों पर वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना के लिए निधियाँ जुटाना प्रोन्नायकों का कार्य है।

(ग) जी पी पी आई एल ने परियोजनाओं के लिए ऋण इक्विटी जरूरतों के समन्वय हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनानशियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) की सेवाएं प्राप्त की हैं। नवी मुम्बई एस ई जेड के इक्विटी साझीदार (1) मैसर्स सी किंग इन्फ्रासट्रक्चर लि. (2) मैसर्स हिरानन्दानी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (3) मैसर्स अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. हैं।

(घ) एस ई जेड के विकासकर्ताओं को उपलब्ध मुख्य प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में विकास के लिए माल का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद, एस ई जेड का प्रचालन एवं रख–रखाव, आयकर अधिनियम की धारा 80–आई ए के अंतर्गत 15 वर्षों में 10 वर्षों के एक ब्लाक के लिए सेवा कर और आय कर से छूट प्रदान करना शामिल है। ये पात्रताएं महा मुम्बई और नवी मुम्बई एस ई जेड एस के परियोजना विकासकर्त्ताओं के लिए भी उपलब्ध होगी।

फिल्म निर्माताओं को ऋण

3510. श्री ए. के. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिनेमा को उद्योग घाषिक किए जाने के समय से फिल्म निर्माण हेतु सवीकृत ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फिल्म निर्माताओं का ऋण लेने के संबंध में क्या रुख रहा है; और

(ग) फिल्म निर्माताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करने के मामले में कम रुचि दर्शाए जाने की स्थिति में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम): (क) से (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण वितरण के मामले में परिचालानात्मक स्वतंत्रता है और उनके उधार देने के निर्णय उनके अनुभवों, वाणिज्यिक निर्णयों तथा अन्य मदों पर आधारित है। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार सिनेमा को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद से अब तक वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों और फिल्म के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

सिनेमा को उद्योग का दर्जा दिए जाने के समय से वित्तीय संस्थाओं द्वारा फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	ऋणों की संख्या	मंजूर राशि	फिल्मोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम
1.	आईडीबीआई	32	180.95 करोड़	फिल्म उद्योग की प्रतिक्रिया अच्छी रही है।
2.	एक्जिम बैंक	3	15.20 करोड़	एक्जिम बैंक को फिल्म प्रोड्यूसरों से काफी परिप्रश्न प्राप्त हो रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार के पैरामीटरों के आलोक में उन पर विचार किया जा रहा है।
3.	सिडबी			सिडबी के पास फिल्म उद्योग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है। फिर भी, सिडबी वित्तपोषण की पात्रसीमा के अधीन आने वाले प्रस्तावों पर विचार करेगा।
4.	आईआईबीआई			आईआईबीआरई के पास फिल्म उद्योग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।
5.	नाबार्ड			नाबार्ड के पास फिल्म उद्योग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि यह सहकारी एवं ग्रामीण ऋण प्रणाली के लिए एक विशेषज्ञ वित्तीय एवं शीर्ष संस्था है।
6.	आईडीएफसी			आईडीएफसी आधारभूत परियोजनाओं को वित्तपोषण करने वाली विशेषज्ञ संस्था है। इसके पास फिल्म उद्योग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।
7.	एनएचबी			आवास वित्त प्रदान करने वाला विशेषज्ञ संस्थान होने के कारण एनएचबी के पास फिल्म उद्योग के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।

विवरण-II

सिनेमा को एक उद्योग के रूप में घोषित किए जाने के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता

क्रम सं.	बैंक का नाम	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत राशि	फिल्मोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
1.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3	निधि आधारित 4500 लाख रु. गैर–निधि आधारित 150 लाख रु.	अल्पावधि ऋणों के लिए वित्त पोषण करने हेतु एनएफडीसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
2.	कार्पोरेशन बैंक	शून्य		वर्तमान में फिल्म उद्योग को कोई एक्सपोजर नहीं। फिल्म निर्माण के वित्तपोषण के लिए बैंक ने एक विशेष योजना तैयार की है जिसे बैंक की सभी शाखाओं में परिचालित कर दिया गया है।
3.	भारतीय स्टेट बैंक	1	200 लाख रु.	फिल्म निर्माताओं को वित्त पोषित करने को बढ़ावा देने हेतु बैंक ने फिल्म निर्माण को वित्त देने के लिए एक नीति लागू की है और बैंक की चेन्नई, मुम्बई तथा हैदराबाद स्थित 3 शाखाओं को फिल्म निर्माण के लिए वित्तपोषण करने हेतु नामित किया गया है।
4.	पंजाब एंड सिंध बैंक	शून्य		फिल्म उद्योग के वित्तपोषण के लिए बैंक की एक नीति है। ऋण नीति 2003–05 में इस पर जोर दिया गया है।
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	शून्य		पहचानी गई शाखाओं को अपने परिचालन क्षेत्र में ऐसा कारोबार आगे बढ़ाने की सलाह दी गई है।
6.	विज़या बैंक	2	194.00 लाख रु.	बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार फिल्म उद्योग के अच्छे/अर्थक्षम प्रस्ताव की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी है।
7.	केनरा बैंक	शून्य	शून्य	बैंक की शाखाओं में इस सलाह के साथ दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं कि वर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जाए।

1	2	3	4	5
8.	इंडियन बैंक	शून्य	शून्य	बैंक समय–समय पर ऋण नीति के अनुसार अर्थक्षम उद्यमों का स्वागत करता है।
9.	सिंडिकेट बैंक	1	46.00 लाख रु.	बैंक ने शाखाओं में फिल्मों के वित्तपोषण के लिए पात्रता मानदंड बताते हुए दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट परिचालित किया है जिससे वे फिल्म उद्योग के अर्थक्षम प्रस्तावों के वित्तपोषण का कार्य कर सकें।
10.	इलाहाबाद बैंक	शून्य		बैंक ने 14.1.2004 को अपनी फिल्म वित्तपोषण नीति की समीक्षा की है ।जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:– * विशेषज्ञों की जांच समिति का गठन; * 10.00 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए सीएमडी की विवेकाधीन शक्तियां बढ़ाना। * फिल्म वित्तपोषण के लिए सकल ऋण के 2% तक एक्सपोजर बढ़ाना। * नीति मे आरबीआई के दिशानिर्देश शामिल करना; तथा * महानगरीय शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को फिल्म वित्तपोषण गतिविधियों की जिम्मेवारी के लिए सुग्राही बनाया गया है।
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक		3.20 करोड़ रु.	बैंक ने फिल्म उद्योग को एक्सपोजर सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये की है। सम्पार्श्विक प्रतिभूति के लिए मानदंडों में भी छूट दी गई है।
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स		निधि आधारित 1426.63 लाख रु. गैर–निधि आधारित 684.53 लाख रु.	अधिकारी फिल्म निर्माताओं को यह बढ़ावा देने के लिए उनसे लगातार सम्पर्क कर रहे हैं कि वे बैंक से वित्त प्राप्त करें।

1	2	3	4	5
13.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	शून्य	शून्य	फिल्म निर्माण के वित्तपोषण के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना बैंक में लागू की गई है।
14.	देना बैंक	शून्य	शून्य	वर्तमान में फिल्म उद्योग को कोई एक्सपोजर नहीं।
15.	बैंक ऑफ इंडिया		5.50 करोड़ रु.	प्रत्याशित ग्राहकों को सुविधा देने के लिए तथा बैंक को उद्योग से प्राप्त आवेदनों का अनुवीक्षण करने में सहायता करने के लिए प्रमुख फिल्म हस्तियों की एक समिति का गठन किया गया है।
16.	आन्ध्रा बैंक	शून्य	शून्य	बैंक की ऋण नीति के अनुसार, सकल बैंक ऋण का 0.5% अर्थात 66.89 करोड़ रुपये फिल्म निर्माण को उधार देने के लिए निश्चित की गई है।
17.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	27	1.46	फिल्म उद्योग से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
18.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	शून्य		बैंक की आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार फिल्म वित्तपोषण के संबंध में एक नीति है।
19.	पंजाब नैशनल बैंक	शून्य		बैंक ने फिल्म वितरण समेत फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि–आधारित तथा गैर–निधि आधारित आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए एक योजना तैयार की है जो प्रारम्भ में 5 बड़े नगरों अर्थात् मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एवं कोलकाता में लागू की गई है।
20.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	5.00 करोड़ रु.	वित्तपोषण की एक योजना बैंक में लागू है। योजना अनुसार बैंक ने वित्त के लिए पात्रता मानदंड यथा निर्माता का अनुभव, परियोजना की लागत आदि निर्धारित किए हैं तथा योजना के तहत पात्र वित्त की अधिकतम मात्रा भी विनिर्दिष्ट की है।
21.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	शून्य		बैंक ने एक अलग से ऋण उत्पाद "फिल्म उद्योग को वित्त के लिए योजना" तैयार की है तथा शाखाओं को उत्पाद के बाजार में लाने की सलाह दी है।

निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु नीति

3511. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और शासन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की व्यापक नीति की कमियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं नियंत्रण से संबंधित प्रारूप व्यापक नीति संबंधी रूपरेखा को लोगों के विचारों एवं सुझावों के लिए उनके बीच प्रस्तुत किया गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), सहित कई क्षेत्रों से प्रारूप नीति पर प्रतिसूचना (फीड बैक) भी प्राप्त हुई है जिसकी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में जांच की जा रही है।

मूंगफली का निर्यात

3512. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मूंगफली के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान मूंगफली के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मूंगफली के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या दीर्घावधि उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात की गयी मूंगफली की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2001-02	112814	251
2002-03	67890	178
2003-04 (अ)	176931	544

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता)

(घ) मूंगफली सहित कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है : विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संभावित क्रेताओं को बुलाना तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार करने, उत्पादों के ब्रांड का संवर्धन करने, बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की जांच करने हेतु प्रयोगशालाओं को मान्यता देना।

कोलफील्ड्स में अन्वेषण/ड्रिलिंग कार्य में वृद्धि हेतु शिविर

3513. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोलफील्ड्स में अन्वेषण/ड्रिलिंग कार्यों में वृद्धि करने तथा उस क्षेत्र में भू-खनन का अध्ययन करेन हेतु विभिन्न स्थानों पर शिविर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी. एल. में भी शिविर लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की प्रत्येक सहायक कंपनी के कमाण्ड क्षेत्रों में ड्रिलिंग शिविर स्थापित किए हैं। ये शिविर अन्वेषण की वार्षिक योजना के अनुसार प्रत्येक सहायक कंपनी के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनका उद्देश्य

कोयला ब्लाकों का अन्वेषण करना तथा विद्यमान खानों/परियोजनाओं में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के माध्यम से उत्पादन सहायता उपलब्ध कराना है।

सिंगरोनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) ने कोयले के अन्वेषण कार्य में वृद्धि करने के लिए गोदावरी घाटी कोलफील्ड/आंध्रप्रदेश के विभिन्न स्थलों पर अन्वेषण शिविर स्थापित किए हैं।

हाइड्रो–जिओलॉजिकल तथा पर्यावरणीय अध्ययनों के अतिरिक्त अन्वेषण चरण के दौरान नए ब्लाकों में भू–खनन परिस्थितियों का अध्ययन भी किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान में सी.आई.एल. की विभिन्न अनुषंगियों के कमाण्ड क्षेत्रों में कुल 22 सी.एम.पी.डी.आई.एल. ड्रिलिंग शिविर विद्यमान हैं, जो नीचे दिए गए हैं:–

	शिविरों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	4
भारत कोकिंग कोल लि.	1
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	3
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	4
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	1
महानदी कोलफील्ड्स लि.	3
नार्थ–ईस्ट कोलफील्ड्स लि.	1

एस.सी.सी.एल. आंध्रप्रदेश के 4 जिलों, नामतः खम्माम, करीमनगर, वारंगल तथा अदिलाबाद में विस्तृत भौगोलिक अन्वेषण कार्य आयोजि कर रही है, जिनके 3 क्षेत्रीय मुख्यालय निम्नलिखित स्थलों पर स्थित हैं:–

1. कोठागुडम/खम्माम जिला
2. रामागुण्डम/करीमनगर जिला
3. बेलमपल्ली/अदिलाबाद जिला

एल.सी.सी.एल. में अन्वेषण/ड्रिलिंग संबंधी क्रिया–कलाप निम्नलिखित 2 शीर्षों के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं:–

1. नई खानों को खोले जाने के लिए अखनित/नए कोयला–धारी क्षेत्रों से अतिरिक्त कोयला भण्डार स्थापित करने के लिए विस्तृत अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग।

2 चालू खानों के लिए उत्पादन सहायता/विकासीय अन्वेषण/उपर्युक्त प्रयोजन हेतु 3 क्षेत्रों में निम्नलिखित शिविर स्थापित किए गए हैं:–

	क्षेत्र	*अखनित क्षेत्र विस्तृत अन्वेषण	*खानों का विकासीय अन्वेषण
1.	कोठागुडम	गुण्डाला/खम्माम	उत्पादन सहायता ड्रिलिंग/कोठागुडम
2.	रामागुण्डम	भूपालपल्ली/वारंगल	उत्पादन सहायता ड्रिलिंग/रामागुण्डम तथा भूपालपल्ली
3.	बेलमपल्ली	रामाकृष्णापुर/ बेलमपल्ली शाफ्ट ब्लाक/अदिलाबाद	उत्पादन सहायता ड्रिलिंग/बेलमपल्ली

* अखनित क्षेत्रों के विस्तृत अन्वेषण हेतु 18 ड्रिल हैं और 7 ड्रिल खान विकासात्मक अन्वेषण हेतु हैं।

(ग) और (घ) बी.सी.सी.एल. क्षेत्र में, सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने जुलाई, 2004 में एक ड्रिलिंग शिविर स्थापित किया। ई.सी.एल. क्षेत्र में वर्तमान में 4 ड्रिलिंग शिविर प्रचालनाधीन हैं। वर्ष 2004–05 में, ई.सी.एल. के बारमोंडिया ड्रिलिंग शिविर के आसपास के क्षेत्र में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और नए कोकिंग कोयला ब्लाकों का अन्वेषण आरम्भ करने के लिए शिविर को बी.सी.सी.एल. क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। बी.सी.सी.एल. क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से कोई ड्रिलिंग शिविर विद्यामन नहीं है। ई.सी.एल. क्षेत्र में 4 ड्रिलिंग शिविर अभी भी प्रचालनाधीन हैं। ये शिविर ई.सी.एल. कमाण्ड क्षेत्र में अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

सेबी के अधिकारियों पर सीबीआई का छापा

3514. श्री के.एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्त्तन निदेशालय ने मिलकर सेबी अधिकारियों पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) छापों के दौरान क्या चीजें जब्त की गई; और

(घ) छापों के क्या परिणाम निकले हैं तथा छापों के दौरान प्राप्त जानकारियों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एस.ई.सी.एल., कोरबा में कदाचार

3515. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड में कदाचार और भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हो रहे कदाचारों में जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा कोरबा में हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने हेतु जांच करवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोरबा जिले में कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया है।

नागर विमानन महानिदेशालय की खामियां

3516. श्री विजय कृष्ण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर तथा मुंबई तट में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा लापरवाही की गम्भीर खामियां पायी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है जिससे डी.जी.सी.ए. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगा सके?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिनांक 5.8.2003 को श्रीनगर में गन्दरबल के निकट जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बेल-407 हेलीकॉप्टर वीटी-एफजेके की दुर्घटना के संबंध में दुर्घटना निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक दिनांक 11.8.2003 के मुंबई हाई में मैसर्स मेस्को एयरलाइन्स के एमआई-172 हेलीकॉप्टर वीटी-एमएएफ की दुर्घटना का संबंध है, नागर विमानन महानिदेशालय से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सरकार से इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर यदि कोई कार्रवाई अनिवार्य हुई तो की जाएगी।

गुजरात में रुग्ण कम्पनियां

3517. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :

श्री अधीर चौधरी :

क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी लिमिटेड कम्पनियां, तथा गुजरात टेलीफोन केबल्स तथा गुजरात आप्टिकल कम्युनिकेशन लिमिटेड जिनके पंजीकृत कार्यालय छरोड़ी फार्म तथा गांव-इयावा, तालुका सनंद जिला अहमदाबाद है, रुग्ण हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उन निवेशकों के हितों की रक्षा किस तरीके से करने का प्रस्ताव है जिन्होंने उक्त कम्पनियों के शेयरों में करोड़ों रुपये का निवेश किया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र की अन्य कम्पनियों द्वारा दो रुग्ण कम्पनियों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) मेसर्स गुजरात टेलीफोन केबल्स लि. ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत अपने को रुग्ण कम्पनी घोषित करने के लिए

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को एक संदर्भ भेजा है। कंपनी को अभी तक रुग्ण घोषित नहीं किया गया है।

मेसर्स गुजरात ऑपटीकल्स कम्यूनिकेशन लि. ने बी आई एफ आर को ऐसा कोई संदर्भ नहीं भेजा है, क्योंकि कम्पनी के अनुसार यह आवश्यक नहीं है।

(ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित होने वाली वित्तीय पुनर्निर्माण योजना रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार शेयर धारकों के हितों को संरक्षण प्रदान कर सकती है।

(ग) और (घ) कम्पनियों को अभी तक रुग्ण कम्पनी घोषित नहीं किया गया है। सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि अन्य कम्पनियों द्वारा इन दो रुग्ण कम्पनियों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है।

एयरलाइनों पर पट्टा कर

3518. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पट्टा कर से एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइनों और कम लागत वाली निजी एयरलाइनों के विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। विमान/विमान इंजिन की लीज किराए के भुगतान पर आय कर छूट की वापसी से संबंधित वित्तीय बिल में प्रावधान से लीज पर विमान लेने वाली विमान कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की सीमा, लीज पर लिए जाने वाले विमानों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(घ) नागर विमानन मंत्रालय तथा विभिन्न एयरलाइनों ने वित्त मंत्रालय से इस विषय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

विनिवेश

3519. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004–2005 के दौरान विनिवेश हेतु प्राथमिकता वाले उद्योग की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों के विनिवेश से कितनी धनराशि अर्जित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उद्योगों की प्राथमिकता के आधार पर विनिवेश हेतु पहचान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पांश शेयरधारिता की सार्वजनिक पेशकश और विनिवेश करते समय सम्पन्न शेयरधारक करार के प्रावधानों के अनुसार निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अविशिष्ट शेयरों की बिक्री के जरिए वर्ष 2004–05 के दौरान विनिवेश अर्थागम का लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए है।

नाबार्ड अधिनियम, 2003 में संशोधन

3520. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड अधिनियम, 2003 नाबार्ड को "संव्यवहार लागत" घटाने तथा किसानों को 9 प्रतिशत पर फसल की खरीद–बिक्री सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फसल ऋण ब्याज दर घटाकर 6 प्रतिशत करने तथा ऋण की वर्तमान सीमा 50,000/– रुपए से बढ़ाकर 1,00,000/– करने हेतु नाबार्ड अधिनियम, 2003 में संशोधित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। मौसमी कृषि क्रिया कलापों को वित्तपोषित करने के लिए एससीबी के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता देने के बजाय सीधे डीसीसीबी को यह सहायता देने के लिए नाबार्ड को समर्थ बनाते हुए वर्ष 2003 में नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं 22 को संशोधित किया गया था। नाबार्ड द्वारा सीधे डीसीसीबी के वित्तपोषण से एससीबी एवं डीसीसीबी के बीच लेन–देन लागत में कमी होगी तथा इससे किसानों के लिए ऋण लागत में कमी होगी। तदनुसार ही, कुछ शर्तें पूरी करते हुए डीसीसीबी को अल्पकाल (मौसमी कृषि क्रिया कलापों) हेतु पुनर्वित्त दिया गया है जिससे कि किसान 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर फसल ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सरकार के विचाराधीन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तम्बाकू उत्पादकों को समय पर सहायता

3521. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसंबर, 2003 में बेमौसम बारिश/चक्रवाती तूफान की वजह से तम्बाकू की फसल बुरी तरह बर्बाद हो गयी थी;

(ख) क्या तम्बाकू को छोड़कर अन्य फसलों की खेतीवाले क्षेत्रों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तम्बाकू उत्पादकों को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को तम्बाकू उत्पादकों की ओर से भी इसी तर्ज पर समय से सहायता मुहैय्या कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां। फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू की खड़ी फसल पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, खम्माम और गुण्टूर जिलों में कुछ सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

(ख) से (ङ) सामान्यतः प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर राज्य सरकारों द्वारा राहत प्रदान की जाती है। उपलब्ध सूचना से मालूम होता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एफ सी वी तम्बाकू को छोड़कर सभ फसलों की खेती वाले प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में 2000 रुपए/हैक्टेयर की सीमा तक राहत प्रदान की थी। उन्होंने प्रभावित एफ सी वी तम्बाकू उपजकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार से कहा था। केन्द्र सरकार ने इन उपजकर्त्ताओं को पहले ही राहत प्रदान कर दी है, जो इस प्रकार है:–

(i) इन उपजकर्त्ताओं द्वारा लिए गए अतिरिक्त ऋणों पर एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, जिनकी फसलें चक्रवाती वर्षा के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो गयी थीं; और

(ii) अधिक और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त खलिहानों के लिए क्रमशः 2500 रुपए और 3500 रुपए की दर से प्रतिपूर्ति।

राष्ट्रीय बचत योजनाएं

3522. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषकों, सामान्य शिल्पकारों और कामगारों द्वारा चलायी जा रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बैंकों को अपनी जमाराशियों को राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति बन्द कर दी है जबकि राष्ट्रीय बचत योजनाओं द्वारा न्यासों और संघों से जमाराशि स्वीकार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सहकारी बैंकों, समितियों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सरकार की लघु बचत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में मितव्ययिता और बचत की आदत डालना और उन्हें निवेश का एक जोखिम रहित मार्ग प्रदान करना है। बैंक,

वित्तीय संस्थान, सहकारी समितियां, आदि अपनी अतिरिक्त ध नराशियों को इन योजनाओं के तहत निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं। केवल पंजीकृत न्यास ही इनमें से कुछ योजनाओं में निवेश करने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर अधि नियम में यथा परिभाषित 'व्यक्ति संघ' और 'व्यक्ति निकाय' केवल लोक भविष्य निधि योजना में निवेश के लिए पात्र हैं।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर लघु बचत योजनाओं को अभिशासित करने वाली नीति एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

3523. श्री सीताराम सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत–नेपाल सीमा पर बढ़ते हुए तस्करी के मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सीमा की ओर से भारत में तस्करी की जा रही वस्तुएं कौन–सी हैं; और

(ग) ऐसी तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। भारत–नेपाल सीमा के जरिये तस्करी किए जा रहे माल की वर्ष–वार जब्ती के आंकड़ों से यह स्पष्ट है जो कि निम्नवत हैं:–

वर्ष	माल की जब्ती के मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (करोड़ रु.)
2001–02	4671	45.265
2002–03	4274	34.589
2003–04	4243	33.937
2004–05 (जुलाई, 2004 तक)	1261	10.115

(ख) नेपाल सीमा की ओर से भारत में तस्करी की जा रही वस्तुओं में हशीश और गांजा जैसी स्वापक औषधियां, रेशमी कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, कैमरा, प्रशीतक गैस सिलेंडर, पैंसिल सेल, वनस्पिति घी, इलायची एवं सुपारी जैसे मसाले, कैलकुलेटर, डी वी डी एवं वी सी डी प्लेयर जैसे इलैक्ट्रॉनिक सामान तथा कम्प्यूटर के पुर्जे शामिल है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय भारत–नेपाल सीमा पर निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की पहचान करने और इसकी रोकथाम के लिए सतर्क और चौकस है।

[अनुवाद]

घरेलू विनिर्माताओं को मान्य निर्यात सुविधाएं

3524. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात–निर्यात नीति में सुधार के अंश के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां आपूर्तियों पर उत्पाद शुल्क शून्य है, के घरेलू निगम क्षेत्र को मान्य निर्यातों के लाभों के विस्तार की आवश्यकता की समीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी ही आपूर्तियों के घरेलू विनिर्माताओं को मान्य लाभ दिए बिना कुछ आपूर्तियों के लिए सीमाशुल्क और रियायती आयात शुल्क के बीच विसंगति को समाप्त करने में यह किस सीमा तक सहायक होगा; और

(ग) इस संबंध में घरेलू विनिर्माताओं को दी जाने वाली मान्य निर्यात सुविधाओं को दर्शाने वाला सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) वर्तमान निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं को मान लिए गए निर्यातों के लाभ प्रदान किए गए हैं ताकि वे सीधे होने वाले आयात के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। उपलब्ध लाभ हैं – (क) मध्यवर्ती आपूर्ति/मान लिए गए निर्यात/डीएफआरसी हेतु अग्रिम लाइसेंस (ख) माने गए निर्यात पर शुल्क वापसी, और (ग) टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी।

एग्जिम नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और सार्वजनिक हित में, जहाँ भी व्यवहार्य हों वहाँ सुझाव शामिल किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड योजनाएं

3525. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. उपलब्ध कराने हेतु वार्ता आरंभ करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यक्ष महोदय ने नाबार्ड को ऐसी ही चर्चा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से करने को कहा है जिससे कि सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषकों को दिन-प्रति-दिन के बाजार विकास संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं देकर उन्हें जागरूक बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या नाबार्ड समस्याग्रस्त कृषकों को महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा; और

(ङ) इससे कृषक किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम्): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष ने 12 जुलाई, 2004 को नाबार्ड के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाषण में नाबार्ड से अनुरोध किया था कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के साथ उसकी सेवाओं के उपयोग हेतु बातचीत शुरू करें, क्योंकि उसके पास विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि की दृष्टि से काफी संसाधन हैं और वह निधि के तहत ग्रामीण विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रु. उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दूरसंवेदी उपग्रहों के जरिए प्राप्त असंख्य आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण संसाधन केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक है।

(घ) और (ङ) किसानों के कल्याण एवं प्रगति में नाबार्ड की सर्वाधिक रुचि रही है। सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को की गई घोषणा के अनुसरण में नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों को सलाह दी है कि वे ऋणों का पुनर्गठन एवं पुनर्निर्धारण करें और विपत्ति में पड़े किसानों को नए ऋण प्रदान करें। नाबार्ड ने पुनः सूचित किया है कि उसने ट्राइ और इसरो से विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि एवं ग्रामीण सेवा केन्द्रों के पूरे ब्यौरों के लिए उनसे विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा यह सहायता के प्रकार और इन संगठनों से प्राप्त सहायता पर निर्भर होगा।

नयी/मौजूदा औद्योगिक एककों के विकास हेतु प्रोत्साहन

3526. **डा. रतन सिंह अजनाला** :
सरदार सुखदेव सिंह लिबरा :
श्रीमती करनैल सुखरा :
श्री प्रदीप गांधी :
श्री सुभाष सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नई/मौजूदा औद्योगिक एककों के विकास हेतु उन्हें विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन प्रोत्साहनों को प्रदान करने से पंजाब में औद्योगिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्यमियों द्वारा पड़ोसी राज्यों की ओर रुख को रोकने के लिए पंजाब को भी यही प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(च) क्या सरकार को राजस्थान और झारखंड से भी अपने औद्योगिक विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (छ) सरकार ने 24.12.1997 को पूर्वोत्तर के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तत्पश्चात्, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश/उत्तरांचल राज्यों के लिए भी क्रमशः 14.06.2002, 23.12.2002 और 7.01.2003 को प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज जारी किए गए थे। इन विशेष पैकेजों के आधार पर, अनेक दूसरे राज्यों, नामतः पंजाब, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड ने भी अपने लिए ऐसे ही पैकेज प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। पंजाब ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने से पंजाब में औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि पंजाब सहित विशेष पैकेज की मांग करने वाले राज्यों को वैसी भौगोलिक बाधाओं और दूसरे प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता जैसे कि सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में है, इन अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया।

निर्यात परिषद् के पैनल अध्यक्ष/ उप-समिति की शक्ति

3527. डा. राजेश मिश्रा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्यात परिषद के पैनल अध्यक्ष/उप-समिति को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार निर्यात संवर्धन परिषद की लोकतान्त्रिक कार्यवाही को कैसे न्यायसंगत सिद्ध करती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एसं. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा परिचालित मॉडल नियमों/उप विधियों के आधार पर निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अपनाए गए नियमों/उप विधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक परिषद के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से युक्त एक प्रशासन समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति ऐसे कार्यों, जिन्हें समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के निष्पादन हेतु समय-समय पर पैनलों/उप समितियों का गठन कर सकती है। मॉडल नियमों/उप विधियों में उक्त पैनल/उप समिति के अध्यक्ष को कोई प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(ग) मॉडल नियमों/उप विधियों में सदस्यों के मताधिकार, परिषदों/समितियों की प्रक्रिया और बैठकों जैसे समाविष्ट किए गए विभिन्न प्रावधानों से निर्यात संवर्धन परिषदों का लोकतांत्रिक कार्यचालन औचित्यपूर्ण बन जाता है।

पंजाब हेतु विशेष पैकेज

3528. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तरांचल राज्यों की तरह पंजाब राज्य हेतु प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज और आर्थिक पैकेज प्रदान करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तरांचल राज्यों को कोई विशेष पैकेज/प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कोयला खान

3529. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले की चिमूर तहसील की प्रस्तावित 5-6 खदानों में खनन कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्य खदानों में कार्य आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) ये सभी खदानें कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी और इनसे कोयले की कितनी मात्रा निकलने की सम्भावना है तथा इनमें कितना लाभ अर्जित होने की सम्भावना है;

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है; और

(च) मुरपा कोयला खदान की अद्यतन स्थिति क्या है और इस खदान से कितना कोयला निकाला जा रहा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) से (ङ) चन्द्रपुर जिले की चिमूर तहसील में मुरपार भूमिगत खान को, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा, मुरपार ब्लाक के भू–वैज्ञानिक अन्वेषण के बाद खोला गया था। कठिन भू–खनन स्थितियों के कारण खान भारी घाटा उठा रही है। इसके अलावा 5 अन्य भू–वैज्ञानिक ब्लाकों में कोयला पाया गया है जिनमें भी भू–खनन की स्थिति भी बहुत ही प्रतिकूल है। इन कोयला भंडारों की प्रतिकूल तकनीकी – आर्थिकी के मद्देनजर इन ब्लाकों में नई खानें खोलनें का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) मुरपार भूमिगत खान में कोयला उत्पादन किया जा रहा है और वर्तमान में यह औसतन 200 से 250 टन प्रतिदिन कोयले का उत्पादन कर रही है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

3530. **डा. राम लखन सिंह :**
श्री संतोष गंगवार :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री सुनील कुमार महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में औद्योगिक एककों के सदस्यों की संख्या कितनी है और उनमें राज्य–वार कितनी पूंजी निवेश की गई है;

(ख) देश में राज्य–वार रुग्ण एककों की संख्या कितनी है;

(ग) गत वर्ष के दौरान राज्य–वार किन–किन रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया और चालू वर्ष के दौरान पुनरुद्धार किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दस वर्ष के दौरान 1000 व्यक्तियों से अधिक रोजगार देने वाले कौन–कौन से और कितने उद्योग बन्द हो गये हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं और प्रत्येक उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) अगस्त, 1991 से जून, 2004 तक की अवधि में कार्यान्वित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आईईएम) और स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों (आईएल) तथा इनमें निवेश की गई पूंजी के बारे में राज्यवार आंकड़ें संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़ें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। दिनांक 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार (आरबीआई में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ें) रुग्ण औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) आर बी आई सूचना के अनुसार मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनः स्वस्थ किए गए सूचित गैर–एस. एस. आई. (गैर लघु उद्योग) रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों के नाम संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 1994 से 2003 तक की अवधि के दौरान बंद किए गए ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या 15 है जिनमें 1000 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे। इन एककों के नाम संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सामान्यतः अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना आदि शामिल हैं।

विवरण-I

अगस्त, 1991 से जून, 2004 तक की अवधि के दौरान उद्यमियों द्वारा आई ई एम के भाग ख में दायर करके बताये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई ई एम) तथा प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंसों (आई एल) के राज्यवार ब्यौरे

सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	527	15036
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0
4.	असम	58	1120
5.	बिहार	18	211
6.	चंडीगढ़	4	258
7.	छत्तीसगढ़	56	1262
8.	दादरा और नगर हवेली	75	1339
9.	दमन और दीव	77	2174
10.	दिल्ली	52	642
11.	गोवा	97	782
12.	गुजरात	1109	39661
13.	हरियाणा	429	11408
14.	हिमाचल प्रदेश	37	335
15.	जम्मू और कश्मीर	12	760
16.	झारखंड	42	1856
17.	कर्नाटक	220	9263
18.	केरल	99	1719
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	306	8670
21.	महाराष्ट्र	1062	34581
22.	मणिपुर	0	0
23.	मेघालय	12	54
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	0	0
26.	उड़ीसा	44	1762
27.	पांडिचेरी	48	405
28.	पंजाब	329	7213
29.	राजस्थान	352	11055
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	649	11058
32.	त्रिपुरा	4	2
33.	उत्तर प्रदेश	556	21182
34.	उत्तरांचल	33	287
35.	पश्चिम बंगाल	380	34044
36.	एक से अधिक राज्यों में अवस्थित	27	131
	जोड़	6716	218270

विवरण-II

31 मार्च, 2003 को रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या

क्र सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	31.3.2002 को गैर लघु उद्योग रुग्ण/ कमजोर एककों की संख्या	31.3.2003 को लघु उद्योग रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	21
2.	आंध्र प्रदेश	342	6589
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	15

1	2	3	4
4.	असम	31	3592
5.	बिहार	52	16479
6.	चंडीगढ़	27	233
7.	छत्तीसगढ़	24	386
8.	दादरा और नगर हवेली	15	12
9.	दमन और दीव	14	23
10.	दिल्ली	130	1999
11.	गोवा	14	119
12.	गुजरात	380	4723
13.	हरियाणा	102	1515
14.	हिमाचल प्रदेश	28	618
15.	जम्मू और कश्मीर	14	2114
16.	झारखंड	27	2766
17.	कर्नाटक	210	3180
18.	केरल	64	14133
19.	लक्षद्वीप	–	–
20.	मध्य प्रदेश	138	11601
21.	महाराष्ट्र	618	4762
22.	मणिपुर	2	1012
23.	मेघालय	11	119
24.	मिजोरम	4	11
25.	नागालैंड	17	154
26.	उड़ीसा	59	8489
27.	पांडिचेरी	17	216
28.	पंजाब	107	3022
29.	राजस्थान	109	4005
30.	सिक्किम	1	31
31.	तमिलनाडु	358	13517
32.	त्रिपुरा	1	1793
33.	उत्तर प्रदेश	208	15768
34.	उत्तरांचल	23	467
35.	पश्चिम बंगाल	240	44496
	जोड़	3396	167980

विवरण-III

मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनः स्वस्थ किए गए गैर–लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक

क्र. सं.	नाम	राज्य
1.	अरविन्द मिल्स	गुजरात
2.	गुजरात साइकिल्स लि.	गुजरात
3.	गरवारे पोलिस्टर लि.	महाराष्ट्र
4.	टैक्सट प्लास्ट	महाराष्ट्र
5.	रिकोर्न सिन्थेटिक्स लि.	उत्तर प्रदेश
6.	मालवा इन्डस्ट्रीज लि.	चन्डीगढ़
7.	इन्डीटल टिन्टोरिया लि.	राजस्थान
8.	स्पास्ट्रा बोर्ड इन्डस प्रा. लि.	उड़ीसा
9.	रिलायंस सैलूलोज प्रोडक्टस	आंध्र प्रदेश
10.	अन्नपूर्णा फोयल्स लि.	आंध्र प्रदेश
11.	बिबकोल	दिल्ली
12.	मिथूट आप्ट सिरेमिक्स	केरल

विवरण-IV

वर्ष 1994–03 अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में बन्द किए गए औद्योगिक एककों के नाम जिनमें 1000 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे

क्र. सं.	स्थापना का नाम
1.	कैमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड, आग्राहम, तमिल नाडु
2.	मिनरल एक्सप्लोरेसन कार्पोरेशन लिमिटेड, खेतड़ी प्रोजक्ट्स, राजस्थान
3.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन कॉपर काम्पलैक्स, मोसाबोनी माइन्स, बिहार
4.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड् फील्ड्स कर्नाटक
5.	पेट्रोफिल्स कॉ–ओपरेटिव्स लिमिटेड, दिल्ली
6.	माइनिंग एवं अलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन, दुर्गापुर, प. बंगाल
7.	कल्याणमल मिल्स, एनटीसी (मध्य प्रदेश)
8.	इन्दौर मालवा मिल्स, एनटीसी (मध्य प्रदेश)
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स एनटीसी (मध्य प्रदेश)
10.	अहमद जुपिटर मिल्स एनटीसी (गुजरात)
11.	स्वदेशी कॉटन मिल्स एनटीसी (उत्तर प्रदेश)
12.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, एनटीसी (उत्तर प्रदेश)
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन कॉपर कम्पलैक्स, मोसाबोनी माइन्स, बिहार*
14.	मॉडल मिल्स, एनटीसी (उत्तरी महाराष्ट्रा)
15.	जहाँगीर टैक्सटाइल मिल्स, एनटीसी (गुजरात)

एनटीसी : नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन

* अलग खान

ए.एस.आई.डी.ई. के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन

3531. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषत: मध्य प्रदेश से ए.एस.आई.डी.ई. के अंतर्गत निर्यात संवर्धन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर निर्यात से संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) नामक स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजनाओं का चयन प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रत्न भंडार

3532. श्री विक्रम केशरी देव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में रत्नों (बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य) के भण्डार बहुतायत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में खनन कार्य को उचित रूप से विनियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए एक उचित नीति तैयार करने और उड़ीसा के इस सम्पूर्ण क्षेत्र का भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण और उपग्रहीय सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण और मानचित्रीकरण करवाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) खान विभाग के दोनों अधीनस्थ कार्यालयों–

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और भारतीय खनन ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 28 रत्न-धारक क्षेत्रों (ट्रैक्ट) की पहचान की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं (i) बोलंगीर जिले के जिल्लिंगधर – हिंजीलिबहल, ओराबहल – उरहरांगा और घाटस्पारा – सिंगीहरन क्षेत्र, (ii) बोलंगीर जिले के घुचेपाडा – अंटारिआ, घुमसार – देहली और मुरीबहल – तेनतेलखुंटिया क्षेत्र, (iii) सुबर्णपुर जिले के बडमल – मुरसुंडी और बिनीका – सोनपुर क्षेत्र, (iv) संबलपुर जिले के चारबती – बेलडीही और बाघपाडा – तबलई क्षेत्र, (v) नौपाडा जिले का कटमल – बाबेबीर – अमीरा क्षेत्र, (vi) बौध जिले के बौध – रामगढ़ और कांटामल – मनमुंडा क्षेत्र। तथापि, उड़ीसा राज्य में रत्नों के विशाल भंडारों की उपलब्धता के संबंध में प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत् बनायी गई नियमावलियों यथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम.सी. आर.) और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। रत्नों सहित खनिजों के खनन का विनियमन एम.सी.आर. के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। रत्न (बहुमूल्य एवं अर्ध-बहुमूल्य) खनिज, एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल हैं और इन खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने से पूर्व राज्य सरकारों के लिए खनिज रियायतों हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) ने 20 वर्षों के लिए रत्नों की बीस खनन योजनाएं पहले ही अनुमोदित कर दी हैं और इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने भी चौदह पट्टाधारकों को पट्टे प्रदान कर दिए हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अर्ध-बहुमूल्य रत्नों की छः खानें पहले ही खोली जा चुकी हैं।

(घ) रत्नों के उचित विदोहन के लिए राज्य सरकार द्वारा रत्न नीति (जैम स्टोन पॉलिसी), 1998 तैयार की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य का भूवैज्ञानिक मानचित्रण पहले ही पूरा कर लिया है।

(ङ) जी.एस.आई. ने सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य का 1 : 50000/63,360 के पैमाने पर प्रथम पीढ़ी (फर्स्ट जेनरेशन) भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया है। भूवैज्ञानिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 1 : 25000 के पैमाने पर द्वितीय पीढ़ी (सेकेंड जेनरेशन) मानचित्रण द्वारा कवर किया गया था। जी.एस. आई. ने इस राज्य के कुछ भागों को हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा भी कवर किया है। जी.एस.आई. द्वारा उपग्रहीय सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, भूवैज्ञानिक मानचित्रण में सहायता के लिए अंतरिक्ष चित्रों जैस उपग्रहीय डाटा का उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा कोयले का परिवहन

3533. श्री विष्णु देव साय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कोयला लिमिटेड ने कोयले के परिवहन की अनुमति केवल निर्धारित मात्रा में अनिवार्यतः वजन करने के पश्चात ही देने संबंधी नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सड़क और रेल मार्गों द्वारा बिना वजन किए परिवहन की गई कोयले की कितनी मात्रा को अनुमति दी गई;

(ग) इसके क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी कौन हैं;

(घ) ऐसे मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी है जिसमें निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन किया गया; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेवार ठहराए गए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. (सी.आई. एल.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि वजन करने के पश्चात् कोयले के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। फिर भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोयले की कोई भी मात्रा बिना वजन किए प्रेषित नहीं की जाएगी। सड़क द्वारा कोयले के परिवहन के मामले में बिना वजन किए किसी प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सभी कोयला कम्पनियों से बिना वजन किए प्रेषित कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गयी है:–

(आंकड़े मिलियन टन में)

2001–02		2002–03		2003–04	
रेल	सड़क	रेल	सड़क	रेल	सड़क
8.61	शून्य	7.878	शून्य	7.606	शून्य

(ग) बिना वजन किए रेल द्वारा कोयले के प्रेषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:–

(i) तोल सेतु (वे–ब्रिजों) के प्रचालन में खराबी/रख रखाव।

(ii) इन–मोशन (गतिशील) तोल सेतुओं से गुजरते ही ड्राइंग रेकों की तेज गति के कारण सही वजन रिकार्ड करने में तोल सेतुओं की असमर्थता।

(iii) जिन ट्रैक लाइनों पर, तोल सेतु स्थित हैं उनमें समस्याओं के कारण रेलवे ट्रैकों पर प्रचालन न होना।

(iv) बादल गरजना/बिजली गिरना तथा इलेक्ट्रॉनिक तोल सेतुओं के लोड–सेल का कभी–कभी खराब होना।

(घ) और (ङ) अधिकांश रेल तोल सेतु अब "इन–मोशन" तोल सेतु हैं जिनमें तोल प्लेटफार्म पर लदान नहीं किया जाता है। अतः प्रचालनों की मात्रा पर विचार करते हुए कभी–कभी वैगन–वार कोयले की सही–सही मात्राओं का लदान संभव नहीं है। तथापि, रेक–वार प्रेषणों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए वैगन–वार लदान में अंतर के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कोल इंडिया लि. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विमान किराये में कमी

3534. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

श्री के. एस. राव :

श्री कैलाश मेघवाल :

श्री चन्द्रशेखर दूबे :

श्री पी.सी. थामस :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहारा, जेट एयरवेज आदि जैसी विमान कम्पनियों ने जुलाई, 2004 में अपने विमान किराये को अत्याधिक कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कम्पनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या उक्त किराये के भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) कुछ एयरलाइनों जैसे जेट एयरवेज ने कुछ सेक्टरों पर 26 जुलाई, 2004 से लीन सीजन प्वाइंट–टू–प्वाइंट किराए और लीन सीजन रिटर्न एक्सकरशन किराए आरंभ किए हैं और यह अक्तूबर 15, 2004 तक वैध है।

(ख) से (घ) हवाई किराए सरकार द्वारा नियमित नहीं किए जाते हैं। लीन सीजन किराए इत्यादि को जारी रखना एक ऐसा मामला है जिसके बारे में संबंधित एयरलाइनों के प्रबन्धन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

फर्जी कंपनियों हेतु कृतिक बल

3535. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में प्रत्येक फर्जी कम्पनी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए चार कृतिक बल समूह गठित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल समूहों का ब्यौरा और उनके द्वारा अब तक की गई प्रगति क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) कम्पनी कार्य मंत्रालय के सचिव तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष की सह–अध्यक्षता में लुप्त कम्पनियों पर बनी समन्वय एवं मानीटरिंग समिति (सी एम

सी) ने अन्य बातों के साथ–साथ लुप्त कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए चार टास्क फोर्सों की स्थापना की है।

(ख) टास्क फोर्सों के अध्यक्ष इस मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक होंगे। टास्क फोर्सों की बैठकें आमतौर पर मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में होती है। इन टास्क फोर्सों के अन्य सदस्य सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों, संबंधित स्टाक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि तथा संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार होते हैं। टास्क फोर्सों द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 109 लुप्त कम्पनियों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत उनके निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सांविधिक विवरणियां दायर न करने के लिए 103 कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 403, 415, 418 तथा 424 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए 87 कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें भी दायर की गई हैं।

भारत को एडीबी सहायता

3536. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक आगामी पांच वर्षों में भारत को सात बिलियन डालर की सहायता देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले राज्यवार सम्भावित क्षेत्र कौन–से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के हाल ही के "देश कार्यनीति एवं कार्यक्रम मिशन 2005–07" में भारत के लिए कैलेण्डर वर्ष 2005 से 2007 के दौरान लगभग 6.3 बिलियन अमरीकी डालर की अन्तरिम सहायता कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। ये ऋण परिवहन, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, वित्तीय, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन और कानून, आर्थिक प्रबंध तथा लोक नीति के क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनओं के लिए होंगे और ये केन्द्रीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

(ख) विशिष्ट ऋणों की विस्तृत निबंधन और शर्तें बैंक के साथ वार्ताएं सम्पन्न हो जाने और एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही ज्ञात होती हैं। एडीबी के ऋण सामान्यतया 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 20 और 25 वर्ष के लिए ऐसी ब्याज दर पर दिए जाते हैं, जो बैंक की नीति के अनुसार "लिबोर" जमा 60 आधार बिन्दु और वचनबद्धता प्रभार एवं फ्रंट–एण्ड शुल्क के साथ सम्बद्ध होती है।

रबर पार्क की स्थापना

3537. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रबर पार्क इण्डिया लि. के माध्यम से प्रथम रबर पार्क स्थापित करने में सफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में कुछ और भी ऐसे पार्क स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) रबड़ और रबड़ काष्ठ आधारित उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार (रबड़ बोर्ड) और केरल सरकार (केरल औद्योगिक बुनियादी संरचना विकास निगम) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी रबड़ पार्क इंडिया (प्रा.) लिमिटेड के माध्यम से केरल के एर्नाकुलम जिले के इरापुरम में एक रबड़ पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित बुनियादी संरचना सुविधाओं के साथ 107 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा और

तमिलनाडु जैसी कुछेक राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में रबड़ पार्कों की स्थापना करने की कार्यवाही कर रही हैं।

आई.एफ.सी.आई. की अप्रयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.)

3538. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अप्रयोज्य आस्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या अनेक अन्य वित्तीय संस्थान भी अप्रयोज्य आस्तियों की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय संस्थानों का एन.पी.ए. अनुपात कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आई.एफ.सी.आई., आई.आई.बी.आई, आई.डी.बी.आई., एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, आईडीएफसी तथा सिडबी की अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास निम्नांकित हैं:

– भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2000 में जारी किए गए दिशानिर्देशों एवं तत्पश्चात् 4 फरवरी, 2003 के संशोधित मार्गनिर्देशों के तहत वित्तीय संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना के माध्यम से एनपीए की वसूली के लिए कहा है।

– सरकार ने एनपीए के निपटान में वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000–01 के दौरान सात और डीआरटी की स्थापना की है।

– डिक्री अथवा सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर वसूली प्रमाण–पत्र तत्काल जारी करने हेतु डीआरटी को शक्ति प्रदान करने के लिए ऋण वसूली अधिनियम को संशोधित किया गया।

– आंतरिक एवं बाह्य कारणों से समस्याग्रस्त अर्थक्षम कंपनियों के कंपनी ऋणों के पुनर्निर्धारण के लिए एक पारदर्शी जमा एवं ऋण पुनर्निर्धारण तंत्र की स्थापना की गई है।

– वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को नियंत्रित करता है।

विवरण

वित्तीय संस्थाओं (आई.डी.बी.आई, आई.एफ.सी.आई. लि., आई.आई.बी.आई., एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, आईडीएफसी तथा सिडबी) की अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2001–02		2002–03		2003–04	
		सकल एनपीए	निवल एनपीए	सकल एनपीए	निवल एनपीए	सकल एनपीए	निवल एनपीए
1	2		4	5	6	7	8
1.	आई.एफ.सी.आई. लि.	6574	3898	8382	4560	9998	3864
2.	आई.आई.बी.आई	1121	609	1718	915	1722	800

1	2		4	5	6	7	8
3.	आई.डी.बी.आई.	7932	3873	8751	7517	10292	8693
4.	एक्जिम बैंक	986	448	784	184	729	129
5.	नाबार्ड		0.93		1.61		0.80
6.	एनएचबी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	आईडीएफसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	30	शून्य
8.	सिडबी		382.17		472.70		225.82

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास हेतु निधियां

3539. डा. राम लखन सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003–2004 के दौरान राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई तथा वास्तव में उन्हें आबंटित की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) विभिन्न राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में मूल सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां आबंटित करता है:

1. विकास केन्द्र योजना : देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की। इस योजना के अन्तर्गत देश भर में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभा 71 विकास केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है। इन विकास केन्द्रों को बिजली, जल, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि जैसी मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि राज्य उद्योगों को आकृष्ट करने में सक्षम हों। केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में 10 करोड़ रुपये प्रति विकास केन्द्र (सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्र के मामले में 15 करोड़ रुपये) का योगदान करती है। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर जारी की जाती है।

वर्ष 2003–04 के दौरान इन विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 67.12 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। राज्य वार जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

71 विकास केन्द्रों में से 62 विकासा केन्द्रों में परियोजना के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। और 46 विकास केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ प्लाटों/शेड़ों के आबंटन की शुरूआत प्रारंभ हो गई है। 23 विकास केन्द्रों में 983 उद्योगों की स्थापना की गई है।

2. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) : वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बन सकने की बेहतर संभाव्यता वाले चुनिंदा कार्यशील समूहों/स्थापना स्थलों में सार्वजनिक–निजी भागेदारी के जरिए गुणवत्ता युक्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर घरेलू उद्योगों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के नाम से एक नयी योजना 10 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचित की गई

है। इस योजना का उद्देश्य उच्च वृद्धि की संभाव्यता वाले मौजूदा औद्योगिक समूहों/स्थापना स्थलों पर गुणवत्ता युक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना है जिसमें परिवहन, सड़क, जल, विद्युत, गैस, ईंधन आपूर्ति, निस्राव उपचार, ठोस कचरा निपटान के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामरिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्पाद डिज़ाइन, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी सहायता तथा ऐसी ही दूसरी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएंगी।

वर्ष 2003–04 के दौरान दो औद्योगिक समूहों/स्थापना स्थलों को 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

(1) टेक्सटाइल समूह, तिरुपुर, तमिलनाडु–25.00 करोड़ रुपये

(2) कैमिकल समूह, बापी, गुजरात–12.50 करोड़ रुपये

चूंकि परियोजनाएं हाल ही में मंजूर की गई हैं अतः की गई प्रगति का प्रदर्शन अभी होना है।

उपर्युक्त के अलावा विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:–

एकीकृत अवसंरचना विकास योजना : इस योजना के उद्देश्य जल, विद्युत, सड़क, नालियां (ड्रेनेज) निःस्राव उपचार संयंत्र, सामान्य सेवा सुविधाओं आदि सहित विकसित स्थापना स्थलों का विकास करना है। 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में 96 आई.आई.डी. केन्द्र हैं। वर्ष 2003–04 के दौरान विभिन्न राज्यों में आई.आई.डी. परियोजनाओं की विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को 1090 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसियों को आबंटित की गई निधियों का राज्य वार ब्यौरा नीचे एक विवरण में दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य का नाम	रुपये लाख में
1	2	3
1.	केरल	170.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	27.60
3.	उत्तर प्रदेश	293.38
4.	असम	200.00
5.	मिजोरम	90.00
6.	मध्य प्रदेश	128.00
7.	तमिलनाडु	138.61
8.	हिमाचल प्रदेश	42.41
	कुल	1090.00

विवरण

वर्ष 2003–04 के दौरान राज्यों में विभिन्न विकास केन्द्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विकास केन्द्र का नाम	2003–04
1	2	3
I	आन्ध्र प्रदेश	
	1 ओंगोले	100
II	अरुणाचल प्रदेश	
	2 निकलोक नॉरलंग	200
III	असम	
	3 चारीद्वार	66
	4 छायागांव	500
IV	छत्तीसगढ़	
	5 बोराई	107
V	गोवा	
	6 इलेक्ट्रॉनिक सिटी	176
VI	हिमाचल प्रदेश	
	7 कांगड़ा	500

1	2	3
VII	जम्मू और कश्मीर	
	8 लस्सीपुरा	500
	9 सांबा	500
VIII	झारखंड	
	10 हजारीबाग	200
IX	मध्य प्रदेश	
	11 सतलापुर	365
X	महाराष्ट्र	
	12 धुले	200
	13 नांदेड़	90
XI	मेघालय	
	14 मेंदीपत्थर	500
XII	मिजोरम	
	15 लूआंगमुआल	400
XIII	उड़ीसा	
	16 कलिंगनगर–डुबुरी	160
	17 झारसुगुड़ा	68
XIV	सिक्किम	
	18 समलिक मार्चक	500
XV	त्रिपुरा	
	19 बोधजंग नगर	430
XVI	उत्तरांचल	
	20 सिगड्डी	1000
XVII	उत्तर प्रदेश	
	21 पकवाड़ा	150
	कुल	6712

[अनुवाद]

एकल प्रीमियम बीमा पालिसी को पुनः आरम्भ करना

3540. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री पी. सी. थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एकल प्रीमियम बीमा पॉलिसी को पुनः आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के दुरुपयोग को रोकने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) पालिसी धारकों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित लाभ क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बीमा बाजार में एकल प्रीमियम पॉलिसियां पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) ऐसी पालिसियों के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केवल एक ही प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान किए जाने की जरूरत होती है। ऐसी पालिसी का चयन करने का विकल्प पालिसीधारक के पास होता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए कोयले की दर एवं रायल्टी

3541. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश के संबंध में निर्धारित कोटे की तुलना में कोयले की आपूर्ति सहित इसकी दर, रॉयल्टी आदि में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन किस तिथि को हुए तथा इस उद्देश्यार्थ अपनायी गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा क्या ऐसे परिवर्तन किसी अन्य राज्य के लिए भी किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो ऐसे परिवर्तन केवल मध्य प्रदेश के लिए ही किए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) कोयले की आपूर्ति राज्यवार निर्धारित कोटे के आधार पर नहीं की जा रही है। विभिन्न राज्यों को कोयले की आपूर्ति विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों से मांग के आधार पर की जाती है। कोयला आपूर्ति के कारण मध्य प्रदेश को देय रायल्टी की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कोल इंडिया लि. ने 16.6.2004 से कोयले के मूल्य में संशोधन कर दिया।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने कोयले के विभिन्न ग्रेडों हेतु 16.6.2004 से कोयला के मूल्य में संशोधन कर दिया। सी.आई.एल. समय–समय पर निम्नलिखित के आधार पर कोयले के मूल्य में संशोधन करती है:–

(i) कोयले के उत्पादन हेतु निवेश के लागत मूल्य में वृद्धि।

(ii) बाजार में कोयले के मूल्य की स्वीकार्यता तथा विद्युत उत्पादन और इस्पात की लागत पर इसका प्रभाव।

(iii) मांग तथा आपूर्ति परिदृश्य।

(iv) आयातित कोयले की भारत में आने पर लागत।

कोयले के मूल्यों में संशोधन भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना के लिए धनराशि

3542. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार के समक्ष सरदार सरोवर परियोजना में अधिक समय लगने के कारण ऋण–भार की समस्या आ रही है जबकि ये कारक राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से अतिरिक्त ब्याज भार के लिए धनराशि हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर के कारकों के कारण हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ऐसे प्रयोजनों के लिए कोई अनुदान नहीं देती है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

3543. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात की जा रही हस्तशिल्प वस्तुओं का राज्यवार वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वस्तुओं का राजस्थान से निर्यात बढ़ा है; और

(ग) क्या हस्तशिल्प क्षेत्र में राजस्थान को छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हस्तशिल्प के निर्यात के राज्यवार आंकड़े तैयार नहीं किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

हथकरघा उद्योग की रुग्णता

3544. श्री रामजीलाल सुमन :

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग अपने असंगठित स्वरूप के कारण निरन्तर रुग्ण बनता जा रहा है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हथकरघा उद्योग की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को संगठित करने के लिए कुछ हथकरघा इकाईयों की समूह में स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग के असंगठित स्वरूप के होने के कारण रुग्ण होने के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार अबाधित आपूर्ति श्रंखला स्थापित करने, गुणवत्ता और विपणन में सुधार लाने जिससे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके, के लिए आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हथकरघा उद्योग के विकास के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे रही है।

संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात

3545. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात को कुछ मदों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संयुक्त अरब अमीरात को वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) भारत से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को अनेक मदों का निर्यात किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यूएई को निर्यातित मुख्य मदों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001–02 के दौरान हुए निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 2002–03 के दौरान हुए निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 2003–04 के दौरान हुए निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रत्न एवं आभूषण	542.14	23.2	661.88	22.1	1329.19	100.8
2.	सहायक सामग्री सहित सिले सिलाए सूती वस्त्र	253.87	(–)32.0	295.66	16.5	425.62	44.0
3.	पेट्रोलियम उत्पाद	5.64	(–)81.3	398.37	6969.3	330.54	(–)17.0
4.	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड अप्स	214.24	28.9	273.48	27.7	392.72	20.6
5.	धातु का विनिर्माण	178.51	0.9	204.01	14.3	287.57	41.0

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	अन्य वस्तुएं	73.20	38.1	94.12	28.6	259.13	175.3
7.	प्लास्टिक तथा लिनोनियम उत्पाद	72.72	9.4	75.47	3.8	256.01	239.2
8.	मशीनरी तथा उपकरण	104.88	(–)4.0	141.00	34.4	246.71	75.0
9.	इलेक्ट्रॉनिक सामान	50.88	19.8	67.52	32.7	99.89	48.0
10.	प्राथमिक तथा आर्द्ध परिष्कृत लौह एवं इस्पात	47.80	(–)4.9	74.64	56.2	96.77	29.7
	यूएई को भारत के कुल निर्यात	2491.79	(–)3.5	3327.48	33.5	5079.98	52.7

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)

चालू वर्ष के लिए निर्यातों के देशवार, मदवार ब्यौर उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों का गैर-योजना व्यय

3546. श्री उदय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को बढ़ते गैर–योजना व्यय को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों में वित्त की खराब हालत पर भी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो देश में राज्यों की वित्त स्थिति में सुधार के लिए अपनायी जाने वाली नई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राज्यों की डगमगाती वित्तीय स्थिति के परिणामस्परूप, भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजकोषीय समेकन में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यकोषीय सुधार सुविधा (2000–01 से 2004–05) का सृजन किया है। इस सुविधा के तहत् राज्य सरकारों से उपेक्षा की जाती है कि वे मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम शुरू करें जिनका उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना और गैर–योजना राजस्व व्यय सहित राजस्व व्यय को कम करना हो।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट 2004–05 में राज्यों की वित्तीय स्थिति और समेकन के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय करों और ड्यूटीज़ के राज्यों के शेयर में पर्याप्त वृद्धि, राज्यों को अपने पुराने उच्च लागत वाले ऋणों की अदायगी, नाबार्ड और अन्य एजेंसियों को करने के लिए नए ऋण लेने की अनुमति देने के लिए वर्तमान ऋण विनिमय स्कीम की अवधि बढ़ाना, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अग्रिम में दिए गए ऋणों पर ब्याज दर को कम करना, बैक–टू–बैक आधार पर बाहरी ऋण सहायता राज्यों को देने के संबंध में विचार करना, बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तथा पिछड़ा राज्य अनुदान निधि की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

एयरलाइंस बीमा प्रीमियम

3547. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री वाडिगा रामकृष्णा :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एयरलाइंस बीमा प्रीमियम समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नेशनल कैरियर्स के दावों की देनदारी संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस छूट को एयरलाइंस उपभोक्ताओं के साथ किस प्रकार से बांटती है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

3548. श्री तापिर भाव :

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किन-किन देशों को सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान एवं चालू वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ता लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) भारत में सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात विश्व के सौ से अधिक देशों को किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीयन संघ के सदस्य देश, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया आदि हमारे सिलेसिलाए परिधानों के मुख्य आयातक देश रहे हैं।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात नीचे दिए गए अनुसार रहा है:-

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
अप्रैल 2001-मार्च 2002	4618.7
अप्रैल 2002-मार्च 2003	5334.3
अप्रैल 2003-मार्च 2004	5625.8

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03, 2003-04 और चालू वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
अप्रैल 2001-मार्च 2002	6300
अप्रैल 2002-मार्च 2003	6000
अप्रैल 2003-मार्च 2004	6250
अप्रैल 2004-मार्च 2005	6000

(घ) बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने और निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते केन्द्रीय बजट 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गयी हैं:-

- टेक्सचराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़ कर समस्त मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क के विकल्प से छूट दी गयी है।
- वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त

उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

– विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल–पूर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार निर्यात लक्ष्य हासिल करने के वास्ते वस्त्र उद्योग को सक्षम बनाने के लिए समय–समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:–

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंसकरण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एकर्कों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना शुरु की गई है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरु की गई है।

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का राइट इश्यू

3549. श्री जी वेंकटस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जिसे तुरंत धनराशि की आवश्यकता है, के प्रस्तावित राइट इश्यू के प्रधान प्रवर्त्तकों एवं उनके एसोसिएट्स द्वारा खरीदे जाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपनी धनराशि बैंक में निवेश करने को उत्सुक हैं जिन्होंने अपने कार्यकरण में विशिष्ट सुधार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें निवेश करने की अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसने 23 मार्च, 2004 के अपने अंतिम आदेश में निम्नलिखित प्रवर्त्तक समूह कंपनियों को निदेश दिया है कि 31 दिसम्बर, 2002 से प्रभावी 18 महीने की अवधि के लिए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयरों की खरीद, बिक्री, सौदे न करें अथवा उन्हें गिरवी न रखें।

1. रमेश गेली
2. प्रेमकला गेली
3. जयन्त माधव
4. गिरीश गेली
5. नीरज गेली
6. श्रीधरे सुबाश्री
7. अन्नापूर्ण श्रीधर
8. अंजन्या ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
9. चिरंजीवी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
10. गजानन फाईनेन्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11. गजमुख इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12. कदरिश फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13. बाम्बे महालक्ष्मी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अन्तर्गत 31.12.2002 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए इन 13 प्रवर्त्तक समूह कंपनियों और अन्य कंपनियों को ये निदेश दिए गए थे

कि जांच पूरी होने तक प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयरों की खरीद, बिक्री अथवा अंतरण, गिरवी अथवा निपटारा अथवा किसी अन्य तरीके से सौदा न करें। उक्त निकायों को 3 व 4 फरवरी 2003 को पश्च निर्णय सुनवाई की पेशकश की गई थी। दिनांक 13 जून, 2003 को जीटीबी के प्रर्वत्तकों और संबद्धों के विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2002 के आदेश की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया गया था। फिर 23 मार्च, 2004 के उपर्युक्त आदेश द्वारा 31 दिसम्बर, 2002 से प्रभावी 18 महीने की अवधि के लिए इन कंपनियों के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसमें इन कंपनियों को जीटीबी की प्रतिभूतियों में कारोबार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ग) और (घ) बैंक ने जीटीबी में निवेश के लिए कैमन द्वीप में स्थित एक कंपनी न्यू ब्रिज कैपिटल लिमिटेड से भारतीय रिजर्व बैंक को 17 मई, 2004 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, नियामक रियायतों और विवेकपूर्ण परिहार के साथ–साथ विवाद समाधान हेतु मांगे गए विदेशी क्षेत्राधिकार के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था। कार्यकरण में सुधार के बजाय 31 मार्च, 2001 से प्रमुख प्राचलों में इस बैंक के कार्यनिष्पादन में काफी गिरावट आई है।

सेबी के समक्ष लंबित पड़े जांच मामले

3550. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेबी के समक्ष लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) ये मामले कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) इनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये मामले कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस पलानीमनिक्कम): (क) एक अप्रैल, 2004 की स्थिति के अनुसार 102 मामले औपचारिक जांच के अन्तर्गत लंबित थे और 100 मामले संवीक्षा के प्रारंभिक चरण में लंबित थे।

(ख) से (घ) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार जांच के लिए 31 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे। सेबी ने लक्ष्य रखा था कि ये सभी मामले 31 जुलाई, 2004 तक पूरे कर लिए जाएंगे। तत्पश्चात् कुछ और मामलों को पूरा करने के अलावा ये सभी मामले लक्ष्य के अनुसार पूरे किए गए। सेबी सतत् आधार पर नए मामले लेता है और इसलिए किसी भी प्रदत्त समय पर कुछ मामले सदैव ही लंबित रहेंगे।

एफ.टी.ए. एवं पी.टी.ए. की समीक्षा

3551. श्री निखिल कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त शंकाओं के चलते प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के मुक्त व्यापार समझौतों एवं अधिमानक व्यापार समझौतों की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन संधियों/समझौतों के कारण हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों एवं अधिमानिक व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इन करारों में अधिमानी आधार पर भागीदार देशों के बीच पारस्परिक बाजार पहुंच हासिल करने की दृष्टि से टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान शामिल है। इस वजह से भागीदार देशों को सीमाशुल्क के संभावित नुकसान को इससे प्राप्तव्य अन्य लाभों की तुलना करते हुए देखना होगा जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, उद्योगों के लिए विस्तृत आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जिससे उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने और व्यापार एवं निवेश के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(ङ) भारत ने निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों के साथ

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) किए है :–

(i) भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार जिस पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसका कार्यान्वयन मार्च, 2000 में शुरू हुआ था।

(ii) 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क सदस्य देशों (बंग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) द्वारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 1 जनवरी, 2006 को लागू होगा।

(iii) भारत की नेपाल और भूटान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार संधियां भी हैं, जिनके अंतर्गत इन दोनों देशों से अपारस्परिकता के सिद्धांतो के आधार पर शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति दी जाती है।

(iv) भारत ने सहमत समय–सीमा के भीतर वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों को शामिल करते हुए मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से आसियान (दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों का संगठन जिसमें ब्रुनेई, दारूसलाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं); बीआईएम एसटी–ईसी (बंग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड जिसके सदस्य हैं) और थाईलैंड के साथ कार्यढांचा करारों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(v) भारत ने सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के अंतर्गत टैरिफ अधिमानों का आदान–प्रदान भी किया है। साप्टा के अंतर्गत अब तक वार्ताओं के चार दौर आयोजित किए गए हैं जिनमें भारत ने सार्क के सदस्य देशों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान किया है।

(vi) भारत द्वारा बैंकाक करार, जो एक पीटीए है; और बंगलादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य एवं श्रीलंका जिसके सदस्य हैं, के अंतर्गत भी टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान किया जा रहा है;

(vii) भारत ने वर्ष 2003 में अफगानिस्तान के साथ पीटीए भी निष्पादित किया है; जिसके अंतर्गत अपारस्परिक आधार पर सीमित उत्पादों पर टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान किया जा रहा है।

सोडा राख उद्योग

3552. श्री महेश कनोडीया :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका नेचुरल सोडा ऐश कॉरपोरेशन से सोडा राख के सस्ते आयात से घरेलू सोडा राख उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को घरेलू सोडा राख उद्योग को बचाने के दृष्टिकोण से सोडा राख पर आयात शुल्क बनाए रखने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को अभी तक अमरीका नेचुरल सोडा ऐश कॉरपोरेशन द्वारा सोडा ऐश के पाटन का आरोप लगाने वाला कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2001–2002 के बजट के दौरान सोडा ऐश पर सीमाशुल्क को 35% से घटा कर 20% कर दिया गया था। जनवरी, 2004 में एसएंडी को समाप्त करने के अतिरिक्त तब से सीमाशुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है। पहुँच कीमत और घरेलू कीमत तथा आयात मात्रा और देशी उत्पादन की तुलना करने से यह मालूम होता है कि 20% सीमाशुल्क पर भी पहुँच कीमत (मुम्बई में) घरेलू कारखाना बाह्य कीमत से थोड़ी अधिक है। सोडा ऐश के घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जबकि सोडा ऐश के आयातों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बाबा साहेब हस्तशिल्प योजना

3553. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री राजनरावन बुधौलिया :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाबा साहेब हस्तशिल्प योजना के अंतर्गत अब तक प्रदान किए गए अनुदान का राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) हस्तशिल्प के विकास और संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम हैं : बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन और सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण और विस्तार; अनुसन्धान और विकास; बीमा योजना; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/एपेक्स सोसायटियों को वित्तीय सहायता। राज्य विशिष्ट योजना नामक कोई भी योजना विद्यमान नहीं है और समस्त देश में ये सभी योजनाएं सहायता अनुदान योजना के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपेक्स निकाय और गैर–सरकारी संगठन इत्यादि के मार्फत कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्यवार बजट आबंटन नहीं किया जाता। इन योजनाओं के मार्फत वित्तीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की मेरिट तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अधीन कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी राशि को उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यवार संकलित किया गया है। यह जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अधीन जारी की गई राज्यवार राशि

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	17,60,178	21,43,813	1,47,19,882
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,73,000	7,08,868	27,15,572
3.	असम	34,05,125	26,31,215	1,51,53,420
4.	बिहार	0.00	1,40,500	5,45,000
5.	छत्तीसगढ़	31,15,000	0.00	17,91,867
6.	दिल्ली	3,06,700	36,35,415	32,56,192
7.	गोवा	0.00	0.00	2,50,000

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	12,92,500	16,22,603	69,40,979
9.	हरियाणा	12,68,500	26,39,250	25,14,058
10.	हिमाचल प्रदेश	26,73,900	32,92,265	53,91,622
11.	जम्मू और कश्मीर	5,60,000	67,94,993	40,61,168
12.	झारखंड	1,77,750	8,93,000	6,46,000
13.	कर्नाटक	7,55,000	4,18,250	38,70,696
14.	केरल	6,37,113	14,26,911	74,63,947
15.	मध्य प्रदेश	41,62,466	59,40,600	66,23,241
16.	महाराष्ट्र	15,54,500	10,94,381	23,64,716
17.	मणिपुर	54,245	6,46,705	20,01,220
18.	मेघालय	45,000	3,56,200	4,57,870
19.	मिजोरम	1,80,250	0.00	15,82,250
20.	नागालैंड	7,00,000	21,23,500	30,11,325
21.	उड़ीसा	14,62,800	48,81,261	79,13,837
22.	पाण्डिचेरी	85,500	0.00	–
23.	पंजाब	4,05,000	15,80,000	41,61,579
24.	राजस्थान	24,65,150	28,52,109	64,69,404
25.	सिक्किम	0.00	2,75,000	–
26.	तमिलनाडु	18,00,200	9,45,691	33,44,689
27.	त्रिपुरा	5,29,500	16,16,477	34,97,284
28.	उत्तर प्रदेश	51,82,500	95,71,750	1,64,25,535
29.	उत्तरांचल	4,25,000	17,33,000	59,78,205
30.	पश्चिम बंगाल	23,01,160	51,62,115	78,14,680
	कुल	3,74,78,037	6,51,25,872	14,09,75,238

[अनुवाद]

निजी कंपनियों को कोयले का आवंटन

3554. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों/एजेंसियों को कैप्टिव खनन के कोयला खंडों के आबंटन में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके कारण क्या हैं?

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अनुमत्त क्षेत्रों में भारतीय कम्पनियों के गृहीत उपयोग के लिए उन्हें कोयले के ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतियोगी आधार पर बोली लगाने की प्रक्रिया को शुरु करने के संबंध में जांच की जा रही है।

कॉफी उत्पादकों का ऋण माफ करना

3555. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कॉफी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जबकि कॉफी की कीमतें गिर रही हैं;

(ख) क्या कॉफी उत्पादकों के ऋणों के ब्याज को माफ करने के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋण पर 6% से अधिक ब्याज नहीं लगाने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) भारत सरकार को कॉफी की वर्तमान कम कीमतों के कारण कॉफी उपजकर्त्ताओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है और सरकार ने कॉफी उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में विशेष कॉफी आवधिक ऋण (एससीटीएल) के जरिए वाणिज्यिक बैंकों से कॉफी उपजकर्त्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों को पुनः वचनबद्ध करना/पुनः संरचना करना, वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों के वापसी भुगतान पर लघु और बड़े कॉफी उपजकर्त्ताओं को ब्याज सब्सिडी देना, कॉफी क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर आयात शुल्क में 5% कटौती करना शामिल है ताकि यह उद्योग कॉफी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कॉफी की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार कर सके। वाणिज्यिक बैंक भी 9% ब्याज पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक के फसल ऋण देने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि 60 हेक्टेयर तक की जोतधारक कॉफी उपजकर्त्ताओं को लाभ हो सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने चाय, कॉफी, रबड़ तथा तम्बाकू उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपये की मूल धनराशि से कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना भी की है।

(ख) और (ग) भारत सरकार को कुछेक राहत उपाय करने के लिए कर्नाटक के कॉफी उपजकर्त्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों पर उद्भूत ब्याज को माफ करने तथा ब्याज दरों को कम करने का अनुरोध शामिल है।

राज्यों को आर्थिक पैकेज

3556. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जुलाई 2004 तक लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों से केन्द्र सरकार को प्राप्त आर्थिक पैकेज संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राज्य सरकारों को अब तक राज्यवार कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(घ) अभी तक राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ङ) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) कुल 72,522 करोड़ रुपए के विशेष/आर्थिक/विकास पैकेजों के लिए 15 राज्यों से अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) विशेष समस्याग्रस्त/परिस्थितियों वाले राज्यों को उनकी राज्य योजनाओं के लिए वार्षिक केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर आपवादिक तौर पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता मुहैया कराई जाती है।

एयर इंडिया द्वारा पदों का विज्ञापन

3557. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों से एयर इंडिया ने संचालन, वाणिज्य, इनफ्लाइट एवं हिन्दी विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एयर इंडिया ने कोई समय–सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वाणिज्यिक विभाग के लिए किसी पद का विज्ञापन नहीं किया गया था। प्रचालन इनफ्लाइट और हिन्दी विभागों के लिए विज्ञापित पदों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

विभाग का नाम	पद का नाम	विज्ञापन जारी करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
चालन विभाग	1. प्रशिक्षु पायलेट	अगस्त–सित., 2002 फरवरी–मार्च, 2003 फरवरी–मार्च, 2004 मई–जून, 2003	83 प्रशिक्षु पायलेटों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जून, 2004 में विज्ञापित शेष पद जल्दी ही भर लिए जाएंगे।
	2. उप प्रबन्धक (सिमुलेटर)	जुलाई–अगस्त, 2003	प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी।
	3. उप प्रबन्धक (तकनीकी)		
उड़ानगत सेवा विभाग	4. केबिन कर्मीदल	अक्टूबर, 2002 फरवरी, 2003 जनवरी, 2004	कार्रवाई कर ली गई है।
	5. उप प्रबन्धक (केटरिंग)	दिसम्बर, 2003	चयन प्रगति पर है और जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।
हिन्दी विभाग	6. हिन्दी स्थितियां	अप्रैल, 2003	इसे चालू वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) आशा है कि उपरोक्त कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुक्त आकाश नीति

3558. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 01 जुलाई, 2004 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार आसियान देशों के साथ सात जमा सात द्विपक्षीय नीति एवं एकपक्षीय मुक्त आकाश नीति को स्वीकृति देने को उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आसियान देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे समझौतों के निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इसके कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) भारतीय विमान कम्पनियों के लिए क्षमता में परस्पर बढ़ोत्तरी के आधार पर भारत के साथ विमान सेवा करार कर चुकी सभी देशों की नामित विमान कम्पनियों को भारत में 12 अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों में से किसी दो पर प्रत्येक को प्रति सप्ताह सात सेवाओं तक प्रचालन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पहले हवाईअड्डे की हकदारी समाप्त हो जाने के बाद दूसरे हवाईअड्डों पर सेवाओं का प्रचालन आरंभ किया जा सकता है। भारतीय विमानकम्पनियों का पारस्परिक अधिकारों के आधार पर 10 आसियान राष्ट्रों की नामित विमान कम्पनियों को भी ऐसी पेशकश की गई है। 18 अन्य पर्यटक गंतव्य स्थानों तक असीमित पहुंच के अतिरिक्त, भारत में चार महानगरीय शहरों के लिए एक दैनिक सेवाओं के प्रचालन की सुविधा भी दी गई है। इस ऑफर के अधीन अतिरिक्त उड़ानों का प्रचालन नामित भारतीय विमान कम्पनियों के साथ वर्तमान वाणिज्यिक करार की शर्तों के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

शुल्क पात्रता पास-बुक योजना

3559. श्री अतीक अहमद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि शुल्क पात्रता पास–बुक योजना में कुछ कमियों के चलते भारी मात्रा में दूध एवं दूध उत्पादों का आयात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने शुल्क पात्रता पास–बुक योजना में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं चूंकि आयातक इन कमियों का लाभ उठा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

3560. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां लोगों को गुमराह कर धन एकत्र कर रही हैं;

(ख) जमाकर्ताओं की धनराशि की सही वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी में लिप्त पायी गई ऐसी गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं की कितनी धनराशि लूटी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें गैर–बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा लोगों को धोखा दे कर उनसे धन प्राप्त करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक में व्यापक विनियामक ढांचा तैयर किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सही प्रकार से कार्य करें। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ–साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख–रखाव, निवल लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत का आरक्षित निधियों में अंतरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई कपटपूर्ण गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी उनकी जानकारी में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों में गिरावट

3561. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003–2004 के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र के 6 उद्योगों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र के इन उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन माहवार और क्षेत्रवार कितना रहा है;

(ग) इन क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट के क्या कारण हैं और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी कमी आई है;

(घ) महत्पपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान स्थिति के परिणामस्वरूप देश की वार्षिक लक्षित वृद्धि दर पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो महत्पपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2003–04 में महत्वपूर्ण/अवसंरचनात्मक क्षेत्र के 6 उद्योगों के उत्पादन में भारी गिरावट नहीं दिखाई गई है। इसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

तालिका-I : महत्वपूर्ण क्षेत्र के 6 उद्योगों का उत्पादन

क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई	उत्पादन		उत्पादन में विकास (प्रतिशत)	
			2002–03	2003–04	2002–03	2003–04
1.	कच्चा पेट्रोलियम	एमटी	33.04	33.38	3.24	1.03
2.	पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	एमटी	112.56	121.76	4.93	8.17
3.	कोयला	एमटी	336.87	355.73	4.31	5.60
4.	बिजली	बीयू	531.59	558.13	3.14	4.99
5.	सीमेंट	एमटी	116.35	123.44	8.84	6.09
6.	तैयार इस्पात	एमटी	34.53	36.93	8.69	6.95

एमटी : मिलियन टन, बी.यू. : बिलियन यूनिट्स

स्रोत: सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना (2002–07) में देश के लिए 8 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की गई है। महत्वपूर्ण क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के अलावा, अर्थव्यवस्था का समग्र विकास कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं के कार्यनिष्पादन तथा बाहरी क्षेत्र के निष्पादन।

हीरे का निर्यात

3562. श्री काशीराम राणा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 तक हीरे के विश्व व्यापार में 60 प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(ग) हीरे और जवाहरात के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कौन–सी नई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, (जीजेईपीसी) मुम्बई, जो एक प्रतिनिधि व्यापारिक निकाय है, द्वारा पूर्व में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में तराशे तथा पालिश किए गए हीरों के निर्यात के बाजार हिस्से को वर्ष 2005 तक 60% तक बढ़ाने की क्षमता है। वर्ष 2002–07 के लिए सरकार की मध्यावधि निर्यात कार्यनीति में शामिल हैं : अपरिष्कृत हीरों के उत्पादकों तथा आभूषणों के खुदरा व्यापारियों के साथ कार्यनीतिक गठबंधन बनाना, नगीनों के आभूषणों के क्षेत्र में अग्रगामी एकीकरण को बढ़ावे देना, आभूषणों में भारतीय ब्रांड के विकास हेतु वस्तुओं की हॉलमार्किंग तथा प्रमाणन और अमरीका, जापान, फ्रांस इत्यादि एवं अनिवासी भारतीयों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बाजार आसूचना का विकास करना।

वर्तमान निर्यात–आयात नीति में, अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क 0% है। हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधे खरीद की संभावना का पता लगाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वाधान में आभूषण डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान की स्थापना करके रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। आभूषण के क्षेत्र में डिजाइनिंग में कुशलता प्रदान करने के लिए सरकार ने जीजेईपीसी को मुम्बई में भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। विदेशों में भारतीय रत्न एवं आभूषणों का संवर्धन करने के लिए प्रतिवर्ष प्रचार अभियान, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता एवं विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है।

लोक सभा एवं राज्य सभा में प्रतिनिधित्व में वृद्धि

3563. श्री नकुल दास राई : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सरकार लोक सभा एवं राज्य सभा में अपने प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने की मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। संसदीय कार्य मंत्रालय ने अप्रैल, 2003 में विधि और न्याय मंत्रालय को सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन के बारे में सूचना दी थी जिसमें 'संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने' के लिए अनुरोध अंतर्विष्ट था।

(ग) संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में स्थानों की संख्या वर्ष 2026 ईसवी तक स्थिर बनी रहनी है। यही स्थिति राज्य सभा के स्थानों की संख्या की दशा में है, जो लोक सभा में स्थानों की संख्या के प्रतिनिर्देश से निर्धारित की जाती है।

[हिन्दी]

आम का निर्यात

3564. श्री चन्द्र शेखर दूबे :

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से भारत से आम का निर्यात कम होता रहा है और वर्तमान में हमारे कुल आम उत्पादन का केवल 0.2 प्रतिशत का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आम के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भारतीय आम का चीन को निर्यात आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो 31 जुलाई, 2004 तक चीन को निर्यात किए गए आम की मात्रा और किस्में क्या–क्या हैं और इनका किन दरों पर निर्यात किया गया है;

(ङ) इससे प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में आम के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से आमों का निर्यात निम्नानुसार हुआ है:–

(मात्रा: मीट्रिक टन)

2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अप्रैल–सितम्बर)
44429	38003	41554

भारत एक वर्ष में अपने आमों के उत्पादन का लगभग 33% हिस्सा निर्यात करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2004 के मौसम के दौरान उत्तरी भारत की किस्में अर्थात चौसा, लंगड़ा, दशहरी की लगभग 8 मीट्रिक टन मात्रा की केवल संवर्धनात्मक खेप परीक्षण विपणन के लिए भेजी गई थी।

(ङ) चूंकि आमों का निर्यात संवर्धनात्मक प्रयोजन के लिए किया गया था। इसलिए कोई लाभ अथवा घाटा नहीं हुआ।

(च) कृषि एवं सहकारिता विभाग एक "कृषि में व्यापक प्रबंधन संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम" का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें बागवानी यांत्रिकीकरण, फलों की खेत में हैंडलिंग, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति और उत्पादकता सुधार जैसे संघटक शामिल हैं। राज्य इस फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी जरूरतों की प्राथमिकता के जरिए इस स्कीम में आम को शामिल कर सकते हैं।

उत्पाद/सीमा शुल्क अपवंचन के मामले

3565. श्री रामदास बंडु आठवले :

मोहम्मद शाहिद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वे कंपनियां/सीमा शुल्क कार्यालय कौन–कौन से हैं जिनके विरुद्ध 50 करोड़ रुपये की धनराशि के उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपवंचन के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है;

(ख) उन कंपनियों के नाम कौन–कौन से हैं जिनके विरुद्ध तीन वर्षों से ज्यादा समय से उक्त मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण नियंत्रण अपील अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से लंबित पड़े हुए हैं और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त धन की शीघ्र उगाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण डाक सेवक हेतु महंगाई भत्ते का विलय

3566. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व ई.डी. कहलाने वाले तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों (जी.डी.एस.) को टी.आर.सी.ए. (टाईम रिलेटेड कन्टीन्यूटी अलाउंस) के साथ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय करने की संस्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की

सिफारिशों पर किया गया था। ग्रामीण डाक सेवक इन सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागवानी और पुष्पकृषि का निर्यात

3567. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुष्प–निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हवाई मालभाड़े में कमी करने अथवा राजसहायता प्रदान करने जैसे कदमों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुष्पकृषि और बागवानी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) फूलों सहित चुनिंदा उत्पादों के निर्यातकों को वायु भाड़े की 25% की अधिकतम सीमा या स्कीम के अंतर्गत निश्चित की गई विशिष्ट दर, जो भी कम हो, के अध्यधीन निर्यात के बोर्ड पर्यन्त (एफओबी) मूल्य की 10% सीमा तक परिवहन सहायता दी जा रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम का कुल परिव्यय 80 करोड़ रुपए तक सीमित है।

(ग) पुष्पकृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारतीय फूलों के विपणन की व्यवस्था करने के लिए नीदरलैंड में एक विपणन सुविधा केन्द्र की स्थापना करना, कार्गो की निकासी में सहायता करना, प्रदर्शन में सुधार करना, गुणवत्ता और बाजार स्थितियों के संबंध में भारतीय निर्यातकों की सहायता करना और भारतीय उत्पादों का यूरोपीय संघ में वितरण करना।

(ii) दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, बेंगलूर, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम में हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग और शीत भंडारण की सुविधा।

(iii) विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि निर्यात जोन स्थापित किए जा रहे हैं;

(iv) फूलों के निर्यात के लिए बेंगलूर, मुम्बई और नोएडा में थोक–बाजार–सह–पुष्प नीलामी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(v) बाजार विकास, बुनियादी संरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास के लिए योजना स्कीमों के जरिए पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निर्यात अवसंरचना हेतु वित्तीय सहायता

3568. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में निर्यात अवसंरचना और इससे संबद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के निर्यात में राज्यों के अत्याधिक हिस्से के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलंगोवन) : (क) राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन के आधार पर निर्यात संबंधी बुनियादी संरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्यात बुनियादी संरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) नामक स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2001–2002	43.52
2002–2003	241.00
2003–2004	252.00

इस वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अब तक 54.25 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदानों के उपयोग के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। देश के निर्यात में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने के लिए उनके पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन के रूप में निधियों का आबंटन किया जाता है।

[हिन्दी]

खानों का निजीकरण

3569. श्री शिशुपाल एन. पाटले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के खनन क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों सहित निजी कंपनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में भी खनन क्रियाकलापों की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जिनमें ये खनन क्रियाकलाप प्रमुख रूप से किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य में भी खनन क्रियाकलापों की अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) राष्ट्रीय खनिज नीति (एन एम पी), 1993 के अनुसार गैर–ईंधन एवं गैर–परमाणु खनिज क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश हेतु खोल दिया गया है।

जहाँ तक कोयले के खनन का संबंध है, कोयला विभाग ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए 24.4.2004 को राज्य सभा में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के नाम से एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा कोयले का वाणिज्यिक खनन कार्य करने की अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में कानून के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में कोयले के खनन की अनुमति भारतीय कम्पनियों को है। तथापि, विदेशी कम्पनियां ऐसी भारतीय कम्पनी में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती हैं जो विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही है और जो गृहीत उपभोग के लिए केवल अपने विद्युत संयंत्र को आपूर्ति करने हेतु कोयला का उत्पादन कर रही है। अन्य अन्त्य उपयोग संबंधी मामलों जैसे लोहे और इस्पात के उत्पादन और सीमेंट के विनिर्माण के लिए भारतीय कम्पनी द्वारा कोयला के गृहीत खनन की अनुमति है और इनमें 74% विदेशी इक्विटी अनुमेय है। कोयला की प्रोसेसिंग (सज्जीकरण एवं प्रक्षालन) के मामले में भारतीय कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी में शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति है।

(ख) से (ङ) गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों के लिए उक्त उल्लिखित राष्ट्रीय खनिज नीति देश में महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सभी खनिज रियायतें महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। कोयला एवं लिग्नाइट, परमाणु खनिजों और 10 अन्य खनिजों के लिए ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनिज रियायज देने से पहले राज्य सरकारों के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। राज्य में, चाहे वह महाराष्ट्र हो अथवा कोई अन्य राज्य, खनन प्रचालन कार्य खनिजों की उपलब्धता और उनके गवेषण एवं विदोहन की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हैं।

जहां तक कोयले का संबंध है, राज्य सरकारों को अपने ऐसे उपक्रमों के माध्यम से कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति है जो अपने संगम अनुच्छेद द्वारा कोयला और

लिग्नाइट का खनन कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं। कोई भी भारतीय कम्पनी महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य में उस राज्य में उपलब्ध कोयला भण्डार की गुणवत्ता और मात्रा को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात उत्पादन करने और सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए कोयले के गृहीत खनन के लिए कोयले के भंडार की वर्किंग हेतु आवेदन कर सकती है।

[अनुवाद]

कृषि से होने वाली आय को कर दायरे में लाना

3570. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि से होने वाली आय को आयकर के कर दायरे में लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आशय का एक विधेयक लाने जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कृषि से होने वाली आय काले धन को वैध धन में बदलने का एक स्रोत है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की मंशा कैसी कार्रवाई करने की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कुछ दृष्टांत ध्यान में आए हैं जिनमें काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए कराधेय आय को कृषि आय के रूप में दिखाने हेतु प्रयास किए गए हैं। जब कभी ऐसे दृष्टांत ध्यान में आते हैं तो ऐसी आय पर कर लगाने तथा कानून के अनुसार अपराधी को दण्डित करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

3571. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में आयोजित की गई लोक अदालतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान इन लोक अदालतों में राज्य–वार कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोक अदालतों को और प्रभावी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) पिछले वित्तीय वर्षों अर्थात् 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान राज्यवार आयोजित लोक अदालतों की और लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सरकार ने, लोक अदालतों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, "लोक उपयोगिता सेवाओं" से संबंधित विवादों में सुलह और समाधान के लिए अनिवार्य मुकदमा पूर्व तंत्र उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है। संशोधित अधिनियम परिवहन सेवा, डाक, संचार, विद्युत के प्रदाय, अस्पताल/औषधालय सेवा, बीमा सेवा, आदि जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अनुबंध करता है।

(ङ) लोक अदालतें आयोजित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह आवश्यकता पर आधारित है और इस प्रकार लोक अदालतों की कोई विनिर्दिष्ट संख्या उपदर्शित नहीं की जा सकती।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण)

क्रम सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2001–02 में आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले	2002–03 में आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले	2003–04 में आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8483	100420	9545	75670	8539	86242
2.	अरुणाचल प्रदेश	–		–		4	98
3.	असम	103	14152	452	15191	367	16973
4.	बिहार	1608	15714			1016	19305
5.	छत्तीसगढ़	–		–		340	2825
6.	गोवा	61	460	10	545	9	426
7.	गुजरात	5250	206425	3617	126258	7658	248609
8.	हरियाणा	222	41900	134	20274	177	34063
9.	हिमाचल प्रदेश	425	3157	447	3049	443	4665
10.	जम्मू–कश्मीर	175	2267	122	2653	189	3415
11.	झारखंड	–		–	4047	37	6547
12.	कर्नाटक	811	45457	850	23172	1678	32860
13.	केरल	1895	11514	781	8330	1106	5834
14.	मध्य प्रदेश		36953	1259	27086	1219	25103
15.	महाराष्ट्र	1477	30185	1315	28336	962	19483
16.	मणिपुर	–		–		–	
17.	मेघालय	7	1021	3	512	2	161
18.	मिजोरम	47	30	52	52	58	39
19.	नागालैंड	1	61	शून्य	शून्य	1	96

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	722	377123	732	310435	718	174078
21.	पंजाब	472	38248	266	21286	224	51018
22.	राजस्थान	6486	140157	7769	155466	7802	123711
23.	सिक्किम	39	128	21	229	21	205
24.	तमिलनाडु	1745	12155	4545	16408	6619	58426
25.	त्रिपुरा	–		19	18	40	1131
26.	उत्तर प्रदेश	1363	345698	1427	348540	3315	248341
27.	उत्तरांचल	–		56	13109		2972
28.	पश्चिम बंगाल	–		202	5077	139	3405
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–		–		1	2 2
30.	चंडीगढ़	–	7073	9	4317	7	4360
31.	दादरा और नागर हवेली	2	580	–		–	
32.	दमन और दीव	–		–		–	
33.	दिल्ली	665	12825	621	6053	554	5068
34.	लक्षद्वीप	–	शून्य				
35.	पांडिचेरी	6	270	5	236	19	890

[अनुवाद]

आर्थिक अपराधों में वृद्धि

3572. श्री वीर सिंह महतो :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कमी लाने और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का मूल्य

3573. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्न ग्रेड की कपास की खरीद करने हेतु निर्धारित किया गया मूल्य लाभप्रद नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) उपयुक्त औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू) की कपास की दो आधारभूत किस्मों यथा एफ–414/एच–777 और एच–4 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का निर्धारण कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। उपयुक्त औसत गुणवत्ता की कपास की अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वस्त्र आयुक्त द्वारा इन दो आधारभूत किस्मों और अन्य किस्मों के बीच सामान्य बाजार मूल्य के अंतरों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास की दो आधारभूत किस्मों के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैं :

एम एस पी (रू. प्रति क्विंटल)

एफ ए क्यू की किस्में	2001–02	2002–03	2003–04
एफ–414/एच–777	1675	1675*	1725
एच–4	1875	1857*	1925

*20 रुपये प्रति क्विंटल का घोषित विशेष सूखा राहत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य का भाग नहीं था।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मानक किस्म की कपास के लिए उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय उत्पादन लागत, बाजार कीमतों की प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, घरेलू तथा वैश्विक मांग आपूर्ति स्थिति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत, निवेश लागत और लाभ के उपयुक्त मार्जिन को ध्यान में रखता है। जब कभी कपास की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाती है तो भारतीय कपास निगम (सी सी आई) के लिए देश में कपास के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाना आवश्यक हो जाता है। उपयुक्त औसत गुणवत्ता की कपास के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा पेश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार है। उपयुक्त औसत गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की निम्नतर ग्रेड की कपास के लिए कपास प्रौद्योगिकी सम्बन्धी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुमोदित मानक मानदंडों के अनुसार समुचित कटौती की जाती है। अतः यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा घोषित और भारतीय कपास निगम द्वारा पेश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य (एफ ए क्यू और एफ ए क्यू से नीचे की कपास दोनों के लिए) किसानों के लिए लाभप्रद नहीं है।

दक्षेस शिखर सम्मेलन

3574. श्रीमती कृष्णा तीरथ :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री आर. प्रभु :
श्री पी. राजेन्द्रन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साप्टा से कौन से पारस्परिक वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और विश्व व्यापार संगठन के समझौते के संबंध में इसकी क्या महत्ता है;

(ख) क्या कॉमन इकॉनोमिक जोन बनाने की दिशा में कोई निर्णय लिया गया था और कोई घोषणा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी.आई.आई. ने वित्त, कृषि, उद्यमिता और इनसे संबंधित मामलों के संबंध में दक्षेस हेतु 15–सूत्री कार्यसूची की रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) दोनों देशों के मध्य वाणिज्य हेतु समझौते में कोई विशिष्ट मद वर्णित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करने के लिए 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साप्टा) पर हस्ताक्षर किए गए थे। साप्टा संबंधी करार में सदस्य देशों ने डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक दूसरे के संबंध में अपने मौजूदा अधिकारों और दायित्वों की पुष्टि की है।

(ख) और (ग) बारहवें सार्क शिखर सम्मेलन की घोषणा में सार्क सदस्य देशों के नेताओं ने दक्षिण एशिया आर्थिक संघ

बनाने के लिए जनवरी, 2002 में काठमांडू में आयोजित 11वें सार्क शिखर सम्मेलन में की गई अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराया था। नेताओं ने विशेषतः यह बात कही थी कि एक उचित राजनैतिक और आर्थिक वातावरण तैयार किया जाना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा।

(घ) इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन से पहले 2 जनवरी, 2004 को दक्षिण एशिया सीईओ मंच के सदस्यों द्वारा दिए गए एक संयुक्त वक्तव्य में व्यवसाय और उद्योग के प्रतिनिधियों ने संबंधित सरकारों, राष्ट्रीय नेताओं और नीति निर्माताओं से आवश्यक बल देने, प्रोत्साहन और नेतृत्व के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने व्यापार, बुनियादी संरचना, व्यापार सरलीकरण और मानकों के सुमेलीकरण, सेवाओं, निवेश, पर्यटन, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने के जरिए इस्लामाबाद में एकत्रित हुए सार्क नेताओं से आठ पहल करने का निवेदन भी किया था।

(ङ) जी, नहीं।

औद्योगिक वृद्धि दर

3575. श्री त्यागत सत्पथी :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.ओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गत कुछ महीनों से औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज तक निम्न उत्पादकता से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्ष की मई माह की तुलना में मई, 2004 में 6.2 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि दर कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट के रूझान की रोकथाम करने और उक्त वृद्धि दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार आधार वर्ष 1993–94 = 100 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संबंध में समग्र औद्योगिक विकास वर्ष 2002–2003 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003–2004 में 7 प्रतिशत तक हो गया है। जिसे खान और खनन में 5.2 प्रतिशत, विद्युत उत्पादन में 5.1 प्रतिशत और विनिर्माणकारी क्षेत्रों में 7.4 प्रतिशत की विकास दरों से सहायता मिली है। खान और खनन, विद्युत उत्पादन और विनिर्माणकारी क्षेत्रों में क्रमशः 6.1 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाने से अप्रैल–जून, 2004 में समग्र औद्योगिक विकास में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके यह कार्य–निष्पादन और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं। 12 अगस्त, 2004 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए माह जून, 2004 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के 'त्वरित अनुमानों' के आंकडों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर मई, 2003 में 6.4 प्रतिशत की तुलना में मई, 2004 में 6.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

हथकरघा विकास केन्द्र

3576. श्री देविदास पिंगले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के बुनकरों को लाभ पहुंचाने हेतु केन्द्र से प्राप्त अनुदानों से हथकरघा विकास केन्द्रों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर पैथनी साड़ी के लिए प्रसिद्ध जिलों में हथकरघा क्षेत्र के समस्त विकास हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित जिलों में 20 हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए 85.865 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी:–

क्रम सं.	जिलों के नाम	स्थापित किए जाने वाले हथकरघा विकास केन्द्रों की संख्या
1.	अमरावती	1
2.	भान्द्रा	2
3.	नागपुर	5
4.	सांगली	1
5.	सोलापुर	11

यह योजना वर्ष 1993–94 में शुरु की गई थी तथा 31.3.1997 तक चली। योजना के तहत प्रतिबद्ध देयता के संबंध में 1.4.2002 तक विचार किया गया था। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार उन समितियों को जिन्हें परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, उनसे 250 करघों, 1000 बुनकरों को शामिल करने तथा 17.00 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट (सी सी एल) बढ़ाने की उपेक्षा थी। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियां उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं इसलिए दूसरी किस्त 1.4.2002 तक जारी नहीं की जा सकी।

(ग) और (घ) भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सहित देश के हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जो निम्नवत् हैं:–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
4. डिजाइन विकास एव प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
6. स्वास्थ्य पैकेज योजना।
7. शिफ्ट फंड योजना।
8. बुनकर बीमा योजना।
9. नई बीमा योजना।
10. मिल गेट कीमत योजना।
11. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम की तत्वाधान में पैथनी बुनकरों को नए रोजगार प्रदान करने के लिए नासिक जिले के योला में पैथनी बुनाई संबंधी समूह विकास कार्यक्रम शुरु किया है।

[अनुवाद]

शहरी सहकारी बैंक

3577. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000–01 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में कितने सहकारी बैंकों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) क्या कॉपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट को आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित नहीं किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कॉपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट ने नए मानदण्डों को पूरा करने के पश्चात् 2 अप्रैल, 2004 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया है; और

(छ) यदि हां, तो बैं ऑफ राजकोट लिमिटेड को आर.बी.आई अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित करने हेतु कब तक निर्णय लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे वर्ष 2000–01 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित किए जाने के लिए गुजरात (6), महाराष्ट्र (9) और उत्तर प्रदेश (1) राज्यों के शहरी सहकारी बैंकों से सोलह (16) आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) अद्यतन स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची–II में 55 शहरी सहकारी बैंक सम्मिलित हैं। उन बैंकों के नाम और अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) दि कोओपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लि., राजकोट को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित नहीं किया गया था, क्योंकि उसने अपेक्षित जमाराशियों का स्थायी स्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपए की मांग और सावधि देयताओं का स्तर बनाए रखने के मानदंड को पूरा नहीं किया था।

(च) और (छ) दि कोओपरेटिव बैंक आफ राजकोट लि., राजकोट ने दिनांक 2 अप्रैल, 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक उचित विधायी ढांचा तैयार न हो जाए और शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सामान्य तौर पर सुधार न आए।

विवरण

शहरी सहकारी बैंकों के नाम तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित किए जाने की तारीख से संबंधित ब्यौरा

क्रम सं.	बैंक का नाम	स्थान	अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की तारीख
1	2	3	4
1.	अभ्योदय कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	01.09.1988
2.	बासिन कैथोलिक कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	वसई, थाणे	01.12.1990
3.	भारत कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	22.04.1996
4.	बोम्बे मर्कंटाइल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	01.09.1988
5.	सिटीजनस क्रेडिट कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	24.09.1996
6.	कोसमोज कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	पुणे	01.12.1990
7.	डोंबीवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	डोंबीवली	24.09.1996
8.	गोवा अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	पणजी	24.09.1996
9.	ग्रेटर बोम्बे कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	24.09.1966
10.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	पुणे	01.09.1988
11.	नासिक मरचेन्ट कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	नासिक	22.04.1996
12.	न्यू इण्डिया कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	01.12.1990
13.	नॉर्थ केनरा जीएसबी कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	22.04.1996

1	2	3	4
14.	रुपी कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	पुणे	01.09.1988
15.	सांगली अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	सांगली	01.09.1988
16.	सारस्वत कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	01.09.1988
17.	सर्मराव विट्ठल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	01.09.1988
18.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	थाणे	24.09.1996
19.	दि महानगर कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	30.01.1998
20.	दि जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड	मुम्बई	30.01.1998
21.	दि कपोल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	30.01.1998
22.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	केलवा, थाणे	30.01.1998
23.	दि मापूसा अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मापूसा, गोवा	30.01.1998
24.	दि कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	कल्याण	29.01.2000
25.	जनलक्ष्मी कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	नासिक	29.01.2000
26.	पंजाब एडं महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	29.01.2000
27.	नगर अरबन सीबीएल	अहमदनगर	29.01.2000
28.	इचलकरणजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	इचलकरणजी	29.01.2000
29.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	जलगांव	29.01.2000
30.	दि कराड अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	कराड	29.01.2000
31.	मांडवी कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	29.01.2000
32.	भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड	पुणे	01.06.2002
33.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	सोलापुर	01.06.2002
34.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	थाणे	08.03.2003
35.	जूरास्त्रियन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुम्बई	08.03.2003
36.	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	अहमदनगर	05.04.2003
37.	नागपर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	नागपुर	22.05.1999

1	2	3	4
38.	शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड	नागपुर	22.05.1999
39.	दि अकोला जनता कमर्शियल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	अकोला	22.05.1999
40.	दि अकोला अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	अकोला	22.05.1999
41.	दि खोमगांव अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	खेमगांव	22.05.1999
42.	अहमदाबाद मर्कंटाइल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	अहमदाबाद	22.04.1996
43.	कालूपुर कमर्शियल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	अहमदाबाद	01.09.1988
44.	माधवपुर मर्कंटाइल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	अहमदाबाद	22.04.1996
45.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	राजकोट	01.09.1988
46.	सूरत पिपल्स कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	सूरत	01.09.1988
47.	दि छरोतर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	आनन्द	22.05.1999
48.	दि महसाणा अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	महसाणा	29.01.2000
49.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	अहमदाबाद	29.01.2000
50.	सरदार भीलाड्वाला पारदी पिपल्स कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	किला पारदी (जिला वलसाद)	29.01.2000
51.	कोओपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	अहमदाबाद	29.01.2000
52.	आन्ध्रा प्रदेश माहेश कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	हैदराबाद	26.10.1998
53.	वैसावी कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	हैदराबाद	22.05.1999
54.	अग्रनत कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	बंगलौर	29.01.2000
55.	दि इण्डियन मर्कंटाइल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	लखनऊ	04.11.2001

खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम में संशोधन

3578. श्री दुष्यंत सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विद्यमान खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत और शक्तियों की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी

नारायण राव) : (क) सरकार वर्तमान में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम) में संशोधन का विचार नहीं कर रही है।

(ख) अधिनियम के तहत और अधिक शक्तियां मांगने हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ लंबित नहीं है। राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के बाद इस अधिनियम में पिछली बार 1994 और 1999 में संशोधन किए गए थे और इन संशोधनों के द्वारा अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिंदुस्तान जिंक लि. को बंद किया जाना

3579. श्री टेकलाल महतो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य में टुंडी स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड किस तिथि से बंद पड़ा हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा इसको पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाने के बंद होने के कारण हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) भारत सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जैड एल) में अपनी इक्विटी का विनिवेश कर दिया है और दिनांक 11.4.2002 से एच. जैड एल. का प्रबंध नियंत्रण स्ट्रेटेजिक भागीदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है। वर्तमान में, एच. जैड. एल. की 29.54% इक्विटी भारत सरकार के अधिकार में है। एच.जैड.एल. के प्रबंधन ने सूचित किया है कि एच.जैड.एल. की टुंडु, झारखंड स्थित फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया है। तथापि, प्रचालनात्मक मुद्दों की वजह से इस इकाई के प्रचालन 23 फरवरी, 2004 से स्थगित कर दिए गए हैं और प्रबंधन इन मुद्दों का समाधान कर रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क के लंबित मामले

3580. श्री सुरेश चंदेल :

श्रीमती प्रतिभा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित लगभग 50 हजार मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों को न निपटाने के क्या कारण हैं और यह मामले कब से लंबित हैं तथा आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या कितनी है और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) उपरोक्त मामलों में अपने निहित स्वार्थों के लिए पार्टियां प्रक्रियात्मक समस्याओं का बहाना लगाकर असाधारण विलंब कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रक्रिया संबंधी इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार विभागीय न्याय–निर्णयन अधिकारियों और आयुक्त (अपील) के समक्ष 32968 मामले लंबित हैं जिसमें 12,004 करोड़ रु. (उक्त आँकड़े अस्थाई हैं) की राशि अंतर्ग्रस्त है। जब तक पुराने मामलों का न्याय–निर्णयन होता है, नये मामले तैयार हो जाते हैं। इन प्रक्रियाओं के साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करना होता है। तथापि विभागीय अधिकारियों और आयुक्तों (अपील) के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र निर्णय हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पार्टियां विभिन्न कानूनी उपायों का सहारा लेकर वसूली कार्यवाहियों के विलंबन अथवा स्थगन होने को अधिमान्यता देती है। विभिन्न विभागीय अधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभाग द्वारा समय–समय पर यथा आवश्यक समझे गये प्रशासनिक एवं वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। उठाए गए कुछ कदमों में

प्रभावशाली निगरानी, विभिन्न न्याय–निर्णयन प्राधिकारियों के बीच न्यायनिर्णयन की शक्तियों में संशोधन, न्याय निर्णयन अधिकारियों और आयुक्त (अपील) की संख्या में समुचित वृद्धि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों को शक्ति प्रदान करना शामिल है ताकि जल्दी निपटान करने के लिए जोन के अंदर दूसरे आयुक्त (अपील) को अपील के मामलों को सौंपा जा सके।

[अनुवाद]

किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए अग्रिम ऋण

3581. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जिलों में किसानों और छोटे उद्यमियों को दिया गया ऋण राज्य के अन्य विकसित जिलों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य–वार क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घरेलू एयरलाइनों द्वारा टर्मिनस को स्वामित्व/ पट्टे पर लिया जाना

3582. श्री जुएल ओराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर टर्मिनस को घरेलू एयरलाइनों को स्वामित्व अथवा पट्टे पर देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

करदाताओं के लिए नया प्रपत्र आरंभ करना

3583. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष से करदाताओं के लिए सरल फार्मेट के स्थान पर नया प्रपत्र ए.आई.आर आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मौजूदा फार्मेट के स्थान पर नया प्रपत्र लाने में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। आय की विवरणी दाखिल करने के लिए मौजूदा सरल फार्मेट के स्थान पर प्रस्तावित वार्षिक सूचना विवरणी प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 में कतिपय वित्तीय लेन–देनों के संबंध में कुछ विहित एजेंसियों तथा करदाताओं द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात के लिए अतिरिक्त कोटा

3584. श्री रायापति सांबाशिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय निर्यात के लिए अधिक वस्त्र कोटा प्रीमियम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कोटा खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस कदम से वास्तविक निर्यातकों को मदद मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने घरेलू बाजार में कोटा मूल्य में कमी लाने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन निर्णयों से वस्त्र निर्यातकों को कितनी सहायता मिली है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार संबंधित देश–श्रेणियों में उपलब्धता, उपयोग तथा मांग पर भली–भांति विचार करने के बाद समय–समय पर पहले आओ–पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त मात्राएं शुरु करती रही है। इसका उद्देश्य कोटा उपयोग अधिकतम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक निर्यातकों को कोटा सतत आधार पर यथा संभव अधिकतम उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

कोयला खानों में मजदूरों के रोजगार की प्रक्रिया

3585. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न कोयला खानों/कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) जी, नहीं। कोयल कम्पनियों में नियुक्ति की प्रक्रिया विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जूट की खरीद के केन्द्र

3586. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में चालू वर्ष के दौरान जूट की खरीद के लिए अतिरिक्त केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच.डी.एफ.सी. की ब्याज दर

3587. श्री राजेश वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की सबसे बड़ी आवास ऋण कंपनी, आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.) ने हाल ही में फिक्स्ड आवास ऋण दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) ऋण गुणवत्ता एवं ऋण उत्पाद के आधार पर ग्राहकों को 7.75% से 8.5% वर्ष के बीच नियम दर पर आवास ऋण दिए जा रहे हैं। पहले यह नियत ब्याज दर 7.5% से 8.5% प्रतिवर्ष थी।

(ग) ब्याज दर में एक चौथाई प्रतिशत की वृद्धि ग्राहकों पर नाममात्र प्रभाव डालते हुए समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में सीमांत रूप से वृद्धि करती है।

सरकारी बिक्री केन्द्रों की लागत तुलना

3588. श्री रघुनाथ झा :

श्री कैलाश बैठा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिर्माता पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय कम्प्यूटर, कार्यालय स्वचालित करने संबंधी उत्पाद, बल्बों और ट्यूबलाइटों एवं फोटोकापी पेपर के संबंध में आर.सी. मूल्यों पर बेच रहा है और यह वस्तुऐं केन्द्रीय भण्डार और एनसीसीएफ को

आरसी मूल्यों से कम पर बेच कर सरकारी कार्यालय पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के आरसी मूल्यों की तुलना में संरक्षण दे रहे हैं;

(ख) क्या उपरोक्त वस्तुओं के पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के आरसी मूल्य केन्द्रीय भण्डार/एनसीसीएफ के तुल्य हैं;

(ग) क्या पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय इन वस्तुओं को ऊँची दरों पर आपूर्ति करके धोखाधड़ी कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) कम्प्यूटरों, बल्बों, ट्यूबलाइटों और फोटोकापी पेपर के विनिर्माताओं को प्रदत्त डीजीएस एण्ड डी दर संविदा (आरसी) की कीमतें समान विशिष्टताओं/आकृतियों/तकनीकी विवरणों, शर्तों जैसे वारंटी परेषण–पूर्व निरीक्षण इत्यादि वाले सामान के लिए केन्द्रीय भण्डार और इन विनिर्माताओं के एनसीसीएफ की बिक्री कीमतों से कम पायी गयी थीं। "कार्यालय स्वचालन उत्पाद" शीर्ष के अंतर्गत डीजीएस एण्ड डी की कोई दर संविदा नहीं है।

इसके अलावा, डीजीएस एण्ड डी की सभी दर संविदाओं में एक "गिरावट खंड" है जिसमें डीजीएस एण्ड डी को ऐसे दर संविदा धारकों के मामले में कम दर लागू करने का अधिकार है जिन्होंने डीजीएस एण्ड डी की दर संविदा कीमतों से कम कीमतों पर अपने उत्पाद बेचे हों अथवा बेचने की केवल पेशकश की हो। इस प्रकार, डीजीएस एण्ड डी दर संविदाओं में अन्तः निर्मित कीमत सुरक्षा तंत्र विद्यमान है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के साथ सेवा क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता

3589. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सेवा क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए.) करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा निर्णय लेने से पहले भारतीय हितों को ध्यान में रखा गया है;

(घ) क्या अमरीका को सेवा क्षेत्र के उदारीकरण के संबंध में गम्भीर आपत्ति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-बैंकिंग कंपनियों पर प्रतिबंध

3590. श्री राजेश कुमार मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ गैर–बैंकिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और उनका पंजीकरण रद्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी भी ऐसी विशिष्ट कंपनी की पहचान नहीं की है जिस पर पाबंदी लगाई जाए और/अथवा उसके पंजीकरण को समाप्त किया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भेषज निर्यात संवर्धन परिषद्

3591. श्री अधीर चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पृथक निर्यात संवर्धन परिषदें बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में भेषजों के लिए पृथक परिषद बनाने की उक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में जांच की गयी;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस परिषद के मुख्यालय को हैदराबाद में खोलने की शर्त पर स्थापना कोष स्वीकृत करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों द्वारा ऐसे सशर्त स्थापना कोष उपलब्ध कराये जाने पर भेषजों के लिए अन्य परिषदों के निर्माण पर विचार करने के लिए तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) नई निर्यात संवर्धन परिषद के गठन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार तीन करोड़ रुपए की संग्रह राशि उद्योग द्वारा जुटाई जाएगी।

(ख) औषधि एवं भेषज के निर्यात हेतु एक निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय एक सुविचारित निर्णय था ताकि यह क्षेत्र विकास का वह लाभ प्राप्त कर सके जिसे वह विश्व बाजार में हासिल करना चाहता है।

(ग) किसी राज्य सरकार से तीन करोड़ रुपए की संग्रह निधि को स्वीकार करने और हैदराबाद को मुख्यालय के रूप में चुनने का निर्णय फार्मेक्सिल द्वारा लिया गया था न कि उसे केन्द्र सरकार ने थोपा था।

(घ) और (ङ) जी. हां। वाणिज्य विभाग ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करने का इच्छुक है जो देश के निर्यात के हित में हो।

भंडागारों में वस्तुओं का क्षमता से अधिक भंडारण

3592. श्री कैलाश पैठा :

श्री विजय कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1999–2002 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और इस मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप भंडागारों में वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक भंडारण हुआ, अनुचित नियंत्रण और बॉंड इत्यादि को जमा नहीं किया गया जिससे 4400 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ;

(ख) यदि हॉं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने मंत्रालय द्वारा जारी किए निर्देशों के कठोर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) तमिलनाडु द्वारा यूरिया उत्पादन

3593. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु स्थित नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) के उर्वरक संयंत्र ने यूरिया का उत्पादन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र द्वारा यूरिया का उत्पादन पुनः आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दत्तारी नारायण राव) : (क) जी. हां।

(ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) का उर्वरक संयंत्र लिग्नाइट गैसीगकरण में कुछ कमियों के कारण

अपनी इष्टम क्षमता को प्राप्त नहीं कर सका। इस समस्य पर काबू पाने के लिए एन.एल.सी ने फीडस्टॉक के रूप में फरनैस तेल के साथ तेल गैसीयकरण का उपयोग करना शुरू किया। तथापि, संयंत्र को घाटा होता रहा और 31.3.2002 को इसका संचित घाटा 393.90 करोड़ रु. हो गया। तब एन.एल.सी. ने संयंत्र को वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. को परामर्शदाता नियुक्त किया। मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. ने निम्न क्षमता के परिणामस्वरूप अल्प अर्थव्यवस्थाओं की निम्न आर्थिकी, क्षमता के कम उपयोग, अकुशल फीड–स्टॉक और पुरानी प्रौद्योगिकी, उच्च ऊर्जा खपत, संयंत्र की उच्च विन्टेज तथा अलाभकारी प्रतिधारण मूल्य के साथ–साथ उच्च उत्पादन लागत के चलते संयंत्र का तीसरी पार्टी को विनिवेश किए जाने अथवा बंद किए जाने की सिफारिश की।

एन.एल.सी. बोर्ड ने मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. की सिफारिशों को नोट किया और उर्वरक संयंत्र को बंद करने के लिए अपना अनुमोदन दिया। तदनुसार, उर्वरक संयंत्र को जनवरी, 2003 में बंद कर दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) यूरिया संयंत्र वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

बाल्को में हड़ताल

3594. श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) के मजदूर दिनांक 22 जुलाई, 2004 को कंपनी के प्रस्तावित सम्पूर्ण निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव) : (क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बालको) के प्रबंधन ने सूचित किया है कि प्रतिनिधि यूनियन (इंटक) से भिन्न यूनियनों द्वारा हड़ताल के आह्वान पर कर्मचारियों का एक धड़ा बालको में भारत सरकार द्वारा धारित शेष 49% इक्विटी के विनिवेश के विरूद्ध 22 जुलाई, 2004 को एक दिन की हड़ताल पर गया था।

(ख) बालको में शेष इक्विटी के विनिवेश के निर्णय पर, भारत सरकार तथा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नामतः, स्टर्लाइट इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के बीच हुए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट (एस.एच.ए.) के संगत अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं

3595. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर–टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि वर्ष 2002–2003 में 12.0 प्रतिशत से घटकर 2003–2004 में मात्र 5.7 प्रतिशत रह गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने गैर–टिकाऊ उपभोक्त वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किया गया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) (आधार वर्ष 1993–94=100) के नवीनतम् आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में विकास दर वर्ष 2002–03 में 12.0 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2003–04 में 5.8 प्रतिशत तक हो गई। यह गिरावट अनेक कारणों के फलस्वरूप हुई है जिनमें अन्य करणों के साथ–साथ मांग तथा आपूर्ति, सापेक्ष मूल्य तथा प्रतिस्थापनों की उपलब्धता जैसे कारक सम्मिलित हैं।

(ग) सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। इनमें औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, विदेशी व्यापार तन्त्र को उदार बनाना तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा कार्पोरेट करों को युक्तियुक्त

बनाना शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2004–05 में अनेक घोषणाएं की गई हैं जिनसे औद्योगिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इनमें विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मक परिषद् की स्थापना करना, भारत में निवेश करने के लिए घरेलू तथा विदेशी दोनों ही व्यापारियों को राजी करने तथा सुविधा देने के लिए निवेश आयोग की स्थापना करना और उत्पाद तथा सीमा–शुल्कों को युक्तियुक्त बनाना शामिल है। निवेश और अवसंरचना पर पुनः ध्यान देने तथा विस्तृत रोजगार कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का समावेश होगा और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

बैंकिंग सेवा में आई.डी.बी.आई.

3596. डा. राजेश मिश्रा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को बैंकिंग कंपनी में बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई.डी.बी.आई की नयी शाखाएं खोलने के लिए राज्यवार कौन–कौन से नगरों की पहचान की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2003 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रम को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी में अंतरित एवं निहित करने की व्यवस्था है। यह कंपनी एक बैंकिंग कंपनी के रूप में मानी जाएगी तथा उसी हैसियत से उस कारोबार के अतिरिक्त बैंकिंग कारोबार करेगी जो विकास बैंक द्वारा किया जा सकता है और संचालित किया गया है। तथापि, कंपनी को अभी पंजीकृत किया जाना है।

(ख) यदि आईडीबीआई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक बैंकिंग कंपनी बन जाता है तो यह अपनी निधियों की लागत कम करने, पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्थिति में होगा, उसके पास विविध ऋण पोर्टफोलियो होंगे और वह अधिक शुल्क आधारित आय अर्जित करेगा। इसके साथ ही, आईडीबीआई उद्योग को परियोजना वित्त देना जारी रखने की स्थिति में होगा अन्यथा जो संसाधन जुटाने की समस्याओं के कारण कठिन हो जाएगा।

(ग) अधिक शाखाएं खोलने के मामले पर आईडीबीआई द्वारा विचार कंपनी के गठन तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इसके पंजीकरण के परिणामस्वरूप आईडीबीआई का एक बैंकिंग कंपनी में परिवर्तन किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

एल.आई.सी. द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज

3597. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एल.आई.सी. द्वारा दिए गए ऋणों पर मौजूदा ब्याज दर कितनी है;

(ख) क्या एल.आई.सी. द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज और अधिक कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय जीवन निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि एलआईसी के ऋणों पर ब्याज की प्रचलित दर 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जिसे अर्धवार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि आधार पर आकलित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। एलआईसी ने सूचित किया है कि दि. 31.3.2004 को मूल्यांकन परिणाम को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ब्याज दरों की समीक्षा किए जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे।

महासचिव : डा. चिन्ता मोहन

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ–

(1) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 536/04)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 537/04)

(4) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाईल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाईल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2002–2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 538/04)

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2004 जो 1 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 394 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 539/04)

कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) कंपनी (भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन) नियम, 2004 जो 23 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 131 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) संशोधन नियम, 2004 जो 24 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 540/04)

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1479 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 9 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 26 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 541/04)

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दसारी नारायण राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ—

(1) नेवेली लिग्नाइड कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 542/04)

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457 (अ) जो 19 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 4 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 543/04)

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार तथा सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 15 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच किए जाने तथा शास्तियों अधिरोपित किए जाने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 28 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 28 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 854(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुनर्खरीद) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 30 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 3 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 544/04)

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 850 (अ) जो 27 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 851 (अ) जो 27 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 545/04)

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2004 जो 14 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 812 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 546/04)

(4) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 547/04)

(5) (एक) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 और 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 548/04)

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) आंध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/पी/92 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 508/एसडब्ल्यूडी/पीईएन में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) देना बैंक अधिकारी, कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 5 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/एएमईएन/02/2004 में प्रकाशित हुए थे

(चार) कारपोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 5 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडा:आई आर:पीईएन:अमेंड 61:2004–05 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 549/04)

(7) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना और देना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 16 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा

निर्गमन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 16 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 550/04)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ–

(1) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 और 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 726 (अ) जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध में ढील दिए जाने तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों पर रजिस्ट्रीकृत तथा गैर–रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त एफसीबी तम्बाकू की बिक्री की अनुमति दिए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 727 (अ) जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें वर्ष 2003–2004 के दौरान अतिरिक्त एवं अनधिकृत तम्बाकू पर अतिरिक्त शुल्क एवं सेवा प्रभार के बारे में आदेश दिया हुआ है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 551/04)

(2) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 552/04)

(3) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क महानियंत्रक के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 553/04)

(5) (एक) सेन्ट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) सेन्ट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 554/04)

(7) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अंतर्गत मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2004 जो 21 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.

संख्या एडमिन/रेग/01/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 555/04)

(8) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 556/04)

(9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 237 (अ) जो 25 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें शाकुम्भरी स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिट III, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज उत्पादक मिल के रूप में अधिसूचित करने वाल आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 557/04)

(10) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 558/04)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न समितियों के सभापतियों और माननीय सदस्यों ने समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की दिशा में जो प्रयास किए, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ।

अपराह्न 12.21¼ बजे

[हिन्दी]

रसायन तथा उर्वरकों संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : महोदय, मैं रसायन तथा उर्वरकों सम्बन्धी स्थायी समिति (2004–2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी पहला प्रतिवेदन, तथा

(2) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.21½ बजे

[हिन्दी]

विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति

(एक) पहला प्रतिवेदन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(दो) की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति

पहले से पांचवा प्रतिवेदन

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी पहला प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी चौथा प्रतिवेदन;

(5) कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) सम्बन्धी पांचवा प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.3¼ बजे

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2004–2005) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 13.3½ बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ उनचासवें प्रतिवेदन से एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति का एक सौ उनचासवां प्रतिवेदन;

(2) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति का एक सौ पचासवां प्रतिवेदन; और

(3) महिला और बाल विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति का एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि सोमवार, 23 अगस्त, 2004 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा:–

1. वर्ष 2004–05 के लिए अनुदान मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान।
2. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन, विचार और पारित होना।
3. निम्नलिखित मंत्रालयों की वर्ष 2004–05 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान:–

(क) कृषि

(ख) रक्षा

(ग) मानव संसाधन विकास

4. गुरुवार, 26 अगस्त, 2004 को सांय 6.00 बजे वर्ष 2004–05 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध मे बकाया अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

5. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

6. वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न प्रस्ताव शामिल किये जाने बाबतः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के अरवामैसा झील परियोजना सिंचाई शासन के विचाराधीन स्वीकृति दी जाए, जिसके बनने से 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के चकरमाठा हवाई पट्टी का चौड़ीकरण किया जाए। पूर्व में 16 सीटर प्लेन चलाया जाता रहा, उसे बन्द किया जा चुका है। उक्त वायुदूत सेवा को पुनः प्रारम्भ किया जाए जिससे नागरिकों को लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः–

(एक) सिलेण्डरों की भारी कमी के कारण देश के कई भागों में खाना पकाने वाली गैस की अनुपलब्धता।

(दो) देश में बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि से उत्पन्न स्थिति।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. गिरते हुए भू–जल स्तर से मानवता के अस्तित्व को ही एक दिन खतरा उत्पन्न हो जायेगा, उसके कारण एवं निवारण पर चर्चा

2. क्षेत्रीय लाभ हेतु देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा उत्पन्न करने वाले विषयों की समीक्षा।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाएः–

1. देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आधार–भूत संरचना स्थापित करने की आवश्यकता को विशेष महत्व देना चाहिए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ऊर्जा के स्रोत स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान तथा समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है।

2. गांवों में दूरसंचार, दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराने को वरीयता देने की आवश्यकता है। गांवों में पंजीबद्ध दूरभाष कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को दूरभाष सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। मध्य प्रदेश में उज्जैन तथा रतलाम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. सेवाएं तथा ग्रामीण प्रतीक्षा सूची को टेलीफोन कनेक्शन अवलिम्ब उपलब्ध कराएं जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, अगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाएः–

(एक) 33% महिला आरक्षण विधेयक को इसके मौजूद हाल में ही इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाए।

(दो) महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा सम्बन्धी विधेयक को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन (ए आई डी डब्ल्यू ए) की सिफारिशों के साथ इसी सत्र में पुरःस्थापित और पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय शामिल किये जायें:–

1. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देने के संबंध में।

2. जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराज उम्मेदसिंह एयरपोर्ट करने के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन विषय दिये थे लेकिन इसमें दो ही विषय आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें तीन विषय एलाउड नहीं हैं।

श्री टेक लाल महतो (गिरीडीह) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से निम्नलिखित दो विषयों पर सबमिशन में चर्चा करना चाहता हूँ।

1. झारखंड राज्य गिरिडीह क्षेत्र बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार के 6 पंचायत चांपी, पिछरी, अंगवाली, चलकरी, रोहर, चांदों की आबादी लगभग 50 हजार है। प्रतिदिन बेरमो, कथारा, फुसरो, गोविन्दपुर प्रोजेक्ट, बोकारो थर्मल जरंगडीह आदि में रोजी, रोजगार हाट बाजार के लिए आते हैं। दामोदर नदी में खेतको कथारा के बीच पुल नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता है।

2. झारखंड राज्य धनबाद जिला स्थित हिन्दुस्तान जिंक फैक्ट्री में 800 मजदूर कार्यरत थे। कुछ मजदूरों की छंटनी कर दी गई तथा 400 मजदूर कार्यरत हैं किन्तु विगत 6 माह से प्रबंधन की ओर से बिना किसी नोटिस के तालाबंदी कर दी गई है। इससे मजदूरों के बीच भुखमरी की स्थिति आ गयी है। कल्याणकारी सरकार मजदूरों के हित में कारखाने को तत्काल चालू करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

1. जनभावना का आदर करते हुए देश का ऐतिहासिक शहर इलाहाबाद, उ.प्र. से 20 कि.मी. दूर (पनौरी रेलवे स्टेशन) चौरी–चौरा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अप एवं डाउन 2 मिनट के लिए कर दिया जाए।

2. भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली स्वदेशी कॉटन मिल्स जो (राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि., यू.पी.) कानपुर की एक इकाई नैनी इलाहाबाद, उ.प्र. में स्थित है। इस मिल के कर्मचारियों को मा. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतनमान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:–

1. इस्को (आई.एस.एस.सी.ओ.), बर्नपुर के कर्मचारियों की इसके आधुनिकीकरण की लंबे समय से की जा रही मांग। इस वर्ष इस्को ने नकद लाभ अर्जित किया है। सेल की इस अनुषंगी कम्पनी का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और सरकार को जनमत को ध्यान में रखते हुए इसका ऋण माफ करने के लिए आगे आना चाहिए।

2. दिल्ली और मुम्बई के विमानपत्तन प्राधिकरणों के कर्मचारियों ने वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत विमानपत्तनों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु एक वैकल्पिक समयबद्ध योजना भेजी है। यह सरकारी क्षेत्र की एक लाभार्जन करने वाली इकाई है। अतः इसका विनिवेश करके इसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:

1. भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन बंद पड़ी गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश को पुनः चलाने तथा इसके कर्मचारियों को बकाया का भुगतान तुरन्त दिया जाए।

2. महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य का भुगतान न किए जाने के संबंध में।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सुश्री उमा भारती पर गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है। हमने इस बारे में नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : हम सबने नोटिस दिया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आइटम नम्बर 15 होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे वह नहीं मिला है। लेकिन आइए पहले समिति के लिए निर्वाचन के लिए प्रस्तावों के कार्य को समाप्त कर लें। हम मद संख्या 15 पर हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) चाय बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ-

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1)(ख) तथा 5(2) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2005 तक के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1)(ख) तथा 5(2) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2005 तक के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलैंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ-

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 (1) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 (1) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों

तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) कॉफी बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 22 अप्रैल, 2006 तक के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 22 अप्रैल, 2006 तक के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 2 सितम्बर 2006 तक के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में, बोर्ड की शेष अवधि अर्थात् 2 सितम्बर, 2006 तक के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 (2) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में, प्राधिकरण की शेष अवधि अर्थात् 3 जून, 2005 तक के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 (2) के साथ पठित सामुद्रि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में, प्राधिकरण की शेष अवधि अर्थात् 3 जून, 2005 तक के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) मसाला बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 (1) (ख) तथा 5 (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 (1) (ख) तथा 5 (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मणि शंकर अय्यर द्वारा जो सावरकर जी के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं, उसके संदर्भ में सरकार बयान दे। ...*(व्यवधान)* सरकार कह रही है कि यह उनका निजी मामला है, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। यह सरासर गलत है। ...*(व्यवधान)* इस पर सदन में चर्चा शुरू कराइए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शांति से बैठिए न। डी.पी. यादव जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह सीखना ही चाहिए कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो आप को बैठ जाना चाहिए। अनुशासनहीनता के गलत उदाहरण न दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, उमा भारती सरकार को बर्खास्त करो। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष जी, उमा भारती के खिलाफ जो वारंट जारी हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहाँ 38 मदें हैं। यह देखना मेरा कार्य है कि यथा संभव अधिकतम माननीय संसद सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिले। मेरा आप सभी से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करें। ये सभी मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं तथा माननीय संसद सदस्य यहाँ उनका उल्लेख करना उचित समझते हैं और मैं उन्हें यह अवसर प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से यह अपील कर रहा हूँ कि मुझे जिस क्रम से सूचनाएं मिली हैं मैं उसी के अनुसार चलूंगा। कृपया आप अपना सहयोग दें जिससे कि सभी माननीय सदस्य अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। स्पीकर की जरूरत ही नहीं है आपके लिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको किसी की आवश्यकता नहीं है? क्या आप स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं? प्रत्येक माननीय

सदस्य स्वयं निर्णय कर रहा है। काश, मैं आपको अभी मेरे स्थान पर यहाँ बैठा सकता केवल तभी आपको यह अहसास होता कि क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, जो वीर सावरकर जी का मणि शंकर अय्यर द्वारा अपमान किया गया है, उस पर आप सदन में चर्चा शुरू कराइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय नेता यहाँ हैं। आप अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध यह है कि आप मुद्दे की बात कह चुके हैं। एक राष्ट्रीय नेता को बार–बार देशभक्त कहने से क्या आप उनकी छवि को बेहतर बना रहे हैं? आप उसका उल्लेख कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : वीर सावरकर जी का अपमान हुआ है, उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है *...(व्यवधान)* सरकार का यह कहना कि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, अनुचित है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सभी मामले महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन क्या किया जा सकता है? जब एक माननीय संसद सदस्य किसी प्रस्ताव की सूचना देता है तो निश्चित रूप से वह एक महत्त्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, सावरकर जी के बारे में सरकार की ओर से जो बयान आया है वह सरासर गलत है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गीते जी के अलावा और किसी का भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। माननीय मणिशंकर अय्यर जी पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया है और सरकार का यह कहना कि उनका सरकार से कोई संबंध नहीं है, सरासर गलत है। *...(व्यवधान)* सदन के नेता ने जो यहां बयान दिया है वह भी सरासर गलत है।*...(व्यवधान)* माननीय मणिशंकर जी मंत्री हैं और मंत्री होने के बावजूद उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया है, इसलिए यह जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : भारतीय जनता पार्टी के नेता दो तरह की बात बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन मणिपुर पर चर्चा कराया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : उपाध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उनके मुख्यमंत्री कहाँ हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उमा भारती के खिलाफ वारंट इशू हुए हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब पहले मेरी बात सुन लें।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उमा भारती के खिलाफ जो वारंट इशू हुए हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04½ बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र-*जारी*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 83/2004–सी.शु., जो 20 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 558ए/04)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 24 लेंगे।

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:–

"कि यह सभा 18 अगस्त 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 18 अगस्त 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 25 लेंगे। श्री पी. के. वासुदेवन नायर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नैस पर डिसकशन के वक्त परम्परा यही रही है कि उस पर शोर नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नैस पर आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, सोमवार, 23 अगस्त 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 अगस्त 2004/1 भाद्रपद, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	डा. रतन सिंह अजनाला	362
	श्री दलपत सिंह परस्ते	
2.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	363
3.	डा. राजेश मिश्रा	364
4.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	365
5.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	366
6.	प्रो. महादेवराव शिवनकर	367
	श्री शिशुपाल एन. पाटले	
7.	श्री तूफानी सरोज	368
8.	डा. राम लखन सिंह	369
	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	
9.	श्री विक्रम केशरी देव	370
10.	श्री सीताराम सिंह	371
11.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	372
	श्री रामजीलाल सुमन	
12.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	373
13.	श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	374
	श्री नीतीश कुमार	
14.	श्री विजय कुमार खंडेलवाल	375
15.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	376
	श्री काशीराम राणा	
16.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	377
	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	
17.	श्री गुरुदास कामत	378
	श्री उदय सिंह	
18.	श्री अजय चक्रवर्ती	379
	श्री राकेश सिंह	
19.	श्री के.एस. राव	380
	श्री अधीर चौधरी	
20.	श्री कैलाश मेघवाल	381
	श्री मोहन सिंह	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3414, 3524
आचार्य, श्री बसुदेव	3397, 3513
आदित्यनाथ, योगी	3459
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3511
अहमद, श्री अतीक	3392, 3559
अहीर, श्री हंसराज जी.	3435
अजनाला, डा. रतन सिंह	3526
अप्पादुरई, श्री एम.	3404, 3443
अर्गल, श्री अशोक	3371, 3557
आठवले, श्री रामदास बंडु	3472, 3565
आजमी, श्री इलियास	3427
'बघदा', श्री बची सिंह रावत	3428
बैस, श्री रमेश	3463
बैठा, श्री कैलाश	3372, 3503, 3588, 3592
बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3428, 3512
भडाना, श्री अवतार सिंह	3416, 3460

1	2
भगोरा, श्री महावीर	3380, 3507
भक्त, श्री मनोरंजन	3398, 3583
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3409, 3543
बुधौलिया, श्री राजनरायन	3545, 3553
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	3484
चक्रवर्ती, श्री अजय	3538
चन्देल, श्री सुरेश	3463, 3491, 3580
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3522, 3597
चटर्जी, श्री सांताश्री	3445
चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह	3425
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3545
चौधरी, श्री निखिल कुमार	3462, 3560
चौहान, श्री शिवराज सिंह	3464
चौधरी, श्री अधीर	3368, 3500, 3517, 3591
दरबार, श्री छत्तर सिंह	3428, 3463, 3531
दास, श्री खगेन	3458
दासगुप्त, श्री गुरूदास	3408, 3416, 3515, 3594
देव, श्री बिक्रम केशरी	3532
देवरा, श्री मिलिन्द	3383, 3439, 3509
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3382, 3553
धोत्रे, श्री संजय	3439
दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3412, 3534, 3564
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3439
गढ़वी, श्री पी.एस.	3434, 3542

1	2
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3439
गांधी, श्री प्रदीप	3526
गंगवार, श्री संतोष	3530
गाव, श्री तापिर	3440, 3548
गेहलोत, श्री थावरचन्द	3432, 3541
गोहेन, श्री राजेन	3369, 3496
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3451, 3555
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3416, 3519, 3564
हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3394, 3485
जगन्नाथ, डा. एम.	3447, 3476, 3567
जटिया, डा. सत्यनारायण	3497
जयाप्रदा, श्रीमती	3438, 3544
झा, श्री रघुनाथ	3450, 3588
जोशी, श्री कैलाश	3483
कामत, श्री गुरूदास	3518
कनोडिया, श्री महेश	3446, 3552
करूणाकरन, श्री पी.	3405
कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3420, 3577
खैरे, श्री चंद्रकांत	3485
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3535
खारवेनथन, श्री एस.के.	3381, 3508, 3593
कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3402
कृष्ण, श्री विजय	3407, 3416, 3516, 3592
कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3456, 3558

1	2
कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3448, 3553
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3497
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3519
लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3526
माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3444, 3550
महाजन, श्री वाई.जी.	3490
महतो, श्री बीर सिंह	3481, 3572
महतो, श्री सुनिल कुमार	3530
महताब, श्री भर्तृहरि	3449
महतो, श्री टेक लाल	3489, 3579
माझी, श्री परसुराम	3374, 3505
मंडल, श्री सनत कुमार	3443
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3547
माने, श्रीमती निवेदिता	3416, 3536
मांझी, श्री राजेश कुमार	3499, 3590
मनोज, डा. के.एस.	3375
मेघवाल, श्री कैलाश	3379, 3534, 3540
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3496
मैन्या, डा. टोकचोम	3478
मिश्रा, डा. राजेश	3527, 3596
मोदी, श्री सुशील कुमार	3483, 3488
मुकीम, मो.	3461
मो. ताहिर, श्री	3488
मोहिते, श्री सुबोध	3483
मूर्ति, श्री ए.के.	3389, 3510
मुन्शी राम, श्री	3430
मुर्मू, श्री हेमलाल	3452, 3556
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	3406, 3443, 3467
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3494
नरबुला, श्री डी.	3498
नायक, श्री अनंत	3388, 3581
निहाल चन्द, श्री	3430
निखिल कुमार, श्री	3551
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3385, 3517
नीतीश कुमार, श्री	3438, 3519
ओराम, श्री जुएल	3492, 3582
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3449, 3471
पाण्डा, श्री प्रबोध	3390, 3586
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3454
परस्ते, श्री दलपत सिंह	3504
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	3429
पटेल, श्री दिन्शा	3495
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	3534
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	3442, 3589
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3506, 3595
पाटले, श्री शिशुपाल एन.	3569
पिंगले, श्री देविदास	3421, 3576
प्रभु, श्री आर.	3574

1	2
प्रसाद, श्री हरिकेवल	3530
राई, श्री नकुल दास	3471, 3563
राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3377
राजेन्द्र कुमार, श्री	3417, 3554
राजेन्द्रन, श्री पी.	3474, 3480, 3566, 3574
रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3413, 3521, 3536, 3547
राणा, श्री काशीराम	3443, 3501, 3562
राव, श्री के.एस.	3449, 3496, 3514, 3534
राव, श्री रायापति सांबासिव	3493, 3584
राव, श्री डी. विट्ठल	3395
रावले, श्री मोहन	3453
रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3477, 3568
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3482, 3573
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3451
रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3502
रिजीजू, श्री खीरेन	3433
साहू, श्री ताराचंद	3486
साय, श्री विष्णु देव	3387, 3533
सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3393, 3525, 3558, 3574, 3575
शर्मा, डा. अरुण कुमार	3469
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3502
सतीदेवी, श्रीमती पी.	3406
सत्पथी, श्री तथागत	3401, 3575
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3479, 3574
सेठी, श्री अर्जुन	3473
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3376, 3443, 3572
शाहिद, मोहम्मद	3441, 3565
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3424, 3428
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3396
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3403, 3428, 3443, 3444, 3520
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3529
शुक्ला, श्रीमती करुणा	3415, 3454, 3526
सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3470
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3426, 3528
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3481, 3502
सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3475
सिंह, श्री दुष्यंत	3475, 3487, 3526, 3548, 3578
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3416, 3536
सिंह, श्री मानवेन्द्र	3423, 3431, 3571
सिंह, श्री मोहन	3384
सिंह, श्री प्रभुनाथ	3441, 3585
सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3386, 3580
सिंह, डा. राम लखन	3530, 3539
सिंह, श्री सीताराम	3523
सिंह, श्री सुग्रीव	3373
सिंह, श्री सूरज	3410

1	2
सिंह, श्री उदय	3546
सुब्बा, श्री मणी कुमार	3391
सुब्बारायण, श्री के.	3457
सुमन, श्री रामजीलाल	3544
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3480
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3425, 3446, 3495, 3552
थामस, श्री पी.सी.	3431, 3534, 3537, 3540
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	3378, 3485, 3574
त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3422
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3419, 3536, 3547
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3553,
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3443
वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3436
वेंकटस्वामी, श्री जी.	3411, 3549
वर्मा, श्री राजेश	3400, 3496, 3587
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3399, 3416
विनोद कुमार, श्री बी.	3466, 3561
यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3416, 3437
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	3465
यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3370, 3443, 3501
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3418, 3570
यादव, श्री राम कृपाल	3455, 3530, 3370
येरननायडू, श्री किन्जरपु	3447

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	363, 364, 367, 378, 379
कोयला और खान		370
वाणिज्य और उद्योग	:	365, 372
कंपनी कार्य	:	376
वित्त		366, 368, 369, 373, 374, 375, 377, 380, 381
विधि और न्याय		362
वस्त्र	:	371

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	3371, 3381, 3398, 3402, 3409, 3417, 3420, 3426, 3469, 3475, 3481, 3483, 3485, 3504, 3516, 3518, 3534, 3547, 3557, 3558, 3582
कोयला और खान		3377, 3382, 3387, 3396, 3410, 3412, 3415, 3419, 3435, 3445, 3448, 3456, 3471, 3487, 3489, 3508, 3513, 3515, 3529, 3532, 3533, 3541, 3554, 3569, 3578, 3579, 3585, 3593, 3594
वाणिज्य और उद्योग	:	3368, 3372, 3378, 3383, 3389, 3390, 3391, 3405, 3422, 3423, 3424, 3425, 3430, 3432, 3433, 3438, 3440, 3447, 3452, 3453, 3454, 3459, 3462, 3465, 3472, 3478, 3479, 3480, 3490, 3491, 3493, 3494, 3498, 3500, 3501, 3502, 3503, 3509, 3512, 3521, 3524, 3526, 3527, 3530, 3531, 3537, 3545, 3551, 3552, 3555, 3561, 3562, 3564, 3567, 3568, 3574, 3575, 3589, 3591, 3595

कंपनी कार्य	:	3375, 3392, 3400, 3437, 3441, 3455, 3460, 3517, 3535, 3539, 3588
वित्त		3369, 3370, 3373, 3374, 3379, 3380, 3384, 3385, 3386, 3388, 3393, 3394, 3395, 3399, 3401, 3403, 3404, 3407, 3408, 3413, 3416, 3418, 3421, 3428, 3429, 3434, 3436, 3439, 3442, 3443, 3444, 3446, 3451, 3457, 3458, 3461, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3473, 3474, 3486, 3488, 3492, 3495, 3496, 3499, 3505, 3507, 3510, 3511, 3514, 3519, 3520, 3522, 3523, 3525, 3528, 3536, 3538, 3540, 3542, 3546, 3549, 3550, 3556, 3559, 3560, 3565, 3566, 3570, 3572, 3577, 3580, 3581, 3583, 3587, 3590, 3592, 3596, 3597
विधि और न्याय		3411, 3449, 3456, 3482, 3563, 3571
वस्त्र		3376, 3397, 3406, 3414, 3427, 3431, 3470, 3476, 3477, 3484, 3497, 3506, 3543, 3544, 3548, 3553, 3573, 3576, 3584, 3586

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।